ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता क्षेत्र पर संस्थागत वित्त का प्रभाव

(बाँदा जनपद के विशेष परिप्रेक्ष्य में)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ०प्र०) से
वाणिज्य विषय में
पी-एच०डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

2008

शोध-निदेशक
डॉ० अभिलाष कुमार श्रीवास्तव
रीडर एवं विभागाध्यक्ष
वाणिज्य विभाग
अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, अतर्रा (बाँदा)

शोधार्थी
सतीश कुमार श्रीवास्तव
एम०काम०

शोध-केन्द्र
वाणिज्य विभाग
अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, अतर्रा (बाँदा)

Office : 05191-210204
Resi : 05191-210559
Cell : 9415556686, 9450170735
Dr. Abhilash Kumar Srivastava
Reader & Head
Department of Commerce
Atarra P.G. College Atarra - 210201
(Banda) U.P.
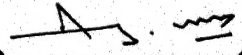
डा० अभिलाष कुमार श्रीवास्तव
रीडर एवं विभागाध्यक्ष
वाणिज्य विभाग
अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज अतर्रा - 210 201
(बाँदा) उ०प्र०

दिनांक..............

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सतीश कुमार श्रीवास्तव ने अपने शोध–केन्द्र पर २०० दिन से अधिक उपस्थित रह कर मेरे निर्देशन में ''ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता क्षेत्र पर संस्थागत वित्त का प्रभाव (बाँदा जनपद के विशेष परिप्रेक्ष्य में)'' शीर्षक पर शोध – कार्य किया है ।

प्रस्तुत शोध – प्रबन्ध, विषय – वस्तु, भाषा एवं शैली तथा अन्य सभी दृष्टियों से पूर्णतया मौलिक एवं पी– एच० डी० उपाधि स्तर का है और परीक्षकों के पास परीक्षण के लिये प्रेषित करने योग्य है ।

डा० अभिलाष कुमार श्रीवास्तव
रीडर एवं विभागाध्यक्ष
वाणिज्य विभाग
अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज
अतर्रा (बाँदा) उ०प्र०

आभारान्जलि

शोध–कार्य के शाश्वत् यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति एक सुखद अनुभूति है। इस कार्य की अथ से इति की यात्रा विद्वानों के परामर्श, कृतियों के अनुशीलन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वेक्षण, निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण एवं सार संचय की श्रम साध्य यात्रा रही है, जिससे होकर निष्कर्ष रूपी गन्तव्य तक पहुंचना मेरे लिये पूज्य गुरूजनों, प्रिय शुभचिन्तकों, मित्रों, परिवार के सदस्यों तथा अन्य सहयोगियों के सहयोग से ही संभव हो सका है।

इस शोध–प्रबन्ध को अन्तिम चरण तक पहुंचाने, दिशा–निर्देशन देने तथा पाण्डुलिपि को आद्योपान्त पढ़कर संशोधन करने हेतु अपना अमूल्य समय देते हुये जो सुझाव दिये, इसका सम्पूर्ण श्रेय मेरे परम श्रद्धेय गुरू जी डॉ० अभिलाष कुमार श्रीवास्तव, रीडर एवं विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, अतर्रा (बाँदा) को जाता है, जिन्होंने बुन्देलखण्ड प्रभाग के इस पिछड़े हुये जनपद बाँदा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इस समस्या के प्रति मेरा ध्यान आकृष्ट कर शोध करने हेतु अनवरत् साहस एवं प्रेरणा प्रदान की। यह सोचकर मैं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि उनके जैसे उदार एवं सहृदय व्यक्तित्व के निर्देशन में मुझे शोध–कार्य पूर्ण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध को परीक्षण हेतु प्रस्तुत करते समय मैं उनके प्रति हृदय से आभारी हूँ एवं यह आशा करता हूँ कि भविष्य में भी उनका स्नेह–वरद हस्त मेरे ऊपर सदा बना रहेगा।

इस क्रम में, महाविद्यालय के शिक्षक–शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ० डी०एस० श्रीवास्तव, हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ० वेद प्रकाश द्विवेदी, रसायन विज्ञान विभाग के रीडर डॉ० डी०सी० गुप्ता, राजनीति विज्ञान विभाग के प्रो० के०बी० राम व पं० जे०एल०एन० कॉलेज बाँदा के अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ० सतीश कुमार त्रिपाठी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने शोध–प्रबन्ध पूर्ण करने में मेरा उत्साहवर्द्धन किया।

मैं अपने प्रिय शुभ–चिन्तकों श्री विष्णु स्वरूप गुप्ता, प्रवक्ता वाणिज्य, राजीव गाँधी डी०ए०वी० महाविद्यालय, बाँदा एवं श्री रणधीर सिंह, प्रवक्ता वाणिज्य, अतर्रा पो०ग्रे० कॉलेज, अतर्रा (बाँदा) को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिनका उदारतापूर्ण सहयोग इस शोध–कार्य को पूरा करने में प्राप्त हुआ।

मैं अपने सभी सहपाठियों अनुराग चतुर्वेदी, सन्तोष पुरवार, बाबूलाल यादव व नागेन्द्र सिंह गौतम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिनका सराहनीय सहयोग इस शोध–कार्य को पूरा करने में प्राप्त हुआ।
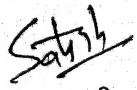
मैं अपने परम अभिन्न मित्र व सहयोगी राकेश सिंह, एम0ए0 (राज0) को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर शोध–अध्ययन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समंकों को उपलब्ध कराने, तालिकायें बनवाने व क्षेत्रीय सर्वेक्षण में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया।

मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों पूज्य पिताजी श्री विजय बहादुर श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार, सरीला (हमीरपुर) व आदरणीय माता जी श्रीमती कुसुमा देवी श्रीवास्तव का हृदय से सम्मान करते हुये अपने छोटे भाईयों मनीश व रजनीश, छोटी बहनों सरोज व मनोज एवं कुल पुरोहित पं0 गया दत्त जी उपाध्याय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने शोध–कार्य के दौरान मुझे अगाध स्नेह, असीम साहस एवं उचित सहयोग प्रदान किया। इसके अभाव में मेरे लिए शोध–कार्य को पूर्ण कर पाना संभव न हो पाता।

मैं शोध–प्रबन्ध के टंकक श्री नीरज अग्रवाल, इलाहाबाद लीड बैंक, बाँदा, के प्रबन्धक श्री पी0के0 सेंगर, विकास खण्ड कमासिन (बाँदा) के खण्ड विकास अधिकारी श्री श्यामनाथ व अतर्रा पो0ग्रे0 कॉलेज, अतर्रा (बाँदा) के पुस्तकालयाध्यक्ष श्री भोला सिंह के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ तथा साथ ही साथ उन सभी ग्रामीण लोगों के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने सर्वेक्षण अवधि में सम्बन्धित सूचनायें प्रदान करने में मेरी सहायता की।

अन्त में मेरा यह विश्वास है कि मेरे इस शोध–कार्य के प्रयास से बाँदा जनपद की अत्यन्त पिछड़ी हुयी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत वित्त के प्रभावों का स्पष्ट ज्ञान होगा और इस तथ्य से सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण के लिये अभिनव प्रयास किये जायेंगे, जो शोधार्थी के परिश्रम का उचित पुरस्कार होंगे।

Satish

महाशिवरात्रि
06 मार्च, 08 ई0

सतीश कुमार श्रीवास्तव
शोधार्थी
वाणिज्य विभाग
अतर्रा पो0ग्रे0 कॉलेज, अतर्रा (बाँदा)

विषय–सूची

तालिकाओं की सूची

चित्रों की सूची

प्रथम अध्याय

प्रथम अध्याय

अध्ययन क्षेत्र की आर्थिक – सामाजिक दशायें

- ☞ जनपद की स्थिति
- ☞ भौगोलिक दशाएं
- ☞ जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताएं
- ☞ जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण
- ☞ आर्थिक क्रिया कलाप

प्रथम अध्याय

1.क. जनपद की स्थिति

जनपद बाँदा ऐतिहासिक दृष्टि से उसी गौरवशाली भू–भाग का हिस्सा रहा है जिसे महाभारत काल में 'चेदि' के नाम से जाना जाता था और इतिहास के पृष्ठों में समय–समय पर आटविक देश, मध्य देश, दशार्ण प्रदेश, जैजा भुक्ति या जुझौती और वर्तमान में बुन्देलखण्ड के नाम से जाना जाता है।[1]

ऐसी मान्यता है कि बाँदा शब्द की उत्पत्ति भगवान राम के समकालीन त्रेता युगीन ऋषि बामदेव के नाम से हुयी। महर्षि बामदेव का आश्रम वर्तमान बाँदा शहर के दक्षिण में बाम्बेश्वर पहाड़ में स्थित है। प्राचीन समय में यह स्थान बामदेव के निवास स्थान के रूप में जाना जाता था। इसी बामदेव के स्थान से धीरे–धीरे बॉदार शब्द विकसित हुआ। मध्यकाल में बुन्देला महाराज छत्रसाल द्वारा बॉदार संभाग बाजीराव द्वितीय को देने का उल्लेख मिलता है। मध्यकाल का बॉदार ही आधुनिक बाँदा है।

यहाँ पर समय–समय पर चन्देल, बुन्देल, छत्रसाल एवं मराठों का शासन रहा। वर्तमान नगर लगभग सन् 1787 में अली बहादुर प्रथम द्वारा बसाया गया जो कि क्षत्रसाल के पौत्र व बाँदी पौत्र के रूप में जाने जाते थे। जनपद मुख्यालय से 60 कि० मी० दूर कालिंजर नामक स्थान है जहाँ के प्रसिद्ध किले पर विजय की लालसा में शेरशाह सूरी ने अपने प्राणों को गंवाया। किंवदंती के अनुसार समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विष का पान करके भगवान शिव ने शीतलता प्राप्त करने हेतु यहाँ निवास किया था। सन् 1857 में बाँदा जनपद के शासक अली बहादुर द्वितीय थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में यह जनपद क्रान्ति का प्रमुख गढ़ रहा परन्तु शीघ्र ही ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत आ गया। सन् 1930 में गाँधी जी ने बाँदा का भ्रमण किया था तथा उसके पूर्व

स्रोत: 1. केनका सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बाँदा पृष्ठ–12

क्रान्तिकारियों एवं आंदोलनकारियों ने स्वतंत्रता संग्राम के हर क्रिया–कलाप में अपना सहयोग प्रदान किया एवं देश की स्वाधीनता के लिए बलिदान दिया।

उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थिति जनपद बाँदा चित्रकूट धाम मण्डल का एक जिला है।[1] यह $24^0 53'$ से $25^0 55'$ उत्तरी आक्षांस एवं 80^0 $07'$ से 80^0 $34'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य में स्थित है।[2] इसके पूर्व में जनपद चित्रकूट, उत्तर में जनपद फतेहपुर, पश्चिम में जनपद महोबा और जनपद हमीरपुर, दक्षिण में मध्य प्रदेश के सतना, पन्ना और छतरपुर जिले हैं। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4114.2 वर्ग कि0मी० है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल 4079.4 वर्ग कि० मी० है तथा नगरीय क्षेत्रफल 34.8 वर्ग कि०मी० है।[3] जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल 240928 वर्ग कि० मी० का 1.708 प्रतिशत तथा देश के कुल क्षेत्रफल 3287263 वर्ग कि० मी० का 0. 125 प्रतिशत है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों का क्षेत्रफल जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 99.15 प्रतिशत है जबकि जनपद के नगरीय क्षेत्रों का क्षेत्रफल जनपद के कुल क्षेत्रफल का 0.85 प्रतिशत है। जिले की पूर्व से पश्चिम तक की लम्बाई 75–80 कि० मी० व उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई 50–60 कि० मी० है। जनपद मुख्यालय सड़क मार्ग से कानपुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी एवं मध्य प्रदेश से लगे हुए जिलों सतना, पन्ना और छतरपुर से जुड़ा है। बाँदा से इलाहाबाद, झांसी, कानपुर, लखनऊ एवं सतना के लिए रेल सेवा भी उपलब्ध है। उ० प्र० की राजधानी लखनऊ, बाँदा से 219 कि० मी० की दूरी पर है।

प्रशासनिक दृष्टि से यह जनपद चार तहसीलों एवं आठ विकास खण्डों में विभक्त है। जिनका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है–

स्रोत : 1. जनपद बांदा को वर्ष 1998 में प्रशासनिक दृष्टि से विभक्त कर नवीन जनपद चित्रकूट की स्थाप
की गयी। शोध–अध्ययन में उल्लिखित कतिपय आंकड़ें विभाजन के पश्चात जनपद बांदा के
2. जनपदीय परिचयात्मक एवं विकास पुस्तिका 2003–04।

1.क.1. तहसीलें

जनपद में निम्नलिखित चार तहसीलें हैं—

तालिका संख्या : 1.1

जनपद की तहसीलवार स्थिति

क्र. सं.	तहसील	आने वाले विकास खण्ड	क्षेत्रफल	जनघनत्व	लिंगानुपात
1.	बाँदा	जसपुरा तिन्दवारी बडोखरखुर्द	1693.7	265	826
2.	बबेरू	कमासिन बबेरू	1139.0	242	837
3.	अतर्रा	महुआ विसण्डा	733.5	453	832
4.	नरैनी	नरैनी	548.0	326	836
		योग	**4114.2**	**300**	**831**

स्रोतः कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाँदा

(1) तहसील बाँदा

बाँदा तहसील के उत्तर में यमुना नदी और फतेहपुर जनपद है। दक्षिण में नरैनी तहसील है। पूर्व में बबेरू एवं अतर्रा तहसील है तथा पश्चिम में जनपद हमीरपुर है। इस तहसील में तीन विकासखण्ड बड़ोखर खुर्द, तिन्दवारी और जसपुरा आते हैं। यहाँ पर चावल, गेहूँ, तिलहन एवं दालों का अच्छा व्यापार होता है। बाँदा तहसील सदर की तहसील कहलाती है। यहाँ की जनसंख्या 4,50,283 है। जिसमें 2,46,576 पुरूष व 2,03,707 महिलाएं हैं। यहाँ का जनघनत्व 265 व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी० तथा लिंगानुपात 826 है।

(2) तहसील बबेरू

यह जनपद की दूसरी सबसे बड़ी तहसील है। इस तहसील में सिंचाई की अच्छी

व्यवस्था है। गडरा एवं यमुना यहाँ की नदियाँ है। इसके अन्तर्गत बबेरू और कमासिन दो विकासखण्ड आते हैं। यहाँ की जनसंख्या 2,75,790 है जिसमें 1,50,107 पुरूष व 1,25,683 महिलाएं हैं। यहाँ का जनघनत्व 242 तथा लिंगानुपात 837 है।

(3) तहसील अतर्रा

इस तहसील के निर्माण में कर्वी तहसील जो चित्रकूट जनपद में स्थित है का पश्चिम भाग, नरैनी तहसील का उत्तरी भाग, बबेरू तहसील का दक्षिणी भाग एवं बाँदा तहसील का पूर्वी भाग प्रभावित हुआ है। इसका मुख्यालय अतर्रा में है। इस तहसील में भी सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है और नहरों का जाल सा बिछा हुआ है। इस तहसील में धान की पैदावार सबसे अधिक होती है। इसलिए इस कस्बे को धान का कटोरा कहा जाता है। इस तहसील के अन्तर्गत महुआ एवं विसण्डा दो विकासखण्ड आते हैं। यहाँ की जनसंख्या 3,32,964 है, जिसमें 1,81,738 पुरूष व 1,51,226 महिलाएं हैं। यहाँ का जनघनत्व 453 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि0मी0 तथा लिंगानुपात 832 है।

(4) तहसील नरैनी

इस तहसील में बागैं व केन नदियां प्रमुख हैं। इस तहसील के अन्तर्गत नरैनी विकासखण्ड आता है। यहाँ के जंगलों में कत्था एवं शहद अधिक प्राप्त होता है। नरैनी तहसील के पूर्व में चित्रकूट जनपद है। इस तहसील का दक्षिणी भाग पठारी तथा पथरीला है। यहाँ की जनसंख्या 178925 है जिसमें 97446 पुरूष व 81479 महिलाएं हैं। यहाँ का जनघनत्व 326 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 तथा लिंगानुपात 836 है।

1.क.2. विकास खण्ड

विकास खण्ड ग्रामीण विकास की इकाई है। यहाँ के अधिकारी एवम् कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों का समन्वित विकास करने के लिए तरह–तरह के कार्य करते हैं। गाँव के लोगों को खेती की उन्नतिशील विधियाँ बताते हैं। स्वरोजगार के लिए राज्य से कर्ज

दिलाते हैं। फसलों के लिए दवा, खाद, बीज आदि की व्यवस्था करवाते हैं। गाँव के सड़कों, कुओं, तालाबों एवं पंचायत के कामों का निरीक्षण करते हैं। गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे लोगों एवं अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति के लोगों की दशा सुधारने का कार्य विशेष रूप से करते हैं। जनपद में आठ विकासखण्ड हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है –

(1) बबेरू

बबेरू विकासखण्ड व तहसील दोनों है। यह बाँदा मुख्यालय से 48 कि० मी० की दूरी पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 607.2 वर्ग कि० मी० है। यहाँ की जनसंख्या 144290 है। जिसमें 78477 पुरूष व 65813 महिलाएं हैं। यहाँ का जनघनत्व 238 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 तथा लिंगानुपात 838 है। इसके अन्तर्गत 84 ग्राम आते हैं।

(2) कमासिन

विकास खण्ड कमासिन बबेरू तहसील के अन्तर्गत आता है। यह बबेरू से आगे राजापुर रोड पर बबेरू से 21 कि० मी० तथा बाँदा मुख्यालय से 62 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 527 वर्ग कि0मी0 है। यहाँ की जनसंख्या 140951 है जिसमें 75511 पुरूष व 65440 महिलाएं हैं। यहाँ का जनघनत्व 227 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० तथा लिंगानुपात 838 है। इसके अर्न्तगत 76 ग्राम एवं 52 ग्राम पंचायतें हैं।

(3) विसण्डा

विकास खण्ड विसण्डा अतर्रा तहसील के अन्तर्गत आता है। यह बाँदा मुख्यालय से सिंहपुर ओरन मार्ग पर बाँदा से लगभग 40 कि० मी० की दूरी पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 306.7 वर्ग कि० मी० है। यहाँ की जनसंख्या 132303 है जिसमें 71801 पुरूष व 60502 महिलाएं हैं। यहाँ का जनघनत्व 431 व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी० तथा लिंगानुपात 842 है। इसके अन्तर्गत 57 ग्राम हैं।

(4) नरैनी

विकास खण्ड नरैनी तहसील होने के कारण दोनों की भूमिका निर्वहन करता है। यह बाँदा मुख्यालय से बाँदा सतना (म० प्र०) मार्ग पर 48 कि० मी० की दूरी पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 546 वर्ग कि० मी० है। यहाँ की जनसंख्या 169930 है। जिसमें 92558 पुरूष व 77372 महिलाएं हैं। यहाँ का जनघनत्व 311 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 तथा लिंगानुपात 835 है। इसके अन्तर्गत 134 ग्राम हैं।

(5) महुआ

विकास खण्ड महुआ अतर्रा तहसील के अन्तर्गत आता है। यह बाँदा मुख्यालय से 15 कि० मी० की दूरी पर बाँदा इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 412.7 वर्ग कि० मी० है। यहाँ की जनसंख्या 152411 है। जिसमें 83271 पुरूष व 69140 महिलाएं हैं। यहाँ का जनघनत्व 369 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० तथा लिंगानुपात 830 है। इसके अन्तर्गत 119 ग्राम हैं।

(6) तिन्दवारी

विकास खण्ड तिन्दवारी बाँदा तहसील के अन्तर्गत आता है। यह बाँदा मुख्यालय से 25 कि० मी० की दूरी पर बाँदा फतेहपुर मार्ग पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 598 वर्ग कि० मी० है। यहाँ की जनसंख्या 124021 है जिसमें 68135 पुरूष व 55886 महिलाएं हैं। यहाँ का जनघनत्व 207 व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी० तथा लिंगानुपात 820 है। इसमें 89 ग्राम आते हैं।

(7) बडोखर खुर्द

विकास खण्ड बडोखर खुर्द बाँदा तहसील के अन्तर्गत आता है। यह बाँदा मुख्यालय में बाँदा इलाहाबाद मार्ग पर 5 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 671.7 वर्ग कि० मी० है। यहाँ की जनसंख्या 134982 है। जिसमें 74514 पुरूष व 60468

महिलाएं हैं। यहाँ का जनघनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० तथा लिंगानुपात 811 है। इसके अन्तर्गत 76 ग्राम हैं।

(8) जसपुरा

विकास खण्ड जसपुरा बाँदा तहसील के अन्तर्गत आता है। यह बाँदा मुख्यालय से बाँदा हमीरपुर मार्ग में 58 कि० मी० की दूरी पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 409.3 वर्ग कि० मी० है। यहाँ की जनसंख्या 79515 है जिसमें 43045 पुरूष व 36470 महिलाएं हैं। यहाँ का जनघनत्व 194 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० तथा लिंगानुपात 847 है। इसके अन्तर्गत 45 ग्राम हैं।

1.ख. भौगोलिक दशायें

किसी क्षेत्र के धरातल की बनावट, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, नदियाँ, पहाड़ एवं पशु–पक्षी आदि के आधार पर वहाँ की भौगोलिक दशाएं निर्धारित होती हैं। जनपद बाँदा की भौगोलिक दशाओं का अध्ययन भी इन्हीं तत्वों के आधार पर किया जायेगा।

1.ख.1. धरातल की बनावट

प्राकृतिक बनावट के आधार पर जनपद के धरातल की बनावट को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है–

1. मैदानी भाग

यह भाग केन, यमुना, बागै, चन्द्रावल, गडरा, आदि नदियों द्वारा निर्मित है। इस मैदान में अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी पायी जाती है।[1] सिंचाई की उत्तम सुविधा के कारण अनाज बहुतायत मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। केन नदी के सीमावर्ती क्षेत्र में काली मिट्टी पायी जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यह क्षेत्र बाँदा तहसील में यमुना नदी के किनारे चिल्ला नामक स्थान पर, केन नदी के किनारे नरैनी

स्रोतः 1. जिले का भूगोल, डॉ0 प्रीति जायसवाल, पृष्ठ–25

तहसील में शेरपुर, बरईमानपुर, गन्छा, कहला, बाँदा तहसील में कनवारा, भूरागढ़, अछरौड़, पैलानी, सिन्धन व बागै नदी के किनारे अतर्रा तहसील में बदौसा में पाये जाते हैं।

(2) पठारी भाग

जनपद का दक्षिणी भाग पठारी है। जहाँ यत्र–तत्र पहाड़ियों के दर्शन होते हैं। इस क्षेत्र में जल की उपलब्धता दुर्लभ होने के कारण जनसंख्या बिरल है।[1] भूमि कंकरीली व पथरीली होने के कारण कम उपजाऊ है। वनस्थलों का क्षेत्र इसके अन्तर्गत आता है। इस क्षेत्र में जलाऊ तथा इमारती लकड़ी मिलती हैं। जिस कारण इस क्षेत्र का अधिक महत्व है।

तालिका संख्या : 1.2

जनपद की भौगोलिक स्थिति

क्र. सं.	भौगोलिक भाग	क्षेत्रफल(वर्ग कि० मी०)	प्रतिशत
1.	मैदानी भाग	3291.36	80.00
2.	पठारी भाग	822.84	20.00
	योग	**4114.20**	**100.00**

स्रोत : कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी–बाँदा

1.ख.2. नदियाँ

बाँदा जनपद के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नदियां आदि काल से ही मानव जीवन एवं गतिविधि का साधन रही हैं। जिले की अधिकांश नदियां बरसाती हैं। जिले की प्रमुख नदियों का विवरण निम्न है[2]–

(1) यमुना नदी

यह नदी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। यह नदी जिले की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी यमुनोत्री नामक स्थान से निकलकर दिल्ली, मथुरा एवं आगरा से होते

स्रोत: 1. जिले का भूगोल, डॉ0 प्रीति जायसवाल, पृ0–25
2. बुन्देलखण्ड का इतिहास, दीवान प्रतिपाल सिंह

हुए बाँदा जिले में नारायण ग्राम के पास से हमारे जनपद में प्रवेश करती है और जिले की उत्तरी सीमा बनाते हुए इलाहाबाद में जाकर गंगा में मिल जाती है।

(2) केन नदी

केन नदी का प्राचीन नाम कर्णावती व सुक्तिमती था। यह मध्यप्रदेश के दमोह जिले के देबरी नगर के पास बिन्ध्याचल पर्वत की श्रेणी से निकलती है। करतल ग्राम के पास बाँदा जिले में प्रवेश करती है तथा चिल्ला ग्राम के पास यमुना में मिल जाती है।

(3) बागै नदी

यह नदी पन्ना जिले के गौरिहार ग्राम के निकट विन्ध्यांचल पर्वत से निकलती है तथा विकास खण्ड कमासिन (जनपद बाँदा) के बिलास ग्राम के पास यमुना नदी में मिल जाती है। कालिंजर इस नदी के पास ही लगभग 2 कि० मी० में स्थित है। कभी कभी इस नदी में हीरा मिल जाता है इसलिए इसको रत्नगर्भा भी कहते हैं।

(4) गड़रा नदी

इस नदी का उद्‌गम स्थान नरैनी तहसील के बहेरी तथा गोखिया ग्राम के समीप नालों के सम्मिलित होने के कारण हुआ है।

(5) चन्द्रावल नदी

यह नदी महोबा जिले के पास चांदा नामक ग्राम से नाले के रूप में निकलती है। यह पैलानी ग्राम (जनपद बाँदा) के समीप केन नदी में मिल जाती है। इस नदी के किनारे प्रमुख रूप से गडरिया, अमारा ग्राम बसे हुए हैं।

1.ख.3. भूमि

भूमि अर्थात् थल मानवीय विकास का आधार है। अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए भूमि का महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि भूमि की आवश्यकता खेती के अतिरिक्त वनस्पति को बढ़ाने, पशुपालन के लिए, चारागाह इत्यादि के लिए भी होती है।

प्रशासनिक अभिलेखों में कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल 364290 हेक्टेयर है। जिसमें केवल 119960 हेक्टेयर ही सिंचित है, जो सम्पूर्ण कृषि योग्य क्षेत्रफल का 30 प्रतिशत है किन्तु निरन्तर सिंचन क्षमता में कमी आ रही है। सरकारी संसाधनों से केवल 12 प्रतिशत क्षेत्रफल की ही सिंचाई हो पा रही है। यही कारण है कि लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में केवल एक बार ही फसल बोयी जाती है। जनपद का सम्पूर्ण बोया गया क्षेत्रफल 30.5 प्रतिशत तथा दो फसली क्षेत्रफल 4.75 प्रतिशत है। जनपद की 3 प्रतिशत भूमि परती पड़ी है। शेष भूमि में खनिज अथवा रेतीली, बंजर एवं दलदली भूमि सम्मिलित है। जनपद के कुल भूमि के 68 प्रतिशत भूमि में ही कृषि कार्य हो रहा है। कृषि उपयोग के कारण बंजर भूमि, परती एवं कृषि अयोग्य भूमि प्रतिवर्ष कम हो रही है।

तालिका संख्या 1.3

भूमि उपयोगिता के क्षेत्रफल के आंकड़े

(हेक्टेयर में)

क्र. स.	भूमि उपयोगिता	1997-98	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04
1.	कुल प्रति क्षे०	456051	456173	453967	453467	438557	456174	456085
2.	सकल बोया क्षे०	354126	350629	355962	339657	348259	358379	357060
3.	कृषि यो0 बंजर	12724	11337	11786	12151	12151	12151	12151
4.	ऊसर एवं कृषि	13348	13361	13372	12038	11472	11472	11472
5.	अन्य परती	16405	16983	16907	16715	16413	16503	16572
6.	कृषि के अति०	28656	29800	29762	30097	29189	29189	30160
7.	वर्तमान परती	20437	20437	18962	17138	14369	14369	14369
8.	चारागाह	410	410	412	400	400	400	400
9.	वन	5008	5008	5008	5008	5008	5008	5008
10.	उद्यानों, बागों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल	1558	1554	1550	1463	1335	1335	1335
	योग	**908723**	**905692**	**907688**	**888134**	**875953**	**904980**	**904612**

स्रोत :– कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाँदा

1.ख.4. मिट्टी

मानव की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में भोजन एवं वस्त्र सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति कराने वाली मृदा या मिट्टी एक आधारभूत संसाधन है। मृदा का तात्पर्य खनिजों तथा जैव तत्वों के उस गत्यात्मक प्राकृतिक सम्मिश्रण से है जिसमें पौधे उत्पन्न करने की क्षमता पायी जाती है। मिट्टी में विभिन्न प्रकार के खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सम्पूर्ण जनपद में बुन्देलखण्ड की प्रसिद्ध चारों प्रकार की मिट्टी की किस्म मार, कावर, पडुआ व राकड पायी जाती है।[1] जनपद की मिट्टी को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

(अ) लाल मिट्टी

(ब) काली मिट्टी

(अ) लाल मिट्टी

लाल मिट्टी की संरचना कणानुमय तथा स्फटिक से सम्बन्धित है। आधुनिक भूमि वर्गीकरण के अनुसार लाल मिट्टी अल्टीसाल तथा एन्टीसाल के अन्तर्गत आती है। इसे निम्नलिखित दो उपवर्गों में बाँटा जा सकता है–

(1) राकड़ मिट्टी

यह मिट्टी साधारणतया लाल रंग, छिछली, कंकरीली, पथरीली तथा अनुपजाऊ होती है। यह मिट्टी बनावट में बहुत हल्की होती है। जनपद की बाँदा तहसील में राकड़ किस्म की अधिकता पायी जाती है।

(2) पडुआ मिट्टी

यह मिट्टी रंग में हल्की भूरी, बनावट में मध्यमवर्गीय, अच्छी, जलोत्सारित तथा खरीफ की फसल के लिए आदर्श स्वरूप है। यह मिट्टी 40 सेमी० से 750 सेमी० तक

स्रोतः 1. जिले का भूगोल, डॉ० प्रीति जायसवाल, पृ०–33

गहरी होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता 100 से 200 मिमी० होती है। इसमें बालू का अंश अधिक होता है। यह नदियों के समीपवर्ती क्षेत्र गुन्ता के मैदान में पायी जाती है। बाँदा तहसील में पडुआ मिट्टी अधिक है। पडुआ व राकड मिट्टी कम या अधिक मात्रा में जनपद के प्रत्येक तहसील में उपलब्ध है।

(ब) काली मिट्टी

काली मिट्टी साधारणतया निचले भागों में मिलती है। इसका विकास सीमित जल निकास से सम्बंधित है। यह अच्छी प्रकार की बनावट, जल ग्रहण क्षमता वाली तथा उपजाऊ होती है। इसे दो प्रकार की उपश्रेणियों मार तथा काबर में बाँटा जा सकता है।

(1) मार मिट्टी

यह मिट्टी चूर्णमय व रंग में अधिकतर काली होती है। इसमें कंकड़ व पिण्ड पाये जाते है। बनावट में अच्छी तथा अधिक जल ग्रहण क्षमता वाली होने के कारण यह मिट्टी रबी की फसल जैसे–गेहूँ, चना के लिए उत्तम होती है। इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी तथा पोटाश की अधिकता होती है। समुचित जल निकास इसकी विशेषता है। मार मिट्टी जनपद में केन नदी के तृतीय मैदान में एवम् बबेरू तहसील में अधिकता से पाई जाती है।

(2) काबर मिट्टी

यह मिट्टी निचले समतल भू–भागों में पायी जाती है। यह रंग में काली होती है। इसमें कंकड़ व पिण्ड पाये जाते हैं। बनावट में चिकनी तथा मध्यम गहरी होती है। इसमें कंकड़ नहीं पाया जाता फिर भी यह सुहंत तथा दृढ़ होती है। यह छोटे कणों वाली चिकनी और उपजाऊ होती है। सूखने पर कडी दरार पड़ जाती है। यह मिट्टी मध्य के समतल मैदान में व बागै व गुन्ता के मैदानों में अधिकता में मिलती है।

तालिका संख्या : 1.4

जनपद में विकास खण्डवार भूमि की किस्म के आंकड़े

(हेक्टेयर में)

विकास खण्ड	राकड़	मार	कावर	पडुआ
बड़ोखर खुर्द	14585	15660	5340	16985
तिंदवारी	13840	18860	5490	12740
जसपुरा	16490	2880	1600	8090
बबेरू	4445	9560	19140	15350
कमासिन	4050	8560	17340	13940
विसण्डा	3425	8060	10140	18990
महुआ	1750	4060	8140	27140
नरैनी	5785	10960	11350	29445
योग	**64670**	**78600**	**78540**	**142680**

स्रोतः– कृषि विभाग, बाँदा

1.ख.5. वनस्पति

प्राकृतिक वनस्पति के अन्तर्गत धरातल पर प्राकृतिक रूप से उगने वाली व बहने वाली वनस्पतियों को शामिल किया जाता है। इनके विकास में मानव का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं होता। प्राकृतिक वनस्पति का सबसे प्रमुख स्वरूप हमें वनों से दृष्टिगोचर होता है। वनों से मानव जाति का सम्बन्ध बहुत पुराना है क्योंकि अपनी आदिम अवस्था में मानव वनों पर ही आश्रित था। वनों का प्रभाव मानव जीवन पर प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों रूपों में पड़ता है। वन आर्थिक विकास के लिए केवल कच्चे माल की पूर्ति ही नहीं करते अपितु पर्यावरण रक्षक, बहाव अवरोधक तथा मृदा अवरोधक की भूमिका भी निभाते हैं। एक तरफ जहाँ ये ईंधन, इमारती लकड़ी, कागज, कृषि औजार एवं फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियां प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी ओर गोंद, जंगली या प्राकृतिक रबर ऐसे गौड़ उत्पाद हैं जिनकी प्राप्ति वनों से ही होती है। वन क्षेत्र विशेष की जलवायु को नियन्त्रिक करके वहां के निवासियों के शारीरिक व मानसिक विकास

पर भी प्रभाव डालते हैं।

जंगल विभाग के अनुसार जिले का वनाच्छादित भाग 5210.44 हेक्टेयर है जो सम्पूर्ण जनपद का 1.162 प्रतिशत, तथा प्रदेश के कुल वनावरण क्षेत्रफल 10576 वर्ग कि० मी० का 0.011 प्रतिशत है। जनपद में वनों का सिलसिला यमुना नदी के किनारे स्थित बरहा, कोटरा एवं परदवां ग्राम से प्रारम्भ होकर दक्षिण पश्चिम के मध्य प्रदेश की सीमा तक चला गया है। इन जंगलों में मुख्य रूप से बबूल, करौंदा, बेल, करील, महुआ, नीम, पीपल, शीशम, सागौन एवं सहजन आदि के पेड़ बहुतायत में पाये जाते हैं।

वनों द्वारा उद्योग के लिए कच्चा माल, पशुओं के लिए चारा, लोगों के उपयोग हेतु ईंधन व सस्ते मूल्य पर फल–फूल प्राप्त होते हैं। औषधि निर्माण के लिए आंवला, बहेरा, अमलतास एवं सर्पगन्धा आदि प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कालिंजर क्षेत्र में पाये जाने वाले तेन्दू की पत्ती का बीड़ी व्यवसाय के लिए निर्यात किया जाता है। कत्था बनाने के लिए खैर की लकड़ी का व्यापार किया जाता है। कई स्थानों में बबूल की गोंद बड़ी मात्रा में एकत्र की जाती है।वन क्षेत्र में तीव्रता से की जा रही कमी को ध्यान में रखकर ग्राम समाज की भूमि, रेल लाइन के किनारे व सड़क के किनारे वृक्षों का रोपन किया जा रहा है।

तालिका संख्या : 1.5

जनपद में विकासखण्डवार वन क्षेत्रों का विवरण

क्र०स०	विकास खण्ड	क्षेत्रफल(हे०)	जनपद में प्रति०
1.	नरैनी	2644.30	.589
2.	महुआ	429.55	.097
3.	बड़ोखर खुर्द	350.20	.079
4.	तिंदवारी	1154.34	.259
5.	जसपुरा	145.40	.034
6.	बबेरू	125.10	.278
7.	बिसण्डा	292.75	.068
8.	कमासिन	68.83	.154
	योग	**5210.44**	**1.61**

स्रोत:–वन विभाग, बांदा

1.ख.6. खनिज सम्पदा

पृथ्वी पर पायी जाने वाली प्रत्येक सम्पदा का मनुष्य उपयोग करता है। चाहे वह जल हो, वनस्पति हो, पशुधन हो या कुछ और किन्तु इसके अतिरिक्त प्रकृति ने हमें कुछ और भूमिगत सम्पत्ति भी प्रदान की है। जो हमसे दूर भूगर्भ में छिपी पडी है। इसी भूमिगत सम्पत्ति को खनिज संसाधन कहा जाता है। खनिज उस रूप में नहीं पाये जाते जिस रूप में मनुष्य उनका उपयोग करता है। वे अन्य तत्वों से मिले जुले अयस्क के रूप में मिलते हैं। जिन्हें निश्चित प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध किया जाता है।

खनिज सम्पदा की दृष्टि से जनपद बाँदा एक धनी जनपद है। यहाँ पर अनेकों महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। परन्तु खनिजों का विकास उच्च कोटि की वैज्ञानिक तथा तकनीकी विशेषज्ञों, उपकरणों के अभाव में अवरूद्ध है। जनपद में उपलब्ध ग्रेनाइट पत्थरों से मिट्टी बनाने की औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। इनके पत्थरों को जनपद के बाहर भेजा जा रहा है। केन, यमुना व बागै नदी की रेत बाहर भेजी जाती है जो कि आलीशान भवनों के निर्माण में सहायक है। पश्चिम में शजर पत्थर एवं दक्षिण पश्चिम में हीरा प्राप्ति की सम्भावना है। तांबा प्राप्ति की सम्भावना भी की जाती है। चूना पत्थर भी पाया जाता है जिसे गलाकर खाने वाला चूना तैयार किया जाता है। इस्पात गलाने में प्रयोग किया जाने वाला डोलोमाइट तथा बाक्साइट व जिप्सम भी यत्र–तत्र मिलते हैं।

1.ख.7. जलवायु

किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमण्डलीय दशाओं यथा तापमान, वर्षा, वायुदाब, हवा, आर्द्रता आदि के सम्मिलित रूप को मौसम कहते हैं। जबकि किसी स्थान पर दीर्घकालीन मौसम सम्बन्धी दशाओं का औसत जलवायु कहलाता है। इससे स्पष्ट है कि मौसम वायुमण्डल की क्षणिक अवस्था का बोध कराता है, जबकि जलवायु दीर्घकालीन

अवस्था का प्रतीक है। इस जिले की जलवायु मानसूनी है। जो गर्म मौसम, खुशनुमा मानसून और ठंडे मौसम से जानी जा सकती है। गर्मी में यहाँ अत्यधिक गर्मी तथा जाड़ों में अत्यधिक जाड़ा पड़ता है। यहाँ की जलवायु पठारी जलवायु के अनुरूप है। जनपद की जलवायु को निम्न श्रेणियों में बाँटकर अध्ययन किया जा सकता है–

(A) ऋतुयें

जनपद में निम्नलिखित तीन प्रकार की ऋतुएं पायी जाती हैं–

(1) शीत–ऋतु (जाड़ा)

जनपद में शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। कभी–कभी तापमान बहुत नीचे गिर जाता है। जिससे भंयकर सर्दी पड़ती है, तथा फसलों में पाला लग जाता है। इस ऋतु में कभी–कभी हल्की वर्षा भी होती है। जिससे रबी फसल को अच्छा लाभ होता है।

(2) ग्रीष्म–ऋतु (गर्मी)

यह ऋतु मार्च से जून तक होती है। यहाँ दिन का तापमान बहुत अधिक होता है। यहाँ गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, और लू भी बहुत चलती है।

(3) वर्षा–ऋतु (बरसात)

जनपद में वर्षा जुलाई से सितम्बर के दौरान होती है। जिससे वातावरण हरा–भरा व रमणीय हो जाता है। जनपद की वार्षिक औसत वर्षा 100 सेमी० है। कभी कभी ओले गिरते हैं। गर्मियों में जून से सितम्बर तक बंगाल की खाड़ी से मानसूनी वर्षा होती है तथा जाड़ों में पश्चिमी घाट से मानसून द्वारा वर्षा होती है।

(B) तापमान

जनपद का तापमान सामान्यतया अधिकतम 45 सेन्टीग्रेट तथा न्यूनतम 5 सेन्टीग्रेट रहता है। किन्तु कभी–कभी उच्चतम तापमान 49 सेन्टीग्रेट तथा न्यूनतम 3 सेन्टीग्रेट

तक हो जाता है। यहाँ दिन का तापमान रात्रि की अपेक्षा अधिक रहता है। यद्यपि उच्चतम व न्यूनतम तापमान इन्हीं दोनों सीमाओं के मध्य रहता है। किन्तु 14–15 जून 1995 को तापमान 52°C के ऊपर चला गया था। उस दिन बहुत सारी मौतें लू लगने के कारण हो गई थीं। ग्रीष्म ऋतु में औसतन तापमान 40–50 डिग्री के मध्य होता है। हवा के तेज गर्म झोंके चलने लगते हैं जिन्हें लू कहते हैं। बुन्देलखण्ड के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ अधिक दिनों तक लू चलती है। जून का महीना बहुत गर्म तथा झुलसाने वाला होता है। जिससे तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। मध्य जून के पूर्व कुछ पूर्वी मानसूनी बौछारें आती हैं। जिससे तापमान में कमी आती है।

तालिका संख्या : 1.6

जनपद में तापमान का विवरण

वर्ष	उच्चतम	निम्नतम
1997	41	6.00
1998	42	8.8
1999	40	6.7
2000	44	5.0
2001	43	6.0
2002	48	6.0
2003	47	5.0
2004	48	8.0

स्रोतः– जिला कलेक्ट्रेट, बाँदा

(C) वर्षा

जनपद की औसत वार्षिक वर्षा 100 सेमी0 है, जो जुलाई से अक्टूबर के बीच होती है। सम्पूर्ण वर्षा का 85 प्रतिशत जुलाई से सितम्बर के मध्य होती है। शेष अक्टूबर व अन्य महीनों में होती है। जुलाई अगस्त सर्वाधिक वर्षा वाले महीने हैं। कभी–कभी शीत ऋतु में वर्षा होती है। सम्पूर्ण वर्षा का जल नालों से होता हुआ नदियों में मिल

जाता है। तथा कुछ भाग तालाबों में एकत्र हो जाता है। जल के अनियन्त्रित बहाव से भूमि का कटाव होता है।

तालिका संख्या : 1.7
वर्षवार वर्षा की स्थिति

महीने	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
जनवरी	3.84	——	——	——	——	3.0	11.2	8.1
फरवरी	——	——	15.3	——	——	14.0	23.9	——
मार्च	——	6.8	——	——	——	——	18.2	——
अप्रैल	8.0	13.00	——	——	24.6	1.0	——	——
मई	.96	——	3.50	37.0	17.8	39.8	——	5.2
जून	5.14	25.80	133.8	116.6	127.8	1.33	66.7	6.6
जुलाई	149.50	202.50	97.6	164.42	300.0	22.02	103.8	127.1
अगस्त	168.20	334.50	214.6	337.6	179.6	41.87	200.5	88.5
सितम्बर	190.90	108.90	338.1	134.4	23.0	494.6	466.4	171.4
अक्टूबर	39.90	——	——	——	22.8	27.2	——	——
नवम्बर	20.10	——	——	——	——	8.6	——	——
दिसम्बर	91.80	——	——	——	——	2.8	10.1	10.7
योग	**723.98**	**691.50**	**902.2**	**789.8**	**695.0**	**656.22**	**900.8**	**47.1**

स्रोत :– भूमि संरक्षण विभाग, बांदा।

(D) हवा

फरवरी के मध्य से बसंत के आगमन के साथ हवाओं का चलना आरम्भ हो जाता है और मार्च के मध्य से यह हवायें गर्म हवाओं में बदलने लगती हैं। तथा जून तक बहुत गर्म हो जाती हैं। इस गर्म हवा को लू कहते हैं। इस दौरान लू के कारण लोगों द्वारा अपने कानों में साफी बांधने का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में जब वर्षा शुरू होती है, तब इन गर्म हवाओं का पटाक्षेप होता है।

(E) आर्द्रता

वायुमण्डल में विद्यमान अदृश्य जल वाष्प की मात्रा ही आर्द्रता कहलाती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी मौसम में आर्द्रता का अनुपात बढ़ जाता है। सामान्यतया यह 70

प्रतिशत से आगे चला जाता है तथा ये आर्द्रता बढ़ती रहती है और जब गर्मी का मौसम आता है, तो वातावरण गर्म और शुष्क होता है।

(F) बदली

शीत ऋतु के दौरान आकाश बादलों से ढका रहता है तथा कुछ समय तक इसी अवस्था में रहता है। कभी–कभी पश्चिमी मानसून के कारण अधिक वर्षा हो जाती है। शीत ऋतु में कई–कई दिनों तक बदली की स्थिति बनी रहती है। तथा कई दिनों तक लगातार कोहरे की पुनरावृत्ति होती रहती है।

1.ख.8. पहाड़

हमारा जनपद विन्ध्याचल पर्वत की श्रेणियों के बीच स्थित है। मण्डल बाँदा के मुख्यालय बाँदा में बाम्बेश्वर पर्वत है व नरैनी तहसील में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं। जनपद के प्रमुख पहाड़ों का विवरण निम्न है[1] –

(1) बाम्बेश्वर पर्वत

यह पहाड़ बाँदा जनपद के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ के बारे में प्रचलित है कि इस पहाड़ पर महर्षि बामदेव ने तपस्या की थी। यहाँ पर विशेष प्रकार के पत्थर भी पाये जाते हैं, जो बजाने पर आवाज उत्पन्न करते हैं। इसी आधार पर स्थानीय लोग इन्हें टुनटुनिया पत्थर कहते हैं।

(2) कालिंजर पर्वत

नरैनी तहसील के अन्तर्गत यह पहाड़ कालिंजर नामक स्थान पर स्थित है। इस पहाड़ में एक दुर्ग विद्यमान है।

(3) खत्री पहाड़

यह पहाड़ शेरपुर ग्राम के समीप स्थित है। इसी पहाड़ के ऊपर विन्ध्यवासिनी देवी का मन्दिर स्थित है। यहाँ पर चैत्र व क्वांर की नवरात्रि में मेला लगता है।

स्रोतः 1. बुन्देलखण्ड वैभव

(4) रसिन पर्वत

यह पहाड़ रसिन ग्राम में स्थित है। यहाँ ऐतिहासिक महत्व के किले के अवशेष हैं।

(5) सिंधल्ला पर्वत

यह पहाड़ नरैनी व पनगरा के मध्य स्थित है। इस पर्वत पर बजने वाला पत्थर मुड़वा पत्थर पाया जाता है। जिससे इन्हें झुन–झुन मुड़वा कहते हैं।

1.ख.9. जल

जनपद में जल तालाबों, कुओं, नदियों, नहरों, नालों आदि प्राकृतिक तथा कृत्रिम जल संसाधनों के रूप में उपलब्ध है जिसका पेयजल के अतिरिक्त सिंचाई में भी प्रयोग किया जाता है। कुएं, तालाब प्रत्येक गाँव में एक से अधिक हैं जिन पर जनपदीय आबादी वर्ष भर निर्भर रहती है। परन्तु ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ने के कारण जल स्तर नीचे चला जाता है, तब जल संकट प्रमुख रूप से विद्यमान होता है। जनपद में केन, यमुना, बागै, चन्द्रावल व गडरा नदियाँ जल से परिपूर्ण रहती हैं। इन जल स्रोतों के अनियन्त्रित बहाव के कारण तथा कई स्थानों पर भूमि के ढालू होने के कारण आस–पास का क्षेत्र भूमि कटाव से ग्रस्त रहता है। बागै नदी के आस–पास लगभग 10 कि० मी० का क्षेत्र भूमि कटाव की समस्या से ग्रसित रहता है। इन नदियों के अतिरिक्त गुन्ता, उसरा आदि कई नाले इस कटाव में आवश्यक योगदान करते हैं। जनद के प्रत्येक गांव में एक से अधिक कुएं और तालाब हैं। तालाबों में बरसात का पानी स्वतः एकत्र हो जाता है। जिसका उपयोग सिंचाई के लिए तथा अन्य उपयोग के लिए किया जाता है। इराके अतिरिक्त नालों पर छोटे–छोटे चेकडैम का निर्माण कर जल को निजी पम्प सेटों के माध यम से सिंचाई की जाती है।

1.ख.10. पशु–पक्षी तथा जीव–जन्तु

प्राचीन काल से ही मनुष्य और पशुओं का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। दोनों एक

दूसरे पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से परस्पर आश्रित रहे हैं। पशुओं का उपयोग खेती के अतिरिक्त वाहनों, भारी सामान की ढुलायी आदि रूपों में होता है। फसल की कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। जिससे पशुओं द्वारा गोबर मूत्र त्यागने के कारण खेतों को खाद की व्यवस्था होती है। मई–जून के दिनों में ये गोबर सूखकर भूमि में मिल जाता है तथा बरसात के दिनों में सडकर खेतों की उपज वृद्धि में सहायक होता है। जनपदीय अर्थव्यवस्था के कृषि प्रधान होने के कारण पशुओं की उपयोगिता पूर्ववत बनी है। कुछ दशकों पूर्व जब जंगली क्षेत्र अत्यधिक विकसित थे तब यहाँ पशु–पक्षियों की संख्या बहुत अधिक थी तथा इनकी अधिक प्रजातियां भी पायी जाती थी। किन्तु अब जंगलों के समाप्त प्रायः होने, अवैध शिकार तथा पर्यावरणीय बदलाव के कारण इनकी संख्या में कमी आ रही है। जनपद में पाये जाने वाले प्रमुख पशु–पक्षी व जीव–जन्तुओं में गाय, भैंस, बैल, भैंसा, बकरी, बकरा, भेड़, घोड़ा, खच्चर, गधे तथा कुक्कुट, मोर, गिद्ध, बतख, हिरन, बन्दर, नील गाय, केवड़ा, मछली, कछुआ आदि पालतू जंगली तथा जलीय जीव–जन्तु पाये जाते हैं।

1997 की पशु गणना के अनुसार जनपद में 1007600 प्रमुख पशु थे। जिनका विवरण तालिका संख्या 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या : 1.8

जनपद में पाये जाने वाले प्रमुख पशुओं की संख्या

पशु	वर्ष		
	1988	**1993**	**1997**
कुल गोजातीय	455361	485113	477409
कुल महिष जातीय	221076	237684	245077
कुल भेड़े	20592	23200	21111
कुल बकरा एवं बकरी	165945	166335	182259
कुल घोड़े एवं टट्टू	2285	1609	1502
कुल सुअर	25249	28183	26613
मुर्गे, मुर्गियां एवं चूजे	37459	30709	51568
अन्य कुक्कुट	667	1353	869
अन्य पशु	1753	5285	1192
योग	**929387**	**982471**	**1007600**

स्रोतः– कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाँदा

1.ग. जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताएं

किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में वहाँ की जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामान्यतः जब वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वह कार्यशील जनसंख्या में भी वृद्धि करती है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। परन्तु यदि जनसंख्या में वृद्धि के साथ–साथ संसाधनों में आवश्यक वृद्धि नहीं हो पाती तो ये विकास प्रक्रिया को मन्द भी करते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश के जनपद बाँदा के सम्बन्ध में देखा जा सकता है।

जनपद बाँदा उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जनपद है। यह जनपद प्रदेश के उन प्रमुख जनपदों में से एक है जिसमें आजादी के पश्चात् आर्थिक विकास की गति धीमी रही है। जनपद का क्षेत्रफल विभाजित हुये चित्रकूट जनपद के पश्चात् लगभग 4114.2 वर्ग कि०मी० है। कृषि की दृष्टि से यहाँ उपजाऊ भूमि होने के कारण फसलों की पैदावार अच्छी होती है। उद्योग की दृष्टि से जनपद का वातावरण उपयुक्त नहीं है, जिस कारण यहाँ वृहद स्तरीय कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं है। जिस तेजी से जनपद में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उस तेजी से सरकार लोगों के लिए संसाधन जुटाने में स्वयं को असमर्थ पा रही है। बाँदा जनपद की जनसंख्या सम्बन्धी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

1.ग.1. वृद्धि दर

जनसंख्या सम्बन्धी विभिन्न आंकड़ों की जानकारी नियमित रूप से दस वर्षीय जनगणना से प्राप्त होती है। हमारे देश में सर्वप्रथम सन् 1872 में जनगणना की गई परन्तु यह जनगणना अधिक व्यवस्थित और समकालिक नहीं थी। नियमित रूप से प्रत्येक दस वर्ष बाद होने वाली जनगणना सन् 1881 ई0 से लगातार जारी है। सन् 2001 ई0 में की गई जनगणना के आधार पर बाँदा जनपद की जनसंख्या 1500253 थी। जिसमें पुरूष संख्या 806543 एवं स्त्री संख्या 693710 थी। इस जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या

1256230 एवं नगरीय जनसंख्या 244023 थी। जबकि सन् 1991 ई0 में की गई जनगणना के आधार पर जनपद की कुल जनसंख्या 1237962 थी। जनपद की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 21.3 प्रतिशत थी जबकि सन् 1981–91 के मध्य दशकीय वृद्धि दर 18 प्रतिशत रही। सन् 1991–2001 की वृद्धि दर 1981–91 की वृद्धि दर से 3.3 प्रतिशत अधिक है। सन् 1971–81 के मध्य दशकीय वृद्धि दर 29 प्रतिशत थी, जो वर्तमान दशक के वृद्धि दर से 7.7 प्रतिशत अधिक है।

तालिका संख्या : 1.9

जनपद की जनसंख्या वृद्धि दर

क्र. स.	वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि दर
1.	1901	619186	–
2.	1911	645222	4.0
3.	1921	602828	–7.0
4.	1931	640848	6.0
5.	1941	740219	16.0
6.	1951	790247	7.0
7.	1961	953731	21.0
8.	1971	810479	–15.0
9.	1981	1046380	29.0
10.	1991	1237962	18.0
11.	2001	1500253	21.3

स्रोतः– कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाँदा

चित्र सं0 : 1.1

जनपदीय जनसंख्या वृद्धि दर

1.ग.2. जनसंख्या घनत्व

किसी देश, प्रदेश अथवा जनपद का जनसंख्या घनत्व वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की प्रति वर्ग किलोमीटर औसत संख्या होती है। अर्थात प्रतिवर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। इसे कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग देकर निकाला जाता है। जनपद बाँदा का जनसंख्या घनत्व सन् 2001 की जनगणना के आधार पर 340 व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी० है जबकि इसी जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एवं उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 689 व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी० है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान में जनपद का जनसंख्या घनत्व देश के जनसंख्या घनत्व के लगभग बराबर है जबकि प्रदेश के जनसंख्या घनत्व के आधे से भी कम है।

तालिका संख्या : 1.10

जनपद का जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि० मी०)

क्र. स.	वर्ष	जनसंख्या घनत्व
1.	1971	155
2.	1981	202
3.	1991	246
4.	2001	340

स्रोतः– कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाँदा

1.ग.3. लिंगानुपात (स्त्री–पुरूष अनुपात)

लिंगानुपात को स्त्री–पुरूष अनुपात भी कहा जाता है। इस अनुपात को स्त्रियों की संख्या में पुरूषों की संख्या से भाग देने के पश्चात् 1000 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। भारत में लिंगानुपात से तात्पर्य प्रति एक हजार पुरूषों में महिलाओं की संख्या से है। लिंगानुपात अधिक होने का अर्थ है जनसंख्या में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं का

अधिक संख्या में होना। भारत एवं उसके प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश व उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनपद बाँदा तीनों में ही लिंगानुपात पुरूषों के पक्ष में रहा है जो कि स्त्री विरोधी पूर्वाग्रहों का ही परिणाम है। सन् 2001 ई0 की जनगणना के आधार पर भारत का लिंगानुपात 933 एवं उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 898 है। जबकि जनपद का लिंगानुपात देश तथा प्रदेश दोनों से कम है। और यह केवल 860 है। सन् 1971 ई0 में जनपद का लिंगानुपात 870 था तथा 1981 की जनगणना में यह घटकर 864 हो गया, जो 1991 में इससे भी कम होकर 831 रह गया। स्त्रियों की संख्या की इस ह्रासमान प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी कोई ठोस आधार तो उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु अति सरल अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विवाह, कम आयु में ही मातृत्वभार, प्रसूति की अवस्था में सम्यक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की कमी, पुरूष सन्तान के प्रति अधिक मोह, लड़कियों की उपेक्षा आदि के कारण पुरूषों की संख्या की तुलना में स्त्रियों की संख्या में कमी की प्रवृत्ति आयी है। परन्तु सरकार द्वारा चलाये गये स्त्री शिक्षा कार्यक्रम एवं स्त्रियों के कल्याणकारी योजनाओं के परिणामस्वरूप सन् 2001 में की गई जनगणना के आधार पर जनपद बाँदा का लिंगानुपात बढ़कर 860 हो गया।

तालिका संख्या : 1.11

जनपद का लिंगानुपात

क्र. स.	वर्ष	लिंगानुपात
1.	1971	870
2.	1981	864
3.	1991	831
4.	2001	860

स्रोतः– कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाँदा

1.ग.4. साक्षरता दर

किसी भी क्षेत्र में साक्षरता दर वहाँ की जनसंख्या के गुणात्मक पहलू को निर्धारित करती है। जिस देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात जितना अधिक होगा वह देश उतना ही तेजी से विकास करेगा क्योंकि शिक्षा जनसंख्या में कुशलता और उपयुक्तता लाती है। जनगणना की दृष्टि से वही व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो स्व विवेक से किसी भाषा को पढ़ लिख सके। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे साक्षर नही माने जाते। स्वतन्त्र भारत के संविधान में दी गई सांत्वनाओं और तदनिमित किये गये विभिन्न प्रयासों के बाद भी भारत में आज साक्षरता स्तर अत्यन्त नीचा है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर देश की साक्षरता दर 64.8 प्रतिशत है तथा उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 57.36 प्रतिशत है। अन्य जनपदों की भाँति बाँदा जनपद की साक्षरता दर बढ़ रही है सन् 2001 की जनगणना के आधार पर जनपद की साक्षरता दर 54.84 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता 69.89 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 37.10 प्रतिशत थी। जबकि सन् 1991 की जनगणना के अन्तर्गत जनपद की साक्षरता दर 37.73 प्रतिशत थी। जिसमें पुरूष साक्षरता 53.52 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 18.23 प्रतिशत थी।

तालिका संख्या : 1.12

जनपद बाँदा में साक्षरता दर

क्र. स.	वर्ष	साक्षरता प्रतिशत
1.	1961	14.86
2.	1971	19.00
3.	1981	23.30
4.	1991	37.73
5.	2001	54.84

स्रोत :– कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाँदा

1.घ. जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1500253 है। जिसमें कुल ग्रामीण जनसंख्या 1256239 है[1] जो कुल जनसंख्या का लगभग 83.74 प्रतिशत है। इस प्रकार जनपदीय जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है।

कालमार्क्स ने कहा है कि ''मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है लेकिन वह सबसे पहले वर्ग प्राणी है।''[2] अर्थात् मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है। क्योंकि वह सदा आर्थिक क्रियायें करता आया है और यही आर्थिक क्रियायें आर्थिक विकास को गति प्रदान करती हैं। पुरापाषाण युग में मानव अपनी आवश्यकताओं को प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से पूरा करते थे किन्तु जैसे–जैसे सभ्यता एवं ज्ञान का विकास हुआ मनुष्य को प्रकृति प्रदान वस्तुओं से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं रह गया तब मानव को पूंजी का सहारा लेना पड़ा। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगिक विकास का होना अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण है। क्योंकि वर्तमान में उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न प्रकार के उद्योगों द्वारा उत्पादित उत्पादों से पूरी होती है। अतः उस क्षेत्र के निवासी प्राप्त साधनों व कच्चा माल के आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करके अपनी आवश्यकतानुसार उत्पादन करते हैं। उद्योगों की स्थापना में भिन्नता उस क्षेत्र व निकटवर्ती क्षेत्रों द्वारा कच्चे माल तथा उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक साधनों जैसे– यातायात, भूमि, मानवश्रम, पूंजी आदि प्रमुख कारण होते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मानव सभ्यता के इतिहास से ही आर्थिक विकास की प्रगति का इतिहास सम्बद्ध है। क्योंकि मनुष्य एक विकासशील प्राणी है वह सदैव विकास के लिए अन्वेषण एवं सर्वेक्षण करता रहता है। आदिम अवस्था से अब तक धरती के वाह्य तथा आन्तरिक रहस्य को जानने के लिए मानव ने अपने अथक परिश्रम के द्वारा पृथ्वी के उन्नत पर्वतों, अथाह समुद्रों तथा दुर्गम स्थानों की खोज की है। यह

स्रोत : 1. केनका, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बांदा, पृ0–10
2. कार्ल मार्क्स और उसके सिद्धान्त, डॉ0 रामविलास शर्मा (अनुवादक) पृ0–15

उसकी कुशाग्र बुद्धि का परिचय है। जिसके परिणाम स्वरूप आज मानव प्रकृति से शासित नहीं वरन् प्रकृति पर शासक बन बैठा है। परन्तु हमारा देश भारत प्रकृति प्रदत्त संसाधनों से पूर्ण होने के बाद भी वर्तमान विकास की दौड़ में पीछे है। भारत एक विकासशील राष्ट्र है जहां स्वतन्त्रता के 60 वर्ष बाद भी पूर्ण औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। प्रकृति प्रदत्त साधनों का धनी होने के बाद भी यहां निर्धनता, कुपोषण, बेरोजगारी आदि का साम्राज्य व्याप्त है।

जनपद बांदा के सन्दर्भ विशेष में दृष्टि डालने पर जनपद प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण है। लेकिन औद्योगीकरण का अभाव, अवस्थापना की कमी, पूँजीगत साधनों एवं उद्यमिता के अभाव ने जनपदीय अर्थव्यवस्था को गरीबी, बेरोजगारी जैसी जटिल समस्याओं से जकड़ रखा है। जनपद की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है, कृषि की धीमी प्रगति तथा जनसंख्या की तीव्र बृद्धि ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एवं प्रछन्न बेरोजगारी को जन्म दिया। काम की कमी के कारण यहाँ के अधिकांश व्यक्तियों की प्रतिव्यक्ति आय नगरीय क्षेत्रों से अत्यन्त कम है। यह जनपद प्रदेश के सबसे पिछड़े जनपदों में से एक है। जनपद के पिछड़े होने का मुख्य कारण जनपद में उद्योग शून्यता है। 15 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले जनपद की अर्थव्यवस्था नितान्त कृषि प्रधान है तथा अधिकांश लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जीवन यापन हेतु कृषि पर ही निर्भर हैं। जनपद में किसी वृहद एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाई के एक लम्बे समय तक कोई स्थापना न हो सकने से लाभप्रद रोजगार अवसरों का नितान्त अभाव है। एवं अधिकांश लोग बेरोजगारी एवं अर्द्धबेरोजगारी की चक्की में पिसते हुये दरिद्रता की सीमा के नीचे जीवन–यापन के लिए विवश हैं। जनपद की अर्थव्यवस्था परम्परागत कृषि पर आधारित होने के कारण उद्यमिता का नितान्त अभाव है। जो औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। जनपद के अशिक्षित कृषक परिवार के अधिकांश सदस्य बचपन से ही

स्वाभाविक रूप से घरेलू कृषि कार्यों में लग जाते हैं। तथा शिक्षित युवक जनपद में लाभप्रद रोजगार के अभाव में औद्योगिक दृष्टि से विकसित नगरों में रोजगार हेतु पलायन कर जाते हैं। जनपद में लगभग 14 करोड़ रूपये की पूंजी निवेश से वृहद एवं मध्यम स्तर की दो औद्योगिक इकाईयों में यूपी स्टेट यार्न कं0 लि0 (काटन यार्न) बांदा जो वर्तमान समय में बंद पड़ी है तथा मे0 परेराहट स्टील लि0 (ग्लास स्टील कटिंग) मर्का बांदा में स्थापित है। जनपद में 31 मार्च, 2005 तक 1953 लघु औद्योगिक इकाईयां स्थापित हो चुकी हैं, जिसमें लगभग 6484 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त है। जिनमें कुछ प्रमुख इकाईयां दाल, चावल, खाद्य तेल, पिसे मसाले, आइसक्रीम, स्टील फर्नीचर, ग्रिल, चैनल, मोटर बाइडिंग, प्लास्टिक शू, मिनी दाल मिल, मिनी चावल मिल आदि हैं। जहाँ तक शिल्प का प्रश्न है तो बांदा जनपद में शजर पत्थर तराशने का काम पैलानी में सरौता उद्योग आदि प्रमुख हैं।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद में कुल कर्मकारों की संख्या 602493 है जो कुल जनसंख्या का 40.16 प्रतिशत है। ये कर्मकार विभिन्न कार्यकलापों जैसे कृषि, पशुपालन, पारिवारिक एवं गैर पारिवारिक उद्योग, यातायात, संचार आदि में कार्यरत हैं। जनपद में जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण निम्न तालिका में दिया गया है–

तालिका संख्या : 1.13

जनपद में जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण

वर्ष	कृषक	कृषि श्रमिक	पारिवारिक कर्मकार	अन्य कर्मकार	कुल मुख्य कर्मकार	सीमान्त कर्मकार	कुल कर्मकार
1981	192351	88612	8337	39920	329220	48553	377773
1991	245841	122579	6782	60026	435228	92354	527582
2001	217575	83361	12750	87357	401043	201450	602493

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका , बाँदा, वर्ष 2006

उक्त सारणी के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल जनसंख्या का मात्र 40.16 प्रतिशत व्यक्ति ही कार्यरत है जिसमें सर्वाधिक 217575 व्यक्ति कृषि कार्य में लगे हैं जो कुल जनसंख्या का 14.50 प्रतिशत है। जनपद में कृषि श्रमिक 83361 है जो कुल जनसंख्या का 5.56 प्रतिशत है। जनपद में 12750 व्यक्ति पारिवारिक कार्यों में ही लगे हैं, जो कुल जनसंख्या का .84 प्रतिशत है। तथा अन्य कार्यों में लगे व्यक्तियों की संख्या 87357 है जो कुल जनसंख्या का 5.82 प्रतिशत है। जनपद में सीमान्त कर्मकारों की संख्या 201450 है जो कुल जनसंख्या का 13.42 प्रतिशत है।

सन् 2001 की जनगणना के आधार पर जनपद में कुल कर्मकार 602493 हैं। जिनमें मुख्य कर्मकार 401043 तथा सीमान्त कर्मकार 201450 हैं। इस प्रकार मुख्य रूप से जनसंख्या के आर्थिक वर्गीकरण को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है–

1.घ.1. मुख्य कर्मकार

मुख्य कर्मकार से आशय ऐसे कर्मकारों से है जो वर्ष में 186 या इससे अधिक दिनों तक कार्य में लगे हैं। सन् 2001 की जनगणना के आधार पर कुल मुख्य कर्मकारों की संख्या 401043 है, जो कुल कर्मकारों का 66.56 प्रतिशत है। मुख्य कर्मकारों के अन्तर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है–

(1) कृषक

भारतीय अर्थव्यवस्था में आजीविका हेतु कृषि की प्रधानता के कारण भूमि संसाधन उत्पादन और रोजगार का अच्छा साधन तो है ही साथ ही साथ ग्रामीण जटिलता का भी प्रमुख घटक है। भू–स्वामित्व के असमान वितरण के कारण देश की कृषि अर्थव्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय पिरामिड के आकार की है, जिसके आधार पर खेतिहर मजदूर हैं जिनमें अधिकांश भूमिहीन हैं। इसके पश्चात् लघु और अत्यन्त लघु कृषक बहुतायत में हैं। बीच में अपेक्षाकृत कम संख्या में मध्यम कृषक हैं और शीर्ष पर

चन्द सुविधा सम्पन्न बड़े कृषक हैं जो मुख्यतः ब्रिटिश कालीन व्यवस्थाजन्य स्वामित्व से प्राप्त उपहार से सुखपूर्वक जीवन–यापन करते हैं। जनपद में तीनों स्तरों के कृषक विद्यमान हैं। जनपद में सन् 2001 की जनगणना के आधार पर कुल 217575 कृषक हैं। जो कुल मुख्य कर्मकारों का 54.25 प्रतिशत तथा कुल कर्मकारों का 36.11 प्रतिशत हैं। जबकि सन् 1991 की जनगणना के आधार पर कुल कृषक 245841 थे। इस प्रकार सन् 2001 ई0 में 1991 की तुलना में कृषकों की संख्या में 28266 की कमी पाई गई।

(2) कृषि श्रमिक

भारतीय कृषि क्षेत्र की एक बहुत बड़ी व व्यापक समस्या कृषि श्रमिकों की है जो गांवों में सबसे निर्धन व निम्नवर्ग से सम्बद्ध हैं। कृषि श्रमिक वाक्यांश से उन ग्रामीण श्रमिकों का बोध होता है जो कृषि कार्यों में मजदूरी पर लगे हों। प्रथम खेतिहर श्रम जांच समिति ने उन व्यक्तियों को कृषि श्रमिक माना जो वर्ष 1950–51 में अपने काम के कुल दिनों के आधे या आधे से अधिक दिनों तक मजदूरी पर फसलों के उत्पादन का कार्य करते रहे। इस समिति ने खेतिहर श्रमिक परिवारों की पहचान के लिए समय कसौटी को आधार बनाया। द्वितीय खेतिहर श्रम जांच समिति 1956 ने कृषि श्रमिक की अवधारणा को विस्तृत कर दिया। कृषि में काम करने वालों के अतिरिक्त उन व्यक्तियों को भी कृषि श्रमिक माना गया जो खेती से सम्बन्धित कार्यों में मजदूरी करते हैं यथा– पशुपालन, बागवानी, मुर्गीपालन आदि। द्वितीय कृषि श्रमिक जांच समिति ने कृषि श्रमिक परिवारों की पहिचान के लिए आय स्रोत को मुख्य कसौटी बनाया और कृषि श्रमिक उन लोगों को माना जिनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि क्षेत्र से प्राप्त मजदूरी है। सन् 1964–65 और 1974–75 की ग्रामीण श्रम जांच समितियों ने भी कृषि श्रमिकों की पहचान के लिए आय स्रोत को ही मुख्य आधार बनाया। राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग 1987 के अनुसार, ''कृषि मजदूर वे हैं, जो मूलतः अकुशल व असंगठित हैं और जिनके

पास जीविकोपार्जन के लिए अपने श्रम के अलावा और कुछ नहीं होता है।'' संक्षेप में कृषि श्रमिक उन व्यक्तियों को कहा जा सकता है जो वर्ष के अधिकांश दिनों में कृषि क्षेत्र में मजदूरी पर काम करके अपनी आजीविका कमाते हैं। सन् 2001 की जनगणना के आधार पर जनपद में कुल कृषि श्रमिक 83361 हैं, जो कुल मुख्य कर्मकारों का 20.79 प्रतिशत तथा कुल कर्मकारों का 13.84 प्रतिशत है। जनपद में सन् 1991 में 122579 कृषि श्रमिक थे जो सन् 2001 से 39218 अधिक थे। इस प्रकार सन् 1991 की अपेक्षा सन् 2001 में कृषि श्रमिकों की संख्या में कमी दर्ज हुई है। सन् 1981 में जनपद के कृषि श्रमिकों की संख्या 88612 थी जो दो दशक बाद सन् 2001 में कृषि श्रमिक की संख्या से 5251 अधिक थी।

(3) पारिवारिक सदस्य

पारिवारिक सदस्यों से आशय उन व्यक्तियों से है जो अपने परिवार के परम्परागत रोजगार में ही लगे रहते हैं। इसमें परिवार के बच्चे, महिलायें व अन्य सदस्य शामिल हैं। ये लोग विभिन्न कृषि कार्यों यथा खाद डालने , जमीन तैयार करने, बीज छांटने, बुवाई, पौधरोपण, सिंचाई, कटाई, अनाज को अलग करने, पशुओं को चारा देने, पशुओं के रखरखाव, बढ़ईगीरी, लोहारगीरी व अन्य परम्परागत पारिवारिक रोजगार कार्यों में लगे रहते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व मध्यम वर्गीय परिवारों में पारिवारिक सदस्यों का योगदान इन कार्यों में अधिक होता है। जनपद में सन् 2001 की जनगणना के आधार पर 12750 व्यक्ति पारिवारिक रोजगार कार्यों में लगे हुये हैं, जो कुल मुख्य कर्मकार का 3.18 प्रतिशत तथा कुल कर्मकार का 2.12 प्रतिशत है। सन् 1991 में 6782 व्यक्ति पारिवारिक कार्यों में लगे थे। इस प्रकार सन् 2001 में सन् 1991 की अपेक्षा 5968 व्यक्ति अधिक पारिवारिक कार्यों में लगे हैं। जबकि सन् 1981 में 8337 व्यक्ति पारिवारिक रोजगार कार्यों में संलग्न थे। इस प्रकार सन् 1981 से 1991 के बीच

पारिवारिक सदस्यों की संख्या में 1555 की कमी दर्ज की गई।

(4) अन्य कर्मकार

अन्य कर्मकार से आशय कार्यशील जनसंख्या के उस भाग से है जो रोजगार के अन्य कार्यों में संलग्न हैं। और उपर्युक्त तीनों श्रेणियों के अन्तर्गत न आ रहे हों। इसके अन्तर्गत व्यवसाय, विनिर्माण उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग, खनिज व्यवसाय , यातायात, बैंकिंग, बीमा, वित्त आदि से सम्बन्धित रोजगार परक क्रियायें शामिल हैं। तथा निजी क्षेत्र व सरकारी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को भी अन्य कर्मकार की श्रेणी में रखा गया है। सन् 2001 की जनगणना के आधार पर जनपद के अन्य कर्मकारों की संख्या 87357 है जो कुल मुख्य कर्मकार का 21.78 प्रतिशत व कुल कर्मकार का 14.5 प्रतिशत है। सन् 1991 में अन्य कर्मकारों की संख्या 60026 थी। इस प्रकार सन् 2001 में 1991 की अपेक्षा 27331 अन्य कर्मकारों की वृद्वि हुई। जबकि यह वृद्धि सन् 1991 में 1981 की अपेक्षा 20106 रही।

चित्र संख्या : 1.2

मुख्य कर्मकारों में विभिन्न कर्मकारों का प्रतिशत

स्रोत : कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाँदा

1.घ.2. सीमान्त कर्मकार

सीमान्त कर्मकारों से आशय ऐसे कर्मकारों से है जो वर्ष में 186 दिन से कम समय तक कार्य में लगे रहे हों। सन् 2001 की जनगणना के आधार पर कुल सीमान्त कर्मकारों की संख्या 201450 है जो कुल कर्मकारों का 33.44 प्रतिशत है। सन् 1991 में सीमान्त कर्मकारों की संख्या 92354 थी। सन् 2001 में 1991 की अपेक्षा 109096 सीमान्त कर्मकारों की संख्या में वृद्धि हुई। जबकि सन् 1991 में 1981 की अपेक्षा केवल 43801 सीमान्त कर्मकारों की वृद्धि हुई थी।

चित्र संख्या : 1.3

कुल कर्मकारों में सीमान्त कर्मकारों का प्रतिशत

वर्ष : 2001 **जनपद : बाँदा**

योग : कुल कर्मकार– 602493

स्रोत : कार्यालय, अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाँदा

1.ड़0. आर्थिक क्रिया–कलाप

किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रिया–कलाप का मापन उस अर्थव्यवस्था में उपलब्ध रोजगार, आय एवं उत्पादन के सापेक्ष किया जाता है। यदि जनपदीय आर्थिक ढांचे में दृष्टिपात किया जाये तो ज्ञात होता है कि जनपदीय अर्थव्यवस्था आय, उत्पादन एवं रोजगार की वर्तमान एवं भविष्यगत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में असमर्थ है। अर्थव्यवस्था में प्रवाहपूर्ण गतिशीलता का अभाव है। श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जबकि औद्योगिक विकास नगण्य है। परिणामतः कृषि क्षेत्र जीविकोपार्जन का प्रमुख क्षेत्र है। इस प्रकार जनपद की अर्थव्यवस्था कृषिगत क्रिया–कलापों पर व्यापक रूप से आधारित है।

प्रदेश की 15 लाख आबादी वाले क्षेत्र जनपद बाँदा में 33 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रही है। निम्न प्रति व्यक्ति आय जनपद की विशिष्टता है। जो अर्थव्यवस्था के निम्न विकास स्तर का कारण व परिणाम दोनों है। अधिकांश जनसंख्या निर्धनता के अभिशाप के साये में रहने को विवश है। निर्धनों के पास भूमि, पूँजी, गृह सम्पत्ति आदि रूपों में बहुत कम पूँजी है। शहरी क्षेत्रों में खुली बेरोजगारी पायी जाती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी व अल्परोजगार की स्थिति पायी जाती है। जनपद का ग्रामीण अंचल निर्धनता व असहाय की स्थिति में है। ग्रामीण क्षेत्र की आबादी विकास से वंचित है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानता बनी है।

बाजार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पाद लोकप्रिय व आसानी से उपलब्ध होने के कारण वर्षों से जीविकोपार्जन में सहायक रहे परम्परागत व्यवसाय जैसे– बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, मोची, डलिया व्यवसाय आदि व्यवसायों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। युवा पीढ़ी इन कार्यों को अपनाने के प्रति अनिच्छुक है। जिस कारण ये व्यवसाय तेजी से नष्ट हो रहे हैं। व्यवसायों के नाम पर दैनिक जीवनोपयोगी सामग्री की दुकानों की अधिकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन दुकानों में अनाज विशेष रूप से क्रय–बिक्रय का माध्यम है।

दुकानदार वस्तुओं के क्रय–बिक्रय के बदले में अनाज प्राप्त करते हैं। उसे एकत्र करके आस–पास के निकटवर्ती बाजारों में बेंचकर पूंजी प्राप्त करते हैं। भूमिहीन व्यक्ति दूसरों की जमीन को बटाई, बलकट या किसी अन्य रूप में लेकर उस पर खेती–किसानी करते हैं। अथवा सम्पन्न वर्ग के लोगों के यहां निश्चित पारिश्रमिक पर वर्ष भर सहायक के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से बड़े परिवारों को आज भी मान्यता प्रदान की जाती है। इसके पीछे यह धारणा निहित है कि जितने कमाने वाले व्यक्ति होंगे, उतनी ही परिवार की आय में वृद्धि होगी। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के यहां बालश्रम के कारण बच्चों को दायित्व न समझकर उन्हें सम्पत्ति के स्रोत के रूप में समझा जाता है। परिणामतः बच्चों को 6 से 7 वर्ष की आयु में दैनिक जीविकोपार्जन के उपक्रम में निवेशित कर दिया जाता है। जनपद में संचालित लघु व मध्यम स्तर के निर्वाह क्षेत्रों में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित है। बच्चे या तो अकुशल या फिर अर्द्धकुशल व्यवसायों में कार्य करने को विवश हैं तथा बहुत कम मजदूरी ही प्राप्त कर पाते हैं। पुरूषों के साथ–साथ महिलायें भी जीविकोपार्जन के क्षेत्र में संलग्न रहती हैं।

जनपद में रूढ़िवादिता मजबूती से जड़ें जमाये है। शिक्षा का स्तर अत्यन्त निम्न है। अधिकांश लोग अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के प्रति कोई रूचि नहीं दिखाते हैं। जिस कारण बच्चे अच्छी शिक्षा प्रशिक्षण से वंचित रह जाते हैं। शासन द्वारा चलाये जा रहे कार्यों में जनपदवासियों की भागीदारी अत्यन्त निम्न है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कोई भी सुविधा स्वतः प्राप्त करने की कोई उत्कंठा परिलक्षित नहीं होती। जनपद में औद्योगिक विकास नगण्य है। निजी क्षेत्र का एक भी बड़ा कारखाना या उद्योग नहीं लगा है। व्यावसायिक कम्पनियां प्रशासन द्वारा सुविधा प्रदान करने के आश्वासनों के बावजूद निवेश के प्रति इच्छुक नहीं हैं। नगर के निकट केन नदी के तट पर स्थित भूरागढ़ को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके प्लाटिंग

करायी गयी, किन्तु यह क्षेत्र वर्षों से औद्योगिक विकास की राह देख रहा है। एक मात्र सरकारी उपक्रम चिल्ला रोड कताई मिल के रूप में सन् 1984–85 में स्थापित हुआ, जो अब पूर्णतया बन्द है। तथा हजारों श्रमिक बेरोजगारों की श्रेणी में सम्मिलित हो गये।

जनपद के विकास में सम्पन्न वर्ग की निष्क्रियता के चलते पूंजी का विनियोग नहीं हो पा रहा है। जो धनाढ्य हैं वह पूंजी विनियोजन नहीं करते, उपलब्ध संसाधनों से ऐशो–आराम की जिंदगी जीते हैं। संसाधनों से संसाधन की अभिवृद्धि हेतु कोई प्रयास नहीं करते। विकास की मानसिकता की सोच कोसों दूर है। जिले में शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत बढ़ रहा है। इसके विपरीत उन्हें उनकी क्षमता अनुसार काम नहीं मिल पा रहा है। शहरी क्षेत्रों के शिक्षित युवक स्वयं को खानदानी व्यवसाय में नियोजित किये हैं किन्तु जिनके पास व्यवसाय नहीं है व ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश युवक काम की तलाश में महानगरों, बड़े राज्यों की ओर पलायन के लिए विवश हैं। निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिदिन हजारों युवक शहरी क्षेत्रों में काम की तलाश में आते हैं। और रिक्शा चालक, सड़क व मकान में सहायक मजदूरों के रूप में स्वयं को निवेशित कर आजीविका प्राप्त करते हैं। गांवों में टूटते कुटीर उद्योग, बढ़ती जनसंख्या, अलाभकारी कृषि आदि स्थितियां युवकों को पलायन के लिए विवश कर रही हैं। हालात यहाँ तक आ गये हैं कि रोजी–रोजगार की तलाश में प्रत्येक घर का एक सदस्य घर से बाहर जाने को विवश है। वहाँ से अपनी कमाई का एक निश्चित भाग बचाकर परिवार को भेजते हैं। जिससे उनके परिवार का भरण–पोषण व दूसरी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। फलस्वरूप देश के कर्णधार कहे जाने वाले किसानों की आगामी पीढ़ी गांव की सोंधी मिट्‌टी से निरन्तर दूर होती जा रही है।

सरकार द्वारा ग्रामीण युवकों के रोजगार के लिए कई महत्त्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं, तथा रोजगार परक योजनाओं से प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये का

ऋण अनुदान वितरित किया जाता है किन्तु लाभार्थियों के परिवार का स्तर अपने स्तर पर ही रहता है। जनपद में संचालित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना आधा दर्जन योजनाओं का विलय करके अप्रैल, 1999 से संचालित है। किन्तु यह योजना भी अपने उद्देश्यों में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकी है। तीन साल में प्रत्येक समूह के लाभार्थी सदस्य को कम से कम दो हजार रूपये मासिक आय अर्जित करने का लक्ष्य योजना के पांच वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो सका है।

आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व मानसिक जागरूकता की धुरी पर किसी क्षेत्र या राष्ट्र का विकास व सुख, सम्पन्नता आदि निर्भर है। किन्तु जनपद के विकास की बागडोर जिनके हाथ में है उन्हें किसी भी दृष्टिकोण से जागरूक नहीं कहा जा सकता। जनप्रतिनिधि की राजनीतिक चेतना केवल चुनाव तक तथा सामाजिक विकास केवल जातिवाद तक ही सीमित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि औद्योगिक विकास नगण्य होने के कारण समस्त कार्यशील जनसंख्या लाभकारी रोजगारों से वंचित है। अतः जीविकोपार्जन हेतु समस्त जनपदीय आबादी प्राथमिक कार्यों में ही क्रियाशील है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता छोटे–छोटे तथा बिखरे हुए खेत, मानसून पर आश्रित रहना, अत्याधुनिक जानकारियां व ज्ञान का अभाव आदि अनेक कारणों ने जनपद को गैर विकास के दुष्चक्र में जकड़ रखा है। जनपदीय जनसंख्या स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कुछ क्रिया–कलापों को आजीविका के स्रोत के रूप में अपनाए हुये है। प्रस्तुत अध्ययन में इन्हीं क्रिया–कलापों को उद्योग की संज्ञा प्रदान की गयी है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है–

1.ड़0.1. कृषि उद्योग

जनपदीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली कृषि उदर पूर्ति तक सीमित न रहकर उद्योग का स्वरूप प्रदान कर रही है। जनपद की लगभग 80 प्रतिशत आबादी की

आर्थिक गतिविधि का प्रमुख स्रोत कृषि तथा उससे सम्बन्धित कार्य है। यद्यपि कृषि की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है तथापि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जनपदीय कृषि एक विकसित व्यवसाय है। वास्तव में यहां कृषि अत्यन्त पिछड़ी अवस्था में है। परम्परागत और पौराणिक तरीके से उत्पादन किया जाता है। जिस कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन अत्यन्त निम्न होता है। कृषि क्षेत्र में संलग्न व्यक्तियों की संख्या वास्तविक आवश्यकता से बहुत अधिक है। कभी–कभी पूरा का पूरा परिवार कृषि कार्य में संलग्न रहता है। किसान तथा खेतिहर मजदूरों को मौसमी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। मजदूरों को वर्षभर काम नहीं मिलता है। विशेषकर फसलों की बुवाई–कटाई के समय तो मजदूरों की कमी का अनुभव किया जाता है, किन्तु इसके पश्चात् उसमें कार्यरत श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। जनपदीय कृषि के अन्तर्गत दो हेक्टेयर भूमि से कम के 77.5 प्रतिशत काश्तकार कुल कृषि क्षेत्रफल के 35 प्रतिशत भाग में दाखिल काबिज हैं। जनपद की औसत जोत 2 हेक्टेयर है। जनपद में 143340 जोतें 1 हेक्टेयर से कम तथा 106106 जोतें एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर के मध्य पायी जाती हैं। कृषि के अन्तर्गत रबी, खरीफ तथा जायद की फसलों का उत्पादन किया जाता है। अतर्रा में चावल का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। गेहूँ, चावल, मसूर, चना, तिलहन आदि खाद्यान्नों का निर्यात भी किया जाता है। कम कृषि जोत वाले कृषक दूसरों की जमीन को बटाई तथा बलकट रूप में लेकर खेती करते हैं। नदियों के किनारे रहने वाले लोग सब्जियों का प्रमुख रूप से उत्पादन करते हैं। तथा अपनी उपज को स्थानीय स्तर पर लगने वाले दैनिक बाजारों में या डलियों को सर पर रखकर निकटवर्ती शहरों में दरबाजे–दरबाजे घूम–घूम कर बेचते हैं। सड़ने या नष्ट होने के भय से कभी–कभी इन उत्पादों को कम दाम पर भी बेंचना पड़ता है। इसके विपरीत कुछ सम्पन्न वर्ग के कृषक अपनी उपज को बेचने के लिए जनपद से बाहर भी जाते हैं।

1.ड़0.2. शजर उद्योग

शजर उर्दू शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ वृक्ष होता है। श्वेत, मटमैले, चिकने प्रस्तराशों में पेड़–पौधे, जीव–जन्तु, झाड़ियां आदि के चित्र स्थायी रूप से अंकित रहते हैं। इनके पत्थर केन तथा नर्मदा नदी में पाये जाते हैं। उन्हें तराशकर चांदी तथा अन्य धातुओं में मढ़ा जाता है। इस उद्योग की शुरूआत कब हुई यह बता पाना कठिन है। किन्तु किसी जमाने में राजा, महाराजाओं के शरीर और महलों की रौनक रहा शजर पत्थर का कार्य धीरे–धीरे उद्योग का रूप लेता जा रहा है।

बरसात के बाद नदी का पानी सिमटते ही किनारे आ लगे पत्थरों को ग्रामीण और चरवाहे बीन लेते हैं। और फिर कारीगरों को बेचते हैं। उद्योग मालिकों को कच्चे माल की तरह ये पत्थर बाहर से लाने पड़ते हैं। यहाँ इन पत्थरों को काट–छांट कर आभूषण में जड़ने लायक बनाया जाता है। फिर इन्हें महानगरों में तथा ईराक, ईरान, इजराइल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि देशों के पर्यटकों को बेचा जाता है। यद्यपि जनपद में यह पत्थर बहुत लोकप्रिय नहीं है। किन्तु विदेशों से आने वाले पर्यटक इसकी मुंहमागी कीमत देते हैं।

शजर उद्योग की कच्ची सामग्री के रूप में इस पत्थर की माँग बहुत अधिक है। यह उद्योग श्रम प्रधान है। तथा उत्पादन लागत अधिक होने के कारण इसके विक्रय में बाधायें आती हैं। नगर में 10–15 शजर उद्योग हैं। शासन और प्रशासन से इस उद्योग के कारीगर निःशुल्क भूमि तथा अनुदान पर ऋण चाहते हैं। किन्तु इन सुविधाओं के न मिल पाने के कारण यह उद्योग अभी अल्प विकसित अवस्था में है।

1.ड़0.3. बालू उद्योग

बालू का पत्थर आदि काल से ही अपने सुहावने रंग, एक आकार के कण, सुगम–सुकरणीयता तथा चिर स्थायित्व के लिए प्रसिद्ध है। निर्माण कार्यों में प्रयोग होने

वाली बालू के यहाँ असीम भण्डार हैं। जनपद के आर्थिक संसाधन के रूप में पायी जाने वाली बालू की विशेषता इसके कणों का एक आकार होना है, जिस कारण इसे अग्रणी स्थान प्राप्त है। जनपद में बड़ी मात्रा में बालू का खनन किया जाता है। जिससे करोड़ों रूपये का राजस्व प्राप्त होता है। यहाँ से बालू का निर्यात अन्य जनपदों व प्रदेशों को किया जाता है। बाहर इसके दाम यहां की अपेक्षा कई गुना अधिक प्राप्त होता है। बालू का ठेका प्राप्त करने के लिए ठेकेदारों द्वारा बोली लगायी जाती है। जिसकी बोली अधिक होती है ठेका उसी को मिलता है। फिर ये ठेकेदार बालू को निकालकर ट्रैक्टर, ट्रकों आदि के अतिरिक्त गधों, खच्चरों आदि की सहायता से लोगों के घरों तक पहुँचाते हैं।

तालिका संख्या : 1.14

जनपद में बालू के प्राप्ति स्थल

क्र0सं0	तहसील	प्राप्ति स्थल
1.	बांदा	मुडेरी, कनवारा, अछरौड़ पथरी, खपटिहा, पैलानी, सादीमदनपुर, बेन्दा, अमलीकौर
2.	नरैनी	लहुरेटा, गिरवां
3.	बबेरू	राघौपुर, लोहरा, इटवा, मंमसी
4.	अतर्रा	महुटा, तेरा, बदौसा, भुसाली

स्रोत :– खनिज विभाग, बांदा

1.ड़0.4. गिट्टी उद्योग

पड़ोसी जनपद महोबा से प्रेरित होकर बांदा में भी गिट्टी उद्योग में निवेश के प्रति रूचि देखी जा रही है। जनपद में विशेषतः नरैनी तहसील के पहाड़ों को खोदकर गिट्टी बनायी जाती है। जिसका प्रमुख उपयोग मकान, सड़क, पुल आदि के निर्माण पर किया जाता है।

गिट्टी उद्योग में ठेकेदार पहाड़ का ठेका लेकर मजदूरों द्वारा पत्थरों की तुड़वाई करवाते हैं। फिर क्रेशर मशीन द्वारा विभिन्न नाप की गिट्टी बनवाकर निर्यात करते हैं। इस उद्योग में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को बहुत ही कम मजदूरी पर

काम करते देखा जा सकता है। इस उद्योग में कार्यरत श्रमिक प्रतिदिन 50 से 70 रूपये तक मजदूरी प्राप्त करते हैं। जनपद की सीमा से लगे पड़ोसी जनपद महोबा के पत्थरों की गुणवत्ता व लोकप्रियता के कारण इस उत्पाद की मांग पर विपरीत असर पड़ा है।

तालिका संख्या : 1.15

जनपद में गिट्टी के प्राप्ति स्थल

क्रम सं0	तहसील	प्राप्ति स्थल
1.	बांदा	मटौंध, पल्हरी
2.	अतर्रा	कण्डोरा।
3.	नरैनी	पनगरा, गौरशिवपुर, गिरवां, जरर, पिथौराबाद, बड़ोखर
4.	बबेरू	—

स्रोत :— खनिज विभाग, बांदा

1.ड़0.5. सरौता उद्योग

जनपद के ग्राम पैलानी में सरौता बनाने का लघु उद्योग स्थापित है। जहां पर अच्छी किस्म के लोहे के सरौते बनाये जाते हैं। सरौतों का प्रमुख उपयोग पान—सुपाड़ी के शौकीन लोगों द्वारा किया जाता है। इस उद्योग में कार्यरत श्रमिक अधिकांश लोहार जाति के होते हैं। यहां निर्मित सरौतों को बेचने में बाधायें आती हैं क्योंकि इनका बाजार बहुत छोटा है किसी मेले में या बस स्टैण्ड आदि जगहों पर ही इनकी दुकानें लगती हैं। जहां क्रय—विक्रय किया जाता है। किन्तु कुछ वर्षों से सरौतों को बाहर बेचने ले जाते हैं।

1.ड़0.6. पर्यटन उद्योग

जनपद बांदा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर बामदेवेश्वर पहाड़, खत्री पहाड़, विश्व प्रसिद्ध अजेय दुर्ग कालिंजर तथा कई अन्य धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल हैं। इन स्थलों में बसंतपंचमी, शिवरात्रि, नवदुर्गा आदि तीज त्योहारों पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। आस—पास के क्षेत्रों से व्यापारी आकर यहाँ अपनी दुकानें लगाकर व्यापार करते हैं। इसके अतिरिक्त

ठंडी के दिनों में दूरदराज क्षेत्रों से लोग आकर पिकनिक तथा मौजमस्ती का आनन्द लेते हुये छुट्टियां बिताते हैं। जिससे इन स्थलों के निकट व्यवसायी वर्ष भर व्यवसाय करते हैं।

1.ड़0.7. पशुपालन उद्योग

पशुपालन अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, अर्थव्यवस्था के संचालन में पशुओं का योगदान सराहनीय है। पशु कृषि कार्यों में सहायक तथा स्वास्थ्यबर्धन की दृष्टि से दूध, दही, घी, मांस आदि के रूप में प्रोटीन व विटामिन्स प्रदान करते हैं। इनके गोबर से खाद, उपले तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। पशु पालन एक सुनियोजित उद्योग है। जनपद में बेरोजगारी की समस्या है। ऐसे में लोग अपने घरों में अच्छी नस्ल के दुधारू तथा बहुउपयोगी जानवर पालते हैं। जनपद में मवेशियों की संख्या शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। समस्त गांवों के अधिकांश घरों में चाहे उनके पास जमीन हो या न हो, परन्तु कोई न कोई पशु विशेष रूप से गाय, भैंस एवं सभी प्रकार की जलवायु एवं परिस्थितियों में अपने को समायोजित करने वाली बकरी, भेड़ या सुअर आदि जानवर अवश्य होगा। कम समय तथा कम निवेश में अतिरिक्त आय अर्जित करने के उद्देश्य से पशुपालन विशेष रूप से अपनाया जा रहा है। आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से उपयोगी किन्तु नफरत तथा घृणा की दृष्टि से देखे जाने वाले सुअर का पालन भी विशेष समुदाय द्वारा किया जाता है। पशुपालन में निवेश कम लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जीविकोपार्जन की सम्भावनाओं को देखते हुए पशुपालन जनपद में उद्योग का रूप लेता जा रहा है। पशुओं की खाद्य व्यवस्था पर आधारित व्यापार जैसे खली, भूसा, कना, जौ का आटा आदि का व्यापार लघु तथा व्यापक स्तर पर संचालित किया जा रहा है। जो अतिरिक्त रोजगार तथा आय के सृजन में सहायक है। पशुओं की बढ़ती मांग के कारण बाँदा, नरैनी, बबेरू व कमासिन आदि जगहों पर पशु मेलों का आयोजन किया जाता है।

1.ड़0.8. मत्स्य उद्योग

मत्स्य या मछली पकड़ना मानव की प्राचीन आर्थिक क्रिया–कलापों का अंग रहा

है। जनपद में नहरों, तालाबों, चेकडैम आदि का प्रमुख उपयोग सिंचाई तथा अन्य तरह के कार्यों के लिए किया जाता है। स्थलीय सर्वेक्षणों के उपरान्त यह तथ्य उजागर हुआ है कि इस जलराशि का उपयोग अल्पकालीन मत्स्य पालन के लिए सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। इसी आधार पर कृषि एवं पशुपालन के साथ–साथ मत्स्य उद्योग को भी प्रारम्भिक उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। मत्स्य पालन जनपदीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मछली पालन एक ऐसा कार्य है जिसके माध्यम से ग्रामीण अंचल में अनुपयोगी स्थिति में पड़े हुए तालाबों की उपयोगिता सुनिश्चित करते हुए उत्तम प्रोटीन युक्त पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन के साथ–साथ बेरोजगारों और दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त आय भी सम्भव है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु जनपद में मत्स्य विकास अभिकरण की स्थापना की गयी है। बेरोजगारों के लिए मत्स्य पालन हेतु तालाब सुधार, नये तालाब के निर्माण व उत्पादन निवेश के लिए बैंक ऋण तथा अनुदान, मछली के बीज की आपूर्ति, प्रशिक्षण आदि सुविधायें दी जा रही हैं। जिससे उन्हें रोजी–रोजगार मिल सके। तालिका संख्या 1.15 विभिन्न वित्तीय वर्षों में मत्स्य उत्पादन की स्थिति दर्शा रही है–

तालिका संख्या : 1.16

मत्स्य उत्पादन की स्थिति

वर्ष	संख्या	विभागीय जलाशय क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उत्पादन (कु0)	विभागद्वारा अंगुलिकाओं का वितरण संख्या (हजार)
1997–98	18	45.59	10	1579
98–99	18	45.59	18	1332
99–00	18	45.59	265	10000
00–01	18	45.59	300	12000
01–02	18	45.59	831	675
02–03	18	45.59	1055	1300
03–04	18	45.59	1122	1500

स्रोत :– मत्स्य विकास अभिकरण, बाँदा

1.ड़0.9. दोना–पत्तल उद्योग

नरैनी, कालिंजर के जंगलों में पाया जाने वाला पौधा पलाश जिसे स्थानीय भाषा में छिउल भी कहते हैं, के पत्तों से दोना–पत्तल बनाये जाते हैं। इस उत्पाद की मांग विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में त्योहारों, शादी या अन्य दूसरे आयोजनों में होती है। उत्पाद का बाजार मूल्य श्रम की तुलना में कम है। इस कारण यह उद्योग प्रगति नहीं कर पा रहा है। इससे जुड़े लोगों का जीवन स्तर भी निम्न होता है। इस उद्योग से जुड़े लोग जंगलों से पलाश के पत्तों को तोड़कर अपने घरों में सपरिवार दोना–पत्तल बनाते हैं। फिर उन्हें बाजार में बेंचते हैं। खराब होने तथा माल वापस ले जाने की वजह से कभी–कभी इन्हें बहुत कम दाम पर ही बेंच देना पड़ता है। यह उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का एक साधन बन सकता है। शासन की ओर से इस उद्योग के लिए बैंक ऋण तथा अनुदान की व्यवस्था है। किन्तु बाजार में प्लास्टिक के उत्पाद की मांग बढ़ जाने के कारण ये उद्योग अत्यन्त प्रतिकूल अवस्था में है।

1.ड़0.10. तम्बाकू उद्योग

सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड में पान व जर्दे का प्रयोग काफी पुराना है। जनपद में निवास करने वाली सम्पूर्ण जनसंख्या औसत रूप से इसका प्रयोग करती है। कुछ वर्षों से व्यावसायिओं द्वारा इस उद्योग में काफी कार्य किया गया है। व्यावसायी सुपाड़ी, तम्बाकू, इलायची, लौंग आदि का कच्चे माल के रूप में बाहर से आयात करते हैं। फिर अपने–अपने उद्योग केन्द्रों में प्लास्टिक के पाउचों में पैकिंग कर विभिन्न नामों से तैयार माल विक्रय हेतु निकटवर्ती राज्यों तथा क्षेत्रों में भेजते हैं। स्थानीय भाषा में गुटखा नाम से जाने जानेवाले इस उद्योग में महिला, पुरूष तथा बच्चों की भागीदारी रहती है। बाजार में इस उत्पाद की भारी मांग है। जनपद में 10–15 गुटखा उद्योग केन्द्र हैं।

1.ड़0.11. दरी उद्योग

यहाँ कपड़ों के छोटे–बड़े कतरनों की मजबूत बहुरंगी दरियां बनायी जाती हैं। इससे दर्जियों की कटाई से व्यर्थ निकले कपड़े का भी प्रयोग हो जाता है। इस उत्पाद को निर्मित कर दुकानों तथा गट्ठर में बांधकर फेरी लगाकर बेंचा जाता है।

1.ड़0.12. हथकरघा उद्योग

जनपद के कई गांवों में यह कुटीर उद्योग के रूप में विकसित है। इसमें सूत से मोटा कपड़ा, सूती दरियां आदि बुनी जाती हैं। जो स्थानीय बाजार में अथवा जनपद से बाहर बेंची जाती है।

1.ड़0.13. बर्तन उद्योग

यहां पर जिले में प्राप्त मिट्टी से मिट्टी के बरतन व खिलौने आदि बनाये जाते हैं।

उपरोक्त उद्योगों अथवा जीवन–यापन के लिए किये गये आर्थिक क्रिया–कलापों के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य जैसे– पान, सुपाड़ी, लौंग आदि रखने के लिए बटुवा, लाठियां, हड्डी चमड़े का ठेका आदि का भी कार्य होता है।जनपद के आर्थिक क्रियाकलाप पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि इसमें प्राथमिक उत्पादशीलता, प्रतिव्यक्ति निम्न आय, जनसंख्या का दबाव, बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, पूंजी की न्यूनता, तकनीक का निम्न स्तर, निर्बल निजी क्षेत्र, अकुशल मानव शक्ति आदि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं विद्यमान हैं। जिस कारण उद्योग शून्यता, बेरोजगारी, अपराध आदि समस्यायें उग्र रूप ले रही हैं। तथा आर्थिक विकास अभी भी प्रारम्भिक अवस्था में है।

द्वितीय अध्याय

द्वितीय अध्याय

अध्ययन की विधि

- ☞ अध्ययन का क्षेत्र
- ☞ सैम्पुल इकाई
- ☞ लाभार्थियों का चुनाव
- ☞ समंकों का एकत्रीकरण
- ☞ विचार व परिभाषाएं

द्वितीय अध्याय

ज्ञान के इस संसार में हमेशा ही नये तथ्यों को ग्रहण करने की क्षमता उपस्थित रहती है तथा सदैव इन्हीं नये तथ्यों के माध्यम से ही ज्ञान के नये द्वार खुलते हैं। यह मानव संसार रहस्य का एक मायाजाल है तथा इस मायाजाल में न जाने कितने रहस्य सदैव ही छिपे रहते हैं जो मानव ज्ञान की सीमा से दूर रहते हैं। यही रहस्यमय दूरी मानव को इस जिज्ञासा के लिए प्रेरित करती है कि वह उन रहस्यों का उद्घाटन करे जो अभी ज्ञान के इस संसार से बिल्कुल अपरिचित हैं, और इसी कारण वश वह उन रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए या अज्ञात घटनाओं को ज्ञात करने के लिए सदा तत्पर रहता है। मानव अब भी समस्त वस्तुओं या घटनाओं के विषय में ''सब कुछ'' नहीं जानता है इसलिए जानने या खोजने का सिलसिला या मनुष्य की प्रयत्नशीलता आज एवं समय के विकास के साथ जारी रहेगी। इस प्रयत्नशीलता का उद्देश्य ज्ञान का विस्तार, अस्पष्ट ज्ञान का स्पष्टीकरण तथा विद्यमान ज्ञान का सत्यापन होता है, इसी को अनुसंधान कहते हैं।

विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति एवं नवीन तकनीकी ज्ञान के विकास, नवीन व्यापार परिदृश्य, भूमण्लीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण के इस दौर में आर्थिक जगत में भी एक नवीन क्रान्तिकारी परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। आर्थिक जगत के प्राचीन आर्थिक सिद्धान्तों, आर्थिक मूल्यों तथा आर्थिक मान्यताओं के गहन परिवर्तन स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं। यह परिवर्तन सिर्फ परिवर्तन भाव नहीं है बल्कि युगकारी क्रान्ति है।

मानव समाज केवल तर्कों के आधार पर ही वास्तविक जगत में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक रहस्योद्घाटन करने में असमर्थ है। ये वास्तविक रहस्य स्वाभाविक मानवीय क्षमताओं से अधिक सूक्ष्म एवं उलझे हुए हैं। इन रहस्यों को सुलझाने एवं शुद्धता की सर्वोच्च श्रेणी को प्राप्त करने हेतु क्रमबद्ध अध्ययन एवं तदर्थ

आवश्यक प्रविधियों एवं उपकरणों के विकास के साथ ही साथ मानव मस्तिष्क अध्ययन एवं अनवरत परिश्रम करता है। इस अनवरत परिश्रम एवं अध्ययन का फल उसे ज्ञान के मीठे फल के रूप में प्राप्त होता है।

अध्ययन की प्रविधि

प्रस्तुत अनुसंधान सुनिश्चित प्रविधि पर आधारित है। उल्लेखनीय है कि किसी भी अनुसंधान में एक सुनिश्चित अध्ययन की प्रविधि का अपनाया जाना अत्यन्त आवश्यक होता है क्योंकि शोध कार्य को वैज्ञानिक स्वरूप तभी मिल पाता है जब किसी सुनिश्चित वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाया जाय। यह भी माना जाना चाहिए कि परिकल्पनाओं का सार्थक परीक्षण भी सुनिश्चित अध्ययन प्रविधि के आधार पर ही सम्भव है। प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन क्षेत्र का विवरण देते हुये सैम्पलिंग विधि और तदुपरान्त रैण्डम सैम्पलिंग विधि का परिचयात्मक विवरण दिया जायेगा और यह सुस्पष्ट किया जायेगा कि रैण्डम सैम्पलिंग, टिप्पेट विधि द्वारा किस प्रकार से शोधार्थी द्वारा समग्र में से लाभार्थियों का चुनाव किया जायेगा। प्राथमिक समंकों का संकलन इस अध्ययन के प्रमुख संमक का आधार है। अध्ययन क्षेत्र से सम्बद्ध बहुआयामी समंकों का एकत्रीकरण, साक्षात्कार अनुसूची के निर्माण के द्वारा किया जायेगा और तदुपरान्त एक सुनिश्चित सांख्किीय प्रक्रिया अपनाई जायेगी। इस हेतु साक्षात्कार अनुसूची पर आधारित मास्टर सीट का निर्माण करके समंकों की फ्री हैण्ड कोडिंग की जायेगी। पुनः उनका सारणीयन करके सांख्यिकीय विश्लेषण और निर्वचन किया जायेगा।

धातव्य है कि परिकल्पनाओं का निर्माण एवं उनका सत्यापन एक अनुभवगम्य अध्ययन के लिए अंगीभूत प्रत्यय है। इस अध्ययन में परिकल्पनाओं का अभिनिर्माण करके उनका कोई स्कवायर विधि से परीक्षण किया जायेगा और इस परीक्षण के द्वारा निष्कर्ष ज्ञापित किये जायेंगे।

इस पूर्व पीठिका के आधार पर इस अध्याय का विस्तार निम्नवत् है–

2.क. अध्ययन का क्षेत्र

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में कमजोर वर्ग के लोगों से सम्बन्धित परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिये बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बाँदा जनपद का चुनाव किया गया। परन्तु सघन व व्यष्टि अध्ययन के लिये बाँदा जनपद के कमासिन विकास खण्ड का चुनाव किया गया, जैसा कि इस शोध–प्रबन्ध की रूप रेखा में निश्चित किया गया है। इस प्रकार विकास खण्ड कमासिन के चयनित लाभार्थियों का प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से व अनुभव गम्य आधार पर विस्तृत अध्ययन करके निष्कर्ष प्राप्त किये जायेंगे, जो पूरे जनपद का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में विकास खण्ड कमासिन की ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक दशाओं का जानना समीचीन होगा–

2.क.1. ऐतिहासिकता

ऐतिहासिक दृष्टि से विकास खण्ड कमासिन का नामकरण कामाक्षी शब्द से हुआ। क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ पर कामाक्षी देवी का मन्दिर था। यक्षकाल में इस पूरे क्षेत्र में कामाक्षी देवी ही पूज्य थीं। जिनका मन्दिर, आज भी कमासिन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और इसे लोग अब कमासिन दाई के नाम से जानते हैं। यहाँ से 7 कि0मी0 दूर उत्तर, पन्नाह ग्राम में चन्देल शासक मदन वर्मा (सन् 1129–65) के सिक्के प्राप्त हुये हैं।[1] पूर्व समय में कमासिन में तहसील थी,[2] जो सन् 1857 ई0 के स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान खजाना लूट लिए जाने के कारण बन्द हो गयी।

2.क.2. भौगोलिक दशायें

भौगोलिक दृष्टि से विकास खण्ड कमासिन $25^0 31'$ उत्तर और $80^0 57'$ पूर्वी अक्षांश पर स्थित है।[3] यह जनपद मुख्यालय से 62 कि0मी0 दूर पूर्वी दिशा में स्थित है। यहाँ का क्षेत्रफल 527 वर्ग कि0मी0 है। इसके उत्तर में यमुना नदी प्रवाहित है जो फतेहपुर जनपद की सीमा बनाती है व पूर्वी दिशा में बागै नदी जनपद चित्रकूट (कर्वी) की सीमा बनाती हुई बहती है। इस विकास खण्ड के उत्तर में जनपद फतेहपुर, दक्षिण

स्रोत : 1. बुन्देलखण्ड का इतिहास, दीवान प्रतिपाल सिंह
2. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, बांदा, पृ0–297
3. जिले का भूगोल, डॉ0 प्रीति जायसवाल

में विकास खण्ड विसण्डा व जनपद चित्रकूट (कर्वी), पूर्व में जनपद चित्रकूट (कर्वी) व पश्चिम में बबेरू विकास खण्ड स्थित है। विकास खण्ड कमासिन की कुल जनसंख्या सन् 2001 में की गयी जनगणना के आधार पर 140951 है जिसमें 75511 पुरूष व 65440 महिलाएं हैं। यहाँ का जनघनत्व 227 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 तथा लिंगानुपात 838 है। विकास खण्ड कमासिन में रहने वाले कुल परिवारों की संख्या 22172 है व यहां का कुल क्षेत्रफल 50069 हेक्टेयर है। इसके अन्तर्गत 76 ग्राम आते हैं, जिनमें 75 ग्राम आबाद व एक ग्राम गैर आबाद है। विकास खण्ड कमासिन में 52 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। विकास खण्ड कमासिन में एक मात्र गैर आबाद ग्राम बरौली मुस्तखारजा है जिसका क्षेत्रफल 159 हेक्टेयर है। इस विकास खण्ड की सबसे बडी ग्राम पंचायत कमासिन है जिसकी जनसंख्या 10487 है, जिसमें 5617 पुरूष व 4870 महिलायें हैं। इस ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल 2614 हेक्टेयर है। तथा इसमें 1694 परिवार बसते हैं। इस विकास खण्ड का सबसे छोटा ग्राम बंभरौला है, जो धुंधुई ग्राम पंचायत में आता है तथा इस ग्राम का क्षेत्रफल मात्र 29 हेक्टेयर है, इस ग्राम की कुल जनसंख्या 156 है जिसमें 81 पुरूष व 75 महिलायें हैं। इस ग्राम में 14 परिवार बसते हैं। विकास खण्ड मुख्यालय से 3 कि0मी0 दूर पूर्व दिशा में जमरेही बाबा का पवित्र स्थान है जिसमें बसन्त पंचमी व महाशिवरात्रि में मेला लगता है। विकास खण्ड कमासिन के ग्राम–वार जनसंख्या व क्षेत्रफल से सम्बन्धित आंकडे तालिका सं. 2.1 में प्रदर्शित हैं।

2.क.3. सामाजिक दशायें

विकास खण्ड कमासिन की सामाजिक व्यवस्था पर एक सामान्य अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह एक परम्परागत सामाजिक व्यवस्था है जिसमें मात्र प्रसाधनिक परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। इसके तात्पर्य यह है कि यहाँ कृषि समाज प्रभावी है न कि औद्योगिक समाज। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में वर्ण प्रधान है अर्थात् उच्च जाति एवं निम्न जाति में स्पष्ट विभाजन है। इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च

जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और वे अनुसूचित जाति व जनजाति से अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिये यहाँ अश्पर्ष्यता अभी भी विद्यमान है। यही नहीं ऊँची जातियों में आपसी अन्तः संघर्ष है। यहाँ परम्परावाद, रूढवादिता, अंधविश्वास व सामाजिक पिछड़ापन आज भी हावी है। अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या धर्मप्रधान है और हिन्दू धर्म प्रभुत्व है। संक्षेप में विकास खण्ड कमासिन की सामाजिक व्यवस्था परम्परागत समाज के अभिलक्षणों से युक्त है।

2.क.4. आर्थिक दशायें

विकास खण्ड कमासिन की अर्थव्यवस्था मूलतः ग्रामीण, कृषि प्रधान और कच्चे सामान की निर्यातक तथा विनिर्मित और विधायिक सामानों की आयातक अर्थव्यवस्था है जिसका औद्योगिक आधार अत्यन्त संकुचित है। इस विकास खण्ड की अर्थव्यवस्था नितान्त कृषि प्रधान है तथा अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवन–यापन हेतु कृषि पर निर्भर है एवं कृषि भूमि पर अत्यधिक भार है। विकास खण्ड में किसी भी वृहद एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाई के स्थापित न हो सकने से लाभप्रद रोजगार अवसरों का नितान्त अभाव है एवं अधिकांश लोग बेरोजगारी एवं अर्द्ध बेरोजगारी की चक्की में पिसते हुये दरिद्रता की सीमा के नीचे जीवन–यापन के लिये विवश हैं। विकास खण्ड कमासिन की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होने के कारण उद्यमिता का नितान्त अभाव है जो कि औद्योगिक पिछडेपन का प्रमुख कारण है। यहाँ के अशिक्षित कृषक परिवार के सदस्य अधिकांशतः बचपन से ही स्वाभाविक रूप से घरेलू कृषि कार्यों में लग जाते हैं तथा शिक्षित नवयुवक विकसित नगरों को लाभप्रद रोजगार प्राप्ति हेतु पलायन कर जाते हैं। विकास खण्ड की सामान्य आर्थिक स्थिति कमजोर एवं निम्न उपभोग स्तर के कारण पूँजी निर्माण एवं निवेश क्षमता अत्यधिक सीमित है। अंधविश्वास, भाग्यवादी प्रवृत्ति, शासन द्वारा प्रदत्त तमाम सुविधाओं एवं उपादानों की अज्ञानता आदिं तमाम ऐसे कारण हैं जिससे इस विकास खण्ड का आर्थिक विकास अभी तक नहीं हो सका है।

विकास खण्ड कमासिन
जनपद- बाँदा

तालिका संख्या : 2.1

विकास खण्ड कमासिन के ग्रामवार कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े

क्र0सं0	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या	पुरूष	महिला
1.	अमेढ़ी	388	295	1549	799	750
2.	अछरील	351	106	670	344	326
3.	औदहा	822	260	1808	969	839
4.	अरवारी	487	235	1870	1018	852
5.	इंगुवा	2544	840	5759	3065	2694
6.	अंड़ौली	560	309	1763	973	790
7.	अंदौरा	668	277	1965	1071	894
8.	अमलोखर	543	324	1863	969	894
9.	इंटर्रा बढ़ौनी	317	199	1365	741	624
10.	कमासिन	2614	1694	10487	5617	4870
11.	कुलौरा	141	24	153	83	70
12.	कुमेढ़ासानी	1438	456	2885	1570	1315
13.	कोर्रा बुजुर्ग	427	369	2133	1079	1054
14.	कदोहर	202	55	448	256	192
15.	कठार	531	106	774	406	368
16.	खटान	217	126	833	458	375
17.	खेरा	423	229	1497	821	676
18.	खरौली	781	297	1838	1051	787
19.	खमरखा	311	228	1478	802	676
20.	गौरी	186	33	205	116	89
21.	गुरौली	155	92	601	302	299
22.	चरका	998	254	2300	1207	1093
23.	चकरेही	1280	539	3839	2061	1778
24.	उडकी माफी	134	44	290	167	123
25.	छिलोलर	1274	534	3392	1891	1501
26.	डिघौरा	384	104	633	340	293
27.	जामू	850	571	3402	1848	1554
28.	जोरावरपुर	320	175	1013	579	434
29.	तरांया	1226	484	2900	1538	1362

30.	तेरा दरसेंडा	244	59	482	250	232
31.	तिलौसा	1276	702	4243	2280	1963
32.	दांदौ बांगर	242	175	1048	537	511
33.	धुंधुई	290	275	1811	961	850
34.	देवरार	298	84	638	338	300
35.	नरायनपुर	651	294	2161	1167	994
36.	देह	115	15	156	76	80
37.	पछौंहा	1915	791	4730	2540	2190
38.	दतौरा	568	148	940	475	465
39.	धौंसड	380	69	386	202	184
40.	पाली	362	226	1502	808	694
41.	परसौली	1540	717	4268	2310	1958
42.	बीरा	1205	621	3980	2071	1909
43.	बनकट	312	65	326	173	153
44.	बुढ़ौली	703	193	1100	550	550
45.	बरौली बांगर	193	20	133	69	64
46.	बेर्रांव	818	478	3126	1644	1482
47.	बंभरौला	29	14	156	81	75
48.	बन्थरी	592	331	2042	1095	947
49.	बछौंधा सानी	282	118	802	428	374
50.	ब0मुस्तखारजा	159	—	—	—	—
51.	बेनामऊ	406	221	1396	739	657
52.	भदांव	288	175	1291	680	611
53.	भांटी	389	152	928	497	431
54.	भीती	376	354	2211	1128	1083
55.	मुसींवा	1570	684	4144	2249	1895
56.	मुडवारा	545	233	1554	841	713
57.	मटेहना	360	204	1343	759	584
58.	मऊ	2955	1204	7517	4028	3489
59.	मनकंहडी	291	59	510	284	226
60.	मवई	301	201	1149	611	538

61.	ममसी खुर्द	1205	495	3726	1995	1731
62.	राघवपुर	286	245	1421	737	684
63.	लाखीपुर	296	91	556	301	255
64.	लुधौरा	161	53	368	186	182
65.	लखनपुर	413	254	1620	897	723
66.	लोहरा	1761	608	3770	2022	1748
67.	विनवट	769	299	1791	1005	786
68	सिकरी	264	173	1022	554	468
69.	सुनहुली	264	100	545	291	254
70.	सुनहुला	209	108	598	307	291
71.	शिवहट	542	169	1135	576	559
72.	सतन्याव	1073	423	2367	1242	1125
73.	सँाडासानी	1268	580	3551	1904	1647
74.	किटहाई	591	83	601	323	278
75.	कुचौली	306	80	582	311	271
76.	पन्नाह	434	270	1512	848	664
	कुल योग	**50069**	**22172**	**140951**	**75511**	**65440**

स्रोतः कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, कमासिन (बांदा)

2.ख. सैम्पल इकाई

जब समस्त समूह की जाँच न करके सम्पूर्ण में से किसी विशिष्ट आधार पर न्यादर्श के रूप में थोड़ा सा भाग जाँच के लिए ले लिया जाता है तब उसे निदर्शन, बानगी, नमूना, सैम्पल या प्रतिनिधि अंश कहते हैं। जैसे–एक नगर के मध्यम श्रेणी के 5000 व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात करने के लिए यदि हम उस नगर के मध्यम श्रेणी के केवल 500 व्यक्तियों की जाँच करें और उस परिणाम के आधार पर नगर के मध्यम श्रेणी के 5000 लोगों की औसत आय निर्धारित करें तो इस प्रकार का अनुसंधान निदर्शन रीति का अनुसंधान कहलाएगा। निदर्शन विधि की यह विशेषता है कि इसमें कुछ विशेष तथ्यों से सामान्य विषय में धारणा बनायी जाती है। यदि न्यादर्श पर्याप्त एवं

उचित रीति से लिया गया है तो उसके परिणाम पूर्ण रूप से समग्र पर भी लागू होंगे।

आजकल इस प्रणाली का प्रयोग सर्वाधिक होता है। शोध के अधिकांश क्षेत्रों में न्यादर्श प्रणाली का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे–खाद्यान्न, घी, कपड़ा आदि का क्रय करते समय भी इसी विधि का सहारा लिया जाता है। व्यावहारिक जीवन में बहुत से विषयों में तो समग्र शोध सम्भव नहीं है और यदि कठिनता से उसका प्रयोग किया भी जाय तो उससे कोई विशेष लाभ भी नहीं है, क्योंकि न्यादर्श एवं समग्र अनुसंधान प्रणाली द्वारा निकाले गये परिणामों में कोई विशेष अन्तर नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि कुछ वस्तुओं के मूल्य के घट–बढ़ का औसत निकाल लिया जाय तो उसके भी लगभग उतने ही होने की सम्भावना है जितनी की सारी वस्तुओं के मूल्यों के औसत होने की सम्भावना है। यदि अनुसंधानों में सदैव संगणना प्रणाली अपनायी जाय तो बिना किसी विशेष फल को प्राप्त किये हुए धन, शक्ति व समय का व्यय अधिक होगा और मानव ज्ञान बहुत धीमी गति से प्रगति करेगा। किसी देश की सरकार चाहे कितनी भी धनी क्यों न हो, उस देश की सब घटनाओं के सम्बन्ध में संगणना प्रणाली से समंक एकत्रित करना उसके लिए अनार्थिक होगा। गणित के सिद्धान्तों की सहायता से निदर्शन अनुसंधान द्वारा भी लगभग वही निष्कर्ष निकलेगा जो समग्र अनुसंधान के द्वारा निकलता है।

इस रीति के महत्व को बताते हुए प्रसिद्ध सांख्यिकीय स्नेडेकार ने लिखा है–"केवल कुछ पौण्ड कोयले की जाँच के आधार पर एक गाड़ी कोयला अस्वीकृत या स्वीकृत कर दिया जाता है। केवल एक बूँद रक्त की जाँच करके एक रोगी के रक्त के विषय में चिकित्सक निष्कर्ष निकालता है। न्यादर्श ऐसी युक्तियाँ हैं जिनके द्वारा केवल कुछ इकाइयों का निरीक्षण करके बृहद् मात्राओं या समग्र के बारे में जाना जाता है।"

2.ख.1. निदर्शन की रीतियाँ

न्यादर्श चुनने की कई रीतियाँ हैं। इनमें से निम्नलिखित प्रमुख रूप से

उल्लेखनीय है[1]–

(1) सविचार निदर्शन

(2) दैव अथवा आकस्मिक निदर्शन

(अ) लाटरी विधि

(ब) आँख बन्द करके चुनना

(स) पदों को किसी रीति से सजाकर

(द) ढोल घुमाकर

(य) टिप्पेट की संख्याओं अथवा दैव निदर्शन सारणी द्वारा

(3) मिश्रित या स्तरित निदर्शन

(4) अन्य रीतियाँ

(अ) सुविधानुसार निदर्शन

(ब) कोटा निदर्शन

(स) बहुत से स्तरों पर क्षेत्रीय दैव निदर्शन

(द) बहुचरण निदर्शन

(य) विस्तृत निदर्शन

निदर्शन की उपर्युक्त रीतियों में से दैव निदर्शन (रैण्डम सैम्पलिंग) विधि का प्रयोग प्रस्तुत शोध अध्ययन में किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में इस विधि का विस्तृत वर्णन करना अति आवश्यक है–

2.घ.2. दैव निदर्शन विधि

न्यादर्श चयन की यह श्रेष्ठ विधि है क्योंकि संगणक की पक्षपात की भावना का प्रभाव इसमें नहीं पड़ता दैव निदर्शन वही है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त होता है। इसमें शोधकर्ता को कोई बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। चुनाव आकस्मिक ढंग से हो जाता है। किसी पद का चुनाव में

स्रोत : 1. सांख्यिकीय के सिद्धान्त, डॉ0 एस0एम0 शुक्ल व डॉ0 शिवपूजन सहाय, 1994

शामिल करने का कोई कारण नहीं होता। इसमें समग्र के किसी भी भाग के न्यादर्श में आ जाने की समान रूप से सम्भावना होती है। दैव निदर्शन में इकाइयों का चयन अवसरों के नियम पर आधारित होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि न्यादर्श की व्यक्तिगत इकाइयों का चुनाव शोधकर्ता के पक्षपात से पूर्णतया स्वतन्त्र होना चाहिए ऐसा ही करके न्यादर्श में सूक्ष्मता व सत्यता लायी जा सकती है।

दैव निदर्शन रीति के अन्तर्गत न्यादर्श लेने की अनेकों प्रकार की विधियाँ प्रचलित हैं जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं[1]–

(अ) लाटरी विधि

दैव निदर्शन पद्धति से न्यादर्श छाँटने की यह सर्वाधिक प्रचलित रीति है। इसके अन्तर्गत समग्र की सभी इकाइयों की नम्बर अथवा नाम के आधार पर पर्चियाँ बना ली जाती हैं। इन सभी पर्चियों को जो एक से आकार और आकृति की हैं मोडकर तथा मिलाकर रख दिया जाता है। फिर अनुसंधानकर्ता या तो स्वयं बिना देखे हुए या किसी अन्य व्यक्ति से जितनी इकाइयाँ न्यादर्श में शामिल करनी हों उनकी पर्चियाँ उठवा लेता है। पदों का चुनाव पूर्णरूप से दैव योग पर निर्भर करता है। पक्षपात की यहाँ कोई सम्भावना नहीं होती।

(ब) आँख बन्द करके चुनना

इस पद्धति में शोधकर्ता पदों की चिन्हित पर्चियों में से आँख बन्द करके कुछ पर्चियों को उठा लेता है और उन्हीं को न्यादर्श में सम्मिलित कर लिया जाता है।

(स) पदों को किसी रीति से सजाकर

इस रीति में पहले पदों को किसी ढंग से उदाहरणार्थ– भौगोलिक, वर्णात्मक या संख्यात्मक ढंग से सजा लेते हैं और उनमें से आकस्मिक ढंग से कुछ पदों को चुन लेते हैं। इसे नियमानुसार दैव निदर्शन भी कहते हैं।

स्रोत : 1. सांख्यिकीय के सिद्धान्त, डॉ0 एस0एम0 शुक्ल व डॉ0 शिवपूजन सहाय, पृ0–83

(द) ढोल घुमाकर

इस रीति के अनुसार एक ढोल में समान आकार के टिन या लकड़ी के टुकड़ों पर 0 से 9 के अंक लिखकर डाल दिये जाते हैं। जिनको अच्छी तरह मिला दिया जाता है। फिर कोई व्यक्ति बिना देखे उनमें से एक–एक टुकड़ा निकालता है जिसकी संख्या नोट कर ली जाती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि के लिए अलग–अलग टुकड़े निकाले जाते हैं।

(य) टिप्पेट की संख्याओं अथवा दैव निदर्शन सारणियों द्वारा

टिप्पेट ने कुछ देशों की जनसंख्या रिपोर्टों के आधार पर चार–चार अंकों वाली 10,400 संख्याओं की तालिका तैयार की है। इन संख्याओं को "टिप्पेट की दैव संख्यायें" कहा जाता है। इन संख्याओं के आधार पर भी न्यादर्श चुन लिया जाता है।

2.ग. लाभार्थियों का चुनाव

पूर्व वर्णित रैण्डम सैम्पलिंग विधि को अनुप्रयुक्त करते हुये इसकी एक उप विधि टिप्पेट प्रणाली को प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में अपनाया जायेगा। जिसमें कुल समग्र 1500 के आकार में से 500 लाभार्थियों का चुनाव टिप्पेट विधि से किया जायेगा। यह समग्र के 1/3 भाग का प्रतिनिधित्व करेगा, जैसा कि इस अनुसंधान के रूप रेखा में निश्चित किया गया है। टिप्पेट उप विधि के द्वारा लाभार्थियों के चयन के पूर्व संस्थागत वित्त प्रदायक बैंकों से विभिन्न वर्षों की लाभार्थी सूची ली गई और उसे एक क्रम में सजाया जायेगा तत्पश्चात् टिप्पेट उप विधि के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। अतः टिप्पेट उप विधि के बारे में विस्तृत विवरण देना समीचीन होगा। यह विवरण इस प्रकार है–

यदि विचाराधीन समग्र काफी बड़ा है तो फिर लाटरी रीति के प्रयोग में बहुत कठिनाई होती है और समय भी अधिक लगता है इसके लिए विभिन्न सांख्यिकों ने दैव संख्यायें सारणियाँ तैयार की हैं। जिनमें टिप्पेट की सारणी अधिक प्रचलित है। टिप्पेट

महोदय ने 41,600 अंकों के प्रयोग से चार–चार अंकों वाली 10,400 संख्याओं की सारणी तैयार की है, जिसमें प्रथम तीस संख्यायें इस प्रकार हैं[1]–

2952	6641	3992	9792	7969	5911
3170	5624	4167	9524	1545	1396
7203	5356	1300	2693	2370	7483
3408	2762	3563	1089	6913	7691
0560	5246	1112	6107	6008	8126

प्रतिदर्श छाँटने की विधि

सबसे पहले समग्र की इकाइयों को 1 से N तक अंक प्रदान किये जाते हैं। फिर सारणी का कोई भी एक पृष्ठ दैव आधार पर लेकर उसमें से सम्बन्धित संख्यायें चुन ली जाती हैं। इन चुनी हुई संख्याओं की तत्सांवदी समग्र इकाइयाँ ही दैव प्रतिदर्श कहलाती हैं। सारणी को प्रयोग में लाने का नियम यह है कि इसे ऊपर से नीचे, बायें से दायें या अन्य किसी भी ढंग से पढा जा सकता है किन्तु एक समय में किसी एक ही ढंग का प्रयोग करना चाहिए। नीचे हम विभिन्न आकार वाले समग्रों की प्रक्रिया स्पष्ट करेंगे–

उदाहरण 1:– जब समग्र का आकार 10,000 से कम हो;

माना 4,000 विद्यार्थियों के समग्र में से 10 विद्यार्थी चुनने हैं। तो सर्वप्रथम इन सभी विद्यार्थियों को 1 से 4,000 तक की क्रम संख्या में क्रमबद्ध किया जायेगा फिर सारणी के किसी पृष्ठ से शुरू की ऐसी 10 संख्यायें छाँट ली जायेंगी जों 4,000 से बड़ी न हों। ये 10 संख्यायें टिप्पेट की उपर्युक्त सारणी से इस प्रकार हैं–

2652	3992	3170	1545	1396
1300	2693	2370	3408	2762

उदाहरण 2:– जब समग्र का आकार 1,000 से कम हो;

स्रोत : 1. सांख्यिकीय, डॉ0 एस0पी0 सिंह, एस0 चन्द्र एण्ड कं0, नई दिल्ली

माना 450 विद्यार्थियों में से 12 विद्यार्थी चुनने हैं। तो सर्वप्रथम इन्हें 1 से 450 तक क्रमबद्ध किया जायेगा। फिर सारणी में से 12 ऐसी तीन अंकों वाली संख्यायें छाँट ली जायेंगी जो 450 से छोटी हों। हाँ तीन अंकों वाली संख्याओं की दशा में समूहीकरण की क्रिया करनी होती है। टिप्पेट की उपर्युक्त सारणी से तीन–तीन के समूहीकरण से प्राप्त संख्यायें इस प्रकार हैं–

295	266	413	992	979	279	695	911	317	056
244	167	952	415	451	396	720	353	561	300

टिप्पणी

समूहीकरण की क्रिया में टिप्पेट की सारणी को तीन–तीन अंकों की सारणी में बदल लेते हैं। इसके लिए पहली संख्या में प्रारम्भ के तीन अंक ले लिए जायेंगे और एक अंक छोड़ दिया जायेगा। इसके पश्चात् इस छोड़े हुए अंक को सारणी की दूसरी संख्या के पहले जोड़ कर तीन अंकों की दूसरी संख्या बना ली जायेगी और यही प्रक्रिया चलती रहेगी।

ऊपर जो 20 सामूहित संख्यायें प्राप्त की गई हैं उनमें से निम्न 12 संख्यायें (450 से छोटी) ऐसी हैं जिनके तत्संवादी विद्यार्थी प्रतिदर्श होंगे–

295	266	413	279	317	056
244	167	415	396	353	300

उदाहरण 3:– जब समग्र का आकार 100 से कम हो;

माना 80 विद्यार्थियों में से 16 विद्यार्थी चुनने हैं। इस स्थिति में सबसे पहले टिप्पेट सारणी से दो–दो अंकों के जोड़े बनाये जायेंगें। प्राप्त जोड़े इस प्रकार हैं–

29	52	66	41	39	92	97	92	79	69	59	11
31	70	56	24	41	67	95	24	15	45	13	96

80 से बड़ी संख्याओं को छोड़ने पर 16 दैव संख्यायें इस प्रकार हैं–

29	52	66	41	39	79	69	59
11	31	70	56	24	67	15	45

टिप्पणी

इस प्रक्रिया में यदि कोई संख्या दो या दो से अधिक बार आई है तो उसे केवल एक ही बार गिना जायेगा। जैसे ऊपर के उदाहरण में 41 व 24 पद दो बार आये हैं किन्तु उन्हें एक बार ही गिना गया है।

उपरोक्त उपविधि को अंगीकृत करते हुए सर्वप्रथम 1500 लाभार्थियों की सूची को क्रमवार सजाया जायेगा। तदुपरान्त टिप्पेट रैण्डम संख्याओं की 10,400 संख्या वाली तालिका के आधार पर 500 लाभार्थियेां का चयन किया जायेगा जो कि समग्र का 1/3 भागांश है।

2.घ. समंकों का एकत्रीकरण

अनुसंधान कार्य का निर्विघ्न सम्पन्न होना बहुत कुछ आंकड़ों के संकलन पर निर्भर होता है क्योंकि जिस प्रकार भवन का निर्माण पत्थरों द्वारा होता है ठीक उसी प्रकार सिद्धान्तों का निर्माण समंकों द्वारा ही होता है। परन्तु केवल समंक उसी प्रकार से सिद्धान्त नहीं कहे जा सकते जिस प्रकार पत्थरों का ढेर भवन नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार अनुसंधान कार्य में संमकों के संकलन का अत्यधिक महत्व है। समंकों को सांख्यिकीय अनुसंधान के सम्पूर्ण ढांचे का आधार स्तम्भ माना गया है, क्योंकि अनुसंधान क्रिया पूरी तरह से समंकों के संकलन पर ही निर्भर होती है। इन्हीं समंकों के माध्यम से शोधकर्ता वांछित उद्देश्यों व निष्कर्षों को प्राप्त करने में सफल होता है इसलिए यह कहना आवश्यक नहीं है कि समंकों का संकलन कार्य करते समय अत्यन्त सावधानी, सतर्कता, दृढ़ता, विश्वास, निश्पक्षता और धैर्य से काम लिया जाना चाहिए।

संग्रहण की दृष्टि से समंक दो प्रकार के होते हैं–

(1) प्राथमिक समंक,

(2) द्वितीयक समंक

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राथमिक व द्वितीयक दोनों ही प्रकार के समंकों का प्रयोग किया गया है। परन्तु मुख्य रूप से प्राथमिक समंकों का ही प्रयोग किया गया है और इसके लिए व्यक्तिगत सर्वेक्षण में साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करते हुये सामग्री एवं सूचनाओं का संकलन निम्न प्रकार किया गया है–

2.घ.1. प्राथमिक समंकों का संकलन

प्राथमिक समंक वे समंक हैं जिन्हें अनुसंधान करने वाला अपने प्रयोग में लाने के लिए पहली बार इकट्ठा करता है। हो सकता है कि उस विषय के सम्बन्ध में आंकड़े पहले भी इकट्ठे किये गये हों, तो भी अनुसंधानकर्ता अपने प्रयोग के लिए प्रारम्भ से अन्त तक समंक नये सिरे से एकत्र करता है। प्रथम बार संकलित होने के कारण इन्हें प्राथमिक समंक कहा जाता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राथमिक समंकों का संकलन साक्षात्कार, अनुसूची के आधार पर किया गया है। अनुसंधान से सम्बन्धित सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु एक साक्षात्कार, अनुसूची सावधानी पूर्वक तैयार की गई है। जिसके द्वारा चयनित इकाइयों से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुये सूचनायें प्राप्त की गई हैं।

सामाजिक/आर्थिक सर्वेक्षण एक गम्भीर उत्तरदायी पूर्ण कार्य होता है। इस कर्तव्य का पालन मनमाने ढंग से सर्वेक्षण कार्य करके नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सुनियोजित आयोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि सामाजिक/आर्थिक घटनायें अत्यधिक बिखरी हुयी होती हैं और इसीलिए एक सर्वेक्षण के द्वारा उन्हें किसी एक सामान्य सूत्र में बाँधना अत्यन्त कठिन कार्य होता है। साधनहीन सर्वेक्षणकर्ता के पास समय तथा धन सीमित होता है। सीमित साधनों से ही उसे अपने सर्वेक्षण कार्यों में अधिकतम यथार्थता व विश्वसनीयता लाने का प्रयत्न करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति सर्वेक्षण का आयोजन किये बिना नहीं हो सकती। प्रस्तुत शोध अध्ययन में

सर्वेक्षण का कार्य निम्नलिखित चरणों के अन्तर्गत पूरा किया गया है–

1. प्रथम चरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन के सर्वेक्षण हेतु सर्वप्रथम अध्ययन क्षेत्र विकास खण्ड कमासिन में जाकर विकास खण्ड में स्थित बैंकों की जानकारी ली गयी। तत्पश्चात् इन बैंकों से विभिन्न ऋण योजनाओं के अन्तर्गत सन् 1990–91 से 2000–01 तक विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिये गये ऋणों के लाभार्थियों की सूची प्राप्त की गई और इस प्रकार विभिन्न बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत 1500 लाभार्थियों की सूची प्राप्त हुई। तत्पश्चात् इस लाभार्थी सूची से 1/3 लाभार्थियों को टिप्पेट विधि से चुनकर अध्ययन इकाई के रूप में प्रयोग में लाया गया।

2. द्वितीय चरण

सर्वेक्षण के द्वितीय चरण में चयनित ऋण प्राप्तकर्ताओं से पूर्व में तैयार साक्षात्कार अनुसूची को व्यक्तिगत सम्पर्क करके पूर्ण किया गया है। तत्पश्चात् प्राप्त सूचनाओं को सावधानीपूर्वक सम्पादित करते हुये निष्कर्ष निकाले जायेंगे। इस प्रकार 500 ऋण प्राप्तकर्ताओं का चयन करते हुये साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से व्यक्तिगत सम्पर्क पद्धति द्वारा विस्तृत व गहन सर्वेक्षण किया जायेगा।

साक्षात्कार अनुसूची

सामान्य अर्थों में साक्षात्कार अनुसूची प्रश्नों की एक लिखित सूची है, जो अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन विषय को ध्यान में रखकर बनायी जाती है। इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं घर–घर जाकर प्रश्नों के उत्तर अनुसूचियों द्वारा प्राप्त करता है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में साक्षात्कार अनुसूची को व्यक्तिगत सम्पर्क पद्धति द्वारा सूचनादाताओं से सम्बन्धित सूचनायें प्राप्त करते हुये अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं भरा गया है। साक्षात्कार अनुसूची में पूछे गये प्रश्न अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुभवी विद्वानों से विचार विमर्श करते हुये अत्यन्त सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। इस प्रकार साक्षात्कार

अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में सम्पन्न की गई है–

1. प्रथम चरण

प्रथम चरण में साक्षत्कार अनुसूची निर्माण, समस्या से सम्बन्धित पूर्ववर्ती धारणाओं के आधार पर निर्मित की गई है और इसको विभिन्न भागों जैसे– आय, व्यय, सम्पत्तियाँ व दायित्व आदि में बाँट कर उस भाग से सम्बन्धित प्रश्न रखे गये हैं। और इस प्रकार साक्षात्कार अनुसूची को विभिन्न भागों में बाँटते हुये ऋण प्राप्त करने में आने वाली प्रशासनिक, वित्तीय, ऋण वितरण प्रक्रिया, समय, मात्रा व सुझाव आदि से सम्बन्धित प्रश्नों का समावेश किया गया है।

2. द्वितीय चरण

द्वितीय चरण में प्रश्नों की निर्माण प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखा गया है कि उत्तरदाता उनसे पूंछे गये प्रश्नों को सही अर्थ में समझ कर उसका सही उत्तर दे सकेगा या नहीं जिसके लिए यह ध्यान रखा गया है कि प्रश्न सरल, स्पष्ट एवं ठीक ढंग से पूंछे जा सकें। उत्तरदाताओं से अनुसंधानकर्ता ने अत्यन्त विनम्र भाव का प्रयोग करते हुये उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है।

3. तृतीय चरण

तृतीय चरण में सभी प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप से लगाया गया है क्योंकि ऐसा करने से प्रश्नों के उत्तर लेने में तथ्य भी क्रमबद्ध प्राप्त होते हैं। जिनका विश्लेषण करने में सरलता रहती है। साथ ही क्रमबद्ध प्रश्नों से सूचना दाताओं से उत्तर मिलने में भी आसानी रहती है। क्योंकि पूंछे गये प्रश्नों का उत्तर देने में उत्तरदाता को भी मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है इसलिए प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में बहुत ही सरल, शीघ्र व संक्षिप्त प्रश्नों से प्रारम्भ करके गम्भीर प्रश्नों की ओर बढ़ा गया है। जिससे गम्भीर प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करने में कठिनाई न हो।

4. अन्तिम चरण

इस चरण में साक्षात्कार अनुसूची की बैधता की जाँच की गई जिसमें यह देखा गया कि जिस उद्देश्य से प्रश्नों का निर्माण किया गया है, उन प्रश्नों से वास्तव में उन उद्देश्यों की पूर्ति होगी अथवा नहीं। इसी उद्देश्य से अनुसूची को अन्तिम रूप देने से पूर्व कुछ शिक्षित व कुछ अशिक्षित व्यक्तियों से अनुसूची के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके यह जाँच की गई कि लोग प्रश्नों के वास्तविक अर्थ को समझ कर सही उत्तर देने में समर्थ हैं या नहीं। जिसके लिए कुछ प्रश्नों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके, कुछ प्रश्नों को बिल्कुल हटाकर तथा कुछ आवश्यक नये प्रश्नों को जोड़कर साक्षात्कार अनुसूची तैयार की गई है।

2.घ.2. द्वितीयक समंकों का संकलन

द्वितीय समंक वे समंक हैं जिनका संकलन पहले से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा चुका है और अनुसंधानकर्ता उनको भी अपने प्रयोग में लाता है। यहाँ वह संग्रहण नहीं करना वरन् किसी अन्य उद्देश्य के लिए संकलित सामग्री को प्रयोग में लाता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में द्वितीयक समंकों का भी यथास्थान प्रयोग किया गया है तथा इनका संकलन निम्न प्रकार किया गया है–

1. प्रकाशित स्रोत

विभिन्न विषयों पर सरकारी व गैर–सरकारी संस्थायें तथा अन्य अनुसंधानकर्ता महत्वपूर्ण समंक एकत्र करके उन्हें समय–समय पर प्रकाशित करते रहते हैं। जिनमें निम्नलिखित स्रोतों से द्वितीयक समंक एकत्र किये गये हैं–

(1) भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन–वार्षिक (पिछले कई वर्षों की)

(2) आर्थिक सर्वेक्षण–वार्षिक (पिछले कई वर्षों की)

(3) सांख्यिकीय पत्रिका, बाँदा–वार्षिक (पिछले कई वर्षों की)

(4) वार्षिक ऋण योजना, इलाहाबाद बैंक बाँदा (पिछले कई वर्षों की)

(5) वार्षिक प्रतिवेदन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बाँदा (पिछले कई वर्षों की)

(6) वार्षिक पत्रिका, जिला सहकारी बैंक बाँदा (पिछले कई वर्षों की)

(7) विभिन्न पत्र व पत्रिकायें (पिछले कई वर्षों की)

(8) विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालयों से एकत्र आंकड़े

(9) विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट

(10) वित्त आयोग के प्रतिवेदन

(11) योजना आयोग के प्रतिवेदन

(12) पंचवर्षीय योजना का प्रारूप

2. अप्रकाशित स्रोत

अनेक शोध–संस्थाओं, अर्द्ध–सरकारी संस्थाओं, गैर–सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि में योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किये गये ऐसे समंकों को भी प्रस्तुत शोध में सम्मिलित किया गया है जिनका किसी कारण से प्रकाशन नहीं हो सका।

2.घ.3. सांख्यिकीय प्रक्रिया

आंकड़ों का संकलन कर लेने के पश्चात् उनके विश्लेषण का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। किसी भी सामाजिक/आर्थिक अनुसंधान की सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि कितनी उपयुक्त एवं विश्वसनीय प्रविधियों के द्वारा आंकड़ों को संकलित किया गया है बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि संकलित किये गये आंकड़ों को किस प्रकार विश्लेषित किया जाये।

आंकड़ों के विश्लेषण के अनेक महत्वपूर्ण चरण हैं जिनमें से प्रमुख रूप से हम निम्नलिखित दो चरणों को प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयोग करेंगे–

(1) समंकों का वर्गीकरण व सारणियन

(2) समंकों के विश्लेषण की सांख्यिकीय प्रविधियाँ

(1) समंकों का वर्गीकरण व सारणियन

संकलित समंक प्रारम्भिक अवस्था में अव्यस्थित रूप में होते हैं। उनको समझना या किसी रूप में उनका अध्ययन करना और उनसे कुछ निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं है, जब तक कि उन्हें उचित रूप से व्यवस्थित न कर लिया जाय। अनुसंधानकर्ता द्वारा इसी तथ्य को ध्यान में रखकर समंकों के संकलन के पश्चात् साक्षात्कार अनुसूची पर आधारित मास्टर सीट का निर्माण करके समंकों की फ्री हैण्ड कोडिंग की गयी है। जिसमें संकलित सामग्री को समानताओं व असमानताओं के आधार पर निश्चित श्रेणियों के अन्तर्गत रखकर समंकों का वर्गीकरण किया गया है।

समंकों के वर्गीकरण के उपरान्त उसे सारणियों में प्रदर्शित किया गया है। सारणियन के द्वारा एकत्रित सामग्री को सरल, संक्षिप्त व सुबोध बनाया जाता है, जिससे उसे समझने में सरलता हो। इससे परिणाम निकालने और निर्वचन करने में सुविधा होती है।

(2) समंकों के विश्लेषण की सांख्यिकीय प्रविधियाँ

सांख्यिकीय समंकों का संग्रहण, सम्पादन, वर्गीकरण एवं सारणियन करने के पश्चात् मुख्य समस्या समंकों का विश्लेषण व इनसे इच्छित निष्कर्ष निकालने की होती है। यद्यपि विश्लेषण से पहले की क्रियाओं का उद्देश्य समंकों को सरल व बोधगम्य बनाना है, परन्तु फिर भी यह सामग्री इतनी अधिक जटिल होती है कि इन तथ्यों की व्याख्या, उनका अन्तर्सम्बन्ध, निष्कर्ष निकालना एवं सम्पूर्ण सामग्री को याद रख पाना कठिन होता है। मानव मस्तिष्क में इतनी क्षमता नहीं होती कि वह जटिल एवं विस्तृत आंकड़ों को याद रख सके। अतः इनका विश्लेषण करना अत्यन्त आवश्यक है। जिसके लिए गणितीय माप, औसत, प्रतिशत, सहसम्बन्ध एवं रेखाचित्रों का प्रयोग किया गया है।

2.घ.4. परिकल्पनाओं के परीक्षा की प्रविधि

सामाजिक व आर्थिक शोध, घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होना आवश्यक होता है और इसके लिए प्रारम्भिक ज्ञान व सामान्य ज्ञान का होना अनिवार्य होता है जो शोधार्थी को मार्ग निर्देशन का कार्य करता है। यह सामान्य ज्ञान अथवा काम चलाऊ ज्ञान ही परिकल्पना अथवा संकल्पना है।

परिकल्पना से तात्पर्य

परिकल्पना को सामान्यतः एक कार्यकारी तर्क, वाक्य या एक काम चलाऊ "सामान्यीकरण" माना जाता है। इस तर्क, वाक्य अथवा सामान्यीकरण की अनुसंधान के दौरान परीक्षा की जाती है। अतः यह सत्य भी हो सकता है तथा असत्य भी। परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है "पूर्व चिन्तन" अर्थात् पहले से सोचा गया कोई विचार या चिन्तन। अनेक विद्वानों ने परिकल्पनाओं को परिभाषित किया है। उनमें से कुछ परिभाषायें हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं–

गुडे एवं हट्ट ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक मैथड्स इन सोशल रिसर्च में इसे परिभाषित करते हुये लिखा है कि–"परिकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक तर्कपूर्ण वाक्य है जिसकी बैधता की परीक्षा की जा सकती है। यह सत्य भी सिद्ध हो सकती है और असत्य भी।"[1]

जार्ज लुण्डवर्ग ने अपनी पुस्तक "सोशल रिसर्च" में परिकल्पना को परिभाषित करते हुये लिखा है कि–"संकल्पना एक सामाजिक तथा कामचलाऊ सामान्यीकरण अथवा निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना शेष रहता है। अपने बिल्कुल प्रारम्भिक चरणों में परिकल्पना कोई मनगढंत अनुमान, कल्पनापूर्ण विचार अथवा सहज्ञान इत्यादि कुछ भी हो सकता है जो क्रिया अथवा अनुसंधान का आधार बन जाता है।"[2]

स्रोत : 1. रिसर्च मैथ्डोलॉजी, डॉ0 आर0एन0 त्रिवेदी, डॉ0 डी0पी0 शुक्ला, पृ0–181
2. सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियां, डॉ0 जी0के अग्रवाल, डॉ0 शील स्वरूप पाण्डेय, पृ0–25

जॉन गाल्टुंग ने अपनी पुस्तक "थ्योरी एण्ड मेथड्स आफ सोशल रिसर्च" में परिकल्पना को अधिक स्पष्ट एवं गणितीय आधार पर स्पष्ट किया है। गणितीय आधार पर परिकल्पना को सामान्यतः $P_S (x_1 x_2 x_3 x_4 \ldots\ldots x_n)$[1] के रूप में विवेचित किया जाता है। इसका आशय निम्नांकित है–

P = Probability (संभावना)

S = Set of Units (इकाइयाँ)

$x_1 x_2 x_3 x_4 \ldots x_n$ = Variables (चर)

गाल्टुंग के अनुसार उनका कहना था कि समस्त अनुसंधानों में निम्न तत्व होते हैं–

(1) इकाई (Units) जिसके बारे में सूचना ग्रहण की जा रही है,

(2) चर (Variable) जिसके बारे में सूचना ली जा रही है, एवं

(3) मूल्य (Value) जिसके बारे में किसी इकाई में प्राप्त किसी चर के गुण अथवा परिभाषा है।

इस प्रकार गाल्टुंग के अनुसार–"परिकल्पना चरों के द्वारा कुछ इकाइयों के सम्बन्ध में उनके विशिष्ट मूल्यों से सम्बन्धित कथन है एवं यह स्पष्ट करती है कि इकाइयों का सम्बन्ध कितने एवं किस प्रकार के चरों से है।"[2]

उदाहरण के लिए यदि संकल्पना हो कि पुरूष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं तो इसमें पुरूष और स्त्रियाँ इकाइयाँ हैं। बुद्धि चर है तथा अधिक मूल्य है। इस प्रकार इस संकल्पना में पुरूष तथा स्त्री इकाइयों के सम्बन्ध में तथा बुद्धि चर का मूल्यों के सम्बन्ध में वर्णन किया गया है।

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह सुगमता पूर्वक विश्लेषित किया जा सकता है कि परिकल्पना एक ऐसा कार्य कारी तर्क वाक्य, पूर्व विचार, कल्पनात्मक धारणा या पूर्वानुमान होता है। जिसे अनुसंधानकर्ता अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर

स्रोत : 1. रिसर्च मैथ्डोलॉजी, डॉ0 आर0एन0 त्रिवेदी, डॉ0 डी0पी0 शुक्ला, पृ0–182

2. सामाजिक शोध व सांख्यिकी, डॉ0 रवीन्द्र नाथ मुकर्जी, 1998

पहले से निर्मित कर लेता है एवं अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता परिकल्पना की बैधता की परीक्षा करता है। यह परिकल्पना सत्य एवं असत्य दोनों हो सकती है। यदि अनुसंधान में संकलित एवं विश्लेषित किये गये तथ्यों के आधार पर परिकल्पना प्रमाणित हो जाती है एवं इसी प्रकार की परिकल्पनाएं अनेक बार अनेक स्थानों पर अर्थात् समय व काल से परे प्रमाणित होती जाती है तो वे धीरे–धीरे एक सिद्धान्त के रूप में प्रतिस्थापित हो जाती हैं।

परिकल्पना के स्रोत

एक शोधकर्ता के परिकल्पना के स्रोत शोधार्थी की निजी अन्तर्दृष्टि, कोरी कल्पना, विचार या अनुभव होता है अर्थात् परिकल्पना का स्रोत स्वयं अनुसंधानकर्ता होता है। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोत भी हो सकते हैं।

श्री लुण्डवर्ग के अनुसार–"फलप्रद परिकल्पना की खोज कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र के विस्तृत वर्णनात्मक साहित्य, मानवशास्त्र, कलाकारों के काल्पनिक सिद्धान्त या इन गंभीर विचारकों के सिद्धान्तों की सम्पूर्ण दुनिया में विचरण कर सकते हैं, जिन्होंने कि मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धों के गहन अध्ययन कार्य में अपने को नियोजित किया हो या हो सकते हैं।"[1]

सर्व श्री गुडे एवं हट्ट ने परिकल्पना के निम्न चार स्रोतों[2] का उल्लेख किया है–

(1) सामान्य संस्कृति

(2) वैज्ञानिक पद्धति

(3) समरूपताएं

(4) व्यक्तिगत अनुभव

उपरोक्त के सन्दर्भ में शोधार्थी ने अपने व्यक्तिगत निरीक्षण एवं अनुभव के आधार पर प्रस्तुत शोध अध्ययन से सम्बन्धित कुछ परिकल्पनाओं का निर्माण किया है जिनकी जाँच होनी है। अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन की परिकल्पनाएं निम्नवत् हैं–

स्रोत : 1. रिसर्च मैथ्डोलॉजी, डॉ0 आर0एन0 त्रिवेदी, डॉ0 डी0पी0 शुक्ला, पृ0–185

2. Goode & Hutt, Op. Cit., P.-63-67

(1) सहकारी संस्थाओं द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उत्पादन क्रियाओं के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान किया गया है;

(2) व्यापारिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त ऋण व सहायता प्रदान की गई है;

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ग्रामीण समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा किया है; इन संस्थाओं के परिणाम स्वरूप क्या–

(क) कमजोर वर्ग के लोगों की गरीबी में कमी आई है और कमजोर वर्ग के लोगों के आय में वृद्धि हुई है;

(ख) कमजोर वर्ग के लोगों के उपभोग स्तर में सुधार व बचत स्तर में वृद्धि हुई है;

(ग) प्राथमिकता क्षेत्र के लोगों में रोजगार अवसर में वृद्धि, स्वरोजगार के अवसरों का विकास तथा अल्पबेरोजगारी में कमी हुई है; और

(घ) कमजोर वर्ग के जीवन–स्तर में सुधार हुआ है;

उल्लेखनीय है कि अनुसंधानकर्ता सम्बन्धित संकल्पित तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि परिकल्पना सही है या गलत है। यदि सही है तो सिद्धान्त का निर्माण होता है, जो अन्य अनुसंधानों के लिए आधार बन जाते हैं। यदि परिकल्पना गलत सिद्ध होती है तो अनुसंधानकर्ता को वास्तविकता का ज्ञान होता है।

2.घ.5. सांख्यिकीय परिसीमाएं

"सांख्यिकीय को अनुसंधान का महत्वपूर्ण साधन समझना चाहिए। किन्तु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिनको दूर नहीं किया जा सकता और इसी कारण हमें सावधानी बरतनी चाहिए।"

"किसी भी क्षेत्र में सांख्यिकीय नियमों का उपयोग कुछ मान्यताओं पर आधारित रहकर कुछ सीमाओं से प्रभावित होता है।"

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रस्तुत सांख्यिकीय

सीमाएं निम्नवत् है–

1. प्रस्तुत शोध प्रबंध दैव निदर्शन विधि पर आधारित है अतः इस विधि के दोष स्वतः ही इस अध्ययन में आ जायेंगें।

2. साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा एकत्रित समंक उस सीमा तक ही सत्य हैं, जिस सीमा तक उत्तरदाताओं ने सत्य उत्तर दिये हैं। अतः निष्कर्षों की जांच इस तथ्य को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए।

3. प्रतिशत एवं माध्य के दोष इस अध्ययन की सांख्यिकीय परिसीमा को शोधित करेंगे।

4. साथ ही सांख्यिकीय निर्वचन हेतु प्रयुक्त सारणी एवं उन पर आधारित चित्रीय प्रदर्शन भी इन विधियों की सांख्यिकीय अवलोकनों के दोषों से शोषित होंगे।

5. चूंकि इस शोध अध्ययन का सांख्यिकीय विस्तार ज्यादा दीर्घ नहीं है अतः सांख्यिकीय निष्कर्षों एवं निहितार्थों की सत्यता शत प्रतिशत परिशुद्ध नहीं कही जा सकती है।

2.ड़0. विचार व परिभाषाएं

अनुसंधानकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि अपने सम्बोधों को सामान्य ढंग से परिभाषित करने के साथ–साथ यह अध्ययन के क्षेत्र, समय, स्थान आदि को ध्यान में रखते हुए इन सम्बोधों की कार्यकारी परिभाषाएं भी दे कि प्रस्तुत अध्ययन में उन सम्बोधों को किस अर्थ में प्रयुक्त किया जा रहा है। प्रस्तुत शोध अध्ययन "ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता क्षेत्र पर संस्थागत वित्त का प्रभाव (बाँदा जनपद के विशेष संदर्भ में)" है। इसमें प्रयुक्त प्रमुख शब्दों की कार्यकारी परिभाषाएं निम्नवत् हैं–

1. लाभार्थी

निश्चित सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय प्रावधानों के अनुसार संस्थागत ऋण प्राप्त करने वाले चयनित अभ्यर्थी को लाभार्थी कहा जायेगा।

2. संस्थागत वित्त

बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुदानित ऋण अथवा अग्रिम जो कि कुछ

निश्चित उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु प्रावधानित होते हैं, उन्हें संस्थागत वित्त कहा जायेगा।

3. ऋण

किसी निश्चित उद्देश्य अथवा परियोजना की लागत की वित्तीय प्रतिपूर्ति हेतु लाभार्थी चयन के आधार पर बैंक अथवा वित्तीय संस्था से प्राप्त होने वाली मौद्रिक राशि ऋण कहलायेगी। यह राशि जमानत आधारित होती है।

4. अग्रिम

ऋण का ही एक रूप अग्रिम है। वर्तमान में भविष्य के प्रयोग हेतु प्रदान की जाने वाली मौद्रिक राशि अग्रिम कहलाती है। जो कि संस्थागत वित्त के रूप में होती है। इस पर भी ब्याज की विभेदक संरचना क्रियाशील होती है।

5. ऋण/अग्रिम पर ब्याज की दर

लाभार्थी द्वारा प्राप्त ऋण अथवा अग्रिम पर प्राविधानानुसार समय या विभेदक संरचना के आधार पर बैंक अथवा सहकारी संस्था द्वारा प्राप्त किया जाने वाला ऋण के प्रयोग का प्रतिफल ऋण अथवा अग्रिम पर ब्याज की दर कहलाता है। जो कि मासिक, छमाही अथवा वार्षिक आधार पर अनुगणित होता है।

6. पुनर्भुगतान

संस्थागत वित्त के लाभार्थी द्वारा ऋण वापसी की प्रक्रिया को पुनर्भुगतान कहते हैं। पुनर्भुगतान सम मासिक किस्तों अथवा माहवार या राशिवार होता है। पुनर्भुगतान मूलधन अथवा ब्याज अथवा अंशतः मूलधन अंशतः ब्याज अथवा मात्र ब्याज का होता है।

7. वसूली

लाभार्थी द्वारा संस्थागत वित्त की वापसी जब बैंक कर्मचारियों के द्वारा स्वयं की जाती है तो इसे वसूली कहेंगे।

8. कृषि आय

कृषि योग्य भूमि पर उत्पादित फसलों के विक्रय से प्राप्त आगम को कृषि आय कहेंगे।

9. गैर कृषि आय

कृषि से इतर कार्यों द्वारा यथा कृषि मजदूरी, अन्य व्यवसाय अथवा उद्योग धन्धों से प्राप्त होने वाली आय को गैर कृषि आय कहा जायेगा।

10. स्थाई आय

कृषि योग्य भूमि, मजदूरी, अन्य व्यवसायों अथवा उद्योग–धन्धों से अर्जित होने वाली वर्ष पर्यन्त आय को स्थाई आय कहा जायेगा।

11. आकस्मिक आय

ऐसी आय जो अस्थायी या संक्रमित प्रकृति की हो, तथा जो अस्थायी स्रोंतो से अर्जित की जाती हो व आकस्मिक रूप से प्राप्त होती हो उसे आकस्मिक आय कहते हैं।

12. विक्रय से प्राप्त आय

विक्रय से प्राप्त आय वस्तुतः कुल आगम है। कृषि पदार्थों की बिक्री से प्राप्त होने वाली विक्रय आय ही विक्रय से प्राप्त आय है जो कि उत्पाद के एक निश्चित भार एवं भारित प्रति इकाई मूल्य का गुणनफल है।

13. उपभोग व्यय

उपभोगगत वस्तुओं पर किये जाने वाले दैनिक, मासिक अथवा वार्षिक मौद्रिक व्यय को उपभोग व्यय कहा जायेगा। प्रायः उपभोग व्यय का अनुगणन दैनिक या मासिक औसत मौद्रिक व्यय से सम्बद्ध होता है।

14. कृषि मजदूरी

कृषि योग्य भूमि पर प्रति श्रमिक प्राप्त होने वाली मौद्रिक मजदूरी ही कृषि मजदूरी कहलाएगी।

15. टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं

टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं से तात्पर्य उपभोग में प्रयुक्त उन वस्तुओं से है जो एक निर्धारित अवधि के बाद ही नाशवान होती हैं। इनमें आरामदायक एवं विलासिता वस्तुएं प्रमुखतः आती हैं।

16. कानूनी विवाद

कानूनी विवाद प्रायः भू–स्वामित्व के रूप में होता है। इसलिए कानूनी विवाद से तात्पर्य भूमि विवाद से ही समझा जायेगा, लेकिन बैंक साख, संस्थागत वित्त की वापसी में वित्त प्रदायक संस्थाओं और लाभर्थियों के मध्य भी कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।

17. गृह उपयोगी वस्तुएं

गृह उपयोगी वस्तुएं वह हैं जो घरेलू उपभोग उपकरणों, साज–सज्जा एवं मरम्मत तथा मनोरंजन की मदों से सम्बद्ध होती हैं।

18. पशु सम्पत्तियाँ

पशु सम्पत्ति अमानवीय परिसम्पत्ति होती है, तथा अस्थाई प्रकृति की होती है। यह अस्थाई आय अर्जक होती है।

19.टिकाऊ सम्पत्तियाँ

प्रायः उत्पादक और उपभोक्ता वस्तुएं टिकाऊ परिसम्पत्तियाँ होती हैं। टिकाऊ सम्पत्तियाँ वे होती हैं जिनकी दीर्घजीविता होती है और साथ ही साथ उनका पुनर्विक्रय मूल्य होता है।

20. कृषि योग्य भूमि

कृषि योग्य भूमि वह कहलाती है जो फसल–चक्र के आधार पर कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त होती है।

21. नकद जमायें

नकद जमायें वे जमायें हैं जो लोगों द्वारा बैंकिंग संस्थाओं में दैनिक आधार पर,

आकस्मिक आधार पर, साप्ताहिक अथवा मासिक आधार पर नक़द राशि के रूप में जमा की जाती है तथा जिन पर साधारण ब्याज देय होता है।

22. दायित्व

दायित्व वस्तुतः देयता है जो कि ऋणी के ऊपर भुगतान के रूप में अवलम्बित होती है।

23. रहन–सहन का स्तर

रहन–सहन का स्तर वस्तुतः मानव के जीवन–निर्वाह के औसत स्तर से है। यह औसत स्तर मासिक उपभोग व्यय या मासिक घरेलू बजट से निर्धारित होता है।

24. मासिक व्यय

मासिक आय अथवा वेतनाधारित 30/31 दिवसीय सामान्यतः उपभोग व्यय को मासिक व्यय कहा जायेगा।

25. सुविधापरक वस्तुएं

अच्छे अथवा सन्तुष्टिपरक मानव जीवन–निर्वाह हेतु आराम और आवश्यक आवश्यकताओं को सन्तुष्टि करने वाली वस्तुओं को सुविधापरक वस्तुऐं कहते हैं।

26. बैंक

बैंक का अर्थ एक विश्वासप्रद संस्था से है। यह संस्था एक वाणिज्यिक संस्था होती है जो कि निक्षेपों को स्वीकार करती है और लोगों की बचतों या राशियों को अपने पास जमा करने की सुविधा प्रदान करती है।

27. वित्तीय वर्ष

वित्तीय वर्ष हिसाब–किताब का वर्ष है जो कि वित्तीय अनुगणन के लिए निर्धारित किया जाता है। प्रायः वित्तीय वर्ष दो वर्षों के छः–छः महीनों को समाहित करते हुए निर्धारित किया जाता है यथा 2005–06।

28. ऋणराशि

ऋणराशि से तात्पर्य बैंक साख की राशि से है। जिस पर एक निर्धारित ब्याज देय होता है। यह ब्याज संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं यथा बैंक को प्राप्त होता है।

29. परिसम्पत्ति निर्माण

आय अर्जक सम्पत्तियों को परिसम्पत्ति कहते हैं। आय अर्जक परिसम्पत्तियों का निर्माण एक समयबद्ध प्रक्रिया है और निश्चित विनियोजन मानदण्डों के आधार पर परिसम्पत्तियेां के निर्माण की प्रक्रिया संचालित होती है।

30. प्रतिफल आय

प्रतिफल आय परिसम्पत्तियों से व्युत्पन्न सकल आगम है। जो आय सृजन में होने वाले व्ययों को घटाकर ज्ञात की जाती है। यदि परिसम्पत्ति आय स्रजक है तभी प्रतिफल आय उत्पन्न होती है अन्यथा नहीं।

31. ऋण विनियोजन

संस्थागत ऋण का उत्पादक परिसम्पत्तियों में किया गया व्यय ही ऋण विनियोजन है।

32. व्यावसायिक परिसम्पत्तियाँ

व्यवसाय से सम्बद्ध भौतिक और उत्पादक अथवा आय जननकारी सम्पत्तियों को व्यावसायिक परिसम्पत्तियाँ कहा जा सकता है।

33. ऋण उपभोग

ऋण प्राप्ति और उसका विभिन्न विनियोजन कार्यों में उपयोग ही ऋण उपभोग है।

34. विनियोजित ऋण

ऐसा ऋण जो कि विनियोजन कार्य हेतु प्रयुक्त किया गया है उसे विनियोजित

ऋण कहा जायेगा।

35. ऋण योजनाएं

संस्थागत वित्त प्रदायक संस्थान, सरकारी दिशा–निर्देशों या स्वयं के द्वारा प्रवर्तित लाभार्थी उन्मुखी योजनाएं संचालित करते हैं। इन्हें ऋण योजनाएं कहते हैं।

36. ऋण प्रदाता बैंक

संस्थागत वित्त की संरचना में बैंक नामक संस्था द्वारा ऋण देने की प्रक्रिया को संचालित करने वाली संस्था ही ऋण प्रदाता बैंक है।

37. बैंक अधिकारी

संस्थागत वित्त प्रदान करने की प्रक्रिया में एक नोडल अधिकारी प्रायः नियुक्त किया जाता है, जो कि ऋण की योजनाओं का नियमन एवं निर्देशन करता है, इसे बैंक अधिकारी कहते हैं।

38. ऋण पुस्तिका

यह पासबुक की तरह एक पुस्तिका होती है, जिसमें ऋण का देनदारी और लेनदारी पक्ष लिखा जाता है।

39. ऋण खाता प्रवृष्टि

बैंक द्वारा ऋण पुस्तिका में ऋण राशि की समय–समय पर प्रवृष्टि ही ऋण खाता प्रवृष्टि कहलाती है।

तृतीय अध्याय

तृतीय अध्याय

संस्थागत वित्त का प्रारूप (सैद्धान्तिक विवेचना)

- ☞ वित्त का आधार तथा प्रकृति
- ☞ प्रतिभूति
- ☞ वित्त का उद्देश्य
- ☞ लाभार्थियों के चयन का आधार
- ☞ वित्त का समय तथा ब्याज की दर
- ☞ वसूली का प्रारूप

तृतीय अध्याय

स्वतन्त्रता के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि ग्रामीणों की सबसे प्रमुख समस्या पर्याप्त मात्रा में साख की अनुपलब्धि है। ग्रामीण साख की प्रकृति एवं समस्या के स्वरूप के अध्ययन हेतु अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति नियुक्त की गयी थी। इस समिति के अध्यक्ष श्री गोरवाला थे। सन् 1954 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। समिति का यह विचार था कि ग्रामीण साख की पूर्ति में सहकारी समितियों की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक को, देश के केन्द्रीय बैंक होने के नाते, नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। इसके अतिरिक्त इस समिति की सिफारिश पर इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया को भारत की सरकार ने अपने हाथ में लेकर स्टेट बैंक की स्थापना की थी। इस बैंक की स्थापना के समय यह निश्चित् किया गया कि यह बैंक ग्रामीण साख की पूर्ति में मुख्य भूमिका निभायेगा। योजनाकाल के शुरूआत में कुल ग्रामीण साख का केवल तीन प्रतिशत अंश सहकारी साख समितियों द्वारा प्रदान किया जा रहा था। परन्तु योजनाबद्ध आर्थिक विकास के साथ–साथ कृषि का भी विकास हुआ। इसके फलस्वरूप कृषि में साख की मांग भी बढ़ी। ग्रामीण साख की जरूरतों के परीक्षण हेतु सन् 1967 में रिजर्व बैंक ने अखिल भारतीय ग्रामीण साख निरीक्षण समिति नियुक्त की थी। इस समिति के अध्यक्ष बी. वैंकट पैया थे। वैंकट पैया समिति का यह विचार था कि केवल सहकारी साख समितियों के माध्यम से ग्रामीण साख की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि सन् 1966 से कृषि विकास की नयी तकनीक अपनायी गयी। इस तकनीक के अन्तर्गत नयी प्रकार की कृषि प्रणाली, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, श्रेष्ठ बीजों का उपयोग आदि शुरू हुआ। इसके फलस्वरूप ही कृषि के क्षेत्र में हरित क्रान्ति की घटना हुई। हरित क्रान्ति के फलस्वरूप ग्रामीण साख की प्रकृति एवं विशेष रूप से कृषि साख की जरूरतों का विस्तार हुआ। इस समिति ने अध्ययन कर

यह निष्कर्ष निकाला था कि सन् 1952 से सन् 1961 के बीच ग्रामीण साख के क्षेत्रों में गैर–संस्थागत स्रोतों का महत्व कम नहीं हुआ है। उदाहरणार्थ, 1951–1952 में ग्रामीण क्षेत्र की साख जरूरतों का करीब 93 प्रतिशत गैर–संस्थागत स्रोतों से पूरा हो रहा था जबकि एक दशक के पश्चात् सन् 1951–52 से 1962 तक यह प्रतिशत घटकर 80 रह गया। इससे स्पष्ट है कि इस दशक की अवधि में गैर–संस्थागत स्रोतों का महत्व ग्रामीण साख के क्षेत्र में कम नहीं किया जा सका। इस कारण समिति ने यह सिफारिश की थी कि ग्रामीण साख की पूर्ति की प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए। यहां यह उल्लेखनीय है कि सन् 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था। उस समय यह तर्क दिया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कृषि एवं ग्रामीण साख के विभिन्न वर्गों की साख जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करेंगे। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी अखिल भारतीय ग्रामीण साख निरीक्षण समिति के विचारों का समर्थन किया था। वैंकट पैया समिति एवं राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप ही यह निर्णय लिया गया कि ग्रामीण साख की पूर्ति का उत्तरदायित्व केवल सहकारी संस्थाओं पर ही नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यापारिक बैंकों को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ग्रामीण साख की पूर्ति में एक से अधिक संस्थाओं की भूमिका की यह शुरूआत थी। इसके पश्चात्, 1975 में आपातकाल की घोषणा के पश्चात्, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गों एवं कृषि साख की सभी प्रकार की जरूरतों को पूरा करना था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पश्चात् ग्रामीण साख की पूर्ति में तीन संस्थाएं महत्वपूर्ण हो गयीं। एक सहकारी बैंक, दूसरा व्यापारिक बैंक एवं तीसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। वर्तमान में ये तीन साख एजेन्सियां ग्रामीण साख की पूर्ति करती हैं। कृषि एवं ग्रामीण साख की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए ये जो तीन एजेन्सियां हैं इनके माध्यम से अल्प, मध्य एवं दीर्घकालीन साख की पूर्ति की

जाती है। यह ग्रामीण साख की बहु एजेन्सी पद्धति कही जाती है। इसे बहु एजेन्सी पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि न केवल सहकारी बैंक वरन् व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी ग्रामीण साख की पूर्ति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सन् 1982 में नाबार्ड की स्थापना के पश्चात् इस संस्था के नेतृत्व में ग्रामीण साख की बहु एजेन्सी पद्धति सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

तालिका संख्या 3.1 जनपद बाँदा में बहु एजेन्सी पद्धति के अन्तर्गत कार्यरत बैंकों की संख्या को प्रदर्शित कर रही है।

तालिका संख्या : 3.1

जनपद बाँदा में कार्यरत बैंकों की संख्या

31 मार्च, 2007 के अनुसार

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
	I–व्यापारिक बैंक–	
1.	इलाहाबाद बैंक	18
2.	भारतीय स्टेट बैंक	4
3.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	3
4.	बैंक आफ बड़ौदा	1
5.	पंजाब नेशनल बैंक	1
6.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	1
	II– क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक–	
7.	त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	49
	III– सहकारी बैंक–	
8.	बाँदा ज़िला सहकारी बैंक	11
9.	उ० प्र० रा० ग्रा० वि० बैंक	3
	योग	**91**

स्रोत– कार्यालय, लीड बैंक, बाँदा

नोट– दिनांक 1 मार्च, 2006 ई० के पूर्व त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तुलसी ग्रामीण बैंक के नाम से जाने जाते रहे हैं।

3.क. वित्त का आधार तथा प्रकृति

ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु पर्याप्त वित्तीय साधनों की उपलब्धि अत्यन्त

आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत न केवल कृषि परन्तु अनेक प्रकार के उद्योग एवं व्यवसाय भी शामिल हैं। इस कारण ग्रामीण एवं कृषि साख में अन्तर किया जाता है। कृषि से सम्बन्धित विभिन्न आवश्यकताएं– उदाहरणार्थ, कृषि औजारों, सिंचाई के साधनों, रासायनिक उर्वरकों की प्राप्ति आदि के लिए कृषकों को वित्तीय साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों, लघु व्यवसायियों, खुदरा व्यापारियों आदि को साख सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण साख के अन्तर्गत कृषि के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के अन्य वर्गों की जरूरतें भी शामिल की जाती हैं। जबकि कृषि साख में केवल कृषि से सम्बन्धित वित्तीय आवश्यकताओं को ही शामिल किया जाता है।

ग्रामीण साख की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, संस्थागत स्त्रोत एवं द्वितीय, गैरसंस्थागत स्त्रोत। सर्वप्रथम हम इन स्रोतों की प्रकृति पर विचार करेंगे।

गैर–संस्थागत स्रोत

इन स्रोतों में साहूकार, देशी बैंकर, व्यापारी, कमीशन एजेन्ट आदि शामिल किये जाते हैं। इन्हें ग्रामीण साख का असंगठित बाजार भी कहते हैं। साहूकारों के अन्तर्गत वे व्यक्ति आते हैं जिनका व्यवसाय ऋण प्रदान करना है एवं कुछ ऐसे व्यक्ति भी शामिल किये जाते हैं जो व्यावसायिक तौर पर ऋण सुविधाएं प्रदान नहीं करते परन्तु वे ग्रामीण साख की जरूरतों को पूरा करते हैं। इनमें बड़े कृषक, व्यापारी एवं कृषकों के मित्र एवं रिश्तेदार शामिल किये जाते हैं। देशी बैंकरों के अन्तर्गत मुल्तानी सर्राफ, दक्षिण के चिट्टीआर, गुजराती सर्राफ आदि शामिल किये जाते हैं। ये सर्राफ ग्रामीण साख की पूर्ति व्यावसायिक तौर पर करते हैं जबकि व्यापारी, कमीशन एजेन्ट आदि जो ऋण सुविधाएं प्रदान करते हैं उनकी प्रकृति गैर व्यावसायिक होती है।

संस्थागत स्रोत

ग्रामीण साख के संस्थागत स्त्रोत संगठित मुद्रा बाजार के अंग हैं। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सहयोगी बैंक 1969 में राष्ट्रीयकृत 14 व्यापारिक बैंक,1980 में राष्ट्रीयकृत 6 व्यापारिक बैंक, सहकारी साख समितियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक एवं राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक सम्मिलित हैं।

ग्रामीण साख की प्रकृति को समझने के लिए निम्न आधार लिए जा सकते हैं–

(अ) अवधि

अवधि के आधार पर अल्पकालीन, मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन साख जरूरतें होती हैं। अल्पकालीन साख की अवधि सामान्यतः 15 माह तक की होती है। ये ऋण उर्वरक, श्रेष्ठ बीज आदि के लिए कृषकों द्वारा लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने ऋणों को चुकाने के लिए भी अल्पकालीन ऋणों की मांग होती है। मध्यमकालीन ऋणों की अवधि 15 माह से अधिक एवं 5 वर्ष से कम की मानी जाती है। ये ऋण भूमि सुधार, पशुओं को खरीदने, सिंचाई के साधनों की प्राप्ति आदि के लिए कृषकों द्वारा लिये जाते हैं। दीर्घकालीन अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक समय के लिए होती है। ये ऋण भूमि क्रय करना, ट्रैक्टर आदि खरीदने, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने व विद्युतीकरण आदि के लिए लिये जाते हैं।

(ब) धरोहर

संस्थागत ऋणों का वर्गीकरण धरोहर के आधार पर भी किया जाता है। ऋणों के विरूद्ध जो जमानत रखी जाती है उसकी प्रकृति के आधार पर यह विभाजन किया जाता है। ऋणों के विरूद्ध विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियां धरोहर के रूप में कृषकों द्वारा रखी जाती हैं। जिन ऋणों के विरूद्ध धरोहर के रूप में परिसम्पत्तियां रखी जाती हैं उन्हें सुरक्षित ऋण एवं जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सम्पत्ति नहीं रखी जाती वे

असुरक्षित ऋण होते हैं। जो संस्थाएं परिसम्पत्तियों के विरूद्ध ऋण प्रदान करती हैं वे इन पर अपना प्रभार निर्मित कर सम्बन्धित परिसम्पत्ति पर वैधानिक अधिकार प्राप्त करती हैं। बन्धक, दृष्टि बन्धक एवं गिरवी प्रभार निर्माण की प्रमुख विधियां हैं। जब किसी तीसरे पक्ष की प्रतिभूति, ऋण के विरूद्ध, ली जाती है तो इस प्रकार के ऋणों को वैयक्तिक ऋण कहा जाता है।

(स) उपयोग

ऋणों का उपयोग इस विभाजन का आधार है। उत्पादक कार्यों के लिए लिये जाने वाले ऋण उत्पादक ऋण एवं उपभोग आदि के लिए लिये जाने वाले ऋण गैर–उत्पादक ऋण होते हैं। इस प्रकार का वर्गीकरण ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को, ऋण प्रभार निर्मित करने, ब्याज दर आदि के निर्धारण में सहायक होता है।

(द) ऋणदाता

जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि ग्रामीण साख की पूर्ति में संस्थागत एवं गैर–संस्थागत, दोनों प्रकार के स्त्रोतों का महत्वपूर्ण स्थान हैं। जब वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण प्रदान किये जाते हैं तो उन्हें संस्थागत ऋण कहते हैं। अन्य शब्दों में संगठित मुद्रा बाजार से प्राप्त होने वाले ऋण संस्थागत ऋण एवं असंगठित मुद्रा बाजार से प्राप्त होने वाले ऋण गैर–संस्थागत ऋण माने जाते हैं।

(य) आवश्यकता

ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न वर्गों की जरूरतें अलग अलग होती हैं। जरूरतों की प्रकृति के आधार पर भी ऋणों का विभाजन किया जाता है। कभी–कभी ग्रामीणों को ऋणों की जरूरत भूतकाल के ऋणों को चुकाने के लिए भी हुआ करती है। ग्रामीण साख की नयी नीति के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाएं ग्रामीणों को पुराने ऋणों से मुक्ति दिलाने के लिए इस प्रकार के ऋण प्रदान करती हैं।

(र) व्यापार की प्रकृति

ग्रामीण क्षेत्रों में अनेकों प्रकार के व्यवसाय किये जाते हैं। कृषि के अतिरिक्त फल बागान, बागवानी आदि भी ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसाय हैं। इनके अतिरिक्त बढ़ई, जूता बनाने वाले बुनकर आदि भी ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय करते हैं। इन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऋणों की आवश्यकता पड़ती है।

जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि कृषि एवं ग्रामीण साख की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए ये जो तीन एजेन्सियां (सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) हैं। इनके माध्मय से अल्प, मध्य एवं दीर्घकालीन साख की पूर्ति की जाती है। यहाँ हम इन तीनों एजेन्सियों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करेंगे–

3.क.1.सहकारी बैंक

सहकारी बैंक की कार्य पद्धति का मूल आधार है "मिलकर कार्य करना"। इन बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली साख सहकारी साख कहलाती है।

भारत में सहकारी साख प्रबन्ध व्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वे बैंक जो लघु एवं मध्यमकालीन साख प्रदान करते हैं एवं द्वितीय वे जो दीर्घकालीन साख प्रदान करते हैं। **अल्पकालीन साख** का प्रबन्ध तीन स्तरों पर होता है–

(1) ग्रामीण स्तर– ग्रामीण स्तर पर साख के प्रबन्ध के लिए प्राथमिक सहकारी समितियों का गठन किया गया है।

(2) जिला स्तर– केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा इस स्तर पर साख का प्रबन्ध किया जाता है।

(3) राज्य स्तर– राज्य स्तर पर साख प्रदान करने का कार्य राज्य सहकारी बैंक अथवा शीर्ष बैंक करते हैं।

इन तीनों स्तरों के बैंक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। प्राथमिक समितियां

केन्द्रीय सहकारी बैंकों से अपने वित्तीय साधन प्राप्त करती हैं। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक अपने अंशों तथा ऋण पत्रों के अतिरिक्त राज्य सहकारी बैंकों से पूंजी प्राप्त करते हैं। राज्य सहकारी अथवा शीर्ष बैंक सरकार एवं रिजर्व बैंक से पूंजी एकत्रित करते हैं।

भूमि विकास बैंक **दीर्घकालीन साख** प्रदान करते हैं। इसमें केन्द्रीय भूमि विकास बैंक एवं प्राथमिक भूमि विकास बैंक आते हैं।

पहले हम लघु एवं मध्यमकालीन साख प्रदान करने वाले बैंकों का अध्ययन करेंगे–

(1) प्राथमिक कृषि साख समितियां

भारत में प्राथमिक कृषि साख समितियों की स्थापना सन् 1904 में सहकारी समिति अधिनियम के लागू होने के बाद हुई।[1] इन साख समितियों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य कृषकों को परम्परागत ऋणों के भार से मुक्त कराना तथा मितव्ययिता को प्रोत्साहित करना था। प्राथमिक कृषि समितियां ग्रामीण स्तर पर कार्य करती हैं तथा कृषकों से सीधा सम्बन्ध बनाये रखती हैं। इन समितियों की स्थापना किसी एक गांव में अथवा कुछ गांवों को मिलाकर की जाती है। कम से कम दस वयस्क व्यक्ति मिल कर प्राथमिक समिति की स्थापना कर सकते हैं। इन समितियों को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के यहां पंजीकृत किया जाता है। इन समितियों का दायित्व प्रारम्भ में आसीमित था। परन्तु बाद में असीमित दायित्व वाली समितियों को सीमित दायित्व वाली समितियों में परिवर्तित करके सदस्यों के दायित्व की सीमित कर दिया गया।

समिति के कार्यों के मूल्यांकन एवं प्रबन्ध संचालन का दायित्व सदस्यों की साधारण सभा पर होता है। वर्ष में एक बार साधारण सभा की एक बैठक अवश्य होती है। परन्तु दैनिक कार्यों के प्रबन्ध हेतु साधारण सभा द्वारा एक " प्रबन्ध समिति" का गठन किया जाता है जिसमें 5 से 9 सदस्य होते हैं। ये सदस्य अपने अध्यक्ष एवं सचिव का चुनाव करते हैं।

स्रोत : 1. भारत में सहकारिता, डॉ0 बी0एस0 माथुर

प्राथमिक कृषि साख समितियों द्वारा केवल अपने सदस्यों को ही ऋण प्रदान किये जाते हैं। ऋण एक निश्चित अनुपात में दिया जाता है। जो साधारणतया व्यक्तिगत जमानत पर अथवा प्रतिभूति के रूप में चल या अचल सम्पत्ति के विरूद्ध होता है। ये ऋण अल्पकालीन होते हैं जो निम्न उद्देश्यों के लिए दिये जाते हैं।

(1) उत्पादक ऋण

(2) अनुत्पादक ऋण, एवं

(3) पिछले ऋणों के भुगतान के लिए ऋण

जनपद बाँदा में प्राथमिक कृषि साख समितियों की वर्तमान स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है।

तालिका संख्या : 3.2

जनपद बांदा में प्राथमिक कृषि साख समितियों की स्थिति

क्र.सं.	विवरण	2003–04	2004–05	2005–06
1.	संख्या	46	47	47
2.	सदस्यों की संख्या	82707	86767	87015
3.	अंश पूँजी (हजार रूपये में)	16939	19346	18719
4.	कार्यशील पूंजी (हजार रूपये में)	106250	135553	150330
5.	जमा धनराशि (हजार रूपये में)	2826	2819	3803
6.	वितरित अल्पकालीन ऋण (हजार रूपये में)	65024	76923	80200
7.	समितियों के अन्तर्गत ग्राम	653	660	660

स्रोत : कार्यालय, सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, बांदा।

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वर्ष समितियों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है, समितियों की कार्यशील पूंजी में भी वृद्धि हुई है तथा वर्ष में वितरित अल्पकालीन ऋण भी प्रतिवर्ष बढ़े हैं।

(2) केन्द्रीय सहकारी बैंक

भारत में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना सन् 1912 के सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत हुई। ये बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं तथा प्राथमिक कृषि साख

समितियों को वित्तीय साधन उपलब्ध कराते हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों का सहकारी साख प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं शीर्ष बैंकों के मध्य कड़ी का कार्य करते हैं।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रमुख कार्य निम्न हैं–

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंक प्राथमिक सदस्य समितियों को उत्पादन, विपणन एवं आपूर्ति आदि के लिए साख उपलब्ध कराते हैं,

(2) ये बैंक प्राथमिक सदस्यों को उनके संसाधनों के उचित विनियोग के लिए दिशा निर्देश देते हैं।

(3) केन्द्रीय सहकारी बैंक गैर साख गतिविधियों जैसे–बीज, खाद, खाद्य सामग्री आदि की आपूर्ति में भी हिस्सा लेते हैं,

(4) ये बैंक प्राथमिक समितियों के निरन्तर सम्पर्क में रहते हैं एवं उन्हें नेतृत्व प्रदान करते हैं। साथ ही ये प्राथमिक समितियों का समय समय पर निरीक्षण करते हैं तथा साख समितियों के सफल संचालन में योगदान देते हैं।

(5) ये बैंक साधारण व्यापारिक बैंकिंग का कार्य भी करते हैं, जैसे जनता से जमाएं स्वीकार करना, बिल, हुण्डी, चैक, रेलवे रसीद आदि में व्यवहार, सदस्यों को ऋण प्रदान करना आदि।

इन बैंकों के सदस्य व्यक्ति एवं समितियां दोनों हो सकते हैं। प्राथमिक साख समितियों के अतिरिक्त विपणन समितियां, कृषि समितियां, शहरी सहकारी साख समितियां आदि भी इन बैंकों के सदस्य बन सकते हैं।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों के मुख्य वित्तीय स्रोत निम्न हैं–

(1) अंश पूंजी एवं संचित कोष,

(2) सदस्यों एवं गैर सदस्यों से प्राप्त जमाएं,एवं

(3) राज्य सहकारी बैंकों तथा व्यापारिक बैंकों से ऋण।

केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध संचालन हेतु एक "संचालक मण्डल" का गठन किया जाता है।[1] जिनमें 12 से 15 सदस्य होते हैं। इस मण्डल का प्रमुख कार्य नीति निर्धारण करना होता है। साथ ही ये प्रशासनिक एवं दैनिक कार्यों पर अपना नियन्त्रण रखते हैं।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक समितियों को अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन ऋण प्रदान किये जाते हैं। इन ऋणों के विरूद्ध प्राथमिक समितियों के प्रतिज्ञा–पत्र जमानत के रूप में, स्वीकार किये जाते हैं। कुछ राज्यों के केन्द्रीय सहकारी बैंक प्राथमिक समितियों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त जनसाधारण को बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

बांदा जनपद सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में दिये गये ऋण को तालिका सं० 3.3 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या : 3.3

जनपद सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को उपलब्ध कराया गया ऋण

(धनराशिः लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	2005–06	2006–07	2007–08
1.	कृषि ऋण	2960	4099.50	5044.02
2.	लघु व कुटीर उद्योग	8	9.80	7.18
3.	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	75	353.20	693.05
	कुल प्राथमिकता क्षेत्र	**3043**	**4462.50**	**5744.25**

स्रोतः वार्षिक पत्रिका, लीड बैंक, बाँदा (सन् 2005–06, 2006–07, 2007–08)

(3) राज्य सहकारी बैंक

राज्य सहकारी बैंक सहकारी बैंकिंग ढांचे की शीर्ष संस्था है। प्रत्येक राज्य में एक राज्य सहकारी बैंक स्थापित किया गया है। इन बैंकों द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अंश पूंजी, सदस्यों से उपलब्ध जमाएं, संचित

स्रोतः 1. ग्रामीण अर्थशास्त्र, पी० मिश्रा, पृ०–203

कोष आदि इनके वित्तीय स्त्रोत के प्रमुख साधन हैं। इन्हें राज्य सरकार तथा नाबार्ड से भी वित्तीय सहायता उपलब्ध होती है। अन्य सहकारी बैंकिंग संस्थाओं की तरह इनकी भी प्रबन्ध व्यवस्था है। एक संचालक मण्डल द्वारा इनका प्रबन्ध किया जाता है। इस मण्डल में राज्य सरकार के प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञ मनोनीत किये जाते हैं। संचालक मण्डल का प्रमुख कार्य नीति सम्बन्धी निर्णय लेना है।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से, राज्य सहकारी बैंक प्राथमिक साख समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। राज्य स्तर के ये शीर्ष बैंक अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन ऋण प्रदान करते हैं एवं ऋणों के विरूद्ध सरकारी प्रतिभूतियां, कृषि सम्बन्धी विनिमय बिल आदि स्वीकार किये जाते हैं। कृषि बिलों की कटौती भी इन बैंकों द्वारा की जाती है। इनका प्रमुख कार्य अपने राज्य से सम्बन्धित कृषि की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। कृषि की मौसमी जरूरतों तथा फसलों के विपणन के लिए ये बैंक ऋण प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि सम्बन्धी औजारों को खरीदने, भूमि सुधार तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु भी इन बैंकों से ऋण सुविधाएं उपलब्ध होती हैं।

(4) भूमि विकास बैंक

भूमि विकास बैंकों द्वारा दीर्घकालीन ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।[1] इनके ऋणों का मुख्य उद्देश्य कृषकों को भूमि सुधार हेतु एवं सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए वित्त प्रदान करना है। प्रथम, विश्व युद्ध के पश्चात् सन् 1920 में, प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई थी। परन्तु इन बैंकों का विधिवत विकास स्वतन्त्रता के पश्चात् शुरू हुआ।

इन बैंकों की स्थापना राज्य स्तर पर की जाती है। दो स्तरों पर ये बैंक स्थापित किये गये हैं। प्रथम, राज्य स्तर एवं द्वितीय, जिला स्तर। राज्य स्तर पर केन्द्रीय भूमि विकास बैंक तथा जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्य करते हैं। भूमि को

स्रोतः 1. भारत में सहकारिता, डॉ0 बी0एस0 माथुर, पृ0–235

बन्धक रखकर इन बैंकों द्वारा ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र की बचतों को एकत्रित करने का भी प्रयत्न इन संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

इन बैंकों द्वारा उत्पादक एवं अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए, कृषि भूमि को गिरवी रखकर, ऋण प्रदान किया जाता है। इन बैंकों का कृषि साख में विशेष महत्व है। केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों के सदस्य प्राथमिक भूमि विकास बैंक होते हैं। इनके अतिरिक्त सहकारी समितियां एवं व्यक्ति भी इन संस्थाओं के सदस्य हो सकते हैं। राज्य सरकारें केन्द्रीय भूमि विकास बैंक को पूंजी प्रदान करती हैं। ऋणपत्रों के निर्गमन द्वारा भी, मुद्रा बाजार से, ये बैंक वित्तीय साधन एकत्रित कर सकते हैं। प्राथमिक भूमि विकास बैंक अपनी पूंजी केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों से प्राप्त करते हैं। इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध किसानों से रहता है।

3.क.2. व्यापारिक बैंक

स्वतन्त्रता के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि कृषि एवं कृषि पर आधारित व्यवसायों के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय साधनों की उपलब्धि आवश्यक है। ग्रामीण साख की आवश्यकताओं एवं कमियों को दूर करने के लिए यह अनुभव किया गया कि इनका व्यापक स्तर पर अध्ययन किया जाय। इस उद्देश्य से अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष श्री ए. डी. गोरवाला थे। गोरवाला समिति ने ग्रामीण साख को सुदृढ़ करने एवं इस क्षेत्र में जो कमियां थीं उन्हें दूर करने के लिए अनेक सुझाव दिये थे। इस समिति के सुझावों के आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा अनेक कदम उठाये गये। समिति का यह भी सुझाव था कि रिजर्व बैंक को ग्रामीण साख के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि ग्रामीण साख की पूर्ति में सहकारी बैंकों की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। अतः सहकारी साख के ढाँचे को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इस समिति के सुझावों के

फलस्वरूप सन् 1955 में इम्पिरियल बैंक ऑफ इण्डिया को सरकार ने अपने हाथ में लेकर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की एवं स्टेट बैंक को ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक स्तर पर शाखाएं खोलने का उत्तरदायित्व सौंपा गया।[1] इसके अतिरिक्त, सहकारी साख के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए रिजर्व बैंक ने दो कोषों की स्थापना की । राष्ट्रीय ग्रामीण साख (दीर्घकालीन) कोष एवं राष्ट्रीय ग्रामीण साख (स्थिरीकरण) कोष स्थापित किये गये। इन कोषों का उपयोग सहकारिता के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए किया गया। करीब 15 वर्षों तक गोरवाला समिति की सिफारिशों के आधार पर ग्रामीण साख की पूर्ति का प्रयत्न जारी रहा। परन्तु यह अनुभव किया गया कि केवल सहकारी बैंकों पर निर्भर रह कर ग्रामीण साख की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। सन् 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी ग्रामीण साख की पूर्ति का उत्तरदायित्व सौंपा गया। यह निर्णय अखिल भारतीय ग्रामीण साख निरीक्षण समिति के सुझाव पर लिया गया था। इस समिति ने यह तर्क दिया था कि कृषि के विकास के लिए जो हरित क्रान्ति की नीति अपनायी गई है उसके लिए यह आवश्यक है कि सहकारी बैंकों के साथ–साथ व्यापारिक बैंक भी ग्रामीण क्षेत्र की साख जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करें। सन् 1970 के पश्चात् व्यापारिक बैंकों की शाखा विस्तार नीति में आधारभूत परिवर्तन किये गये। रिजर्व बैंक के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र में तीव्र गति से शाखा विस्तार नीति का अनुसरण किया गया। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारित किये गये जिनमें कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित व्यवसाय भी शामिल थे। यह निर्णय लिया गया कि व्यापारिक बैंक न केवल ग्रामीण क्षेत्र में तीव्र गति से अपनी शाखाएं खोलेंगे वरन् कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न वर्गों की साख जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा भी करेंगे। इस प्रकार ग्रामीण साख के क्षेत्र में व्यापारिक बैंकों की नीति एवं कार्य प्रणाली को निम्न शीर्षकों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है–

स्रोतः 1. ग्रामीण अर्थशास्त्र, पी0मिश्रा, पृ0–211

(1) सिद्धान्तों में आधारभूत अन्तर

राष्ट्रीयकरण के पूर्व व्यापारिक बैंक परम्परागत सिद्धान्तों का अनुसरण करते थे। व्यापारिक बैंकों के ऋणों का प्रमुख सिद्धान्त ऋणी की भुगतान क्षमता था। इनके ऋणों में आर्थिक सामाजिक प्राथमिकताओं का कोई महत्व नहीं था। परन्तु राष्ट्रीयकरण के पश्चात् परम्परागत सिद्धान्तों के स्थान पर नवीन आधुनिक सिद्धान्त निर्धारित किये गये। इन सिद्धान्तों के फलस्वरूप व्यापारिक बैंकों के दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। रिजर्व बैंक के नेतृत्व में व्यापारिक बैंकों ने अपने ऋणों में सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताओं को महत्व देना शुरू किया। व्यापारिक बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जो ऋण, नयी नीति के आधार पर, प्रदान किये गये उनका प्रमुख आधार ग्रामीणों की भुगतान क्षमता के स्थान पर उत्पादकता, सामाजिक न्याय आदि रखा गया।

(2) प्राथमिकताओं का निर्धारण

व्यापारिक बैंकों द्वारा ग्रामीण साख की पूर्ति हेतु प्राथमिकताएं निर्धारित की गई। राष्ट्रीयकरण के पूर्व व्यापारिक बैंक अपना व्यवसाय अधिक से अधिक लाभ अर्जन के सिद्धान्त पर परिचालित करते थे। परन्तु राष्ट्रीयकरण के पश्चात् यह निश्चित किया गया कि अर्थव्यवस्था के सन्तुलित विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए ग्रामीण क्षेत्र में उपेक्षित वर्गों को पर्याप्त ऋण सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इन उपेक्षित वर्गों में कृषि, छोटे आकार के उद्योग, खुदरा व्यापारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति आदि प्रमुख थे। इस प्रकार के उपेक्षित वर्गों को ही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में निम्न क्षेत्र शामिल किये जाते हैं–

(1) कृषि

(2) खुदरा व्यापारी

(3) छोटे आकार के उद्योग

(4) छोटे व्यवसायी

(5) स्वरोजगार में लगे व्यक्ति

(6) आवासीय सुविधाएं

(7) उपभोग ऋण

(8) बायो गैस उत्पादन से सम्बन्धित इकाइयां एवं

(9) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति।

व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा यह निर्देश दिया गया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उदार शर्तों पर ऋण सुविधाएं प्रदान की जायें। यह भी निश्चित किया गया कि व्यापारिक बैंक अपने कुल ऋणों का कम से कम 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदान करें। यहां यह उल्लेखनीय है कि इन क्षेत्रों के अन्तर्गत समाज के पिछड़े हुए एवं कमजोर वर्ग भी सम्मिलित किये जाते हें। कमजोर वर्गों में भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर, लघु एवं सीमान्त कृषक, बटाईदार, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले परिवार शामिल किये जाते हैं। समाज के कमजोर वर्गों को उदार शर्तों पर ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से विभेदात्मक ब्याज दर नीति निर्धारित की गई है। इस नीति के अन्तर्गत बैंक दर से कम ब्याज की दर पर कमजोर वर्गों को व्यापारिक बैंकों द्वारा ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(3) तीव्र गति से शाखा विस्तार

व्यापारिक बैंक ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकतानुसार सुविधाएं प्रदान कर सकें इसके लिए पर्याप्त बैंकिंग शाखाओं का होना भी आवश्यक है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से शाखा विस्तार नीति का निर्धारण किया गया। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में न केवल बैंकिंग सुविधाओं का विकास है वरन् बैंकिंग सुविधाओं के क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना भी है। इस नीति के परिणाम स्वरूप ही वर्तमान में 50 प्रतिशत से भी अधिक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में हैं।

तालिका संख्या 3.4 जनपद बाँदा के व्यावसायिक बैंकों द्वारा जमा धनराशि व ऋण वितरण को प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 3.4

जनपद बाँदा में व्यापारिक बैंकों द्वारा जमा धनराशि व ऋण वितरण

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र.स.	विवरण	2003–04	2004–05	2005–06
1.	जमा धनराशि	5390280	6172800	6290742
2.	कुल ऋण वितरण	2454937	3125900	3744025
3.	जमा धनराशि में ऋण वितरण का प्रतिशत	45.54	50.64	59.51
4.	प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरण–			
	4.1 कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित कार्य	1433176	1943100	2670575
	4.2 लघु उद्योग	102471	115900	98436
	4.3 अन्य	492207	599400	673540
	योग (4.1 से 4.3 तक)	**2027854**	**2658400**	**3442551**

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, बाँदा, वर्ष 2006

3.क.3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ग्रामीण साख की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति एवं ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता की समाप्ति के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। इनकी स्थापना का कार्य 2 अक्टूबर, 1975 से शुरू हुआ। 2 अक्टूबर, 1975 को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के विभिन्न जिलों में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और गोरखपुर जिले, हरियाणा के भिवानी जिले, राजस्थान के जयपुर जिले एवं पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में इन बैंकों की स्थापना की गई थी।

पूंजी के स्रोत

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रूपये और प्रदत्त पूंजी 25 लाख रूपये निश्चित की गई थी। ग्रामीण बैंकों की प्रदत्त पूंजी का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, 15 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 35 प्रतिशत हिस्सा सम्बन्धित ग्रामीण

बैंक की स्थापना में सहयोग देने वाले व्यापारिक बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है।[1] इसके अतिरिक्त, इन बैंकों को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा भी पुनर्वित सुविधाएं उपलब्ध होती हैं।

प्रबन्ध व्यवस्था

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रबन्ध एक संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। इस संचालक मण्डल में 9 सदस्य होते हैं। इन 9 सदस्यों में से 3 संचालकों का मनोनयन केन्द्रीय सरकार एवं दो का राज्य सरकार करती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण बैंक को प्रायोजित करने वाला व्यापारिक बैंक तीन संचालकों को मनोनीत करता है। सामान्यतः ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रायोजित करने वाले व्यापारिक बैंक द्वारा की जाती है।

उद्देश्य

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न वर्गों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ये न केवल कृषकों वरन् ग्रामीण कारीगरों, लघु व्यापारियों, कुटीर उद्योगों, खेतीहर मजदूरों आदि को भी वित्तीय सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन बैंकों के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं–

(क) ग्रामीण क्षेत्र का विकास तथा इस क्षेत्र के पिछड़े हुए वर्गों को रियायती दर पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना। पिछड़े वर्ग में छोटे एवं सीमान्त कृषक, ग्रामीण कारीगर, खेतीहर मजदूर, खुदरा व्यापारी व स्वरोजगार में संलग्न व्यक्ति आदि शामिल किये जाते हैं।

(ख) ग्रामीण बैंक के कार्य क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मचारियों की नियुक्ति, क्षेत्र विशेष की समस्याओं का अध्ययन एवं साख आवश्यकताओं के आकलन के पश्चात् साख की व्यवस्था करना इन बैंकों का प्रमुख उद्देश्य है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र में साख सुविधाओं की कमी को दूर करने का प्रयत्न करना।

(घ) ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता को दूर करने का प्रयत्न।

स्रोतः 1. ग्रामीण अर्थशास्त्र, पी0 मिश्रा, पृ0–218

कार्य विधि

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि इन बैंकों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण साख की कमी को पूरा करना एवं इस क्षेत्र के कमजोर वर्गों की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इन वर्गों को उदार शर्तों पर ऋण सुविधाएं सुगमता से प्राप्त हो सकें इस दिशा में इन बैंकों द्वारा विशेष प्रयत्न किया जाता है। ये गैर–उत्पादक कार्यों के लिए भी ऋण सुविधाएं प्रदान करते हैं। परन्तु यह निश्चित किया गया कि इस प्रकार के उद्देश्यों के लिए अपने कुल ऋणों का यह केवल 10 प्रतिशत ही प्रदान कर सकते हैं। प्रत्येक ग्रामीण बैंक अपने कार्य क्षेत्र की साख जरूरतों के मुताबिक प्रत्येक ऋणी के लिए साख सीमा भी निर्धारित करता है।

तालिका संख्या 3.5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जनपद बाँदा में प्राथमिकता क्षेत्र को उपलब्ध कराये गये ऋण को प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 3.5

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जनपद बाँदा के प्राथमिकता क्षेत्र को उपलब्ध कराया गया ऋण

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र.सं.	ऋण का उद्देश्य	2004–05	2003–04	2002–03
1.	कृषि–			
	(1)अल्पकालीन ऋण	435709	275120	218734
	(2) सावधि ऋण	4279	6268	6927
	(3) अन्य क्रिया कलाप	28834	21830	11418
2.	गैर कृषि क्रियाकलाप–			
	(1) ग्रामीण दस्तकार	7555	11854	3263
	(2) सेवायें	12553	6097	4958
	(3) व्यवसाय	94379	55659	39286
	योग	**583309**	**376828**	**284586**

स्रोत : 22वाँ, 23वाँ व 24वाँ वार्षिक प्रतिवेदन तुलसी ग्रामीण बैंक, बाँदा

तालिका संख्या : 3.6
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जनपद बाँदा को योजनावार उपलब्ध गया ऋण

(धनराशि : रूपये हजार में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2004–05	2003–04	2002–03
1.	ए० ग्रा० वि० यो०/स्व० ज० रो० यो०	55424	28363	21263
2.	स्पेशल कम्पोनेन्ट्स योजना	25570	30518	19640
3.	सामान्य	502315	317947	243683
	योग	**583309**	**376828**	**284586**

स्रोत : 22वाँ, 23वाँ व 24वाँ प्रतिवेदन तुलसी ग्रामीण बैंक, बाँदा

3.ख. प्रतिभूति

एक बैंकर द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों के लिए सुरक्षा अत्यन्त आवश्यक है। सुरक्षा से तात्पर्य ऋण की शर्तों के अनुसार उधार लेने वाले की मूलधन तथा ब्याज लौटाने की क्षमता एवं इच्छा पर काफी हद तक निर्भर करती है। ऋण लौटाने की क्षमता उधारग्रहीता की आर्थिक स्थिति, उसकी सम्पत्ति तथा उसकी भावी लाभ अर्जन की क्षमता पर निर्भर करती है। ऋण लौटाने की इच्छा उधारकर्ता की ईमानदारी और उसके चरित्र पर भी निर्भर करती है। बैंकर ऋण देते समय यह ध्यान रखता है कि दिया गया ऋण वापस लौट आये। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए तथा किसी भी प्रकार की जोखिम से बचने के लिए बैंक वास्तविक सम्पत्तियों के बदले में ऋण देना अधिक उपयुक्त समझते हैं। उधारकर्ता ऋण के बदले में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं माल तथा सम्पत्तियाँ प्रतिभूति के रूप में प्रदान करते हैं।

बैंकों द्वारा सामान्यतया ऋण प्रतिभूतियों के आधार पर प्रदान किये जाते हैं परन्तु बिना प्रतिभूतियों के भी बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किये जाते हैं। प्रतिभूति से तात्पर्य ऋण के बदले में ऋण की सुरक्षा की दृष्टि से ऋणी द्वारा ऋणदाता को दी जाने वाली ऐसी वस्तुएं, अधिकार पत्र एवं व्यक्तिगत वंचन से है जो ऋण लौटाने तक अस्थायी रूप से ऋणदाता के अधिकार में सौंपी जाती है। ऐसा ऋण जो बिना प्रतिभूति के दिया

जाता है उसे शुद्ध ऋण कहा जाता है। बैंकर इस प्रकार का ऋण सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों को ही प्रदान करता है। बैंकरों को इस प्रकार के असुरक्षित ऋण देने की जोखिम नहीं उठानी चाहिए। इसी कारण वह अधिकतर प्रतिभूतियाँ प्राप्त करके ऋण देते हैं। इससे उसे सुरक्षा प्राप्त हो जाती है तथा यदि ग्राहक ऋण अदा करने में त्रुटि करता है तो वह ऐसी प्रतिभूति को बेचकर ऋण वसूल कर सकता है।

इस प्रकार बैंक अपने ऋण विभिन्न प्रतिभूतियों द्वारा सुरक्षित करते हैं। ये प्रतिभूतियाँ निम्न प्रकार की हो सकती हैं–

3.ख.1. माल

वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के अनुसार माल का आशय अभियोग सम्बन्धी दावों तथा मुद्रा को छोड़कर अन्य प्रत्येक प्रकार की चल सम्पत्ति से है।[1] इसके अन्तर्गत स्कन्ध तथा अंश, भूमि की फसल, घास तथा भूमि से जुड़ी हुई अथवा उसके एक भाग में स्थित वस्तुएं जिन्हें विक्रय के पहले अथवा विक्रय अनुबन्ध के अधीन अलग करने का ठहराव किया गया, सम्मलित हैं परन्तु बैंकर के सन्दर्भ में माल से तात्पर्य उस व्यावसायिक माल से है जो विक्रय के लिए प्रस्तुत किये जाने योग्य हो। माल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है।

(1) कृषि और खानों के उत्पादित माल जिनमें खाद्यान्न, तिलहन, चाय, काफी, जूट, वन उत्पादित वस्तुएं एवं कोयला, लोहा आदि सम्मलित हैं।

(2) निर्मित माल जिनमें सूती कपड़े, लोहा एवं इस्पात, कागज, सीमेन्ट, खाद तथा अन्य निर्मित वस्तुएं सम्मलित हैं।

3.ख.2. माल के स्वामित्व सम्बन्धी प्रलेख

वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के अनुसार स्वामित्व सम्बन्धी विपत्रों का आशय ऐसे विपत्रों से है जो व्यापार की साधारण प्रगति में माल का अधिकार अथवा नियन्त्रण

स्रोतः 1. बैकिंग विधि एवं व्यवहार, डॉ0 हरिश्चन्द्र शर्मा व प्रो0 रामकुमार शर्मा

होने के प्रमाण के रुप में प्रयोग होते हों अथवा जिनको रखने वाला व्यक्ति उसमें लिखे हुए माल को हस्तान्तरण करने अथवा प्राप्त करने का अधिकार रखता है।[1] इन विपत्रों में लदान पत्र, डाक वारण्ट, भण्डार गृहपालक का प्रमाणपत्र, घटकपाल का प्रमाण–पत्र, सुपुर्दगी आदेश, रेलवे रसीद आदि सम्मिलित किये जाते हैं। इन विपत्रों की यह विशेषता होती है कि विपत्र का धारक विपत्र के बेचान अथवा सुपुर्दगी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को सम्बन्धित माल पर कब्जा प्राप्त करने के लिए अधिकृत कर सकता है। विपत्र पर कब्जा माल पर रचनात्मक कब्जा है। ये बेचान तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तान्तरित किये जा सकते हैं। माल के स्वामित्व के विपत्र पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा विपत्र का बेचान हस्तान्तरिती को वैध अधिकार प्रदान करता है।

3.ख.3. स्कन्ध विपणि प्रतिभूतियाँ

प्रतिभूति प्रसंविदा (नियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(1) डी के अनुसार, "स्कन्ध विपणि का अर्थ व्यक्तियों की समामेलित अथवा असमामेलित संस्था से है जिसका निर्माण प्रतिभूतियों के क्रय–विक्रय करने अथवा उसमें व्यवहार करने के कार्य में सहायता करने अथवा उसे नियमित अथवा नियन्त्रित करने के उद्‌देश्य से किया गया हो।"[1]

इस प्रकार स्कन्ध विपणि प्रतिभूतियों से आशय उन प्रतिभूतियों से है जिन्हें स्कन्ध विपणि की सक्रिय सूची में सम्मिलित किया गया हो तथा वहां जिनका नियमित क्रय–विक्रय होता हो। जिन प्रतिभूतियों का व्यवहार स्कन्ध विपणियों पर किया जाता है, उनमें केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियाँ, अर्द्ध–सरकारी प्रतिभूतियाँ कम्पनी के अंश तथा ऋण पत्र सम्मिलित हैं। बैंक इन प्रतिभूतियो को भी प्रतिभूति के रूप में स्वीकार कर सकते हैं।

स्रोतः 1. बैकिंग विधि एवं व्यवहार, डॉ0 हरिश्चन्द्र शर्मा व प्रो0 रामकुमार शर्मा

3.ख.4. जीवन बीमा पत्र के आधार पर अग्रिम

जीवन बीमा एक ऐसा अनुबन्ध पत्र है जो किसी विशेष व्यक्ति तथा बीमा व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के मध्य होता है तथा जिसमें बीमा करने वाला अनुबन्ध के समय किये गये एकमुश्त भुगतान अथवा निर्धारित वर्षों तक अथवा बीमित व्यक्ति के जीवन–पर्यन्त प्रीमियम के भुगतान के बदले में एक निर्दिष्ट धनराशि बीमित व्यक्ति की मृत्यु अथवा एक निश्चित आयु पूरी करने पर भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता है।

वह व्यक्ति जिसके जीवन पर बीमा किया जाता है, बीमित व्यक्ति कहलाता है तथा वह व्यक्ति जो बीमा करता है, बीमाकर्ता कहलाता है। अतः बैंक इन जीवन बीमा पत्रों को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार कर सकता है।

3.ख.5. अचल सम्पत्तियों की प्रतिभूतियों पर ऋण

अचल सम्पत्ति के अन्तर्गत मूर्त सम्पत्तियां, जैसे–भूमि, भवन, फैक्ट्री तथा भूमि से लगी सम्पत्ति सम्मिलित हैं। बैंकर अचल सम्पत्ति को उपयुक्त प्रतिभूति के रूप में मानते हैं। इस कारण वे इन पर सामान्तया कृषि ऋण प्रदान कर देते हैं।

3.ख.6. सावधि जमा की रसीदों पर अग्रिम

सावधि जमा से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के लिए बैंक के पास धन जमा करने से है। सावधि जमा करने पर बैंकर एक रसीद निर्गमित करता है जिसे सावधि जमा की रसीद कहते हैं। सावधि जमा एक निश्चित अवधि के लिए होता है तथा अवधि व्यतीत होने पर ही धन वापस किया जाता है परन्तु यदि जमाकर्ता को परिपक्वता से पूर्व धन की आवश्यकता होती है तो बैंकर उसके द्वारा अर्जित ब्याज में से कुछ राशि काटकर भुगतान कर देता है। इसके अतिरिक्त बैंकर सावधि जमा रसीद की प्रतिभूति पर ऋण भी प्रदान कर देते हैं। बैंकर इस प्रकार के उधार पर जो ब्याज प्राप्त करता है, उसकी दर ब्याज की उस दर से ऊँची होती है जो वह सावधि जमा रसीद पर देता है। इस प्रकार का ऋण अधिक सुरक्षित एवं सरल होता है।

3.ख.7. स्वर्ण रजत तथा आभूषणों के आधार पर अग्रिम

स्वर्ण और रजत के आधार पर भी अग्रिम प्राप्त किये जा सकते हैं। स्वर्ण तथा रजत के आभूषण गिरवी रखकर ऋण प्राप्त करने की प्रथा देश में बहुत लम्बे समय से चली आ रही है। बैंकर के दृष्टिकोण से स्वर्ण तथा रजत की प्रतिभूतियां बहुत उत्तम मानी जाती हैं। इन प्रतिभूतियों में सुरक्षा, तरलता विक्रयशीलता, मूल्य स्थायित्व का गुण पाया जाता है।

3.ख.8. पूर्ति बिलों के आधार पर अग्रिम

बैंक के ग्राहक जो सरकारी तथा अर्द्धसरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सीमित दायित्व वाली कम्पनियों को सामान की पूर्ति करने का व्यवसाय करते हैं अथवा ठेकेदार जो सरकारी अथवा अर्द्ध–सरकारी ठेके के कार्य में संलग्न होते हैं, सामान की पूर्ति अथवा ठेके के आंशिक रूप में अथवा पूर्ण रूप से पूरा होने पर पूर्तिकर्ता अथवा ठेकेदार उन्हें पूर्ति बिल देते हैं। इस प्रकार के पूर्ति बिलों के आधार पर वे बैंकों से अग्रिम की सुविधाओं प्राप्त करना चाहते हैं।

माल की पूर्ति से सम्बन्धित रेलवे रसीद, वाहन रसीद अथवा लदान रसीद ग्राहक शीघ्र सम्बन्धित विभाग अथवा संस्था को भेज देता है तथा उससे एक निरीक्षण पत्र प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार ठेकेदार सम्बन्धित विभाग से निरीक्षण–पत्र प्राप्त कर लेता है। निरीक्षण पत्र में माल की किस्म तथा मात्रा का उल्लेख अथवा किये गये कार्य का विवरण होना आवश्यक है। बैंक उधारगृहीता द्वारा पूर्ति बिल निरीक्षण पत्र के आधार पर ग्राहक को अग्रिम प्रदान करते हैं, पूर्ति बिलों पर अग्रिम असुरक्षित अग्रिम की तरह होते हैं। औपचारिकताएं लम्बी होने के कारण पूर्ति बिलों की वसूली में काफी समय लग जाता है।

सुरक्षित ऋण प्रदान करने के सामान्य सिद्धान्त

ग्राहक द्वारा बैंक को विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां प्रदान की जाती हैं। सुरक्षित

अग्रिम देते समय बैंक को निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखना आवश्यक है–

(1) उचित मूल्यान्तर

मूल्यान्तर से तात्पर्य प्रतिभूति के बाजार मूल्य और उसके आधार पर दी गयी अग्रिम राशि के बीच के अन्तर से होता है। यदि एक विशेष प्रकार की प्रतिभूति पर 20 प्रतिशत मूल्यान्तर रखने के सिद्धान्त को बैंक अपनाते हैं तो एक लाख के रूपये की सम्पत्ति पर 80 हजार रूपये का ऋण प्रदान किया जायेगा। परन्तु सभी वस्तुओं तथा सभी ग्राहकों के लिये मूल्यान्तर की मात्रा समान नहीं होती। मूल्यान्तर की राशि प्रतिभूति के मूल्य में होने वाले उच्चावचनों, ऋणग्रहीता की आर्थिक स्थिति, उसकी प्रतिष्ठा, प्रतिभूति के प्रकार तथा सरकार की नीतियों पर निर्भर करती है। कुछ वस्तुएं रिजर्व बैंक के चयनात्मक साख नियन्त्रण के अन्तर्गत आती हैं। उनके लिये समय–समय पर रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यान्तर निर्धारित किये जाते हैं तथा व्यावसायिक बैंकों को उनका पालन करना आवश्यक होता है।

(2) प्रतिभूति की प्रकृति

बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करते समय प्राप्त होने वाली प्रतिभूति की विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। प्राप्त होने वाली प्रतिभूति सन्तोषजनक प्रकृति की होनी चाहिए। प्रतिभूति में विक्रय योग्यता, मूल्य निर्धारकता, मूल्य स्थिरता तथा हस्तान्तरणीयता के गुण होने चाहिए।

(3) स्वामित्व की निर्धारकता

ऋणगृहीता जिस माल को प्रतिभूति के रूप में रख रहा है उसका स्वामित्व उसके पास होना चाहिए। यदि ऋणगृहीता के पास प्रतिभूति का स्वामित्व नहीं है तो बैंकर का अधिकार प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता है। अतः बैंकर को इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रतिभूति पर ऋणगृहीता को उत्तम स्वामित्व प्राप्त हो तथा वह हस्तान्तरित होने योग्य हो।

(4) विलेखीकरण

ऋण से सम्बन्धित दस्तावेजों को तैयार करना तथा उन पर पक्षकारों एवं साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर करना विलेखीकरण कहलाता है। इन विलेखों में ऋण स्वीकृत करने की सभी शर्तों को सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही ऋणगृहीता से यह घोषणा भी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि उसे माल पर स्वामित्व प्राप्त है तथा उसे माल को प्रतिभूति के रूप में देने का अधिकार है।

3.ग. वित्त के उद्देश्य

देश के आर्थिक विकास में बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋणों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अतः बैंक ऋणों का उपयोग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार होना चाहिए। सन् 1960 के अंत तक, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुख्यतः व्यापार व उद्योगों को ही ऋण दिया जाता था। कृषि व समाज के कमजोर वर्गों को दिया जाने वाला ऋण नगण्य था। देश के आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं के अनुसार समाज के कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने के लिए 19 जुलाई, 1969 को 14 मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों को ग्रामीण व अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में शाखायें खोलने के निर्देश दिये गये। सभी उत्पादन क्रियाओं को चाहे वे कितनी ही छोटी हों, ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को प्रेरित किया गया। 15 अप्रैल, 1980 को 6 अन्य निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

केन्द्रीय वित्त मंत्री और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के बीच मार्च 1980 में आयोजित एक बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि प्राथमिकता क्षेत्र को देय अग्रिमों का अनुपात मार्च 1985 तक बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने हेतु बैंक लक्ष्य निर्धारित करें। बाद में प्राथमिकता क्षेत्र के उधार तथा 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को बैंकों द्वारा लागू किये जाने विषयक तौर–तरीकों के निरूपण हेतु गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर सभी वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया

गया कि वे सकल बैंक अग्रिमों का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने का लक्ष्य बनायें तथा उक्त लक्ष्य मार्च, 1985 तक अर्जित किया जाए।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न प्रदान करती है, उद्योगों को कच्चा माल देती है, ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए क्रय शक्ति प्रदान करके उनकी माँग बढ़ाती है तथा निर्यात वृद्धि में सहायक होती है। कृषि द्वारा 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या को रोजगार दिये जाने के बावजूद सकल देशी उत्पाद का केवल 22 प्रतिशत हिस्सा ही कृषि से आता है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता तथा प्रति व्यक्ति आय कम है। अतः आर्थिक असमानता कम करने के लिए कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋणों को बढ़ाना आवश्यक है ताकि किसान उन्नत बीज, खाद, तकनीक आदि का प्रयोग कर सके। कृषि से सम्बन्धित अन्य सहायक क्रियाओं (डेरी उद्योग, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि) को प्रोत्साहन देना भी आवश्यक है ताकि किसानों की आय बढ़ सके तथा उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार मिल सके। अतः रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को कृषि क्षेत्र में ऋण बढ़ाने के लिए निर्देश दिये। कृषि ऋण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह निर्देश दिया गया कि वे 1994–95 से विशेष कृषि ऋण योजना बनाएं तथा समीक्षाधीन वर्ष (अप्रैल–मार्च) के दौरान हासिल करने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अक्टूबर 2004 में निजी क्षेत्र के बैंकों को भी रिजर्व बैंक ने यह निर्देश दिया कि वे भी 2005–06 से विशेष कृषि ऋण योजना बनाएं, जिसमें कृषि को प्रदान किये जाने वाले ऋणों में 20–25 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि करने का प्रावधान हो। रिजर्व बैंक ने अक्टूबर, 2004 में बैंकों को यह निर्देश भी दिया कि विशेष कृषि ऋण योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दिये जाने वाले प्रत्यक्ष कृषि ऋण का 40 प्रतिशत संवितरण छोटे

व सीमान्त किसानों को हो।[1]

बैंकों के द्वारा संस्थागत वित्त निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रदान किया जाता है। अध्ययन की सुविधा हेतु इसे दो भागों प्रत्यक्ष ऋण व अप्रत्यक्ष ऋण में विभाजित किया जा सकता है–

3.ग.1. प्रत्यक्ष ऋण

निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए ग्रामीणों को दिया जाने वाला ऋण प्रत्यक्ष ऋण के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है–

(A) फसल उगाने के लिए अल्पावधि ऋण अर्थात् फसल ऋणों के लिए। इसके अतिरिक्त 12 महीने से अनधिक अवधि के लिए कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) को गिरवी/दृष्टिबंधक रखकर उन किसानों को 5 लाख रूपये तक अग्रिम प्रदान किये जाते हैं, जिन्हें फसल उगाने के लिए फसल ऋण दिये गये थे, लेकिन शर्त यह है कि उधार कर्ता किसी एक बैंक से ऋण ले।

(B) मध्यावधि एवं दीर्घावधि ऋण, किसानों को उनकी उत्पादन एवं विकास सम्बन्धी निम्न लिखित आवश्यकताओं के लिए दिये जाते हैं–

(1) कृषि औजारों और मशीनों की खरीद

इसके अन्तर्गत निम्न लिखित कृषि औजार व मशीनें सम्मलित हैं–

(1) लोहे का हल, हैरो, होज, भूमि समतलक, मेड बनाने वाला औजार, हाथ औजार, छिड़काव यंत्र, झाडन, पुवाल का गट्ठर बनाने वाला यंत्र, गन्ना पेरने वाली मशीन, थ्रेशर मशीन आदि।

(2) ट्रैक्टर, ट्रेलर, विद्युतचालित हल, ट्रैक्टर के सहायक उपकरण यथा डिस्क हल आदि।

(3) मिनी ट्रक, जीप, पिक अप वैन, बैलगाड़ियां और अन्य परिवहन उपकरणों आदि की

स्रोत : 1. कृषि ऋण मार्गदर्शिका, डी0पी0 सारडा, पृ0–12

खरीद, जिससे कृषि सम्बन्धी निवेश वस्तुओं और खेती की उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके।

(4) कृषि निविष्टियों और उत्पादों का परिवहन।

(5) हल चलाने के लिए पशुओं की खरीद।

(2) सिंचाई साधनों का विकास

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित के जरिये सिंचाई संभावना का विकास किया जाता है–

(1) उथले और गहरे नलकूपों, तालाबों आदि का निर्माण और ड्रिलिंग मशीनों की खरीद।

(2) सतही कुओं का निर्माण, उन्हें गहरा करना और साफ करना, कुओं की खुदाई, कुओं का विद्युतीकरण, ऑयल इंजिन की खरीद और बिजली के मोटर और पंपों को संस्थापित करना।

(3) टर्बाइन पंपों की खरीद और उनका संस्थापन, खेतों में नाले का निर्माण आदि।

(4) उद्वहन सिंचाई परियोजना का निर्माण।

(5) छिड़काव प्रणाली वाली सिंचाई व्यवस्था का संस्थापन।

(6) जनरेटर सेटों की खरीद, बशर्ते वे कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने वाले पंपसेटों को शक्तिचालित करने के लिए हों।

(3) भूमि सुधार और भूमि विकास सम्बन्धी योजनाएं

खेतों में मेड बनाना, भूमि को समतल करना, धान उगाने वाले सूखे खेतों को नम सिंचाई वाले खेतों में बदलना, बंजर भूमि विकास, खेतों में नालों को विकसित करना, खेतों की मिट्टी का सुधार और लवणता की रोकथाम, गड्ढ़ों को भरना, आदि।

(4) कृषि फार्म के लिए भवनों और ढांचों का निर्माण

बैलों को रखने के लिए शेड, औजारों को रखने के लिए शेड, ट्रैक्टर और ट्रकों

को रखने के लिए शेड, कृषि फार्म के लिए भंडार आदि।

(5) भंडार सम्बन्धी सुविधाओं का निर्माण और उन्हें चलाना

भंडार घरों, गोदामों और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण और उन्हें चलाना। किसानों को उनकी अपनी उपज के भंडारण हेतु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए ऋण।

(6) सिंचाई प्रभारों आदि का भुगतान

कुओं और नलकूपों से भाडे पर पानी लेने के लिए प्रभार, नहर जल प्रभार, आयल इंजनों और विद्युत मोटरों का रखरखाव, मजदूरों को मजदूरी का भुगतान, बिजली के लिए प्रभार, विपणन प्रभार, किराये पर यंत्र देने वाली सेवा इकाइयों को सेवा प्रभार, विकास सम्बन्धी उपकर का भुगतान आदि।

(7) अन्य प्रकार का सीधा वित्त पोषण

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रदान किये जाने वाले ऋण को सम्मिलित किया जाता है–

(1) सभी प्रकार के बागानों, बाग बानियों, वन उद्योग, आदि के लिए विकास ऋण।

(2) सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए विकास ऋण

(3) डेरी उद्योग और पशुपालन का सभी प्रकार से विकास

(4) मत्स्य पालन उद्योग का सभी प्रकार से विकास, जिसमें मछली पकड़ने से लेकर उसके निर्यात तक की स्थिति शामिल है।

(5) मुर्गी पालन, सुअर पालन आदि का सभी प्रकार से विकास, जिसमें मुर्गियों, सुअरों, मधुमक्खियों आदि के लिए घर बनाना शामिल है।

(6) बायो गैस संयंत्र।

(7) बंटाई पर खेती करने वाले काश्तकारों, पट्टेदार किसानों, सीमांत कृषकों एवं भूमिहीन कृषकों को कृषि कार्य हेतु भूमि खरीदने के लिए दिया जाने वाला ऋण।

(8) गैर संस्थागत ऋणदाताओं (साहूकार व महाजन) से लिए गये ऋण को चुकाने के लिए दिये जाने वाले ऋण।

3.ग.2. अप्रत्यक्ष ऋण (परोक्ष ऋण)

(1) उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों, बीजों आदि के वितरण को वित्तपोषित करने के लिए ऋण।

(2) चारा–दाना, मुर्गी आहार आदि जैसे सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए और निवेश वस्तुओं के संवितरण के लिए वित्तपोषण।

(3) अलग–अलग किसानों को पानी निकालने हेतु उनके कुओं में बिजली लगाने के लिए स्टेप डाउन पाइंट से लो टेंशन लाइन जोड़ने के लिए किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति स्वरूप बिजली बोर्डों को ऋण।

(4) प्राथमिक कृषि समितियों, कृषक सेवा समितियों, बड़े आकार वाली बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से किसानों को ऋण।

(5) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में केवल पंपसेट शक्तिचालन कार्यक्रमों तथा प्रणाली सुधार कार्यक्रमों के वित्त पोषण हेतु जारी किये गये बांडों में अभिदान।

(6) नाबार्ड द्वारा केवल कृषि सम्बद्ध कार्यकलापों के वित्त पोषण के उद्देश्य से जारी किये गये बांडों में अभिदान।

(7) सहकारिता प्रणाली के माध्यम से किसानों को परोक्ष वित्त पोषण (बांडो और डिबेचरों के निर्गमों में अभिदान से भिन्न), बशर्ते कि ऐसे ऋणों के पक्ष में राज्य सहकारी बैंक से प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।

(8) राज्य द्वारा प्रायोजित निगमों को अग्रिम, ताकि वे कमजोर वर्गों को आगे उधार दे सकें।

(9) प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रयोजनों हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास

निगम को देय ऋण, जिन्हें वे आगे सहकारी क्षेत्र को दे सकें।

प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष दोनों ही तरह के ऋणों का अंतिम उद्देश्य यह होता है कि उत्पादन में वृद्धि हो।

3.घ. लाभार्थियों के चयन का आधार

रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर कृषि एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने व लाभार्थियों के चयन के लिए अनुपालनार्थ दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं। इन दिशा–निर्देशों के अंतर्गत कृषि में सम्मिलित विभिन्न मदों, आवेदनों को पूरा करने की प्रक्रिया, आवेदनों को शीघ्र निपटाने की प्रक्रिया, सेवा प्रभार व निरीक्षण प्रभार, ऋण संवितरण की प्रक्रिया, मार्जिन राशि, प्रतिभूति मानदंड, ऋण चुकाने की अनुसूची, शिकायत निवारण तंत्र आदि का उल्लेख रहता है। विभिन्न दिशा–निर्देशों की वर्तमान स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है–

3.घ.1. आवेदनों को भरना

लाभार्थियों के चयन से पहले बैंक द्वारा लाभार्थी से आवेदन–पत्र भरवाया जाता है। जिसमें ऋण से सम्बन्धित सभी जानकारियां होती हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जैसी विशेष योजनाओं के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों के मामले में जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, जिला उद्योग केन्द्र जैसे संबन्धित योजना प्राधिकारियों द्वारा ऐसी व्यवस्था करवाई जाए कि ऋणकर्ताओं से प्राप्त आवेदनों को भरा जा सके। अन्य क्षेत्रों में इस हेतु बैंक स्टाफ द्वारा ऋणकर्ताओं की मदद की जाए।

3.घ.2. ऋण आवेदनों की पावती जारी करना

कमजोर वर्गों से प्राप्त आवेदनों की बैंकों द्वारा पावती दी जाए। इस प्रयोजन हेतु आवेदन पत्रों को छपवाते वक्त यह सुनिश्चित किया जाए कि उनमें पावती हेतु एक छिद्रित हिस्सा भी हो, जिसे भरने के पश्चात् प्राप्तकर्ता शाखा द्वारा जारी किया जाए। मुख्य आवेदन पत्र तथा पावती के तदनुरूप हिस्से पर प्रत्येक शाखा द्वारा जारी क्रम में

एक अनुक्रमांक अंकित किया जाए।

3.घ.3. लाभार्थियों के चयन की शक्तियाँ

बैंकों के सभी शाखा प्रबन्धकों को इस आशय की विवेकाधीन शक्तियां दी जानी चाहिए कि वे उच्चतर प्राधिकारियों को संदर्भित किये बगैर निम्नलिखित लाभार्थियों से प्राप्त प्रस्तावों को मंजूरी दे सकें।

(i) 5 एकड़ या इससे कम जोत वाले छोटे और सीमान्त कृषक, भूमिहीन कृषक, पट्टेदार किसान और बटाई पर खेती करने वाले काश्तकार।

(ii) दस्तकार ऐसे ग्रामीण और कुटीर उद्योग जिनकी वैयक्तिक ऋण सीमा 50 हजार रूपये से अधिक न हो।

(iii) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के लाभार्थी।

(iv) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां।

(v) विभेदक ब्याज दर योजना के लाभार्थी

(vi) मेहतरों की मुक्ति और पुनर्वास योजना के लाभार्थी।

(vii) स्वयं सहायता समूहों को देय अग्रिम।

3.घ.4. प्रस्तावों की अस्वीकृति

शाखा प्रबन्धक आवेदनों को अस्वीकार कर सकते हैं (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित आवेदनों को छोड़कर) बशर्ते कि निरस्त मामलों का बाद में क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा सत्यापन किया जाए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से प्राप्त आवेदनों की नामंजूरी शाखा प्रबन्धक से ऊपर के स्तर पर की जानी चाहिए।

3.घ.5. ऋणकर्ताओं के फोटोग्राफ

शिनाख्त के प्रयोजन से ऋणकर्ताओं के फोटोग्राफ लेने के मुद्दे पर कोई आपत्ति नहीं है किन्तु कमजोर वर्ग के ऋणकर्ताओं के फोटो खिंचवाने की व्यवस्था और

व्यय का वहन बैंक द्वारा किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि इस हेतु अपनाई गई प्रक्रिया की वजह से ऋण संवितरण में कोई विलम्ब न हो।

3.घ.6. सेवा प्रभार व निरीक्षण प्रभार

25 हजार रूपये तक के ऋण पर सेवा प्रभार या निरीक्षण प्रभार नहीं लिया जाना चाहिए। 25 हजार रूपये से अधिक ऋण पर बैंक अपने बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति के अन्तर्गत सेवा प्रभार व निरीक्षण प्रभार ले सकते हैं।

3.घ.7. ऋण संवितरण का तरीका

कृषि ऋणों का संवितरण किसानों को सीधे किया जा सकता है ताकि वे अपनी इच्छानुसार बीज, उर्वरक आदि खरीद सकें। संवितरण के पश्चात् बैंक ऋणकर्ताओं से खरीदे गये सामान की रसीदें अपने रिकार्ड के लिए ले सकते हैं। ट्रेक्टर, मशीनरी आदि की खरीद के लिए दिये जाने वाले ऋण का संवितरण आपूर्तिकर्ताओं को सीधे किया जा सकता है।

3.घ.8. मार्जिन, धन और जमानत

रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे 50 हजार रूपये तक के कृषि ऋण के लिए जमानत की अपेक्षाओं को समाप्त कर दें। इसी प्रकार कृषि क्लीनिकों एवं व्यापार केन्द्रों की स्थापना के लिए कृषि स्नातकों को 5 लाख रूपये तक के ऋण जमानत के बिना प्रदान किये जा सकते हैं।

3.ङ0. वित्त का समय तथा ब्याज की दर

ग्रामीणों को अनेक कार्यों के लिए उधार लेना पड़ सकता है। कुछ ऋण कृषि के विकास के लिए आवश्यक है जबकि कुछ रकमें उपभोग अथवा सामाजिक व्यय के लिए उधार ली जाती हैं। समय के आधार पर इन ऋणों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है–

3.ड़0.1. अल्पकालीन ऋण

अल्पकालीन ऋण वे ऋण हैं जो खाद अथवा बीज खरीदनें, फसल बोने से लेकर काटने तक का व्यय चलाने अथवा किसान और पशुओं की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के वास्ते लिए जाते हैं। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के मतानुसार 15 मास की अवधि के ऋण अल्पकालीन कहलाते हैं। इस प्रकार के ऋण सरलता से उपलब्ध होने चाहिए क्योंकि यह कृषि की नियमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राप्त किये जाते हैं। अतः इनका भुगतान फसल तैयार होने पर किया जाता है।

3.ड़0.2. मध्यकालीन ऋण

कृषक को अपनी भूमि में सुधार करने, पशु खरीदने और कृषि उपकरण प्राप्त करने के लिए 15 महीने से लेकर 5 वर्ष तक के मध्यावधि ऋणों की भी आवश्यकता होती है। अल्पावधि ऋणों की तुलना में ये ऋण अधिक होते हैं और उन्हें अपेक्षाकृत अधिक समय के बाद ही चुकाया जाता है।

3.ड़0.3. दीर्घकालीन ऋण

कृषक को अतिरिक्त भूमि खरीदने, भूमि में स्थाई सुधार करने, ऋण अदा करने और मंहगे कृषि–यंत्र खरीदने के लिए दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता पड़ती है। ये ऋण 5 वर्ष से भी अधिक अवधि के लिए लिये जाते हैं। कृषक इन ऋणों को अनेक वर्षों में थोड़ा–थोड़ा करके चुका पाता है। इन्हें दीर्घकालीन ऋण कहते हैं।

3.ड़0.4.ब्याज की दर

संस्थागत साख सम्बन्धी एक परम आवश्यकता यह है कि साख अधिक महंगी नहीं होनी चाहिए। एक वित्तीय संस्थान से यह आशा की जाती है कि वह एक उचित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करे, क्योंकि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्वभाव से ही घाटे वाली है और कृषकों की ऋण भुगतान क्षमता इतनी नीची है कि वर्तमान ब्याज–दर भी उनके अल्प साधनों पर एक भारी बोझ है। कृषि के साथ जो अनिश्चितताएं जुड़ी हुयी

हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान ब्याज–दर में कमी की जानी चाहिए। यह कहा जाता है कि ऊँची ब्याज दरें खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी कार्यक्रमों में बाधा डालेंगी। किन्तु यहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए कि सस्ती साख प्रदान करने के लिए प्रत्येक सम्भव कदम उठाना उचित है, परन्तु इस प्रश्न पर एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से भी विचार करना आवश्यक है।

सहकारी आन्दोलन के प्रारम्भिक चरणों में समितियां वास्तव में बहुत ऊँची दर से ब्याज लिया करती थीं। उदाहरणार्थ, सन् 1914 में प्रचलित ब्याज दर बंगाल, बिहार, उड़ीसा और संयुक्त प्रान्त (उ0प्र0) राज्यों में 15% तक थी। परन्तु असम में यह 12.5% से $18^{3/4}$% के बीच रही थी। अन्य राज्यों में वह 11% से 13.5% थी। ये ऊँची ब्याज दरें मुख्यतः इस कारण थीं कि स्वयं समितियों को द्रव्य केन्द्रीय वित्त एजेन्सियों से ऊँची ब्याज दरों से मिलता था ओर वे अपनी उधार लेने और उधार देने की दरों के बीच ऊँचे मार्जिन रखा करती थी। किन्तु मैकलेगन समिति ने इन दरों को अत्याधिक नहीं माना है क्योंकि वे खुले बाजार की अपेक्षा काफी नीची थीं। इस प्रकार सहकारी समितियों द्वारा चार्ज की जाने वाली ब्याज दरों के अध्ययन से यह पता चलता है कि वे पिछले दो दशकों में कम हो गयी हैं। ब्याज की सामान्य दर 1950–51 में 12% से घटकर 1973–74 में 10% रह गयी। उच्चतम ब्याज पर भी इसी अवधि में $15^{5/8}$% से घटकर 13.5% रह गयी।[1]

कुछ विद्वानों की राय है कि प्राथमिकता क्षेत्र में जो ऋण दिया जा रहा है उसकी ब्याज दर बहुत ऊँची है और वे इसमें और कमी होना आवश्यक बताते हैं। उदाहरणार्थ राजस्थान विधानसभा (1995–96) की प्राक्कलन समिति ने यह अनुरोध किया कि कृषकों की आर्थिक दशा को देखते हुए कृषकों से लिया जाने वाला ब्याज 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। समिति ने विभिन्न संस्थाओं के लिए निम्नांकित ब्याज

स्रोत :1. भारत में सहकारिता, डॉ0 बी0एस0 माथुर, पृ0–145

दरें रखने का सुझाव दिया–

(1) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया– 2% वार्षिक

(2) शीर्ष बैंक– 3% वार्षिक

(3) केन्द्रीय सहकारी बैंक– 4.5% वार्षिक

(4) प्राथमिक साख समितियां– 6% वार्षिक

उत्तर प्रदेश विधान सभा में कई सदस्यों ने शिकायत की थी कि सहकारी साख समितियों द्वारा चार्ज की जाने वाली ब्याज दरें बहुत ही अधिक हैं और उन्होंने इन्हें काफी कम करने का सुझाव दिया। महाराष्ट्र में भी इस बात की आवाज उठाई गयी कि जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए सहकारी साख को सस्ता बनाया जाय।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा समय–समय पर कृषि एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के लिए अनुपालनार्थ दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं। इन दिशा–निर्देशों में ब्याज की दर का भी उल्लेख रहता है। वर्तमान में ब्याज की दर की स्थिति निम्न प्रकार है[1]–

(1) 2 लाख रूपये तक के ऋण पर ब्याज दर बैंक की मूल ब्याज–दर से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(2) 2 लाख रूपये से अधिक ऋण पर बैंक अपने बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार ब्याज ले सकते हैं।

भारतीय बैंक संघ ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी है कि 50 हजार रूपये तक फसल ऋणों पर 9 प्रतिशत से अधिक ब्याज न लें।

दण्डात्मक ब्याज

(1) 25 हजार रूपये तक के ऋणों पर दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाना चाहिये।

(2) 25 हजार रूपये से अधिक के ऋणों पर दंडात्मक ब्याज के सम्बन्ध में बैंकों के बोर्ड

स्रोत :1. कृषि ऋण मार्गदर्शिका, डी0पी0 सारडा, पृ0–26–27

नीति निर्धारित कर सकते हैं। जो भी नीति निर्धारित की जाए वह स्पष्ट व सबके साथ समान व्यवहार के सिद्धान्त पर आधारित होनी चाहिये।

3.च. वसूली का प्रारूप

ग्रामीण क्षेत्र की साख आवश्यकताएं अनेक वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूरी की जाती हैं। इन संस्थाओं में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी साख समितियां एवं व्यापारिक बैंक प्रमुख हैं। जिन संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की साख जरूरतों की पूर्ति की जाती है उनकी प्रमुख समस्या अवधि पार ऋणों एवं ऋण वसूली की है। अवधि पार ऋण वे ऋण होते हैं जिन्हें ऋणी समय पर नहीं चुकाता है। अन्य शब्दों में ऋण चुकाने की अवधि बीत जाती है और उधारकर्ता ऋण सम्बन्धी ब्याज एवं मूलधन का भुगतान नहीं कर पाता। ऋण सम्बन्धी यह एक प्रमुख समस्या है। प्रभावी अनुवर्तन और ऋण वसूली के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है–

3.च.1. उपयुक्त एवं पर्याप्त फील्ड स्टाफ

ऋण का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए और उधारकर्ताओं को उनकी समस्याएं सुलझाने में सहायता करने के लिए उधारकर्ताओं से सम्पर्क बनाये रखने हेतु उपयुक्त एवं पर्याप्त स्टाफ तैनात किया जाना चाहिए। फील्ड स्टाफ उधारकर्ताओं की समस्याओं के हल हेतु उनसे आसानी से सम्पर्क कर सकता है और बैंक ऋण की वसूली कर सकता है। बैंकों को क्रमिक रूप से ग्रामीण साख सम्बन्धी कार्य करने वाली प्रत्येक शाखा में कृषि वित्त में अर्हता प्राप्त और प्रशिक्षित कम से कम एक फील्ड अधिकारी तैनात करना चाहिए।

3.च.2. देय तारीख से पहले उधारकर्ताओं से सम्पर्क

उधारकर्ता द्वारा उत्पाद बेचने के समय के आसपास चुकौती की देय तारीख निर्धारित की जानी चाहिए क्योंकि उस समय उधारकर्ता के पास निधियां उपलब्ध होती हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की तरह उधारकर्ता को सावधि ऋण हेतु पास बुक

उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसमें संवितरण की राशि एवं तारीख, चुकौती के ब्याज और मूल के ब्यौरे, खाते में नामे किये गये प्रभार और देय शेष रिकार्ड किये जाने चाहिए। बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं को ऋण की किस्तों, ब्याज, चुकौती की देय तारीखों आदि की जानकारी देनी चाहिए। उधारकर्ता से निकट से सम्पर्क बनाये रखना चाहिए ताकि उधारकर्ता को यह महसूस हो कि बैंकर न सिर्फ वित्तदाता है किन्तु मित्र भी है। जिन बैंकों ने उधारकर्ताओं से अच्छे संबंध स्थापित किये हैं और उन्हें देय तारीख से एक या दो सप्ताह पहले चुकौती के विषय में सूचित करते हैं, उनका वसूली निष्पादन उन बैंकों से अच्छा पाया गया है जो यह अपेक्षा करते हैं कि उधारकर्ता अपने आप आकर चुकौती राशि का भुगतान कर जायेगा।

3.च.3. अतिदेयों का शाखावार विश्लेषण

नियंत्रक कार्यालयों को प्रत्येक शाखा के वसूली निष्पादन की सतत एवं कड़ी समीक्षा करनी चाहिए। वे अतिदेयों का शाखावार विश्लेषण कर किसी शाखा विशेष में अत्यधिक अतिदेयों के कारणों का पता लगा सकते हैं। जिन शाखाओं में अग्रिमों की मात्रा बड़ी है और अतिदेय मांग के 50 प्रतिशत से अधिक हैं वहाँ अलग वसूली कक्ष बनाये जाने चाहिए। नियंत्रण कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों को इन शाखाओं का बार–बार दौरा करना चाहिए और इस विषय में संबद्ध समस्याओं की प्रबंधक एवं अन्य अधिकारियों से अर्थपूर्ण चर्चा करनी चाहिए।

3.च.4. राज्य सरकार के विशेष अधिनियमों के तहत वसूली

बैंकों के देयों की शीघ्र वसूली हेतु बैंकों को राज्य सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों का लाभ उठाना चाहिए। उन्हें जानबूझकर व्यतिक्रम करने वालों के विरूद्ध संबद्ध प्राधिकारियों के समक्ष तत्परता से केस फाइल करना चाहिए। सिविल कोर्टों द्वारा आयोजित लोक अदालतों में भेजे जाने वाले केसों की मौद्रिक सीमा हाल ही में 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रूपये कर दी गई है।

3.च.5. वसूली अभियान

बैंकों के देयों की शीघ्र वसूली हेतु कैम्पों का आयोजन जरूरी है। कैम्प के आयोजन से पहले प्रत्येक गांव के व्यतिक्रमियों की सूची तैयार की जानी चाहिए। इसके लिए राजस्व अधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों, लेखपालों, ग्राम सेवकों आदि का गहन सहयोग प्राप्त किया जाए। वसूली में बैंकों की सहायता करना सरकारी एजेन्सियों की नैतिक जिम्मेदारी है। ऋण कैम्पों के समय ऋण वसूली, विशेषतः सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत दिये गये ऋणों की वसूली के प्रयास किए जाने चाहिए।

3.च.6. मिथ्या शपथ–पत्रों और आर्थिक सहायता व ऋणों के दुरूपयोग सम्बन्धी कार्यवाही

प्रक्रिया सरल बनाने के लिए बैंक उधारकर्ताओं द्वारा अदेयता प्रमाण–पत्र की प्रस्तुति पर जोर नहीं देते हैं। बैंक उनके द्वारा दिये गये शपथपत्र पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा दिये गये शपथपत्र पर भरोसा करते हुए बैंक पात्रता के सम्बन्ध में विस्तृत पूंछतांछ नहीं करते हैं। अतः ऐसे वातावरण का निर्माण जरूरी है जिसमें लोग मिथ्या शपथपत्र देने से डरें। मिथ्या शपथपत्र देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। इससे क्षेत्र में लोग मिथ्या शपथपत्र देने और ऋण तथा आर्थिक सहायता का दुरूपयोग करने से डरेंगे।

3.च.7. चुकौती अवधि में परिवर्तन

निम्नलिखित में किसी भी कारणवश उधारकर्ता चुकौती अनुसूची के अनुसार चुकौती करने में अक्षम हो सकते हैं–

(i) अल्प चुकौती अवधि

(ii) अल्प अनुग्रह अवधि

(iii) अपूर्ण निवेश

(iv) निष्फल निवेश

(v) प्राकृतिक विपत्ति

(vi) कम से कम लगातार दो वर्षों के लिए प्राकृतिक विपत्तियों द्वारा प्रभावित किसानों को राहत

(vii) प्राकृतिक विपत्तियों के अलावा अन्य कारणों से व्यथित किसानों को राहत

उपरोक्त परिस्थितियों में सुधारात्मक उपायों हेतु बैंकों द्वारा ऋण वसूली कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण आवश्यक हो जाता है। ऋण वसूली का पुनर्निर्धारण करते समय बैंकों द्वारा दस्तावेजीकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बैंकों को क्रमिक रूप से प्रत्येक मामले के अतिदेयों का अध्ययन कर यह पता लगाना चाहिए कि क्या उपरोक्त में से किसी एक कारणवश उधारकर्ता ऋण चुकौती में असमर्थ है और क्या चुकौती अनुसूची में पुर्ननिर्धारण करना आवश्यक है। यदि जांच में उपरोक्त कारणों में से कोई कारण स्पष्ट हो जाता है तो चुकौती अवधि में परिवर्तन कर देना चाहिए।

3.च.8. उधारकर्ताओं के साथ समझौता

समझौते को वार्ता द्वारा तय निपटान कहा जा सकता है जिसमें उधारकर्ता कुछ रियायतें प्राप्त करने के बाद बैंकर को अमुख राशि अदा करने के लिए सहमत होता है। दीर्घावधि वसूली प्रक्रिया का आश्रय लेने के बदले अनर्जक आस्तियां कम करने व निधियों के पुनर्निवेश की दृष्टि से बैंकों द्वारा बड़ी संख्या में समझौता प्रस्ताव अनुमोदित किए जाते हैं। समझौता प्रस्ताव की स्वीकृति करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना चाहिए–

(i) बैंक को अपनी ऋण वसूली नीति में दिये गये दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए समझौता प्रस्तावों का स्वीकार करना चाहिए।

(ii) जान–बूझकर व्यतिक्रम करने वालों और अपने बस के बाहर हो ऐसी परिस्थितियों के कारण व्यतिक्रम करने वाले उधारकर्ताओं के बीच समुचित भेद किया जाना चाहिए। सामान्यत: ऐसे व्यतिक्रमियों के ही समझौता प्रस्ताव स्वीकार किए जाने चाहिए जिन्होंने

जान–बूझकर व्यतिक्रम नहीं किया हो। यदि जान–बूझकर व्यतिक्रम करने वाले व्यतिक्रमी के साथ समझौता किया जाता है तो इस हेतु विवश करने वाले कारणों का अनुमोदन हेतु तैयार किए गये नोट में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

(iii) जहाँ प्रतिभूति उपलब्ध हो वहाँ उसके स्थान, वर्तमान स्थिति, विपणन योग्य हक और कब्जे को ध्यान में रखते हुए उसका वसूली योग्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

(iv) गारंटर की हैसियत यदि कोई हो तो उसका निर्धारण किया जाना चाहिए। कई बार बैंक उपलब्ध गारंटी की सहायता से राशि की वसूली कर पाते हैं।

(v) समझौता प्रस्ताव के अनुसार यदि वसूली किस्तों में की जानी हो तो उधारकर्ता की विश्वसनीयता और चुकौती क्षमता का निर्धारण किया जाना चाहिए।

(vi) स्टाफ उत्तरदायित्व की जांच शीघ्र की जानी चाहिए और एक समय–सीमा में इसे पूर्ण किया जाना चाहिए।

(vii) किसी भी कार्यकर्ता द्वारा अनुमोदित सभी समझौता प्रस्तावों को कार्योत्तर समीक्षा हेतु तुरन्त अगले उच्च अधिकारी के पास रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

3.च.9. छोटे एवं लघु कृषकों के लिए एक बारगी निपटान योजना

रिजर्व बैंक ने बैंकों को अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से ऐसे छोटे और सीमान्त किसानों के लिए एकबारगी निपटान योजना के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश तैयार करने के लिए कहा है। जिन उधारकर्ताओं को 24 जून 2004 को व्यतिक्रमी घोषित किया गया है और जो नये ऋण हेतु पात्र नहीं रह गये हैं। जिसके परिणाम स्वरूप बैंकों ने अपने बोर्डों के अनुमोदन से एकबारगी निपटान योजना के दिशा–निर्देश तैयार किए हैं जिसमें निपटान फार्मूला, मंजूरीकर्ता प्राधिकारी और अनुसरण प्रक्रिया के ब्योरे दिये गये हैं। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निपटान बिना किसी भेदभाव के और पारदर्शक तरीके से किये जाते हैं ताकि किसान नया ऋण प्राप्त कर सकें।

शाखा की वसूली रणनीति के विभिन्न चरण

स्टाफ की बैठक आयोजित कर वसूली टीम बनायें

↓

शाखा की वसूली रणनीति तय करें

↓

व्यतिक्रमियों को स्मरण पत्र भेजें

↓

उधारकर्ताओं से बार–बार मुलाकातें

↓

उधारकर्ताओं पर दबाव डालना

↓

आवश्यक हो तो ऋण किस्तों का पुनर्निर्धारण

↓

लोक अदालतों से सम्पर्क

↓

कानूनी प्रक्रिया द्वारा वसूली

चतुर्थ अध्याय

चतुर्थ अध्याय

लाभार्थियों का आय–स्तर

- ☞ आय के स्रोत
- ☞ कृषि क्षेत्र में मजदूरी से प्राप्त आय
- ☞ पशुपालन से प्राप्त आय
- ☞ गैर कृषि आयों से प्राप्त आय
- ☞ विक्रय से प्राप्त आय
- ☞ अन्य स्रोतों से प्राप्त आय

चतुर्थ अध्याय

प्रस्तुत अध्याय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता क्षेत्र की आय से अवदानित है लेकिन यह समीचीन होगा कि आय की सैद्धान्तिक मीमान्सा केन्सियन एवं केन्सोपरान्त प्रणाली के सन्दर्भ विशेष में विस्तृत रूप से प्रस्तुत की जाए–

4.1. आय की प्रकृति

किसी भी देश की समग्र अर्थव्यवस्था में आय की प्रकृति एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अतः हमें अर्थव्यवस्था में आय का क्या स्थान है? यह किस प्रकार प्रभावित होती है? सम्पूर्ण मानव जाति किस सीमा तक आय उत्पादन चक्र में फँसी रहती है? जानना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। अतः आय की प्रकृति को निम्नलिखित बिन्दुओं के अर्न्तगत स्पष्ट किया जा सकता है।

4.1.1. आय क्या है

किसी भी समयावधि में उत्पादन क्रिया के परिणामस्वरूप उत्पादन के साधनों से जो पारितोषिक प्राप्त होता है, उसे उस समयावधि की आय कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति की आय उस व्यक्ति की एक निश्चित समय की उस अधिकतम व्यय सामर्थ्य को दिखलाती है जो वह इस समय में अपनी पूर्व आर्थिक स्थिति के ऊपर प्राप्त करता है। इस प्रकार आय एक ओर जहाँ उत्पादन क्रिया का परिणाम है वहीं दूसरी ओर व्यय के सापेक्ष एक निश्चित मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं पर अधिकार है।

4.1.2. आय के प्रकार

वस्तुतः आय निम्नलिखित दो प्रकार की होती है–

(A) सार्वजनिक आय

सरकार को प्राप्त होने वाली आय को सार्वजनिक आय कहा जाता है। आर्थिक नियोजन के वर्तमान युग में राज्य के कार्य–क्षेत्र में तीव्र गति से वृद्धि होने से राजकीय व्यय तथा व्यक्तियों के व्यय की राशि भी बढ़ती जा रही है। इस बढ़ते हुए व्यय की पूर्ति

करने के लिए सरकार ने अपनी आय तथा व्यक्तियों की आय बढ़ाने के अधिकतम सम्भव प्रयास किये हैं। जिस प्रकार उपभोग का साधन उत्पादन है, उसी प्रकार व्यय का साधन आय है।

(B) निजी आय

व्यक्ति विशेष की आय को निजी आय कहा जाता है। निजी आय में समष्टि स्तर पर समस्त साधनों से प्राप्त होने वाली आय को सम्मलित किया जाता है। जबकि व्यष्टि स्तर पर व्यक्ति की वास्तविक आय को आय माना जाता है। निजी क्षेत्र में व्यक्तियों की आय के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं :–

(1) कृषि क्षेत्र से प्राप्त आय,

(2) व्यावसायिक क्षेत्र से प्राप्त आय,

(3) श्रम व सेवाओं के द्वारा प्राप्त आय।

4.1.3. आय प्रभाव एवं उपभोग रेखा

उपभोक्ता के साम्य के अन्तर्गत हम उपभोक्ता की आय को स्थिर मानकर चलते हैं, परन्तु व्यवहारिक जीवन में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होते रहते हैं। आय में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव, उपभोक्ता की साम्य स्थिति पर भी पड़ता है। इस प्रभाव को "आय प्रभाव" कहते हैं।

मार्शल की उपयोगिता विश्लेषण का मुख्य दोष यह है कि इसमें आय में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप माँग में होने वाले परिवर्तन पर उचित ध्यान नहीं दिया गया, परन्तु तटस्थता वक्र विश्लेषण "माँग" पर आय के प्रभाव का भी अध्ययन करता है।

यदि वस्तुओं की कीमतें यथास्थिर रहती हैं परन्तु उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो वह वस्तुओं की कम माँग या अधिक माँग कर सकता है और उसका सन्तोष पहले की अपेक्षा घट या बढ़ सकता है "हिक्स" इसको आय प्रभाव कहते हैं।

"आय प्रभाव माँगी गयी मात्रा में परिवर्तन को बताता है जो केवल आय में

परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है जबकि वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं।"

4.2. आय के चक्राकार प्रवाह

पूँजीवादी देश या स्वतन्त्र उपक्रम अर्थव्यवस्था की कुल आय अथवा कुल आर्थिक क्रिया को एक चक्राकार प्रवाह के रूप में देखा जा सकता है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था या स्वतन्त्र उपक्रम अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है जबकि सरकार का हस्तक्षेप सीमित मात्रा में होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है जबकि निजी क्षेत्र बहुत ही छोटा रहता है। इस छोटे निजी क्षेत्र पर भी सरकार का नियन्त्रण रहता है। आधुनिक युग में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका पहले की अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हो गयी है। इस प्रकार आधुनिक युग में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गयी है जिनमें निजी क्षेत्र पर्याप्त बड़ा रहता है और सार्वजनिक क्षेत्र छोटा रहता है।

एक पूँजीवादी या स्वतन्त्र उपक्रम अर्थव्यवस्था के आधारभूत कार्य एक साथ होते हैं तथा परस्पर निर्भर होते हैं। एक स्वतन्त्र उपक्रम अर्थव्यवस्था में इन कार्यों की पारस्परिक निर्भरता को चक्राकार प्रवाह द्वारा स्पष्ट करते हैं। अतः पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में कुल आर्थिक क्रिया के चक्राकार प्रवाह का अध्ययन हम निम्नलिखित चार अवस्थाओं में कर सकते हैं[1]–

(1) वास्तविक प्रवाह,

(2) मौद्रिक प्रवाह,

(3) वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह तथा बाजार,

(4) पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत पाँच क्षेत्रों के बीच आय का चक्रीय प्रवाह।

4.2.1. वास्तविक प्रवाह

एक अर्थव्यवस्था में दो प्रमुख इकाइयाँ होती हैं– **(i)** परिवार तथा **(ii)**

स्रोतः 1. मैक्रो अर्थशास्त्र, के0पी0 जैन व डॉ0 के0एल0 गुप्ता, 2006, पृ0–32–36

व्यावसायिक फर्म। स्वतन्त्र उपक्रम अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों या परिवारों का साधनों पर स्वामित्व होता है और वे साधनों के पूर्तिकर्ता होते हैं। व्यावसायिक फर्में साधनों की माँग करती हैं, क्योंकि उनकी सहायता से वे उन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करती हैं जिनकी परिवारों को आवश्यकता होती है।

माना कि अर्थव्यवस्था में द्रव्य का प्रयोग नहीं हो रहा है अर्थात हम वस्तु–विनियम की अर्थव्यवस्था की मान्यता लेकर चलते हैं। परिवार अपने साधनों की पूर्ति व्यावसायिक फर्मों से करते हैं जैसा कि चित्र न० 4.1 का ऊपर का भाग दिखाता है। परिवार अपने साधन की पूर्ति के बदले में व्यावसायिक फर्मों से वास्तविक वस्तुओं तथा सेवाओं को प्राप्त करतें हैं। जैसा कि चित्र न० 4.1 का नीचे का भाग बताता है। मुद्रा के प्रयोग के अभाव में विनिमय की समस्याएं होती हैं, परन्तु यह सरल चित्र ''मुख्य वास्तविक प्रवाहों'' अर्थात साधनों का प्रवाह तथा वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को स्पष्ट करता है।

चित्र संख्या : 4.1

वास्तविक प्रवाह

4.2.2. मौद्रिक प्रवाह

वस्तु विनिमय की कठिनाइयों से बचने के लिए आधुनिक युग में सभी अर्थव्यवस्थाएँ मुद्रा का प्रयोग करती हैं। मुद्रा विनिमय का माध्यम है और वह परिवारों तथा व्यावसायिक फर्मों के बीच लेन–देन को आसान बनाता है।

चित्र संख्या : 4.2

मौद्रिक प्रवाह

चित्र सं0 4.2 में ऊपर के भाग में (i) दायें से बायें को जाने वाला तीर साधनों के वास्तविक प्रवाह को बताता है तथा (ii) बायें से दायें को जाने वाला तीर मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में आय के मौद्रिक भुगतानों को बताता है। ये मौद्रिक भुगतान व्यावसायिक फर्म साधनों के प्रयोग के बदले में परिवार को देती है और फर्मों के लिए लागतें होती हैं।

अपने साधनों के बदले में परिवारों को जो मौद्रिक आयें प्राप्त होती हैं, उन्हें वे वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने में व्यय करते हैं। चित्र 4.2 में नीचे के भाग में, (i) दायें से बायें को जाने वाला तीर परिवार द्वारा उपभोग पर व्यय के प्रवाह को बताता है तथा (ii) बायें से दायें को जाने वाला तीर व्यावसायिक फर्मों द्वारा उपभोक्ताओं या परिवारों को वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को बताता है। उपभोग पर व्यय का प्रवाह परिवारों के रहन–सहन की लागत है तथा फर्मों के लिए आय का आगम है।

4.2.3. वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह तथा बाजार

पूँजीवादी या स्वतन्त्र उपक्रम अर्थव्यवस्था में वास्तविक तथा मौद्रिक प्रवाह दो बाजारों 'साधन बाजार' तथा 'वस्तु बाजार' के माध्यम से गुजरते हैं। चित्र सं0 4.3 के ऊपर के भाग में 'साधन' तथा 'मौद्रिक आय' साधन बाजार से गुजरते हैं। साधन बाजार में परिवार निश्चित कीमतों पर अपने साधनों की पूर्ति करते हैं और इनके बदले में वे व्यावसायिक फर्मों से मौद्रिक आय प्राप्त करते हैं, क्योंकि फर्में साधनों की माँग करती हैं और उन्हें खरीदती हैं। स्पष्ट है कि साधन–बाजार से गुजरने वाली जो मौद्रिक आय परिवारों को प्राप्त होती है वह परिवारों द्वारा विभिन्न साधनों की पूर्ति की मात्राओं तथा उनकी कीमतों पर निर्भर करेगी। चित्र सं0 4.3 के नीचे के भाग में 'उपभोक्ताओं के व्यय' तथा 'वस्तु और सेवाएँ' वस्तु बाजारों से गुजरती हैं। 'उपभोक्ता व्यय के प्रवाह' निर्भर करेगें खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्राओं तथा उनकी कीमतों पर। चित्र सं0 4.3 के मध्य में पूँजी बाजार को दिखाया गया है। पूँजी बाजार से अभिप्राय बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से है। पूँजी बाजार परिवार क्षेत्र से बचत प्राप्त करता है तथा व्यावसायिक क्षेत्र को विनियोग के लिए ऋण प्रदान करता है।

चित्र संख्या : 4.3

वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह तथा बाजार

साधन बाजारों में व्यावसायिक फर्में माँग पक्ष में होंगी और वे साधनों की माँग करती हैं एवं परिवार पूर्ति पक्ष में होते हैं और वे अपने साधनों की पूर्ति करते हैं। वस्तु बाजारों में स्थिति उल्टी हो जाती है। वस्तु बाजारों में परिवार माँग पक्ष में होते हैं और वे वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग करते हैं, एवं व्यावसायिक फर्में पूर्ति पक्ष में होती हैं और वे वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति करती हैं। इसी प्रकार पूँजी बाजार में परिवार पूर्ति पक्ष में होते हैं, और वे बचतों की पूर्ति करते हैं एवं व्यावसायिक फर्में माँग पक्ष में होती हैं और पूँजी बाजार से विनियोग के लिए ऋण की माँग करती हैं।

4.2.4. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत पाँच क्षेत्रों के बीच आय का चक्रीय प्रवाह

आय के इस चक्रीय प्रवाह के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था को पाँच क्षेत्रों में बाँटा गया है। ये पाँच क्षेत्र निम्नलिखित हैं–

(i) व्यावसायिक या उत्पादक क्षेत्र

(ii) परिवार क्षेत्र

(iii) पूँजी बाजार

(iv) सरकार का क्षेत्र

(v) विदेशी क्षेत्र

उपरोक्त दिये गये पाँचों क्षेत्रों में से यदि विदेशी क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बन्द अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आधुनिक युग में कोई भी अर्थव्यवस्था बन्द अर्थव्यवस्था नहीं होती बल्कि सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थायें होती हैं जिनमें विदेशी क्षेत्र को शामिल किया जाता है।

चित्र सं0 4.4 स्वयं अपने आप में स्पष्ट है, पाँचों क्षेंत्रों के बीच आय के मौद्रिक प्रवाहों को तीरों द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। संक्षेप में इन प्रवाहों को इस प्रकार समझा जा सकता है। व्यावसायिक क्षेत्र तथा परिवार क्षेत्र के बीच साधन भुगतान और उपभोग व्यय को तीरों द्वारा दिखाया गया है। पूँजी बाजार को परिवार तथा व्यावसायिक

क्षेत्रों से बचतें प्राप्त होती हैं और पूँजी बाजार व्यावसायिक क्षेत्र को विनियोग के लिए ऋण प्रदान करता है।

सरकार के क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों के बीच आय के प्रवाहों को भी तीरों की सहायता से दिखाया गया है। सरकार को कर के रूप में व्यावसायिक क्षेत्र तथा परिवार क्षेत्र से आय प्राप्त होती है। सरकार अपनी आय में से परिवार क्षेत्र को हस्तान्तरण भुगतान तथा सेवाओं पर व्यय करती है। इसी प्रकार व्यावसायिक क्षेत्रों को वस्तुओं के बदले में भुगतान करती है तथा आवश्यकतानुसार अनुदान भी प्रदान करती है। सरकार की बचतें पूँजी बाजार अर्थात् बैंक, वित्तीय संस्थायें इत्यादि को प्राप्त होती हैं तथा पूँजी बाजार से सरकार को ऋण प्राप्त होता है।

सरकार तथा व्यावसायिक क्षेत्र का विदेशी क्षेत्र के साथ लेन–देन को भी तीरों द्वारा दिखाया गया है–

चित्र संख्या : 4.4

पाँच क्षेत्रों के बीच आय का चक्रीय प्रवाह

4.3. आय की परिकल्पनायें

आय के निर्धारण के सम्बन्ध में कीन्स ने उपभोग फलन की व्याख्या की, जो आय के निर्धारण का एक अभिन्न अंग है। कीन्सियन विश्लेषण एक अल्पकालिक विश्लेषण है जिसके अनुसार वास्तविक उपभोग वास्तविक आय का फलन है। कीन्सियन उपभोग फलन यह प्रतिपादित करता है कि जैसे–जैसे आय में वृद्धि होती जाती है लोग आय का घटता हुआ प्रतिशत उपभोग पर व्यय करते हैं या आय का बढ़ता हुआ प्रतिशत बचत करते हैं। कीन्स ने उपभोग फलन की जो व्याख्या प्रस्तुत की वह एक सैद्धान्तिक धारणा थी, किसी व्यावहारिक या आनुभविक परीक्षण पर आधारित नहीं थी। चूँकि कीन्स एक बाजार व्यवस्था में पायी जाने वाली सामान्य बेरोजगारी की व्याख्या से सम्बन्धित थे, किसी प्रकार के दीर्घकालीन माडल के निर्माण से सम्बद्ध नहीं थे, इसलिए उन्हें इस प्रकार के व्यावहारिक परीक्षण की आवश्यकता भी नहीं थी। पर चूँकि कीन्स ने अपने सैद्धान्तिक विश्लेषण में निष्कर्षात्मक रूप में सरकारी हस्तक्षेप पर बल दिया, इसलिए बाद में कीन्सियन अर्थशास्त्रियों ने एक नियोजन माडल के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जिससे दीर्घकालीन स्तर पर कीन्सियन नीति निर्धारक निष्कर्षों को लागू किया जा सके। फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 'कीन्सियन स्कूल' ने इस दिशा में प्रयास करना शुरू किया। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता उन्होंने यह महसूस किया कि माडल के विभिन्न प्राचालों के पिछले उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर व्यावहारिक परीक्षण किया जाए। उपभोग फलन की व्यावहारिक सत्यता की जाँच इस दिशा में पहला कदम था।

द्वितीय विश्व युद्ध के ब़ाद उपभोग फलन की सत्यता के सम्बन्ध में कुछ परीक्षण किये गये जिसके आधार पर अर्थशास्त्रियों ने कीन्सियन फलन की सत्यता संदिग्ध पायी। 1946 में साइमन कंजनेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्बन्ध में 1869 से 1938 तक के आँकड़े प्रकाशित किये जिससे उपभोक्ता के व्यवहार के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आये –

(A) यह तथ्य सामने आया कि दीर्घकाल में उपभोग व्यय तथा आय का अनुपात या **C/Y** या औसत उपभोग की प्रवृत्ति **(APC)** में कोई गिरने की प्रवृत्ति नहीं दृष्टिगोचर हुयी, परिणामस्वरूप, दीर्घकाल में आय की वृद्धि के साथ उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति **(MPC)** या **$\Delta C/\Delta Y$** औसत उपभोग की प्रवृत्ति के बराबर रही। कहने का अर्थ यह रहा कि दीर्घकालीन उपभोग फलन **$C = cY$** मूल बिन्दु से शुरू होने वाली सीधी रेखा के रूप में रहा, कीन्सियन उपभोग फलन की तरह **$C = Co + cY$** नहीं रहा।[1] जैसा चित्र सं0 4.5 में स्पष्ट है। रेखाचित्र में **$C = Co+cY$** कीन्सियन उपभोग फलन है जबकि **$C = cY$** कजनेट्स द्वारा प्रदर्शित दीर्घकालीन उपभोग फलन है। कजनेट्स ने यह भी पाया कि दीर्घकाल में उपभोग सीमान्त प्रवृत्ति **(C)** का मूल्य **0.9** रही अर्थात् कजनेट्स द्वारा प्रदर्शित उपभोग फलन अधिक ढालू रहा।

(B) कजनेट्स ने अपने अध्ययन के आधार पर यह भी सुझाव दिया कि अभिवृद्धि के वर्षों में **C/Y** अनुपात दीर्घकालीन औसत से कम रहे तथा आर्थिक अवसाद के वर्षों में **C/Y** अनुपात दीर्घकालीन औसत से अधिक रहा। कहने का अर्थ यह है कि चक्रीय उच्चावचनों के दौरान **C/Y** अनुपात आय के सन्दर्भ में विपरीत दिशा में परिवर्तन हुआ।

चित्र संख्या : 4.5

उपभोग फलन का कजनेट्स दृष्टिकोण[1]

स्रोत : 1. समष्टि भावी आर्थिक विश्लेषण, प्रो0 एस0एन0 लाल, पृ0–260

इस प्रकार कजनेट्स के अध्ययन के बाद तक उपभोक्ता के व्यवहार तथा उस पर आधारित उपभोग के नियम के सम्बन्ध में तीन महत्वपूर्ण बातें सामने आयीं।

(1) बजट अंकों के तिर्यक वर्गीय अध्ययन प्रदर्शित करते हैं कि **Y** की वृद्धि के साथ **S/Y** अनुपात बढ़ता है जिससे कि जनसंख्या के तिर्यक वर्गों में **MPC < APC**।

(2) व्यापार चक्रीय या अल्पकालिक आँकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि अधिक **C/Y** अनुपात अभिवृद्धि की स्थिति में औसत अनुपात से कम रहता है। जबकि अवसाद की स्थिति में औसत अनुपात से अधिक होता है जिससे कि अल्पकाल में जब आय परिवर्तित हो तो **MPC < APC**।

(3) दीर्घकालीन आँकड़े दीर्घकाल में **C/Y** या **S/Y** अनुपात में किसी प्रकार के परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं प्रदर्शित करते हैं इसलिए दीर्घकालीन आय की वृद्धि के साथ **MPC = APC** बना रहता है।

इन तथ्यों के परीक्षण के लिए समय–समय पर अनेक परिकल्पनायें या सिद्धान्त विकसित किये गये उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन में जिनका अध्ययन आवश्यक है। इनकी चर्चा अब हम करेंगे।

4.3.1. निरपेक्ष आय परिकल्पना

निरपेक्ष आय परिकल्पना की आधारभूत मान्यता यह है कि प्रत्येक व्यक्तिगत उपभोक्ता अपनी निरपेक्ष आय के स्तर के आधार पर यह तय करता है कि वह अपनी घरेलू आय का कितना भाग उपभोग पर व्यय करेगा और यदि अन्य बातें समान रहें, तो निरपेक्ष आय में वृद्धि आय के उस अनुपात में कमी लायेगी जो उपभोग पर व्यय होगा। कीन्स ने अपने उपभोग फलन की व्याख्या में यही प्रतिपादित किया, इसीलिए प्रायः यह स्वीकार किया जाता है कि कीन्स निरपेक्ष आय परिकल्पना के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं, यद्यपि इसका परिमार्जन बाद में अर्थशास्त्रियों विशेष रूप से टोबिन तथा स्मिथीज द्वारा हुआ। निरपेक्ष आय परिकल्पना के अनुसार, उपभोग तथा आय के बीच मूलभूत

सम्बन्ध अल्पकालीन है। निरपेक्ष आय परिकल्पना के समर्थक अर्थशास्त्रियों ने यह प्रतिपादित किया कि यदि समग्र उपभोग तथा समग्र आय से सम्बन्धित कुछ वर्षों के आँकड़ों को ग्राफ कर अंकित किया जाय तो एक उपभोग फलन $C = Co + cY$ के स्वरूप का प्राप्त होगा जैसा चित्र नं० 4.6 में C_1, C_2, C_3 आदि रेखाओं में प्रदर्शित किया गया है।

रेखाचित्र में C_1, C_2 तथा C_3 विभिन्न वर्षों से सम्बन्धित उपभोग फलन प्रदर्शित करते हैं ये सभी अल्पकालीन उपभोग फलन हैं। रेखाचित्र में प्रदर्शित $C = cY$ दीर्घकालीन उपभोग फलन है।

चित्र संख्या : 4.6

निरपेक्ष आय परिकल्पना

यद्यपि निरपेक्ष आय परिकल्पना मूलतः अल्पकालीन उपभोग फलन ही सामने लाता है पर इसके समर्थक अर्थशास्त्री यह दावा करते हैं कि एक लम्बी समयावधि में यह उपभोग फलन विवर्तित होकर दीर्घकालीन उपभोग फलन में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार ये अर्थशास्त्री अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपभोग फलन को समन्वित करने का दावा करते हैं। किस प्रकार से अल्पकालीन उपभोग फलन विवर्तित होकर दीर्घकालीन फलन प्रदर्शित करेगा इसे रेखाचित्र नं 4.6 में दिखाया गया है। इनके अनुसार पहली अवधि के बाद की अवधि में यदि आंकड़ों को अंकित किया जाय, तो अधिकांश बिन्दु पहले वाले बिन्दुओं से ऊपर होंगे और नयी उपभोग फलन रेखा प्राप्त होगी और इस प्रकार अनेक उपभोग फलन रेखायें प्राप्त हो जायेंगी। इन अर्थशास्त्रियों

के अनुसार यदि उसी अवधि से सम्बन्धित आंकड़ों को ग्राफ पर अंकित किया जाय तथा एक रेखा खींची जाय तो एक अधिक ढालू रेखा प्राप्त होगी, जो मूल बिन्दु से जायेगी और दीर्घकालीन उपभोग फ़लन प्रदर्शित करेगी।

उपभोग फलन **C_2(1970)** लिया **X_1** आय के स्तर पर उपभोग का स्तर **A** प्रदर्शित है। ये अर्थशास्त्री यह उम्मीद करते हैं कि 1970 में आय का स्तर **X_2** हो जायेगा तथा उपभोग का स्तर **B** बिन्दु पर होगा जो कुछ अवधि बाद (माना 1980) में **C** पर होगा। इन **A, C, D** आदि बिन्दुओं से जाने वाली रेखा दीर्घकालीन उपभोग फलन प्रदर्शित करेगी।

उपभोग फलन का ऊपर की ओर विवर्तन अनेक कारणों से हो सकता है। जेम्स टोबिन यह मत व्यक्त करते हैं कि राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि के कारण समयावधि में उपभोग फलन विवर्तित हो सकता है। सम्पत्ति से टोबिन का अभिप्राय मुख्यतया तरल सम्पत्तियों जैसे– नकद, बैंक जमा तथा बाण्डों से है। उपभोग फलन का विवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानान्तरण के कारण भी हो सकता है। नये उत्पादों को बाजार में लाने के कारण भी उपभोग फलन का विवर्तन हो सकता है। आयु संरचना में परिवर्तन, सामाजिक बीमा, आय के बँटवारे तथा विलासिता वस्तुओं के आवश्यक वस्तुओं में परिवर्तन के कारण भी उपभोग फलन का ऊर्ध्वमुखी विवर्तन हो सकता है।

इस प्रकार स्पष्ट है, निरपेक्ष आय परिकल्पना के समर्थकों के अनुसार मूल फलन तो अल्पकालीन फलन है और दीर्घकालीन फलन अल्पकालीन उपभोग फलनों के ऊपर की ओर विवर्तन का परिणाम है।

4.3.2. सापेक्ष आय परिकल्पना

जेम्स डूसेनबेरी ने 1949 में प्रकाशित पुस्तक 'इनकम, सेविंग एण्ड थिअरि आफ कन्ज्यूमर विहैवियर' में आय उपभोग के बीच अनानुपातिक सम्बन्ध को अस्वीकार करके यह प्रतिपादित किया कि आय तथा उपभोग के बीच आधारभूत सम्बन्ध आनुपातिक ही

है। डूसेनबेरी ने एक ओर यह अस्वीकार किया कि उपभोग की मात्रा निरपेक्ष आय के ऊपर निर्भर करती है, दूसरी ओर इसे भी गलत सिद्ध किया कि अल्पकालीन उपभोग फलन विवर्तित होकर दीर्घकालीन हो जाता है। डूसेनबेरी ने यह सुझाव दिया कि मूलतः उपभोग सम्बन्ध दीर्घकालिक तथा आनुपातिक है तथा औसत आय प्रवृत्ति या **C/Y** अनुपात स्थिर है।

सापेक्ष आय परिकल्पना के अनुसार "किसी परिवार की आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय होगा उस परिवार की निरपेक्ष आय पर निर्भर नहीं करेगा बल्कि अन्य परिवारों जिनके बीच वह रहता या जिनसे सम्बन्ध स्थापित करता है की आय के सन्दर्भ में उसकी अपनी आय की सापेक्षता के ऊपर निर्भर करता है।" कहने का आशय यह है कि उसका उपभोग उसकी अपनी आय के स्तर पर निर्भर नहीं करेगा बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि दूसरों की तुलना में उसकी आय कितनी है। उनके अनुसार यदि एक परिवार की आय बढ़े पर आय मापक पर इसकी सापेक्षिक स्थिति अपरिवर्तित रहे क्योंकि उन सभी परिवारों की आय भी, जिनके साथ वह सम्बन्ध स्थापित करता है, उसी दर से बढ़ गयी हो, तो उपभोग तथा बचत के बीच आय का बटवारा अपरिवर्तित रहेगा। परिवार की निरपेक्ष आय बढ़ी है, इसलिए उसकी निरपेक्ष बचत तथा उपभोग बढ़ेगा पर उपभोग पर होने वाले आय के व्यय का भाग वही बना रहेगा जो निम्नतर आय के स्तर पर था। दूसरी ओर यदि एक परिवार की आय अपरिवर्तित रहे, पर उन अन्य परिवारों की आय बढ़ जाये, तो उस परिवार की सापेक्षिक आय स्थिति नीचे गिरगी। सापेक्षिक आय परिकल्पना के अनुसार परिवार की सापेक्षिक आय स्थिति में गिरावट उसके उपभोग के ऊपर होने वाले आय के भाग में वृद्धि लायेगी, यद्यपि उसकी निरपेक्ष आय में कोई वृद्धि नहीं हुयी है। डूसेनबेरी यह प्रतिपादित करते हैं कि प्रत्येक परिवार समाज में अपने सापेक्षिक सामाजिक दर्जा को पूर्ववत बनाये रखने का प्रयास करता है और इसलिए अपनी निरपेक्ष आय का एक निश्चित अनुपात हमेशा उपभोग पर व्यय करता है।

उदाहरण के लिए यदि किसी अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्तियों की आय 20गुनी ऊपर उठ जाय तो इस उच्चतर निरपेक्ष आय स्तर पर भी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए **APC** की मात्रा पूर्ववत बनी रहेगी। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की सापेक्षिक आय स्थिति पूर्ववत बनी रहेगी, अब भी कुछ लोग सापेक्षिक रूप से धनी होगें जिनके ऊपर आय के अधिक भाग को उपभोग पर व्यय करने के सम्बन्ध में कोई सामाजिक दबाव नहीं होगा, तथा कुछ सापेक्षिक गरीब होगें जिनके ऊपर पहले जैसा सामाजिक दबाव बना रहेगा जिससे अपनी सापेक्षिक निम्नता को कम कर सकें और इसलिए वे पहले की ही तरह अपने निरपेक्ष आय का अधिक भाग उपभोग पर व्यय करते रहेंगे। इसके सम्बन्ध में तर्क देते हुए डूसेनबेरी कहते हैं कि लोगों में अपने पड़ोसियों के उपभोग के ढाँचें को अनुकरण करने तथा उच्चतर जीवन निर्वाह स्तर को प्राप्त करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है जिसे उन्होंने प्रदर्शन प्रभाव कहा।

4.3.3 स्थायी आय परिकल्पना

चालू उपभोग के निर्धारक चर के रूप में कीन्स वर्तमान उपभोग पर बल देते हैं। वह यह मानते हैं कि उपभोक्ता की आय सम्बन्धी आशाजनक प्रत्याशा निराशाजनक प्रप्याशा को समाप्त कर देगी और चूँकि निराशाजनक प्रत्याशा आशाजनक प्रत्याशा को निरस्त कर देगी या आय में वृद्धि की आशा के साथ ही साथ आय में घटने की निराशा भी हो सकती है। इस प्रकार कीन्स के अनुसार उपभोग व्यय पर पड़ने वाले दोनों ही प्रकार की प्रत्याशाओं के प्रभाव को छोड़ा जा सकता है। निरपेक्ष आय परिकल्पना तथा सापेक्ष आय परिकल्पना दोनों ही कीन्स की तरह उपभोग को चालू आय के ऊपर निर्भर मानते हैं। चालू आय से अभिप्राय उन सभी आय से है जिसे उपभोक्ता साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक रूप से सभी स्रोतों से प्राप्त करता है। पर कुछ अर्थशास्त्रियों ने, विशेष रूप से मिल्टन फ्रीडमैन ने चालू आय परिकल्पना को अस्वीकार किया तथा उसके स्थान पर उपभोग व्यय के निर्धारक के रूप में स्थायी आय की बात की। उनके अनुसार

किसी परिवार की स्थायी आय उसकी उस वर्ष की चालू आय से प्रदर्शित नहीं होती है बल्कि दीर्घकाल में प्राप्त प्रत्याशित आय से प्रदर्शित होती है। फ्रीडमैन के अनुसार किसी एक वर्ष में किसी परिवार की स्थायी आय उस वर्ष में प्राप्त चालू आय द्वारा नहीं निर्धारित होती है बल्कि इसका निर्धारक भविष्य में कई वर्षों में प्राप्य प्रत्याशित या सम्भावित आय द्वारा होता है। फ्रीडमैन के शब्दों में स्थायी आय को औसत आय के रूप में लिया जाना चाहिए जिसे एक उपभोक्ता इकाई स्थायी आय के रूप में मानती है तथा जो इसके अनुभव तथा दूरदर्शिता पर निर्भर करती है। स्थायी आय से अभिप्राय उस राशि से है जिसे उपभोक्ता इकाई, अपनी सम्पत्ति को पूर्ववत् बनाये रखे हुए उपभोग कर सकती है। प्रत्येक उपभोक्ता अपनी स्थायी आय का अनुमान अपनी मानवीय तथा गैरमानवीय सम्पत्ति के आधार पर प्राप्त करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि में किया गया विनियोग मानवीय सम्पत्ति के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। इस प्रकार का विनियोग जितना ही अधिक होगा भावी आय की प्रत्याशा उतनी ही अधिक होगी। प्राप्त मजदूरी तथा वेतन मानवीय पूँजी से प्राप्त आय होंगे जबकि किराया, ब्याज, लाभांश गैर सम्पत्ति से प्राप्त आय होंगी। इन दोनों ही स्रोतों से भावी प्राप्त आय का वर्तमान मूल्य या इसका कटौती किया गया मूल्य ही चालू सम्पत्ति होगी। और जब इस सम्पत्ति मूल्य को ब्याज की किसी दर से गुणा कर देते हैं तो स्थायी आय प्राप्त हो जाती है।

फ्रीडमैन के अनुसार किसी परिवार की किसी वर्ष में वास्तविक या मापित आय स्थायी से अधिक या कम हो सकती है। फ्रीडमैन किसी परिवार की मापित आय को दो भागों में विभक्त करते हैं–

(1) स्थायी आय **(Yp)** तथा

(2) अस्थायी आय **(Yt)**

आय में अप्रत्याशित वृद्धि या कमी को हम अस्थायी आय कहते हैं। इसलिए अस्थायी आय धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकती है। अप्रत्याशित रूप से वर्ष में

बोनस मिलना धनात्मक अस्थायी आय प्रदर्शित करता है पर दूसरी ओर किसी आकस्मिक कारण से फैक्ट्री के बन्द हो जाने के कारण आय की हानि ऋणात्मक अस्थायी आय प्रदर्शित करती है। फ्रीडमैन यह प्रतिपादित करते हैं कि इस प्रकार की आय की अप्रत्याशित कमी तथा वृद्धि दीर्घकाल में परस्पर निरस्त हो जाती है, पर अल्पकाल में बनी रहती है। इस प्रकार–

$$Ym = Yp + Yt \text{ - - - - } (i)$$ [1]

इस प्रकार किसी वर्ष में मापित आय अस्थायी आय के व्यवहार के फलस्वरूप स्थायी आय से अधिक या कम हो सकती है। यदि **Yt** धनात्मक हुई तो $Ym > Yp$ और यदि **Yt** ऋणात्मक रही तो $Ym < Yp$ पर यदि **Ym** तथा **Yt** बराबर हो तो अस्थायी आय **(Yt)** शून्य होगी।

इस प्रकार फ्रीडमैन मापित या वास्तविक उपभोग **(cm)** को भी दो भागों में विभक्त करते हैं–

(1) स्थायी उपभोग **(Cp)** तथा

(2) अस्थायी उपभोग **(Ct)**

अस्थायी आय की ही तरह अस्थायी उपभोग भी उपभोग में अप्रत्याशित वृद्धि या कमी है। 'डिसकाउन्ट सेल' योजना से आकृष्ट होकर किसी वस्तु का अप्रत्याशित रूप से क्रय धनात्मक अस्थायी उपभोग प्रदर्शित करेगा, जबकि कुकिंग गैस की अनुपलब्धता के कारण सामान्य रूप से इस उपभोग की जाने वाली वस्तु के उपभोग का स्थगन ऋणात्मक अस्थायी उपभोग प्रदर्शित करेगा। मापित आय की ही तरह मापित उपभोग भी अस्थायी उपभोग से अधिक या कम हो सकता है, इस प्रकार की स्थिति अस्थायी उपभोग से कारण होगी। इस प्रकार–

$$Cm = Cp + Ct \text{ - - - - } (ii)$$ [1]

काल श्रेणी **(Time series)** आँकडों के विश्लेषण के आधार पर फ्रीडमैन इस

स्रोत : 1. समष्टिभावी आर्थिक विश्लेषण, प्रो0 एस0एन0 लाल

निष्कर्ष पर आते हैं कि स्थायी उपभोग **(Cp)** तथा स्थायी आय **(Yp)** के बीच आनुपातिकता का सम्बन्ध है। उनके अनुसार चूँकि दीर्घकाल में आय तथा उपभोग दोनों में ही अप्रत्याशित कमी तथा अप्रत्याशित वृद्धि परस्पर निरस्त हो जाते हैं इसलिए स्थायी उपभोग स्थायी आय का एक निश्चित भाग बना रहता है। स्थायी आय की मात्रा ब्याज की दर **(i)** कुल सम्पत्ति (जिसमें मानवीय तथा गैर मानवीय सम्मिलित हैं) के अनुपात के रूप में गैर मानवीय सम्पत्ति तथा रूचि के ऊपर निर्भर करती है। जहाँ तक रूचि की बात है यह आयु तथा परिवार के ढाँचे के ऊपर निर्भर करती है। स्पष्ट है, परिवार की इन विशिष्ट विशेषताओं के कारण स्थायी आय के समान होने के बावजूद भी परिवार के स्थायी उपभोग भिन्न हो सकते हैं। पर यदि यह मान लिया जाए कि परिवार की ये विशेषतायें आय के स्तर के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं, तो यह माना जा सकता है कि स्थायी आय का औसत भाग वहीं बना रहेगा। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि परिवारों के विभिन्न आय स्तरों पर औसत बचत की प्रवृत्ति वही बनी रहेगी। इस तर्क के आधार पर फ्रीडमैन एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण पर सामान्य धारणा से विरोधी बात प्रतिपादित करते हैं– " धनी तथा गरीब दोनों ही अपनी आय का एक ही भाग बचत पर लगाते हैं।" फ्रीडमैन अपने इस बात के प्रतिपादन के सम्बन्ध में यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि बचत का प्रमुख उद्देश्य परिवार के लिए भावी उपभोग की व्यवस्था करना है। एक लम्बी अवधि के दौरान, जो जीवन अवधि से कम पर एक वर्ष से अधिक होगी परिवार के उपभोग को बराबर बनाये रखने के लिए ही बचत की जाती है। इस प्रकार का व्यवहार आय के प्रत्येक स्तर पर परिवारों द्वारा किया जायेगा। इसलिए धनी तथा गरीब दोनों ही इस उद्देश्य के कारण अपनी आय का एक ही भाग बचत करेंगे। पर बहुत लोग फ्रीडमैन की इस बात से सहमत नहीं है। उनका यह मत है कि यद्यपि यह मान भी लिया जाय कि धनी तथा गरीब दोनों ही परिवार के भावी उपभोग को बराबर बनाये रखने के लिए बचत करते हैं पर चूँकि भावी उपभोग वस्तुओं के सम्बन्ध में वरीयता गरीब

परिवार की अपेक्षा धनी परिवार में अधिक होगी, इसलिए गरीब परिवार अपनी अत्यन्त ही कम आय का उतना अनुपात बचत पर नहीं लगा पायेगा जितना धनी परिवार अपनी अत्यधिक आय का लगायेगा। फ्रीडमैन स्थायी उपभोग तथा स्थायी आय सम्बन्ध को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है–

Cp = KYp - (0 < K < 1) .... (iii)[1]

जिसमें **K** स्थायी उपभोग **(Cp)** तथा स्थायी आय **(Yp)** के बीच आनुपातिक गुणांक है। दिये हुए आनुपातिक सम्बन्ध के साथ, समुदाय की दीर्घकालीन **APC** दीर्घकालीन **MPC** के बराबर होगी। गुणांक **K** सिद्धान्त में स्थिर नहीं है। इसमें जनसंख्या की आयु संरचना, ब्याज की दर, तथा गैरमानवीय आय तथा स्थायी आय के बीच अनुपात आदि के कारण परिवर्तन हो सकता है। इसलिए **(iii)** में प्रदर्शित उपभोग फलन को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है–

Cp = K (i,w,u) Yp ....(iv)[1]

जिसमें **i** = ब्याज दर, **w** = गैर मानवीय सम्पत्ति तथा **Yp** के बीच सम्बन्ध **u** = सम्पत्ति में लगाने की तुलना में उपभोग पर खर्च करने की प्रवृत्ति जो समुदाय की आयु संरचना पर निर्भर करेगी।

यद्यपि अनेक व्यावहारिक अध्ययनों ने मिल्टन फ्रीडमैन की आय परिकल्पना की पुष्टि की है, पर अनेक अर्थशास्त्रियों ने इसकी कमजोरियों का उल्लेख किया तथा आलोचना की है। इसके सम्बन्ध में दी गयी आलोचनायें इस परिकल्पना में निहित प्रमुख रूप से दो मान्यताओं से सम्बद्ध हैं– उपभोग की औसत प्रवृत्ति **(APC)** के स्थिर होने की मान्यता तथा दूसरा स्थायी आय से सम्बन्धित उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति **(MPC)** के शून्य होने की मान्यता।

इरविन फ्रेण्ड तथा इरविन क्राविस ने **APC** के स्थिर होने की फ्रीडमैन की धारणा की आलोचना की तथा अपने अध्ययन के बाद यह दावा किया कि स्थायी आय की वृद्धि

स्रोत : 1. समष्टिभावी आर्थिक विश्लेषण, प्रो0 एस0एन0 लाल

के साथ **APC** में गिरावट आती है। एम० इ० क्रेमिन, बर्ड एवं बॉडकिन, पी जे तौबमैन आदि ने अस्थायी आय से सम्बन्धित **MPC** के शून्य होने की धारणा को चुनौती दी। पर इन आलोचनाओं के बावजूद भी स्थायी आय परिकल्पना की उपादेयता है।

आय के उपर्युक्त सैद्धान्तिक, आर्थिक विश्लेषणोपरान्त अनुभवगम्य आधार पर अध्ययन क्षेत्र कमासिन विकासखण्ड में संस्थागत वित्त से सम्बद्ध लाभार्थियों के आय के स्तर का विश्लेषण संकलित प्राथमिक समंकों एवं सारणियन के आधार पर निम्नवत् किया जा रहा है–

4.क. आय के स्रोत

संस्थागत वित्त से सम्बद्ध कमासिन विकासखण्ड के लाभार्थियों के आय के स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए सर्व प्रथम आय के स्रोतों को निम्न दो भागों में बाँट कर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है–

4.क.1. आय के मुख्य स्रोत

कमासिन विकास खण्ड के लाभार्थियों के आय का मुख्य स्रोत कृषि है। अतः सर्वप्रथम चयनित 500 प्रतिदर्श के लाभार्थियों के कृषि योग्य भूमि की स्थिति का विवरण तालिका संख्या **4.1** व चित्र सं0 4.7 में निम्नवत् दिखलाया गया है–

तालिका संख्या : 4.1

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों के कृषि योग्य भूमि की स्थिति

क्र0 सं0	कृषि योग्य भूमि की स्थिति	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	हाँ	315	63.00
2.	नहीं	185	37.00
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

चित्र संख्या : 4.7
कृषि योग्य भूमि की स्थिति

तालिका संख्या 4.1 प्रदर्शित करती है कि 315 लाभार्थियों (63.00 प्रतिशत) के पास कृषि योग्य भूमि है और शेष 185 लाभार्थियों (37.00 प्रतिशत) के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है।

तालिका संख्या : 4.2

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों के कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता

क्र0 सं0	कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता (एकड़ में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0–5	150	30.00
2.	5–10	60	12.00
3.	10–15	40	08.00
4.	15–20	30	06.00
5.	20–25	20	04.00
6.	25 से अधिक	15	03.00
	समग्र का योग	**315**	**63.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : चयनित प्रतिदर्श लाभार्थी 500 में 315 लाभार्थियों के पास ही कृषि योग्य भूमि है इसलिए प्रदर्शित प्रतिशत 100 से कम है।

तालिका संख्या 4.2 इसी परिप्रेक्ष्य में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता को व्यक्त कर रही है। यह तालिका स्पष्ट कर रही है कि सर्वाधिक 150 लाभार्थियों (30.00 प्रतिशत) के पास मात्र (0–5) एकड़ तक ही कृषि योग्य भूमि है और सबसे कम केवल 15 लाभार्थियों (03.00 प्रतिशत) के पास ही 25 एकड से अधिक कृषि योग्य भूमि है।

तालिका संख्या : 4.3

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों की कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की उपलब्धता

क्र0 सं0	सिंचाई की उपलब्धता	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**
1.	सिंचित	30	06.00
2.	असिंचित	285	57.00
	समग्र का योग	**315**	**63.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) चयनित 500 लाभार्थियों में से केवल 315 लाभार्थियों के पास ही कृषि योग्य भूमि है इसलिए चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत 100.00 से कम है।

तालिका संख्या 4.3 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों की कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की उपलब्धता पर प्रकाश डाल रही है। यह तालिका स्पष्ट कर रही है कि 57.00 प्रतिशत लाभार्थियों की कृषि योग्य भूमि असिंचित है जबकि केवल 06.00 प्रतिशत लाभार्थियों की भूमि ही सिंचित है।

तालिका संख्या : 4.4

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों के फसल–चक्र की स्थिति

क्र0 सं0	फसल चक्र	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	एक फसल	252	50.40
2.	दो फसल	60	12.00
3.	तीन फसल	3	0.60
	समग का योग	**315**	**63.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) चयनित 500 लाभार्थियों में से 315 लाभार्थियों के पास ही कृषि योग्य भूमि है इसलिए चयनित लाभार्थियों का समग्रसे प्रतिशत 100.00 से कम है।

इसी अनुक्रम में तालिका संख्या 4.4 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों के फसलचक्र के अवस्थिति को व्यक्त कर रही है। केवल एक ही फसल ज्यादातर लाभार्थीगण वर्ष में प्राप्त कर पाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें सिंचाई और अन्य सुविधाओं की कमी की स्थिति में कृषि से पर्याप्त आय नहीं हो पाती है। अतः उन्हें संस्थागत वित्त की आवश्यकता होती है।

तालिका संख्या : 4.5

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों की कृषिगत वार्षिक– आय

क्र0 सं0	कृषिगत वार्षिक आय (रू0 में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0–20,000	155	31.00
2.	20,000–40,000	60	12.00
3.	40,000–60,000	40	08.00
4.	60,000–80,000	35	07.00
5.	80,000–1,00,000	10	02.00
6.	1,00,000 से अधिक	15	03.00
	समग्र का योग	**315**	**63.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी :(1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) चयनित 500 लाभार्थियों में से केवल 315 लाभार्थियों के पास ही कृषि योग्य भूमि है इसलिए चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत 100.00 से कम है।

तालिका संख्या 4.5 लाभार्थियों की कृषिगत वार्षिक आय को स्पष्ट रूप से दिखला रही है ऐसे लाभार्थियों की संख्या सर्वाधिक 170 (34.00 प्रतिशत) है जो कि 20000 रूपये तक कृषिगत वार्षिक आय प्राप्त करते हैं और समग्र में ऐसे लाभार्थियों की संख्या मात्र 15 (03.00 प्रतिशत) है जो 100000 रूपये से अधिक वार्षिक कृषिगत आय प्राप्त करते हैं। स्पष्टतः कृषि, आय का मुख्य स्रोत होते हुये भी लाभार्थियों के लिए पर्याप्त आय का स्रोत नहीं है जिस कारण उन्हें आय के सहायक स्रोतों पर भी निर्भर रहना पड़ता है।

4.क.2. आय के सहायक स्रोत

जैसा कि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कृषि आय का मुख्य स्रोत होते हुये भी कमासिन विकासखण्ड के लाभार्थियों के लिए लाभप्रद स्रोत नहीं है और ज्यादातर

लाभार्थियों को अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी परेशानी होती है जिस कारण उनको आय के सहायक स्रोतों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। कमासिन विकास खण्ड में लाभार्थियों द्वारा आय के सहायक स्रोतों का विवरण निम्नलिखित सारणी संख्या 4.6 में दर्शाया गया है–

तालिका संख्या : 4.6

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों के आय के सहायक स्रोत

क्र0 सं0	आय के सहायक स्रोत	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	कृषि आधारित उद्योग धन्धे	45	09.00
2.	कृषि से सम्बद्ध सेवायें	75	15.00
3.	पशुपालन	230	46.00
4..	अन्य स्रोत	60	12.00
	समग्र का योग	**410**	**82.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) चयनित 500 लाभार्थियों में से 410 लाभार्थी कृषि के साथ –साथ आय के अन्य सहायक स्रोत भी अपनाये हुये हैं।

(3) चयनित 500 लाभार्थियों में से चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत निकाला गया है जिस कारण प्रतिशत 100.00 से कम है।

(4) उपर्युक्त समग्र के योग 410 में कुछ ऐसे लाभार्थी भी सम्मिलित हैं जो भूमिहीन हैं और आय के उपर्युक्त स्रोतों को अपनाये हैं।

तालिका संख्या 4.6 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों के सहायक आय के स्रोतों को दिखलाती है। पशुपालन सहायक आय का प्रमुखता से अपनाया जाने वाला स्त्रोत है इसको चयनित लाभार्थियों में 230 लाभार्थी (46.00 प्रतिशत) अपनाए हुए हैं जबकि सबसे कम 45 लाभार्थी (09.00 प्रतिशत) कृषि आधारित उद्योग धन्धों को अपनाए हुये हैं।

4.ख. कृषि क्षेत्र में मजदूरी से प्राप्त आय

विकासखण्ड कमासिन में सबसे बड़ी समस्या कृषि मजदूरों की है इनको कृषि क्षेत्र में मजदूरी से जो आय प्राप्त होती है वह पर्याप्त नहीं होती और उनका भूस्वामी द्वारा अनेकों प्रकार से शोषण किया जाता है अतः अगर यह कहा जाय कि इस विकासखण्ड का सबसे उपेक्षित वर्ग कृषि श्रमिक है तो अतिशयोक्ति न होगी। इस वर्ग में सीमान्त कृषकों को भी सम्मिलित किया गया है क्योंकि अत्यन्त छोटी जोत होने के कारण सीमान्त कृषकों की आय का मुख्य स्त्रोत कृषि क्षेत्र से मिलने वाली मजदूरी ही है। वे बटाई पर भूमि लेकर स्वयं खेती करते हैं तथा दूसरों के खेतों में मजदूरी भी करते हैं। तालिका संख्या 4.7 कृषि क्षेत्र में लगे हुये मजदूरों की संख्या को निम्न प्रकार प्रदर्शित करती है–

तालिका संख्या : 4.7

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों में कृषि मजदूरों की संख्या

क्र0 सं0	कृषि मजदूरों की संख्या	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	हाँ	240	48.00
2.	नहीं	260	52.00
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) चयनित लाभार्थियों की संख्या में सीमान्त कृषकों को भी सम्मिलित किया गया है क्योंकि कम भूमि होने के कारण वो भी कृषि मजदूरी करते हैं।

तालिका संख्या 4.7 प्रदर्शित करती है कि विकास खण्ड कमासिन में 240 लाभार्थी कृषि मजदूर हैं जो चयनित लाभार्थियों का 48.00 प्रतिशत हैं। इनमें वह सीमान्त कृषक भी सम्मिलित हैं जो अत्यन्त कम भूमि होने के कारण कृषि क्षेत्र में

मजदूरी से आय अर्जित करते हैं। कृषि मजदूरी से अर्जित होने वाली आय को निम्नलिखित दो भागों में बाँटा जा सकता है–

4.ख.1. स्थायी आय

स्थायी आय से आशय कृषि मजदूरों की उस आय से है जो किसी भू स्वामी के साथ पूरे वर्ष या निश्चित अवधि तक काम करते हैं। उनका भू स्वामी के साथ किसी न किसी प्रकार का ठेका होता है। तथा उनकी मजदूरी पहले से चली आयी परम्परा के अनुसार निर्धारित होती है। तालिका संख्या 4.8 कृषि क्षेत्र में मजदूरी से प्राप्त होने वाली वार्षिक स्थायी आय को प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 4.8

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा कृषि मजदूरी से प्राप्त होने वाली वार्षिक स्थायी आय

क्र0 सं0	आय–वर्ग (रूपये में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0–20,000	177	35.40
2.	20,000–40,000	63	12.60
	समग्र का योग	240	48.00

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) चयनित 500 लाभार्थियों में से समग्र का प्रतिशत निकाला गया है जिस कारण प्रतिशत 100.00 से कम है।

तालिका संख्या 4.8 प्रदर्शित कर रही है कि सर्वाधिक 177 लाभार्थी कृषि क्षेत्र में मजदूरी से 0–20,000 रूपये वार्षिक अर्जित कर पाते हैं जबकि 63 लाभार्थी 20,000–40,000 रूपये वार्षिक अर्जित कर पाते हैं। तथा 40000 रूपये से अधिक कोई भी लाभार्थी मजदूरीगत आय नहीं अर्जित कर पाते।

तालिका संख्या : 4.9

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा मजदूरीगत आय को स्थाई रूप से न बढ़ा पाने के सन्दर्भ में प्रतिक्रिया

क्र0 सं0	मजदूरीगत आय के स्थायी रूप से न बढ़ने के कारण	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	अशिक्षा	70	14.00
2.	कम आय	30	06.00
3.	अवसरों का अभाव	125	25.00
4.	पूंजी की कमी	15	03.00
	समग्र का योग	**240**	**48.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) चयनित 500 लाभार्थियों में से समग्र का प्रतिशत निकाला गया है जिस कारण प्रतिशत 100.00 से कम है।

तालिका संख्या 4.9 मजदूरीगत आय को स्थायी रूप से न बढ़ा पाने के सन्दर्भ में चयनित लाभार्थियों की प्रतिक्रिया बता रही है जिसमें सर्वाधिक 125 लाभार्थियों (25.00 प्रतिशत) ने अवसरों का अभाव व सबसे कम 15 लाभार्थियों (03.00 प्रतिशत) ने पूँजी की कमी बताकर आय न बढ़ा पाने की असमर्थता जाहिर की।

तालिका संख्या : 4.10

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा मजदूरीगत आय को स्थाई रूप से बढ़ाने के सन्दर्भ में प्रतिक्रिया

क्र0 सं0	लाभार्थियों की प्रतिक्रिया	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	हाँ	186	37.20
2.	नहीं	54	10.80
	समग्र का योग	**240**	**48.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) चयनित 500 लाभार्थियों में से समग्र का प्रतिशत निकाला गया है जिस कारण प्रतिशत 100.00 से कम है।

तालिका संख्या 4.10 कृषि क्षेत्र में मजदूरीगत आय को स्थायी रूप से बढ़ाने के सन्दर्भ में चयनित लाभार्थियों की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। तालिका से स्पष्ट है कि 54 लाभार्थी (10.80 प्रतिशत) अपनी मजदूरीगत आय को बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं जबकि 186 लाभार्थी (37.20 प्रतिशत) अपनी मजदूरीगत आय को स्थायी रूप से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने आकस्मिक आय के स्रोतों का प्रयोग किया है।

4.ख.2. आकस्मिक आय

आकस्मिक आय वह आय है जो अचानक ही प्राप्त हो जाती है। तथा जो अनावर्ती प्रकार की होती है और अचानक अवसर प्राप्त हो जाने पर अर्जित कर ली जाती है। कमासिन विकास खण्ड के ऐसे लाभार्थी जिनकी मजदूरीगत आय के स्थायी स्रोत से बहुत कम आय हो रही है वह इस स्रोत को भी अपनाकर अपनी मजदूरीगत आय को बढ़ाने का प्रयास करते हैं जैसा कि तालिका संख्या 4.11 में दिखाया गया है–

तालिका संख्या : 4.11

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों के मजदूरीगत आय के आकस्मिक स्रोत

क्र0 सं0	अस्थायी आय के स्रोत	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	मेले में दुकान लगाना	07	01.40
2.	छप्पर छाना	90	18.00
3.	ईंट पाथना	80	16.00
4.	अन्य	09	01.80
	समग्र का योग	**186**	**37.20**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) चयनित 500 लाभार्थियों में से समग्र का प्रतिशत निकाला गया है जिस कारण प्रतिशत 100.00 से कम है।

तालिका संख्या 4.11 स्पष्ट करती है कि सर्वाधिक 90 लाभार्थी (18.00 प्रतिशत) छप्पर छाने को आकस्मिक स्त्रोत के रूप में अपनाते हैं जबकि सबसे कम 07 लाभार्थी (1.40 प्रतिशत) मेले में दुकान लगाना स्रोत को अपनाये हैं।

4.ग. पशुपालन से प्राप्त आय

ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन का अत्यधिक महत्व है। यह लाभार्थी द्वारा आय के सहायक स्त्रोत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। भूमि पर बढ़ते हुये जनभार को देखते हुये यह जरूरी है कि पशुधन के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। भारत के पहाड़ी क्षेत्रों, राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले राज्यों और बिहार तथा उड़ीसा जैसे पिछड़े हुये प्रान्तों में कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पशुपालन को एक मुख्य सहायक उद्योग धन्धे के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों ने पशुपालन के अन्तर्गत पशुओं की नस्ल सुधारने से सम्बन्धित कार्यक्रम चलाये हैं। विकासखण्ड कमासिन के अन्तर्गत वर्तमान समय में पशुओं की कुल संख्या 88,850 है। जिसमें गोजातीय पशुओं की संख्या 46,754 व महिष जातीय पशुओ की संख्या 22120 है तथा शेष 19976 में अन्य पशु जैसे– भेड़, बकरा, बकरी, घोड़े, टट्टू व सुअर आदि हैं। तालिका संख्या 4.12 चयनित लाभार्थियों की उस संख्या को दर्शा रही है जो स्वयं प्रयोग हेतु या आय अर्जन हेतु पशुओं को पाले हुये हैं–

तालिका संख्या : 4.12

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा पाले जाने वाले पशु

क्र0 सं0	पशुओं के नाम	प्रतिदर्श संख्या	चयनित प्रतिदर्श संख्या का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	गाय व बैल	346	69.20
2.	भैंस व भैंसा	154	30.80
3.	बकरी व बकरा	140	28.00
4.	भेड़	25	05.00
5.	घोड़े व टट्टू	46	09.20
6.	सुअर व अन्य	03	0.60

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

तालिका संख्या 4.12 स्पष्ट करती है कि चयनित लाभार्थियों में सर्वाधिक 346 लाभार्थियों (69.20 प्रतिशत) ने गाय व बैल पाल रखा है जबकि सबसे कम सुअर व अन्य 03 लाभार्थियों (0.60 प्रतिशत) द्वारा पाला गया है।

तालिका संख्या : 4.13

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा पशुपालन को आय अर्जन के स्रोत के रूप में अपनाने की प्रतिक्रिया

क्र0 सं0	लाभार्थियों की प्रतिक्रिया	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	हाँ	230	46.00
2.	नहीं	270	54.00
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 4.13 स्पष्ट करती है कि कुल चयनित लाभार्थियों में केवल 230 लाभार्थी (46.00 प्रतिशत) ही पशुपालन को आय अर्जन के स्रोत के रूप में अपनाये हुये हैं। तथा शेष 270 लाभार्थी (54.00 प्रतिशत) पशुपालन द्वारा आय अर्जित नहीं करते।

तालिका संख्या : 4.14

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा पशुपालन से अर्जित वार्षिक आय

क्र0 सं0	आय–वर्ग (रूपये में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0–10,000	35	07.00
2.	10,000–20,000	153	30.60
3.	20,000–30,000	15	03.00
4.	30,000–40,000	07	01.40
5.	40,000–50,000	20	04.00
	समग्र का योग	**230**	**46.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) चयनित 500 लाभार्थियों में से समग्र का प्रतिशत निकाला गया है जिस कारण प्रतिशत 100.00 से कम है।

तालिका संख्या 4.14 स्पष्ट करती है कि पशुपालन से आय अर्जित करने वाले लाभार्थियों में सर्वाधिक 153 लाभार्थी (30.60 प्रतिशत) 10,000–20,000 रूपये तक वार्षिक आय अर्जित कर पाते हैं तथा सबसे कम 7 लाभार्थी (1.40 प्रतिशत) 30,000–40,000

के मध्य वार्षिक आय अर्जित करते हैं। जबकि पशुपालन से 50,000 रूपये से अधिक कोई भी लाभार्थी वार्षिक आय अर्जित नहीं कर पाता।

4.घ. गैर कृषि आयों से प्राप्त आय

गैर कृषि आयों से प्राप्त आय में उन लाभार्थियों की आय को सम्मिलित किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्र मे अपनी सेवायें देकर आय अर्जित करते हैं। इनमें नाई, सुनार, बढ़ई, लुहार, जुलाहे व राजमिस्त्री आदि आते हैं। इन विभिन्न कारीगरों द्वारा जो सेवायें प्रदान की जाती है उनका उपयोग सामान्यतः परिवार के स्तर पर किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के कई शिल्पी और कारीगर अत्यधिक श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं का निर्माण करते है और अपनी आय अर्जित करते हैं। तालिका संख्या 4.15 इनकी संख्या को स्पष्ट करती है–

तालिका संख्या : 4.15

गैर कृषि आयों से प्राप्त आय के चयनित लाभार्थियों की संख्या

क्र0 सं0	आय के स्रोत	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	बढ़इगीरी व लुहारगीरी	36	7.20
2.	नाई	08	1.60
3.	दर्जी	06	1.20
4.	सुनार	07	1.40
5.	जुलाहा	03	0.60
6.	राजमिस्त्री	10	2.00
	समग्र का योग	**70**	**14.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) चयनित 500 लाभार्थियों में से समग्र का प्रतिशत निकाला गया है जिस कारण प्रतिशत 100.00 से कम है।

तालिका संख्या 4.15 स्पष्ट करती है कि अध्ययन क्षेत्र के गैर कृषि आयों से प्राप्त

आय के लाभार्थियों में सर्वाधिक 36 लाभार्थी (7.20 प्रतिशत) बढ़ईगीरी व लुहारगीरी में लगे हैं जबकि सबसे कम 03 (0.60 प्रतिशत) लाभार्थी जुलाहे के काम में लगे हैं।

तालिका संख्या : 4.16

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा गैर कृषि आयों से प्राप्त वार्षिक आय

क्र0 सं0	आय–वर्ग (रूपये में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0–10,000	08	1.60
2.	10,000–20,000	46	9.20
3.	20,000–30,000	16	3.20
	समग्र का योग	70	14.00

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) चयनित 500 लाभार्थियों में से मात्र 70 लाभार्थी ही ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवायें देकर आय अर्जित कर रहे हैं जिस कारण समग्र से प्रतिशत 100 से कम है।

तालिका संख्या 4.16 स्पष्ट करती है कि सर्वाधिक 46 लाभार्थी (9.20 प्रतिशत) 10,000–20,000 रूपये के मध्य गैर कृषि आयों से आय अर्जित करते हैं जबकि सबसे कम 08 लाभार्थी (1.60 प्रतिशत) 0–10,000 रूपये तक वार्षिक आय अर्जित करते हैं।

4.ड़0. विक्रय से प्राप्त आय

विक्रय से प्राप्त आय वस्तुतः कृषि उपज की बिक्री से प्राप्त आय है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि से सम्बद्ध आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि देश के आर्थिक विकास में कृषि की निर्णायक भूमिका है। कृषि उपज का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसकी बिक्री से सम्बद्ध है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप अब भी सामान्य परिवर्तनों के सहित परम्परागत ही बना है। इसलिए कृषक अब भी विपणन के परम्परागत माध्यमों का उपयोग करते है। तालिका संख्या 4.17 लाभार्थियों द्वारा कृषि पदार्थों के विक्रय के

माध्यमों को स्पष्ट कर रही है–

तालिका संख्या : 4.17

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा कृषि उपज के विक्रय के माध्यम

क्र0 सं0	विक्रय का माध्यम	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	साहूकारों एवं महाजनों को	83	16.60
2.	ग्रामों में लगने वाले साप्ताहिक हाटों व बाजारों में	76	15.20
3.	कस्बों व नगरों में स्थित कृषि मंडियों में	186	37.20
4.	राजकीय खरीद केन्द्रों में	40	08.00
	समग्र का योग	**315**	**77.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) चयनित 500 लाभार्थियों में 315 लाभार्थियों के पास कृषि योग्य भूमि है जो अतिरिक्त उपज को विक्रय हेतु प्रस्तुत करता है। जिस कारण प्रतिशत 100.00 से कम है।

तालिका संख्या 4.17 स्पष्ट करती है कि सर्वाधिक 186 लाभार्थी (37.20 प्रतिशत) कस्बों व नगरों में स्थित कृषि मंडियों में अपनी कृषि उपज को बेचते हैं जबकि सबसे कम 40 लाभार्थी (08.00 प्रतिशत) ही अपनी कृषि उपज को राजकीय खरीद केन्द्रों में बेचते हैं।

4.च. अन्य स्रोतों से प्राप्त आय

अन्य स्रोतों से प्राप्त आय में निम्नलिखित स्त्रोतों से प्राप्त आय को सम्मिलित किया जायेगा–

(1) मुर्गीपालन

(2) मत्स्य पालन

(3) रेशम कीट पालन

(4) दोना–पत्तल उद्योग

(5) दरी उद्योग

(6) मिट्टी के बर्तन उद्योग

तालिका संख्या 4.18 अन्य स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे लाभार्थियों की संख्या स्पष्ट कर रही है–

तालिका संख्या : 4.18

अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के चयनित लाभार्थियों की संख्या

क्र0 सं0	आय के अन्य स्रोत	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	मुर्गीपालन उद्योग	45	09.00
2.	मत्स्यपालन उद्योग	25	05.00
3.	रेशम कीट पालन	08	01.60
4.	दोना पत्तल उद्योग	42	08.40
5.	दरी उद्योग	18	03.60
6.	मिट्टी के बर्तन उद्योग	32	06.40
	समग्र का योग	**170**	**34.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) चयनित 500 लाभार्थियों में केवल 170 लाभार्थी ही आय के अन्य स्रोत अपनाये हुये हैं जिस कारण चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत 100.00 से कम है।

तालिका संख्या 4.18 स्पष्ट करती है कि अन्य स्रोतों से सर्वाधिक 45 लाभार्थी (09.00 प्रतिशत) मुर्गीपालन में लगे हैं जबकि सबसे कम 08 लाभार्थी (01.60 प्रतिशत) रेशम कीट पालन में लगे हैं।

तालिका संख्या : 4.19

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय

क्र0 सं0	आय–वर्ग (रूपये में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0–10,000	25	05.00
2.	10,000–20,000	32	06.40
3.	20,000–30,000	48	09.60
4.	30,000–40,000	53	10.60
5.	40,000–50,000	12	02.40
	समग्र का योग	**170**	**34.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) चयनित 500 लाभार्थियों में से केवल 170 लाभार्थी ही आय के अन्य स्रोत अपनाये हुये हैं इसलिए चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत 100.00 से कम है।

तालिका संख्या 4.19 स्पष्ट कर रही है कि अन्य स्रोतों के अन्तर्गत सर्वाधिक 53 लाभार्थी (10.60 प्रतिशत) 30,000–40,000 रूपये तक वार्षिक कमा रहे हैं जबकि 12 लाभार्थी (02.40 प्रतिशत) 40,000–50,000 रूपये के मध्य वार्षिक आय अर्जित कर रहे हैं।

तालिका संख्या : 4.20

ग्रामीण विकास की सरकारी योजनाओं में भागीदारी करके आय बढ़ाने के प्रयास के सन्दर्भ में चयनित लाभार्थियों की प्रतिक्रिया

क्र0 सं0	लाभार्थियों की प्रतिक्रिया	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	हाँ	500	100.00
2.	नहीं	000	000.00
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 4.20 ग्रामीण विकास की सरकारी योजनाओं में भागीदारी करके आय बढाने के प्रयास के सन्दर्भ में लाभार्थियों की प्रतिक्रिया को दिखलाती है। यह प्रतिक्रिया शत प्रतिशत है।

तालिका संख्या : 4.21

कृषि अवकाश अवधि में शहरों में अतिरिक्त आय अर्जित करने हेतु जाने के सन्दर्भ में प्रतिक्रिया

क्र0 सं0	लाभार्थियों की प्रतिक्रिया	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	हाँ	152	30.40
2.	नहीं	348	69.60
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 4.21 कृषि अवकाश अवधि में शहरों में अतिरिक्त आय अर्जित करते के लिए जाने के सन्दर्भ में प्रतिक्रिया को दिखलाती है। समग्र के 348 लाभार्थी (69.60 प्रतिशत) अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए बड़े शहरों में नहीं जाना चाहते।

तालिका संख्या : 4.22

कृषि अवकाश के महीनों में शहरों में आय अर्जित करने हेतु जाने के कारण

क्र0 सं0	शहरों में जाने के कारण	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1	गांवों में कार्य अवसरों की कमी	65	13.00
2.	कार्य आसानी से प्राप्त होना	12	02.40
3.	अधिक पारिश्रमिक	35	07.00
4.	रहने की सुविधा	01	00.20
5.	गांव में शोषणकारी प्रवृत्ति	02	00.40
6.	परिवार के सदस्यों की अधिक संख्या	12	02.40
7.	सिंचाई सुविधा का अभाव	25	05.00
	समग्र का योग	**152**	**30.40**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) चयनित 500 लाभार्थियों में से समग्र का प्रतिशत निकाला गया है जिस कारण प्रतिशत 100.00 से कम है।

तालिका संख्या 4.22 उपरोक्त कारणों को स्पष्ट करती है। सर्वाधिक 65 लाभार्थियों (13.00 प्रतिशत) ने गांवों में कार्य अवसरों की कमी बताकर शहर जाने की इच्छा व्यक्त की।

पंचम अध्याय

पंचम अध्याय

लाभार्थी परिवारों का उपभोग–व्यय स्तर

- ☞ वर्तमान उपभोग
- ☞ टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुयें
- ☞ सेवाओं पर व्यय
- ☞ विवाद तथा अन्य सामाजिक अवसरों पर किया गया व्यय

पंचम अध्याय

जब व्यक्ति विशेष को आय प्राप्त होती है तब वह उसे व्यय करता है। अतः अर्थव्यवस्था में व्यय की प्रकृति ज्ञात करना तथा सैद्धान्तिक पृष्ठ भूमि को जानना अत्यन्त आवश्यक है। व्यय की प्रकृति के विभिन्न बिन्दुओं को निम्नवत् प्रदर्शित किया जा सकता है–

5.1. व्यय से आशय

किसी भी समयावधि में उत्पादन क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधनों से जो पारितोषिक प्राप्त होता है, उसे उस समयावधि की आय कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति की आय उस व्यक्ति की एक निश्चित समय की उस अधिकतम व्यय सामर्थ्य को दिखलाती है जो वह इस समय में अपनी पूर्व आर्थिक स्थिति के ऊपर प्राप्त करता है। इस तरह आय जहाँ एक ओर उत्पादन क्रिया का परिणाम है, वहीं दूसरी ओर व्यय के सापेक्ष एक निश्चित मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं पर अधिकार है। उल्लेखनीय है कि आय अर्जक चाहे तो इस आय का उपयोग उपभोग व्यय में करे अथवा इसके द्वारा अपनी परिसम्पत्ति बढ़ाये।

जहाँ तक उपभोक्ता अथवा व्ययकर्ता के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र के संस्थागत वित्त के लाभार्थी का प्रश्न है वह अपनी आय कृषि, कृषि सम्बन्धित सहायक क्रियाओं , कृषि मजदूरी या लघु–कुटीर–उद्योग धन्धों के उत्पादन साधन के रूप में प्राप्त करता है, को मूलतः उपभोग व्यय एवं बचत में आबंटित करता है और प्रचलित बाजारी कीमतों पर वस्तुओं एवं सेवाओं के आवश्यक, विलासिता एवं अन्य विविध उपभोग स्वरूपों पर वह जो मौद्रिक आय वितरित करता है, उसे ही व्यय कहा जा सकता है। इस प्रकार हम व्यय की एक उचित परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं–

"मनुष्य की आय का वह भाग जिसका प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है व्यय कहलाता है।"

5.2. व्यय के प्रकार

सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से व्यय कई प्रकार के हो सकते हैं। ध्यातव्य है कि सकल उपभोग व्यय सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यय है और सैद्धान्तिक धरातल पर कम से कम प्रभावपूर्ण माँग एवं अपूर्ण रोजगार सन्तुलन के परिप्रेक्ष्य में उपभोग व्यय ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विश्लेषण की सहजता तथा अनुभवगम्य जाँच हेतु व्यय के निम्नवत् प्रकार निर्धारित किये जा सकते हैं–

5.2.1. सामान्य उपभोग व्यय

सामान्य उपभोग व्यय वह व्यय है जिसमें उपभोक्ता अथवा व्ययकर्ता अपनी आय का एक भाग अनिवार्य रूप से आवश्यक सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर व्यय करता है। जैसे–गेहुँ, दाल, चावल, दूध, मक्खन, चाय, अण्डा, आदि वस्तुओं पर किया गया व्यय।

5.2.2. परिपोषक व्यय

मकान की मरम्मत, निर्माण व उसका किराया, मकान की आन्तरिक एवं वाह्य साज–सज्जा एवं परिधान पर किये गये व्यय को परिपोषक व्यय कहते हैं।

5.2.3. शिक्षा–परक व्यय

बच्चों की शिक्षा पर किया गया व्यय जैसे शिक्षा शुल्क, शिक्षा सामग्री पर किया गया व्यय आदि शिक्षा परक व्यय होता है।

5.2.4. मनोरंजन व्यय

मनोरंजन के साधनों पर किये गये व्यय को मनोरंजन व्यय कहते हैं।

5.2.5. चिकित्सा परक व्यय

दवाओं एवं अन्य प्रकार की चिकित्सा सम्बन्धी देय पर किये गये व्यय को चिकित्सा परक व्यय कहते हैं।

5.2.6. यात्रा व्यय

यात्रा के विभिन्न साधन जैसे– रिक्शा, ताँगा, ट्रेन, बस आदि के किराये–भाड़े

पर जो भी परिव्यय होता है, उसे यात्रा व्यय कहते हैं।

5.3 व्यय के समीकरण

ध्यातव्य है कि उपरोक्त वर्णित व्यय के विभिन्न व्ययों का वर्गीकरण व्यक्तिगत इकाई विश्लेषण पर अथवा व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण पर आधारित है। इसी विश्लेषण के आधार पर व्यक्तिगत व्यय के समीकरण का भी प्रतिपादन निम्न प्रकार किया जा सकता है–

5.3.1. समष्टि भावी व्यय समीकरण

समष्टि आर्थिक विश्लेषण के अन्तर्गत समग्र व्यय को गणितीय रूप में निम्नवत् स्पष्ट किया जा सकता है–

$$E = Y \quad ----------(i)$$

$$E_t = Y_t \quad --------(ii)$$

जहाँ,

E = सकल व्यय

Y = सकल आय

E_t = समय बिन्दु पर किया गया सकल व्यय

Y_t = समय बिन्दु पर सकल आय

समय पश्यता प्रभाव के साथ समष्टि भावी व्यय समीकरण–

$$E_t = F\ (Y_{t-1} + Y_{t-2} + Y_{t-3} + \ ----- \ + Y_{t-n})\ -----\ (iii)$$

जहाँ,

E_t = समय बिन्दु पर सकल व्यय

t-1 = पिछले समय की आय

t-2 = दूसरे पिछले समय का व्यय

t-3 = पिछले तीसरे समय बिन्दु की आय

t-n = पिछले अनन्त समय की आय

तथा **F** = निर्भरता को सूचित करता है।

और $$E \gtrless Y$$

समय पश्यता के साथ

$$E_t \gtrless Y_t$$

जहाँ,

E = सकल व्यय

Y = सकल आय

t = समय बिन्दु

$\gtrless$ = असाम्यता को प्रदर्शित करता है।

अतः

$$Et \gtrless (Y_{t-1} + Y_{t-2} + Y_{t-3} + \text{- - - - -} + Y_{t-n})$$

5.3.2. ब्यष्टि भावी व्यय समीकरण

वस्तुओं की विक्रय कीमत ही विक्रेता की आय होती है अर्थात् एक विक्रेता जितनी वस्तुयें बेचता है, उससे प्राप्त होने वाली कीमत ही उसकी आय होती है और एक क्रेता की दृष्टि से वस्तु के क्रय करने पर जो बाजारू कीमत होती है, वह उसका व्यय होता है। अतः एक विक्रेता की आय एवं एक क्रेता का व्यय दोनों ही बराबर होते हैं। इसी तथ्य को निम्नवत् समीकरण द्वारा निरूपित किया जा सकता है–

$$TR = TE$$

$$TR = PQ = TE$$

जहाँ,

TR = कुल आगम
TE = कुल व्यय
PQ = वस्तु की मात्रा का मूल्य

वस्तुतः क्रेताओं अथवा व्ययकर्ताओं द्वारा किये जाने वाला व्यय उनके उपभोग माँग अथवा उनके फलन पर निर्भर करता है। अतः उनका बाजारी उपभोग व्यय माँग फलन स्थैतिक या प्रावैगिक होगा।

5.4. उपभोग का आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम

एक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग व्यय की मात्रा के सम्बन्ध में केंज ने बताया कि आय उपभोग व्यय की मुख्य निर्धारक होती है। यह बात एक व्यक्ति तथा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लागू होती है।

उपभोग फलन उपभोग तथा आय के बीच सम्बन्ध को बताता है। केंज ने उपभोग तथा आय के बीच सम्बन्ध के बारे में दो मुख्य विचार प्रस्तुत किये।

प्रथम, केंज ने बताया कि उपभोग व्यय निर्भर करता है आय पर, अर्थात् उपभोग व्यय फलन होता है आय का। इसका अर्थ है कि आय में परिवर्तन होने से उपभोग व्यय में परिवर्तन होगा। माना **C** कुल उपभोग ब्यय को बताता है, **Y** कुल आय को बताती है। तथा **f** संकेत है फलन का तो उपभोग फलन को सांकेतिक रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है–

$$C = f(Y)$$

एक दी हुई आय में जो भाग या अनुपात उपभोग पर व्यय किया जाता है उसे केंज ने उपभोग प्रवृत्ति कहा तथा दी हुई आय में जो भाग या अनुपात बचाया जाता है उसे बचत प्रवृत्ति कहा।

दूसरा मुख्य विचार जो कि केंज ने आय तथा उपभोग के सम्बन्ध में बताया उसे आधारभूत 'मनोवैज्ञानिक नियम' कहा। केंज ने उपभोग के आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम को निम्न शब्दों में परिभाषित किया–

"आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम बताता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति नियम के रूप में तथा औसतन, आय में वृद्धि के साथ उपभोग में वृद्धि करने की होती है, परन्तु

उपभोग में उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी कि आय में वृद्धि होती है।"[1]

इसका अर्थ है कि जब एक व्यक्ति की निरपेक्ष आय में वृद्धि होती है तो वह उपभोग में भी वृद्धि करेगा, परन्तु वह समस्त बढ़ी हुई आय को उपभोग पर व्यय नहीं करेगा उसमें से कुछ हिस्सा बचायेगा। दूसरे शब्दों में आय में वृद्धि की तुलना में उपभोग व्यय में वृद्धि कम होगी। चूँकि केंज निरपेक्ष आय को लेते हैं इसलिए केंज के उपभोग फलन को निरपेक्ष आय सिद्धान्त भी कहा जाता है।

आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम तीन परस्पर सम्बन्धित बातों पर आधारित है–

(1) आय में वृद्धि होने पर उपभोग व्यय में वृद्धि होती है परन्तु आय वृद्धि से कम। दूसरे शब्दों में उपभोग व्यय तथा आय में गैर आनुपातिक सम्बन्ध होता है।

(2) आय में होने वाली वृद्धि उपभोग व्यय तथा बचत के बीच किसी अनुपात में विभाजित हो जाती है।

(3) आय में वृद्धि होने पर उपभोग व्यय तथा बचत दोनों में ही कुछ वृद्धि होगी, कमी नहीं।

इस नियम की मान्यतायें निम्नलिखित हैं–

(1) उपभोग व्यय को प्रभावित करने वाली मनोवैज्ञानिक तथा संस्थागत बातें स्थिर रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका अर्थ है कि लोगों की रूचियों, आदतों तथा रीतिरिवाजों, आय के वितरण, कीमतों, जनसंख्या आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता।

(2) सामान्य परिस्थितियों की उपस्थिति रहती है, अर्थात् युद्ध अति–स्फीति इत्यादि असामान्य स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होतीं।

(3) यह नियम उन्नतशील पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की मान्यता को लेकर चलता है जिसके अन्तर्गत उपभोग पर सरकार का बहुत कम हस्तक्षेप रहता है।

स्रोतः 1. अर्थशास्त्र, के0पी0 जैन व डॉ0 के0एल0 गुप्ता, पृ0–79

5.5. उपभोग–फलन की परिभाषा

उपभोग फलन की परिभाषा हम निम्न प्रकार दे सकते हैं–

"उपभोग फलन तालिका है जो कि आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय की जाने वाली द्रव्य की मात्राओं को बताती है।"

उपभोग फलन के अर्थ को अच्छी प्रकार से समझने के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान देनी चाहिए–

(1) उपभोग फलन सदैव तालिका के अर्थ में प्रयोग किया जाता है अर्थात् विभिन्न आय के स्तरों पर कितना उपभोग ब्यय होगा। इस सन्दर्भ में उपभोग ब्यय तथा उपभोग फलन के बीच अन्तर को ध्यान में रखना चाहिए। उपभोग व्यय का अर्थ है किसी एक दिये हुए आय के स्तर पर कितना उपभोग व्यय किया जाता है। जबकि उपभोग फलन का अर्थ होता है उस सम्पूर्ण तालिका से जो कि आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग व्यय को बताता है।

(2) उपभोग फलन अर्थात् आय उपभोग तालिका, आर्थिक विश्लेषण में अन्य इसी प्रकार की सभी तालिकाओं की भाँति एक प्रत्याशित बात को बताती है। यह तालिका प्रत्याशित मूल्यों को बताती है अर्थात् यह बताती है कि आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता कितना उपभोग व्यय करने का इरादा रखते हैं।

5.6. उपभोग फलन की तकनीकी विशेषताएँ

एक दी हुई आय में से जो भाग उपभोग किया जाता है उसे केंज ने उपभोग की प्रवृत्ति कहा और जो भाग बचाया जाता है उसे बचत की प्रवृत्ति कहा।

उपभोग प्रवृत्ति अथवा उपभोग फलन की दो तकनीकी विशेषताएँ हैं जो कि निम्नलिखित हैं–

5.6.1. उपभोग की औसत प्रवृत्ति–(APC)

आय के एक दिये हुए स्तर **Y** पर उपभोग **C** तथा आय **Y** के अनुपात को बताती

है। अर्थात् उपभोग की औसत प्रवृत्ति (APC) = $\frac{\text{कुल उपभोग व्यय}}{\text{कुल आय}} = \frac{C}{Y}$

5.6.2. उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति–(MPC)

उपभोग में वृद्धि ΔC तथा आय में वृद्धि ΔY के अनुपात को बताती है। वास्तव में उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति का विचार केंज के आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम को व्यक्त करता है। उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं–

उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति (MPC) = $\frac{\text{कुल उपभोग व्यय में वृद्धि}}{\text{कुल आय में वृद्धि}} = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$

उपभोग की औसत प्रवृत्ति तथा उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति को चित्र नं 5.1

में व्यक्त किया गया है।[1]

5.7 उपभोग–प्रवृत्ति के निर्धारक तत्व

आय तथा रोजगार विश्लेषण की दृष्टि से उपभोग–प्रवृत्ति की धारणा एक महत्वपूर्ण देन है। निःसन्देह उपभोग–प्रवृत्ति की मुख्य निर्धारक आय है, आय में परिवर्तन अल्पकाल में भी उपभोग–प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। परन्तु आय के अतिरिक्त अन्य विभिन्न तत्व उपभोग–प्रवृत्ति के स्वरूप तथा स्थिति को प्रभावित करते

स्रोतः 1. मैक्रो अर्थशास्त्र, के0पी0 जैन व डॉ0 के0एल0 गुप्ता, पृ0–84–87

है। अर्थात् उपभोग की औसत प्रवृत्ति (APC) = $\frac{\text{कुल उपभोग व्यय}}{\text{कुल आय}} = \frac{C}{Y}$

5.6.2. उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति–(MPC)

उपभोग में वृद्धि ΔC तथा आय में वृद्धि ΔYके अनुपात को बताती है। वास्तव में उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति का विचार केंज के आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम को व्यक्त करता है। उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं–

उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति (MPC) = $\frac{\text{कुल उपभोग व्यय में वृद्धि}}{\text{कुल आय में वृद्धि}} = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$

उपभोग की औसत प्रवृत्ति तथा उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति को चित्र नं 5.1 में व्यक्त किया गया है।[1]

5.7 उपभोग–प्रवृत्ति के निर्धारक तत्व

आय तथा रोजगार विश्लेषण की दृष्टि से उपभोग–प्रवृत्ति की धारणा एक महत्वपूर्ण देन है। निःसन्देह उपभोग–प्रवृत्ति की मुख्य निर्धारक आय है, आय में परिवर्तन अल्पकाल में भी उपभोग–प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। परन्तु आय के अतिरिक्त अन्य विभिन्न तत्व उपभोग–प्रवृत्ति के स्वरूप तथा स्थिति को प्रभावित करते

स्रोतः 1. मैक्रो अर्थशास्त्र, के0पी0 जैन व डॉ0 के0एल0 गुप्ता, पृ0–84–87

हैं। परन्तु उपभोग–प्रवृत्ति में शीघ्रता से परिवर्तन नहीं होता, अल्पकाल में वह लगभग स्थिर रहती है।

उपभोग–प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों को केंज ने निम्न दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया है–

(1) वस्तु–सापेक्ष तत्व अथवा वस्तुनिष्ठ तत्व,

(2) व्यक्ति–सापेक्ष तत्व अथवा व्यक्तिनिष्ठ तत्व।

अब हम इन दोनों प्रकार के तत्वों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत करते हैं–

5.7.1. वस्तु–सापेक्ष तत्व अथवा वस्तुनिष्ठ तत्व

वस्तुनिष्ठ तत्वों में प्रायः तेजी से परिवर्तन होते हैं और परिणामस्वरूप वे उपभोग फलन में तीव्र परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात् उपभोग–रेखा ऊपर या नीचे को खिसक जाती है। केंज तथा आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले वस्तुनिष्ठ तत्व निम्न लिखित हैं–

(1) द्राव्यिक आय

उपभोग–फलन को प्रभावित करने वाला यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व है। समाज की द्राव्यिक आय में वृद्धि होने पर उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होगी तथा द्राव्यिक आय में कमी होने पर उपभोग–प्रवृत्ति में कमी होगी। परन्तु उपभोग–प्रवृत्ति में वृद्धि या कमी उसी अनुपात में नहीं होगी जिस अनुपात में वृद्धि या कमी होती है।

(2) अप्रत्याशित लाभ तथा हानियाँ

अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होने वाले लाभ उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि कर देते हैं, इसके विपरीत अप्रत्याशित हानियाँ उपभोग प्रवृत्ति को घटा देती हैं। दूसरे शब्दों में उपभोग–फलन ऊपर या नीचे को खिसक जाता है।

(3) प्रशुल्क या राजकोषीय नीति में परिवर्तन

प्रशुल्क या राजकोषीय नीति के अंग अर्थात् करारोपण तथा लोक व्यय उपभोग

फलन को प्रभावित करते हैं। सरकार अप्रत्यक्ष करों (जैसे उत्पादन–कर, बिक्री–कर आदि) को लगाकर लोगों की उपभोग–प्रवृत्ति को कम करती है। इसके विपरीत, अप्रत्यक्ष करों या वस्तु करों में कमी करके लोगों की उपभोग–प्रवृत्ति को बढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक युग में कल्याणकारी–राज्य धारणा के अन्तर्गत लोक व्यय की नीति के साथ–साथ प्रगतिशील करारोपण के द्वारा आय के वितरण में परिवर्तन करके उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ा दिया जाता है, अर्थात् उपभोग–फलन ऊपर की ओर खिसक जाता है।

(4) आशाओं में परिवर्तन

जब लोगों को युद्ध छिड़ने या अन्य कारणों से वस्तुओं की पूर्ति में कमी और उनकी कीमतों में वृद्धि की आशा होती है तो वे वस्तुओं को अधिक खरीदने लगते हैं और उनकी उपभोग–प्रवृत्ति बढ़ जाती है तथा उपभोग–फलन ऊपर को खिसक जाता है इसके विपरीत यदि भविष्य में वस्तुओं की कीमतों के घटने की आशाएँ बढ़ती हैं तो लोगों की वर्तमान उपभोग–प्रवृत्ति घट जाती है और उपभोग–फलन नीचे की ओर खिसक जाता है।

(5) ब्याज की दर में पर्याप्त परिवर्तन

सामान्यतया यह समझा जाता है कि ऊँची ब्याज–दर पर अधिक बचत की जायेगी और इसलिए लोगों की उपभोग–प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसके विपरीत, नीची ब्याज–दर पर कम बचत की जायेगी और इसलिए लोगों की उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी। वास्तव में ब्याज की दर में परिवर्तनों का उपभोग–प्रवृत्ति पर प्रभाव अनिश्चित रहता है। इसके अतिरिक्त ब्याज दर में परिवर्तनों का प्रभाव अलग अलग वर्गों के लोगों की उपभोग –प्रवृत्ति पर अलग अलग प्रकार से पड़ता है। वास्तव में, अल्पकाल में ब्याज की दर

में थोड़े परिवर्तन उपभोग–प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालते। इसके विपरीत, दीर्घकाल में ब्याज में पर्याप्त परिवर्तनों का उपभोग–प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ने की अच्छी सम्भावना रहती है।

(6) व्यापारिक निगमों की वित्तीय नीतियाँ

लाभांश–भुगतान तथा पुनर्विनियोग से सम्बन्धित नीतियाँ उपभोग–प्रवृत्ति को प्रभावित करती हैं। निगम पुनर्विनियोग के लिए अपने पास अधिक सुरक्षित फण्ड रखकर शेयर–होल्डरों को कम लाभांश का वितरण करते हैं तो शेयर–होल्डरों की आय कम होगी और परिणामस्वरूप उनकी उपभोग–प्रवृत्ति घटेगी तथा उपभोग–फलन नीचे को खिसक जायेगा। यदि लाभांश वितरण सम्बन्धी नियम इसके विपरीत हैं तो उपभोग –प्रवृत्ति बढ़ जायेगी।

(7) धन तथा आय का वितरण

निर्धनों की उपभोग–प्रवृत्ति अधिक होती है तथा धनवानों की उपभोग–प्रवृत्ति कम होती है अर्थात् उनकी बचत–प्रवृत्ति अधिक होती है। इसलिए यदि प्रगतिशील या आरोही करारोपण तथा प्रशुल्क विधियों द्वारा धनवानों तथा निर्धनों की आय में अधिक असमानताओं को दूर कर दिया जाता है तो समाज में उपभोग–प्रवृत्ति बढ़ जायेगी।

(8) तरल सम्पत्तियों का संग्रह

यदि लोगों के पास नकद–कोषों, बचत–खातों, सरकारी श्रण पत्रों इत्यादि के रूप में तरल सम्पत्ति का अधिक संग्रह या स्टॉक है तो उनकी प्रवृत्ति अपनी वर्तमान आय में से अधिक व्यय करने की होगी। इसका कारण है कि तरल सम्पत्तियों के रूप में उनके पास पर्याप्त सुरक्षा रहती है।

5.7.2. व्यक्ति–सापेक्ष तत्व अथवा व्यक्तिनिष्ठ तत्व

व्यक्तिनिष्ठ तत्वों में मनोवैज्ञानिक तत्व आते हैं जो कि मनुष्यों के व्यवहार और

आदतों, सामाजिक रीतियों तथा संस्थाओं से सम्बन्धित होते हैं। ये तत्व बचत को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार उपभोग को प्रभावित करते हैं:

(A) केंज ने निम्नलिखित उद्देश्य बताये जो कि व्यक्तियों को अपनी आयों में से व्यय करने से रोकते हैं–

(1) सतर्कता या सुरक्षा का उद्देश्य

अप्रत्याशित या अचानक होने वाली घटनाओं के प्रति एक आरक्षित कोष का निर्माण उदाहरणार्थ–बीमारियों, दुर्घटनाओं इत्यादि के लिए।

(2) दूरदर्शिता का उद्देश्य

भविष्य में प्रत्याशित आवश्यकताओं के लिए बचत जैसे– वृद्धावस्था, पारिवारिक शिक्षा, आश्रितों इत्यादि के लिए धन बचाकर रखना।

(3) गणना का उद्देश्य

ब्याज तथा मूल्य–वृद्धि का लाभ उठाने के लिए, क्योंकि भविष्य में अधिक वास्तविक उपभोग पसन्द किया जायेगा अपेक्षाकृत कम तात्कालिक उपभोग के।

(4) सुधार का उद्देश्य

धीरे–धीरे बढ़ते हुये व्यय का आनन्द लेने के लिए ताकि जीवन–स्तर को धीरे–धीरे बढ़ाने की सामान्य या मूल प्रवृत्ति की सन्तुष्टि की जा सके।

(5) स्वतन्त्रता का उद्देश्य

कार्य करने के लिए स्वतन्त्रता की भावना तथा कार्यों को करने की शक्ति का आनन्द लेने के लिए।

(6) उपक्रम का उद्देश्य

सट्टा अथवा व्यापार योजनाओं को चलाने के लिए सफल योजना–शक्ति प्राप्त करने के लिए।

(7) गर्व का उद्देश्य

अपने उत्तराधिकारियों के लिए सम्पत्ति छोड़ने के लिए।

(8) कंजूसी या कृपणता का उद्देश्य

केवल कंजूसी या कृपणता की इच्छा की संतुष्टि करने के लिए।

(B) सरकार, संस्थाओं तथा व्यापारिक फर्मों के उद्देश्य

निम्नलिखित उद्देश्य सरकार, संस्थाओं तथा व्यापारिक फर्मों को अपनी आयों में से व्यय करने के लिए रोकते हैं–

(1) उपक्रम का उद्देश्य

बाजार से बिना उधार लिए और अधिक पूँजी विनियोग हेतु साधनों को प्राप्त करने की इच्छा।

(2) तरलता का उद्देश्य

आपात स्थितियों, कठिनाइयों तथा मन्दियों का सामना करने के उद्देश्य से तरल साधनों को प्राप्त करना।

(3) सुधार का उद्देश्य

धीरे–धीरे आय में वृद्धि प्राप्त करने तथा कार्यकुशलता में वृद्धि प्राप्त करने की इच्छा।

(4) वित्तीय बुद्धिमत्ता

ऋणों को चुकाने के लिए तथा मूल्य–ह्रास और अप्रचलन की आवश्यकताओं के लिए समुचित वित्तीय साधनों को जुटाने की इच्छा।

उपर्युक्त वस्तुनिष्ठ तथा व्यक्तिनिष्ठ तत्व उपभोग–प्रवृत्ति में परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। व्यक्तिनिष्ठ तत्वों में परिवर्तन आसानी से नहीं होता, वे अल्पकाल में स्थिर बने रहते हैं। वस्तुनिष्ठ तत्व उपभोग–प्रवृत्ति पर अपेक्षाकृत कुछ अधिक प्रभाव डालते हैं। अल्पकाल में उपभोग–प्रवृत्ति लगभग स्थिर रहती है, दीर्घकाल में ही इसमें परिवर्तन होते हैं। चूँकि उपभोग–प्रवृत्ति अल्पकाल में लगभग स्थिर रहती है, इसलिए

रोजगार को बढ़ाने के लिए विनियोग—व्यय में वृद्धि करनी होगी। निःसन्देह केंज की उपभोग—प्रवृत्ति की धारणा आर्थिक विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण योगदान है।

उपरोक्त आर्थिक सैद्धान्तिक विवेचनोपरान्त अनुभवगम्य आधार पर कमासिन विकास खण्ड के संस्थागत वित्त से सम्बद्ध चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थी परिवारों के उपभोग व्यय स्तर की सर्वेक्षणात्मक विवेचना प्राथमिक समंकों के संकलन एवम् सारणियन द्वारा निम्नवत् संयोजित की गई है—

(1) वर्तमान उपभोग

वर्तमान उपभोग के अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों की उन उपभोग वस्तुओं पर किये जाने वाले व्यय का अध्ययन करेंगे जिनका आम जीवन में सभी आय वर्ग के लोग उपभोग करते हैं। इनमें गेहूँ, चावल, दाल, फल, सब्जियाँ, चीनी, गुड़, खाद्य तेल, कपड़े, जूते, नशे के पदार्थ, स्वच्छता की वस्तुएं इत्यादि शामिल हैं। लाभार्थी द्वारा इन वस्तुओं पर किये जाने वाले व्यय को औसत मासिक व्यय के रूप में अध्ययन किया जायेगा—

5.1.क. उपभोग व्यय का आधार

तालिका संख्या **5.1** चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों के पारिवारिक उपभोग व्यय के निर्धारण का आधार प्रस्तुत करती है—

तालिका संख्या : 5.1

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों के पारिवारिक उपभोग—व्यय के निर्धारण का आधार

क्र0 सं0	उपभोग—व्यय के निर्धारण का आधार	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	दैनिक	260	52.00
2.	साप्ताहिक	150	30.00
3.	मासिक	65	13.00
4.	वार्षिक	25	05.00
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या **5.1** प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियो में से सबसे अधिक 260 लाभार्थी (52.00 प्रतिशत) अपना पारिवारिक उपभोग व्यय दैनिक आधार पर निश्चित करते हैं। जबकि सबसे कम 25 लाभार्थी (05.00 प्रतिशत) अपना पारिवारिक उपभोग व्यय वार्षिक आधार पर निश्चित करते हैं। 150 लाभार्थी (30.00 प्रतिशत) साप्ताहिक व 65 लाभार्थी (13.00 प्रतिशत) अपना पारिवारिक उपभोग व्यय मासिक आधार पर निश्चित करते हैं।

चित्र संख्या : 5.2
पारिवारिक उपभोग–व्यय के निर्धारण का आधार

5.1.ख. खाद्यानों का उपभोग

तालिका संख्या **5.2** चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा उपभोग किये जाने वाले प्रमुख खाद्यानों को प्रतिदर्श कर रही है–

तालिका संख्या : 5.2
चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा उपभोग किये जाने वाले प्रमुख खाद्यान्न

क्र0 स0	खाद्यान्नो के नाम	चयनित लाभार्थियो की संख्या	चयनित लाभार्थियो का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	गेहूँ, दाल, चावल	47	09.40
2.	मोटा अनाज, दाल, चावल	125	25.00
3.	केवल दाल एवं चावल	57	11.40
4.	केवल गेहूँ एवं दाल	271	54.20
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 5.2 प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में से केवल 47 लाभार्थी गेहूं, दाल एवं चावल का उपभोग करते हैं। जो समग्र का 09.40 प्रतिशत है। 25 प्रतिशत लाभार्थी मोटा अनाज, दाल एवं चावल का उपभोग करते हैं तथा 11.40 प्रतिशत लाभार्थी केवल दाल एवं चावल का उपभोग करते हैं जबकि सर्वाधिक 54.20 प्रतिशत लाभार्थी केवल गेहूं एवं दाल का उपभोग करते हैं।

5.1.ग. फल तथा सब्जियाँ

तालिका संख्या **5.3** चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा उपभोग किये जाने वाले फल तथा सब्जियों को प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 5.3

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा उपभोग किये जाने वाले फल तथा सब्जियां

क्र0 सं0	फल एवं सब्जियां	प्रतिदर्श संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आलू	500	100.00
2.	बैगन	500	100.00
3.	लौकी	375	75.00
4.	तरोई	400	80.00
5.	भिन्डी	180	36.00
6.	टमाटर	85	17.00
7.	पालक	280	56.00
8.	अमरूद	410	82.00
9.	केला	125	25.00
10.	सेब	20	04.00
11.	अंगूर	10	02.00
12.	जामुन	65	13.00
13.	आम	175	35.00

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

तालिका संख्या **5.3** स्पष्ट करती है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित

लाभार्थी 13 सामान्य फल एवं सब्जियों का उपभोग करते हैं। जिनमें आलू एवं बैगन का शत् प्रतिशत् लाभार्थी उपभोग करते हैं। जिसका मुख्य कारण इनका सस्ता वा टिकाऊ होना है। लाभार्थियों द्वारा मौसमी फलों का भी उपभोग किया जाता है जिसमें सर्वाधिक अमरूद का उपभोग 82.00 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा किया जाता है जबकि सबसे कम अंगूर का उपभोग मात्र 2.00 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा किया जाता है।

5.1.घ. खाद्य तेल

तालिका संख्या **5.4** चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा उपभोग किये जाने वाले खाद्य तेलों को प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 5.4

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा उपभोग किये जाने वाले खाद्य्य तेल

क्र0 सं0	खाद्य्य तेल का नाम	प्रतिदर्श संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	सरसों का तेल	500	100.00
2.	अलसी का तेल	270	54.00
3.	मूंगफली का तेल	35	07.00
4.	वनस्पती तेल	410	82.00
5.	सोयाबीन का तेल	45	09.00

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

तालिका 5.4 प्रदर्शित करती है कि सरसों के तेल का उपभोग 100 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा किया जाता है। तथा 54 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा अलसी के तेल का उपभोग किया जाता है। अलसी के तेल के उपभोग का एक प्रमुख कारण इसका सस्ता होना भी है तथा सरसों की अपेक्षा अलसी में तेल भी अधिक मात्रा में निकलता है। इसलिए निम्न आय वर्ग वाले लाभार्थियों द्वारा मुख्य रूप से अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल का प्रयोग 82 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा किया जाता है।

जबकि उच्च आय वर्ग के लाभार्थियों द्वारा मूंगफली का तेल 7 प्रतिशत व सोयाबीन का तेल 9 प्रतिशत उपभोग किया जाता है।

5.1.ड़0. चीनी, खाँडसारी, गुड़ आदि

तालिका संख्या **5.5** चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा चीनी, खाँडसारी व गुड़ आदि के उपभोग को स्पष्ट कर रही है–

तालिका संख्या : 5.5

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा चीनी, खाँडसारी व गुड आदि का उपभोग

क्र0 सं0	लाभार्थियों की प्रतिक्रिया	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	हाँ	147	29.40
2.	नहीं	353	70.60
	समग्र का योग	500	100.00

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

चित्र संख्या : 5.3

चयनित लाभार्थियों द्वारा चीनी, खांडसारी व गुड़ का उपभोग

तालिका संख्या 5.5 प्रदर्शित करती है कि समग्र लाभार्थी का 29.40 प्रतिशत भाग ही चीनी, खाँडसारी व गुड का उपभोग करते हैं जबकि 70.60 प्रतिशत लाभार्थी चीनी, खाँडसारी या गुड का उपभोग नहीं करते हैं।

5.1.च. चाय–पत्तियाँ

तालिका संख्या **5.6** चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा चाय–पत्ती के उपभोग को प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 5.6

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा चाय–पत्ती का उपभोग

क्र0 सं0	लाभार्थियों की प्रतिक्रिया	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	हाँ	78	15.60
2.	नहीं	422	84.40
	समग्र का योग	500	100.00

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 5.6 से यह स्पष्ट होता है कि चयनित लाभार्थियों का केवल 15.60 प्रतिशत ही चाय–पत्ती का उपभोग करते हैं तथा 84.40 प्रतिशत लाभार्थी चाय–पत्ती का उपभोग नहीं करते।

5.1.छ. अचार

तालिका संख्या **5.7** चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा आचार/चटनी के उपभोग को स्पष्ट कर रही है–

तालिका संख्या : 5.7

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा आचार/चटनी का उपभोग

क्र0 सं0	लाभार्थियों की प्रतिक्रिया	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	हाँ	415	83.00
2.	नहीं	85	17.00
	समग्र का योग	500	100.00

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 5.7 प्रदर्शित करती है कि चयनित लाभार्थियों का 83.00 प्रतिशत लाभार्थी आचार चटनी का उपभोग करता है जबकि केवल 17.00 प्रतिशत लाभार्थी आचार, चटनी का उपभोग नहीं करते हैं।

5.1.ज. नशे के पदार्थ

तालिका संख्या **5.8** एवं **5.9** लाभार्थियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले नशे के पदार्थ व धूम्रपान प्रयोग से सम्बन्धित पदार्थों को स्पष्ट कर रही है–

तालिका संख्या : 5.8

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा नशे के पदार्थों का उपभोग

क्र0 सं0	नशे के पदार्थ	प्रतिदर्श संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	शराब	65	13.00
2.	गाँजा	135	27.00
3.	अफीम	12	02.40
4.	चरस	05	01.00

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

तालिका संख्या 5.8 प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में से 13.00 प्रतिशत शराब का सेवन करते हैं तथा 27.00 प्रतिशत गाँजा का सेवन करते हैं जबकि अफीम व चरस सबसे कम क्रमशः 2.40 व 1.00 प्रतिशत लोगों द्वारा प्रयोग होती है।

तालिका संख्या : 5.9

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा धूम्रपान पदार्थों का उपभोग

क्र0 सं0	धूम्रपान पदार्थ	प्रतिदर्श संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	पान–सुपाड़ी	346	69.20
2.	तम्बाकू	445	89.00
3.	बीड़ी	368	73.60
4.	सिगरेट	78	15.60
5.	अन्य	22	04.40

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

तालिका संख्या 5.9 प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में 445 लाभार्थी (89.00 प्रतिशत) तम्बाकू का प्रयोग करते हैं। पान सुपाड़ी का प्रयोग 346 लाभार्थियों (69.20 प्रतिशत) द्वारा किया जाता है। जबकि बीड़ी व सिगरेट का प्रयोग क्रमशः 73.60 प्रतिशत व 15.60 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा किया जाता है। तालिका संख्या 5.10 नशे के पदार्थ व धूम्रपान पदार्थों पर व्यय की जाने वाली धनराशि को स्पष्ट कर रही है–

तालिका संख्या : 5.10

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा नशे के पदार्थो व धूम्रपान पदार्थों पर किया गया औसत मासिक व्यय

क्र0 सं0	व्यय–वर्ग (रूपये में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0–100	235	47.00
2.	100–200	147	29.40
3.	200–300	55	11.00
4.	300–400	40	08.00
5.	400–500	23	04.60
	समग्र का योग	500	100.00

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

तालिका संख्या 5.10 प्रदर्शित करती है कि लाभार्थियों के सम्पूर्ण प्रतिदर्श संख्या में 47.00 प्रतिशत लाभार्थी 0–100 रूपये तक व्यय करते हैं। 29.40 प्रतिशत लाभार्थी 100–200 रूपये व्यय करते हैं। 11.00 प्रतिशत 200–300 रूपये तक व्यय करते हैं। 8.00 प्रतिशत लाभार्थी 300–400 रूपये तक व्यय करते हैं जबकि केवल 4.60 प्रतिशत लाभार्थी 400–500 रूपये तक नशे के पदार्थों व धूम्रपान पदार्थों पर औसत मासिक व्यय करते हैं।

5.1.झ. ईंधन तथा प्रकाश

तालिका संख्या 5.11 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा ईंधन तथा प्रकाश पर किये गये औसत मासिक व्यय को प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 5.11

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा ईंधन तथा प्रकाश पर किया गया औसत मासिक व्यय

क्र0 सं0	व्यय–वर्ग (रूपये में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0–100	278	55.60
2.	100–200	102	20.40
3.	200–300	45	09.00
4.	300–400	27	05.40
5.	400–500	48	09.60
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 5.11 स्पष्ट करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में सर्वाधिक 278 लाभार्थी (55.60 प्रतिशत) ईंधन तथा प्रकाश पर 0–100 रूपये तक औसत मासिक व्यय करते हैं। जबकि सबसे कम 27 लाभार्थी (05.40 प्रतिशत) 300–400 रूपये तक औसत मासिक व्यय करते हैं।

5.1.ञ. कपड़े

तालिका संख्या **5.12** चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा कपड़े एवं अन्य वस्त्रों पर किये जाने वाले औसत मासिक व्यय को प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 5.12

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा कपड़े व अन्य वस्त्रों पर किया गया औसत मासिक व्यय

क्र0 सं0	व्यय–वर्ग (रूपये में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0–100	228	45.60
2.	200–300	161	32.20
3.	300–400	25	05.00
4.	300–400	32	06.40
5.	400–500	54	10.80
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या **5.12** स्पष्ट करती है कि सर्वाधिक 228 लाभार्थी (45.60 प्रतिशत) 0–100 रूपये तक कपड़ों पर व्यय करते हैं एवं सबसे कम 25 लाभार्थी (05.00 प्रतिशत) 200–300 रूपये तक कपड़ों पर औसत मासिक व्यय करते हैं।

5.1.ट. जूते चप्पल आदि

तालिका संख्या **5.13** चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा जूते एवं चप्पल पर किया जाने वाला औसत मासिक व्यय प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 5.13

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा जूते एवं चप्पल पर किया गया औसत मासिक व्यय

क्र0 सं0	व्यय–वर्ग (रूपये में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0–50	278	55.60
2.	50–100	146	29.20
3.	100–150	56	11.20
4.	150–200	20	04.00
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 5.13 प्रदर्शित करती है कि सर्वाधिक 55.6 प्रतिशत लाभार्थी जूते एवं चप्पलों पर 0–50 रूपये औसत मासिक व्यय करते हैं। 29.2 प्रतिशत लाभार्थी 50–100 रू0 एवं 11.2 प्रतिशत लाभार्थी 100–150 रूपये के मध्य व्यय करते हैं। जबकि सबसे कम 4.00 प्रतिशत लाभार्थी ही 150–200 रू0 के मध्य औसत मासिक व्यय करते हैं।

5.1.ठ. धुलाई तथा शौच के सामान

तालिका संख्या **5.14** चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा स्वच्छता की वस्तुओं पर किया जाने वाला औसत मासिक व्यय को प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 5.14

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा स्वच्छता की वस्तुओं पर किया गया औसत मासिक व्यय

क्र0 सं0	व्यय–वर्ग (रूपये में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0–25	308	61.60
2.	25–50	106	21.20
3.	50–75	50	10.00
4..	75–100	04	00.80
5.	100–125	07	01.40
6.	125–150	25	05.00
	समग्र का योग	500	100.00

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या **5.14** स्पष्ट करती है कि सर्वाधिक 308 लाभार्थी (61.60 प्रतिशत) 0–25 रूपये तक स्वच्छता की वस्तुओं पर औसत मासिक व्यय करते हैं और सबसे कम 04 लाभार्थी (0.80 प्रतिशत) 75–100 रूपये तक औसत मासिक व्यय करते हैं।

(2) टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुयें

टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं से तात्पर्य उपभोग में प्रयुक्त उन वस्तुओं से है जो एक निर्धारित अवधि के बाद ही नाशवान होती है। इनमें आरामदायक व विलासिता की वस्तुयें प्रमुखतः आती हैं। लाभार्थी इन वस्तुओं पर एक बार व्यय करने के बाद इनका प्रयोग निर्धारित अवधि तक करता रहता है। इनमें गृह निर्माण, रेडियो/ट्रांजिस्टर, घड़ियाँ, विद्युत के सामान, सिलाई मशीन, चारपाई, बरतन, साइकिल आदि को सम्मिलित किया गया है। लाभार्थी द्वारा इन वस्तुओं पर किये जाने वाले व्यय को वार्षिक व्यय के रूप में अध्ययन किया जायेगा–

5.2.क. गृह निर्माण एवं विस्तार

तालिका संख्या **5.15** चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा गृहनिर्माण एवं

विस्तार पर व्यय की गई वार्षिक धनराशि को प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 5.15

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा गृह निर्माण एवं विस्तार पर किया जाने वाला वार्षिक व्यय

क्र0 सं0	व्यय–वर्ग (हजार रूपये में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0–5	233	46.60
2.	5–10	146	29.20
3.	10–15	45	09.00
4.	15–20	51	10.20.
5.	20–25	25	05.00
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 5.15 प्रदर्शित करती है कि सर्वाधिक 133 लाभार्थी (46.60 प्रतिशत) गृह निर्माण एवं विस्तार पर 0–5000 रूपये तक वार्षिक व्यय करते हैं। व केवल 25 लाभार्थी (05.00 प्रतिशत) ऐसे हैं जो गृह निर्माण एवं विस्तार पर 20 हजार रूपये से अधिक वार्षिक व्यय करते हैं।

5.2.ख. रेडियो/ट्रांजिस्टर

तालिका संख्या **5.16** चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा रेडियो/ट्रांजिस्टर पर किये गये वार्षिक व्यय को प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 5.16

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा रेडियो/ट्रांजिस्टर पर किया जाने वाला वार्षिक व्यय

क्र0 सं0	व्यय–वर्ग (रूपये में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1	0–50	291	58.20
2	50–100	124	24.80
3	100–150	78	15.60
4.	150–200	07	01.40
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) 0–50 रू0 व्यय–वर्ग में उन लाभार्थियों को भी सम्मिलित किया गया है जिनके पास रेडियो/ट्रांजिस्टर नहीं है और उन्होंने इस पर व्यय की रकम शून्य बताई है।

चित्र सं0 : 5.5

रेडियो/ट्राँजिस्टर पर किया जाने वाला वार्षिक व्यय

तालिका संख्या 5.16 प्रदर्शित करती है कि सर्वाधिक 291 लाभार्थी (58.20 प्रतिशत) 0–50 रूपये रेडियो/ट्रांजिस्टर पर वार्षिक व्यय करते हैं। व सबसे कम 7 लाभार्थी (01.40 प्रतिशत) 150–200 रू0 तक वार्षिक व्यय करते हैं।

5.2.ग. घड़ियाँ

तालिका संख्या **5.17** चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा घड़ियों की उपलब्धता स्पष्ट कर रही है–

तालिका संख्या : 5.17

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा घड़ियों की उपलब्धता

क्र0 सं0	लाभार्थियों की प्रतिक्रिया	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	हाँ	132	26.40
2.	नहीं	368	73.60
	समग्र का योग	500	100.00

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 5.17 प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में 132 लाभार्थियों (26.40 प्रतिशत) के पास ही घड़ियां हैं तथा 368 लाभार्थियों (73.60 प्रतिशत) के पास घड़ियाँ नहीं हैं।

5.2.घ. विद्युत के सामान

विकास खण्ड कमासिन में सर्वेक्षण के दौरान तक कुल 52 ग्राम पंचायतों में केवल 13 ग्राम पंचायतों का ही विद्युतीकरण हुआ है। अतः इन ग्राम पंचायतों में रहने वाले लाभार्थी ही विद्युत के सामानों का प्रयोग करते है तालिका संख्या 5.18 विद्युत के सामानों को प्रयोग करने वाले चयनित लाभार्थियों की संख्या दर्शा रही है–

तालिका संख्या : 5.18

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा विद्युत के सामानों का उपभोग

क्र0 सं0	लाभार्थियों की प्रतिक्रिया	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	हाँ	136	27.20
2.	नहीं	364	72.80
	समग्र का योग	500	100.00

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 5.18 प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में 136 लाभार्थी (27.20 प्रतिशत) ही विद्युत के सामानों का उपभोग करते हैं। तथा 364

लाभार्थी (72.80 प्रतिशत) विद्युत के सामानों का उपभोग नहीं करते हैं। तालिका संख्या 5.19 विद्युत के सामानों का उपभोग करने वाले लाभार्थियों द्वारा इन वस्तुओं पर किये गये वार्षिक व्यय को स्पष्ट कर रही है।

तालिका संख्या : 5.19

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा विद्युत के सामानों पर किया गया वार्षिक व्यय

क्र0 सं0	व्यय–वर्ग (रूपये में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0–100	56	11.20
2.	100–200	33	06.60
3.	200–300	26	05.20
4.	300–400	12	02.40
5.	400–500	09	01.80
	समग्र का योग	**136**	**27.20**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) चयनित 500 लाभार्थियों में से केवल 136 लाभार्थी ही विद्युत के सामानों का प्रयोग करते हैं इसलिए चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत 100.00 से कम है।

तालिका संख्या 5.19 प्रदर्शित करती है कि विद्युत के सामानों का उपभोग करने वाले लाभार्थियों में सर्वाधिक 56 लाभार्थी (11.20 प्रतिशत) 0–100 रू0 वार्षिक इन वस्तुओं के क्रय पर व्यय करते हैं जबकि सबसे कम 09 लाभार्थी (01.80 प्रतिशत) 400–500 रूपये वार्षिक व्यय करते हैं। सर्वेक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि गांवों में अधिकांश व्यक्ति बिना बैध कनेक्शन के अवैध रूप से विद्युत का प्रयोग कर रहे हैं। जिस कारण इनका विद्युत–बिल का खर्च बिल्कुल भी नहीं आता।

5.2.ड0. सिलाई मशीन

तालिका संख्या 5.20 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा सिलाई मशीन की उपलब्धता प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 5.20

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा सिलाई–मशीन की उपलब्धता

क्र0 सं0	लाभार्थियों की प्रतिक्रिया	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**
1.	हाँ	76	15.20
2.	नहीं	424	84.80
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 5.20 स्पष्ट करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में केवल 76 लाभार्थियों (15.20 प्रतिशत) के पास ही सिलाई मशीन है। और शेष 424 लाभार्थियों (84.80 प्रतिशत) के पास सिलाई मशीन नहीं है।

5.2.च. चारपाई

तालिका संख्या **5.21** चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा चारपाई निर्माण व क्रय पर किये जाने वाले वार्षिक व्यय को प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 5.21

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा चारपाई निर्माण व क्रय पर किया गया वार्षिक व्यय

क्र0 सं0	व्यय–वर्ग (रूपये में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**
1.	0–100	115	23.00
2.	100–200	245	49.00
3.	200–300	103	20.60
4.	300–400	15	03.00
5.	400–500	22	04.40
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 5.21 प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में सर्वाधिक 245 लाभार्थी (49.00 प्रतिशत) चारपाई निर्माण व क्रय पर 100–200 रूपये

वार्षिक व्यय करते हैं और सबसे कम 15 लाभार्थी (03.00 प्रतिशत) 300–400 रूपये के मध्य वार्षिक व्यय करते हैं।

5.2.छ. बरतन

तालिका संख्या 5.22 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा बरतनों के क्रय पर किये जाने वाले वार्षिक व्यय को स्पष्ट कर रही है–

तालिका संख्या : 5.22

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा बरतनों के क्रय पर किया गया वार्षिक व्यय

क्र0 सं0	व्यय–वर्ग (रूपये में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0–100	265	53.00
2.	100–200	148	29.60
3.	200–300	87	17.40
	समग्र का योग	500	100.00

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) 0–100 व्यय वर्ग में उन लाभार्थियों को भी सम्मिलित किया गया है जो वार्षिक बर्तनों के क्रय पर कोई रकम व्यय नहीं करते और उन्होंने इस पर व्यय की रकम शून्य बताई ।

तालिका संख्या 5.22 प्रदर्शित करती है कि चयनित लाभार्थियों में से सर्वाधिक 265 लाभार्थी (53.00 प्रतिशत) बर्तनों पर वार्षिक 0–100 रू0 व्यय करते हैं और सबसे कम 87 लाभार्थी (17.40 प्रतिशत) 200–300 रू0 वार्षिक व्यय करते हैं।

5.2.ज. साइकिल

तालिका संख्या 5.23 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा साइकिल की उपलब्धता प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 5.23

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा साईकिल की उपलब्धता

क्र0 सं0	लाभार्थियों की प्रतिक्रिया	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	हाँ	286	57.20
2.	नहीं	214	42.80
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 5.23 स्पष्ट करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में केवल 286 लाभार्थियों (57.20 प्रतिशत) के पास साइकिल है। और शेष 214 लाभार्थियों (42.80 प्रतिशत) के पास साइकिल उपलब्ध नहीं है।

(3) सेवाओं पर व्यय

सेवाओं पर व्यय से आशय लाभार्थियों द्वारा किये गये उन व्ययों से है जो उसने सेवा प्रदान करने वाले ब्यक्तियों या संस्थाओं को भुगतान किया है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सवारी व मनोरंजन से सम्बन्धित ब्ययों को सम्मिलित किया गया है। लाभार्थी द्वारा इन सेवाओं पर किये जाने वाले व्यय को वार्षिक ब्यय के रूप में अध्ययन किया जायेगा।

5.3.क. शिक्षा

तालिका संख्या 5.24 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा बच्चों की शिक्षा पर किये गये वार्षिक व्यय को प्रदर्शित करती है–

तालिका संख्या : 5.24

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा बच्चों की शिक्षा पर किया गया वार्षिक व्यय

क्र0 सं0	व्यय–वर्ग (रूपये में)	चयनित लाभार्थिया की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**
1.	0–100	256	51.20
2.	100–200	132	26.40
3.	200–300	46	09.20
4.	300–400	13	02.60
5.	400–500	41	08.20
6.	500 से अधिक	12	02.40
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) 0–100 रू0 व्यय वर्ग में उन लाभार्थियों को भी सम्मिलित किया गया है जो बच्चों की शिक्षा पर कोई रकम व्यय नहीं करते और उन्होंने इस पर व्यय की रकम शून्य बताई।

तालिका संख्या 5.24 प्रदर्शित करती है कि चयनित लाभार्थियों में से सर्वाधिक 256 लाभार्थी (51.20 प्रतिशत) बच्चों की शिक्षा पर 0–100 रू0 वार्षिक व्यय करते हैं और सबसे कम 12 लाभार्थी (02.40 प्रतिशत) 500 रू0 से अधिक वार्षिक व्यय करते हैं।

5.3.ख. स्वास्थ्य

तालिका संख्या 5.25 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा पर व्यय की गई वार्षिक धनराशि प्रदर्शित करती है–

तालिका संख्या : 5.25

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा पर व्यय की गयी वार्षिक धनराशि

क्र0 सं0	व्यय–वर्ग (रूपये में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0–250	319	63.80
2.	250–500	81	16.20
3.	500–750	48	09.60
4.	750–1000	30	06.00
5.	1000 से अधिक	22	04.40
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 5.25 प्रदर्शित करती है कि चयनित लाभार्थियों के आय का एक महत्वपूर्ण भाग स्वास्थ्य रक्षा हेतु चिकित्सा सुविधाओं पर व्यय हो जाता है। सर्वाधिक 319 लाभार्थी (63.80 प्रतिशत) स्वास्थ्य रक्षा हेतु 0–250 रू0 वार्षिक व्यय करते हैं और न्यूनतम 22 लाभार्थियों (04.40 प्रतिशत) द्वारा स्वास्थ्य रक्षा हेतु चिकित्सा सुविधाओं पर 1000 रू0 से अधिक वार्षिक व्यय होता है।

5.3.ग. सवारी

तालिका संख्या 5.26 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा स्थानीय परिभ्रमण एवं वाहय जनपदीय यात्रा पर सवारी के साधनों में होने वाले वार्षिक व्यय को प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 5.26

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा सवारी के साधनों पर व्यय होने वाली वार्षिक धनराशि

क्र0 सं0	व्यय–वर्ग (रूपये में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0–100	238	47.60
2.	100–200	154	30.80
3.	200–300	45	09.00
4.	300–400	26	07.20
5.	400–500	27	05.40
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 5.26 प्रदर्शित करती है कि सर्वाधिक 238 लाभार्थी (47.60 प्रतिशत) 0–100 रू0 तक आवागमन के साधनों पर व्यय करते हैं। जबकि सबसे कम 27 लाभार्थियों (05.40 प्रशित) द्वारा 400–500 रू0 तक वार्षिक व्यय किया जाता है।

5.3.घ. मनोरंजन

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों की आय उनकी आवश्यकता से कम है। जिसके फलस्वरूप वे मनोरंजन के साधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि मनोरंजन व्यय में की जाने वाली उनकी राशि अत्यन्त न्यून स्तर की है। और यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ लाभार्थी मनोरंजन पर कुछ भी व्यय नहीं करते हैं। तालिका संख्या 5.27 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा मनोरंजन के साधनों पर व्यय की जाने वाली वार्षिक धनराशि को प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 5.27

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा मनोरंजन के साधनों पर व्यय होने वाली वार्षिक धनराशि

क्र0 सं0	व्यय–वर्ग (रूपये में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0–100	346	69.20
2.	100–200	86	17.20
3.	200–300	32	06.40
4.	300–400	21	04.20
5.	400–500	15	03.00
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) 0–100 व्यय वर्ग में उन लाभार्थियों को भी सम्मिलित किया गया है, जो मनोरंजन पर कोई रकम व्यय नहीं करते और उन्होंने इस पर व्यय की रकम शून्य बताई।

तालिका संख्या 5.27 प्रदर्शित करती है कि चयनित लाभार्थियों में सर्वाधिक 346 लाभार्थी (69.20 प्रतिशत) मनोरंजन के साधनों पर 0–100 रू0 वार्षिक व्यय करते हैं और सबसे कम 15 लाभार्थी (03.00 प्रतिशत) 400–500 रू0 के मध्य वार्षिक व्यय करते हैं।

(4) विवाद तथा अन्य सामाजिक अवसरों पर किया गया व्यय

अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लाभार्थी अशिक्षित हैं जिस कारण वे समाज के अन्य लोगों से आपस में लड़ते–झगड़ते रहते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप उनमें विवाद उत्पन्न हो जाता है कुछ विवाद भूमि से सम्बन्धित भी होते हैं। जो धीरे–धीरे कानूनी विवाद का रूप धारण कर लेते हैं। कुछ लाभार्थियों का विवाद ऋण प्रदाता संस्थाओं से भी वसूली के रूप में उत्पन्न हो जाता है, जो कानूनी विवाद का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार कानूनी विवाद के रूप में उनकी आय का एक महत्वपूर्ण भाग व्यय होता रहता है। तालिका संख्या 5.28 कानूनी विवाद के रूप में व्यय होने वाली वार्षिक रकम प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 5.28

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा कानूनी विवाद के रूप में व्यय की जाने वाली वार्षिक धनराशि

क्र0 सं0	व्यय–वर्ग (रूपये में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0–250	332	66.40
2.	250–500	135	27.00
3.	500–750	24	04.80
4.	750–1000	0	0.00
5.	1000 से अधिक	09	01.80
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) 0–250 व्यय वर्ग में उन लाभार्थियों को भी सम्मिलित किया गया है

जिनके पास कोई कानूनी विवाद नहीं है और वह इस मद पर कोई धनराशि व्यय नहीं करते।

तालिका संख्या 5.28 प्रदर्शित करती है कि चयनित लाभार्थियों में से सर्वाधिक 332 लाभार्थी (66.40 प्रतिशत) कानूनी विवाद पर 0–250 रूपये वार्षिक व्यय करते हैं। जबकि 750–1000 व्यय वर्ग में कोई भी लाभार्थी धनराशि व्यय नहीं करता। तालिका संख्या 5.29 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा सामाजिक अवसरों पर किये जाने वाले व्यय को प्रदर्शित कर रही है।

तालिका संख्या : 5.29

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा सामाजिक अवसरों पर ब्यय की जाने वाली वार्षिक धनराशि

क्र0 सं0	व्यय–वर्ग (रूपये में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0–500	343	68.60
2.	500–1000	122	24.40
3.	1000–1500	21	04.20
4.	1500–2000	14	02.80
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

तालिका संख्या 5.29 प्रदर्शित करती है कि चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों में से सर्वाधिक 343 लाभार्थी (68.60 प्रतिशत) सामाजिक अवसरों पर 0–500 रूपये वार्षिक ब्यय करते हैं। जबकि 14 लाभार्थी (02.80 प्रतिशत) 1500–2000 रूपये वार्षिक ब्यय करते हैं।

षष्टम अध्याय

षष्टम अध्याय

लाभार्थी परिवारों की सम्पत्तियाँ एवं दायित्व

☞ सम्पत्तियाँ

☞ टिकाऊ सम्पत्तियाँ

☞ दायित्व

षष्टम अध्याय

प्रस्तुत अध्याय लाभार्थी परिवारों की सम्पत्तियों एवं दायित्व से अवदानित है। इसलिए यह समीचीन होगा कि सम्पत्तियों एवं दायित्व से सम्बन्धित सैद्धान्तिक मीमान्सा विस्तृत रूप से प्रस्तुत की जाय–

6.1. सम्पत्तियाँ

प्राचीनकाल से ही सम्पत्ति समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था रही है। आदिमकाल में सम्पत्ति का सामूहिक रूप प्रचलित था किन्तु धीरे–धीरे उसका व्यक्तिगत रूप अस्तित्व में आया। सामान्यतः सम्पत्ति का अर्थ भौतिक वस्तु पर स्वामित्व से लिया जाता है, किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से सम्पत्ति का तात्पर्य भी भौतिक और अभौतिक वस्तु पर स्वामित्व एवं अधिकार से है जो कि मात्रा में सीमित होती है तथा जिसे समाज मान्य और मूल्यवान समझता है। सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्नवत् हैं–

हॉबहाउस के अनुसार–"सम्पत्ति का अर्थ वस्तुओं पर मनुष्यों के नियन्त्रण से है, ऐसे नियन्त्रण से जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है तथा जिसे समाज मान्य और मूल्यमान समझता है।"[1]

डेविस के अनुसार–"सम्पत्ति वितरण व्यवस्था का एक स्थायी पक्ष है। इसमें कुछ सीमित वस्तुओं पर अन्य व्यक्तियों तथा समूहों की तुलना में कुछ व्यक्तियों या समूहों के अधिकार तथा कर्तव्यों का समावेश होता है।"[1]

मिचेल ने लिखा है–"सम्पत्ति का अभिप्राय उन सभी भौतिक अथवा अन्य उन वस्तुओं से है जिन पर व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त होता है।"[1]

गिन्सबर्ग के अनुसार–"सम्पत्ति की व्याख्या अधिकारों तथा कर्तव्यों की ऐसी समग्रता के रूप में की जा सकती है जो कुछ भौतिक वस्तुओं पर नियन्त्रण के बारे में व्यक्तियों अथवा समूहों के पारस्परिक सम्बन्धों को परिभाषित करती है।"[1]

स्रोत : 1. ग्रामीण समाजशास्त्र, डॉ0 बी0एन0 सिंह, डॉ0 जनमेजय सिंह, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।

जॉनसन के अनुसार–''किसी भी समाज में सम्पत्ति की संस्था दुर्लभ, मूल्यवान वस्तुओं में अधिकारों को सीमित करती है।''[1]

उपर्युक्त विद्वानों की परिभाषाओं से सम्पत्ति की निम्नांकित विशेषताएं प्रकट होती हैं–

(1) सम्पत्ति मूर्त एवं अमूर्त होती है।

(2) सम्पत्ति हस्तान्तरित की जा सकती है।

(3) सम्पत्ति सीमित होती है– सम्पत्ति वही वस्तु हो सकती है जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हो और जिस पर साधारणतः सभी अधिकार करना चाहते हों। धूप, पानी, हवा असीमित होने से किसी की सम्पत्ति नहीं हैं।

(4) सम्पत्ति का सम्बन्ध अधिकार एवं कर्तव्यों से होता है– कोई वस्तु सम्पत्ति उसी समय बनती है जब उस पर किसी का स्वामित्व कायम हो जाता है। सम्पत्ति के साथ कुछ अधिकार, दावे, दायित्व एवं कर्तव्य भी जुड़े होते हैं।

(5) सम्पत्ति मूल्यवान होती है– कोई भी वस्तु सम्पत्ति तभी कहलायेगी जब समाज उसे मूल्यवान समझे।

(6) सम्पत्ति का विनिमय सम्भव है।

(7) सम्पत्ति का सम्बन्ध सामाजिक मूल्यों वा आदर्शों से है– किसी वस्तु को सम्पत्ति माना जायेगा या नहीं यह उस समाज के मूल्यों एवं सांस्कृतिक आदर्शों पर निर्भर है।

6.1.1. सम्पत्ति के प्रकार

सम्पत्ति का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जा सकता है–

(1) व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक सम्पत्ति

व्यक्ति विशिष्ट की सम्पत्ति को व्यक्तिगत सम्पत्ति कहते हैं। क्योंकि इस सम्पत्ति की प्रतिफल आय प्रत्यक्ष रूप से इसी को प्राप्त होती है।

सार्वजनिक सम्पत्ति जनता की सम्पत्ति है जिस पर समाज या सरकार का

स्रोत : 1. ग्रामीण समाजशास्त्र, डॉ0 बी0एन0 सिंह, डॉ0 जनमेजय सिंह, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।

स्वामित्व होता है। तथा इसकी प्रतिफल आय सरकार की आय है, जो कि सार्वजनिक कल्याण एवं विकास हेतु प्रयुक्त होती है।

प्रो० डेविस ने सम्पत्ति पर अधिकार की दृष्टि से उसे तीन भागों व्यक्तिगत, सार्वजनिक एवं सामूहिक सम्पत्ति में बाँटा है।

हॉबहाउस ने सम्पत्ति के प्रमुख दो रूपों– व्यक्तिगत एवं सामूहिक का उल्लेख किया है।

(2) चल एवं अचल सम्पत्ति

चल सम्पत्ति का अर्थ उस सम्पत्ति से है जिसे व्यक्ति या समूह अपने उपयोग के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। उदाहरण के लिए मोटर, फर्नीचर, पंखा, पेन, घड़ी, बर्तन, आभूषण आदि सभी चल सम्पत्ति हैं।

अचल सम्पत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है। भूमि, भवन, उद्यान आदि अचल सम्पत्ति हैं।

(3) दृश्य (भौतिक) एवं अदृश्य (अभौतिक) सम्पत्ति

दृश्य सम्पत्ति से तात्पर्य भौतिक सम्पत्ति या वस्तुओं से है जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं और माप–तौल सकते हैं। मकान, भूमि, कार, आभूषण, हीरे, जवाहरात आदि सभी दृश्य या भौतिक सम्पत्ति हैं।

अभौतिक सम्पत्ति अदृश्य या अमूर्त होती है। उदाहरण के लिए ख्याति, कापीराइट, एकस्व अधिकार आदि अदृश्यमान सम्पत्ति के उदाहरण हैं।

6.1.2. परिसम्पत्तियों का निर्माण

आय सृजन घटक है। परिसम्पत्तियों से तात्पर्य भौतिक और अभौतिक आय स्रजन चरों से है। मिल्टन फ्रीडमैन नामक मौद्रिक अर्थशास्त्री ने मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के पुनर्कथन में और तथजनित मुद्रा मांग फलन की व्याख्या में मानवीय और गैरमानवीय परिसम्पत्तियों की चर्चा की है। केन्सोत्तर व्याख्या के रूप में इस उपागम को

आगे बढ़ाते हुए विलियम जे० बॉमल ने पोर्टफोलियो उपागम के अन्तर्गत नकद सौदों के सन्दर्भ में परिसम्पत्तियों की चर्चा की है। परिसम्पत्तियों के निर्माण की दशायें और इनके निर्माण की एक प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया समयबद्ध और अनवरत होती है। परिसम्पत्तियां न केवल मानवीय और गैरमानवीय होती हैं बल्कि ये उत्पादक और अनुत्पादक भी होती हैं। इनमें से उत्पादक परिसम्पत्तियां ही आय स्रजक होती हैं। बैंकिंग प्रणाली में प्रायः अनुत्पादक परिसम्पत्तियां होती हैं जिनका बैंकों के अदेयों और लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परिसम्पत्तियों का निर्माण सुनिश्चित विनियोजन के माध्यम से ही सम्भव होता है। समष्टि और व्यष्टि दोनों ही स्तरों पर विनियोजन के द्वारा क्रमशः सरकार, संस्थायें, परिवार तथा व्यक्ति परिसम्पत्तियों का निर्माण करते हैं। विनियोजन हेतु न केवल व्यक्तिगत राशि बल्कि ऋण के माध्यम से भी परिसम्पत्तियों का निर्माण होता है। संस्थागत वित्त एक ऐसा ही मार्ग है जिससे परिवार और व्यक्ति स्थायी और अस्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण करते हैं। यहाँ विनियोजन ऋण के माध्यम से होता है। परिसम्पत्तियों का निर्माण उनके भौतिक स्वरूप में सन्निहित है। कृषि से सम्बद्ध कृषि योग्य भूमि का क्रय, मशीन, औजार, उपकरण, ट्रैक्टर, थ्रेसर, बोरिंग मशीन का क्रय अथवा निजी व्यवसाय करना या प्रतिष्ठान स्थापित करना वस्तुतः परिसम्पत्तियों के निर्माण का भौतिक स्वरूप है। वास्तव में परिसम्पत्तियों का निर्माण एक प्रकार से पूँजी निर्माण है। पूंजी निर्माण के अन्तर्गत वस्तुओं का उत्पादक प्रयोग किया जाता है। फलतः विकास की अधोसंरचना निर्मित होती है। परिसम्पत्तियों के निर्माण के द्वारा ही वे पूर्व दशाएं निर्मित होती हैं जिनसे आय जनन की प्रक्रिया उत्पन्न होती हैं। संस्थागत वित्त के माध्यम से एक परिवार द्वारा अथवा व्यक्ति के द्वारा ऋण के माध्यम से परिसम्पत्तियों का निर्माण होता है। चूँकि परिसम्पत्तियां आय सृजक और लाभ प्रदान करने वाली होती हैं और ये संस्थागत ऋण के माध्यम से उत्पन्न की जाती हैं। अतः इन पर मूलधन और ब्याज की देयताएं भी उत्पन्न होती हैं। संस्थागत वित्त से ऋण लाभ

प्राप्त करने वाले परिवार को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। यह इस बात पर निर्भर है कि परिसम्पत्तियां उत्पादक हैं या नहीं, अथवा इनसे आय की धारा उत्पन्न हो रही है या नहीं। यदि परिसम्पत्तियों से आय जनन प्रक्रिया उत्पन्न हो रही है जिससे दायित्वों का सम्यक और समयबद्ध भुगतान किया जा रहा है तो संस्थागत वित्त एक लाभकारी प्रक्रिया मानी जायेगी और इसी तथ्य का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत अध्याय में किया जायेगा।

सम्पत्तियों के उपर्युक्त सैद्धान्तिक, आर्थिक विश्लेषणोपरान्त अनुभवगम्य आधार पर विकास खण्ड कमासिन में संस्थागत वित्त से सम्बद्ध चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा प्राप्त ऋण राशि से परिसम्पत्ति निर्माण तथा उससे उत्पन्न प्रतिफल आय का संकलन प्राथमिक समकों और सारणियन के आधार पर निम्नवत् संयोजित किया जा रहा है–

तालिका संख्या 6.1 ऋण प्रदाता बैंकों द्वारा चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों को स्वीकृत ऋण राशि को प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 6.1

ऋण प्रदाता बैंकों द्वारा चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों को स्वीकृत ऋण राशि

क्र0 सं0	स्वीकृत ऋण राशि (रूपये में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0–50,000	190	38.00
2.	50,000–1,00,000	112	22.40
3.	1,00,000–1,50,000	62	12.40
4.	1,50,000–2,00,000	46	09.20
5.	2,00,000–2,50,000	38	07.60
6.	2,50,000–3,00,000	52	10.40
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 6.1 प्रदर्शित करती है कि सर्वाधिक 190 लाभार्थियों (38.00 प्रतिशत) को 0–50,000 रू0 ऋण राशि प्राप्त हुई जबकि सबसे कम 38 लाभार्थियों (07.60 प्रतिशत) को 2,00,000–2,50,000 रू0 के मध्य ऋण राशि प्राप्त हुई। इस स्वीकृत ऋण राशि का प्रयोग चयनित लाभार्थियों द्वारा निम्न प्रकार किया गया है।

6.1.क. गृह उपयोगी वस्तुएं

गृह उपयोगी वस्तुएं मूलतः वे घरेलू उपकरण हैं जिनसे घरेलू उपयोगिताओं में वृद्धि होती है। ये घरेलू उपभोग उपकरणों, साज सज्जा, मरम्मत तथा मनोरंजन के मदों से सम्बद्ध होती हैं। तालिका संख्या 6.2 ऐसे लाभार्थियों को प्रदर्शित कर रही है जिन्होंने प्राप्त ऋण राशि का प्रयोग गृह उपयोगी वस्तुओं पर कर लिया है–

तालिका संख्या : 6.2

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा प्राप्त ऋण के उपभोग की प्रस्थिति

क्र0 सं0	ऋण उपभोग की प्रस्थिति	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	गृह उपयोगी वस्तुएं	156	31.20
2.	आय सृजक परिसम्पत्तियां	344	68.80
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 6.2 प्रदर्शित करती है कि कुल चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों में 156 लाभार्थियों (31.20 प्रतिशत) ने प्राप्त ऋण राशि का उपभोग गृह उपयोगी वस्तुओं पर कर लिया है। तथा शेष 344 लाभार्थियों (68.80 प्रतिशत) ने प्राप्त ऋण राशि का उपभोग आय सृजक परिसम्पत्तियों पर किया है।

तालिका संख्या 6.3 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा गृह उपयोगी वस्तुओं पर प्रतिफल आय के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है–

तालिका संख्या : 6.3

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा गृह उपयोगी वस्तुओं पर प्रतिफल आय के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया

क्र0 सं0	लाभार्थियों का प्रत्युत्तर	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	हाँ	00	00.00
2.	नहीं	156	31.20
	समग्र का योग	156	31.20

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी: (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) चयनित 500 लाभार्थियों में 156 लाभार्थी ही प्राप्त ऋण राशि का उपभोग गृह उपयोगी वस्तुओं पर करते हैं। इसलिए चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत 100.00 से कम है।

तालिका संख्या 6.3 प्रदर्शित करती है कि चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा गृह उपयोगी वस्तुओं पर ऋण राशि का उपभोग करने पर प्रतिफल आय प्राप्त नहीं हो रही है।

6.1.ख. पशु सम्पत्तियाँ

तालिका संख्या 6.4 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा प्राप्त ऋण राशि से आय सृजक परिसम्पत्ति के निर्माण को व्यक्त कर रही है। यह तालिका यह भी व्यक्त

कर रही है कि कुल चयनित लाभार्थियों में 136 लाभार्थियों (27.20 प्रतिशत) ने ही पशु सम्पत्ति सृजित की है–

तालिका संख्या : 6.4
चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा प्राप्त ऋण राशि से आय सृजक परिसम्पत्ति का निर्माण

क्र0 सं0	परिसम्पत्तियों के नाम	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	कृषि भूमिक्रय व विस्तार	32	06.40
2.	कृषि यन्त्रीकरण	57	11.40
3.	सिंचाई कार्य व भूमि विकास	38	07.60
4.	पशु सम्पत्ति सृजन हेतु	136	27.20
5.	मुर्गीपालन	25	05.00
6.	मत्स्य उद्योग	22	04.40
7.	दरी उद्योग	15	03.00
8.	दोना–पत्तल उद्योग	08	01.60
9.	मिट्टी के बर्तन उद्योग	11	02.20
	समग्र का योग	**344**	**68.80**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी: (1) चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

(2) चयनित 500 लाभार्थियों में 344 लाभार्थी ही प्राप्त ऋण राशि का उपभोग आय सृजक परिसम्पत्तियों पर करते हैं। इसलिए चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत 100.00 से कम है।

(3) पशु सम्पत्ति सृजन में बकरी व भेड़पालन भी सम्मिलित है।

तालिका संख्या 6.5 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा परिसम्पत्ति निर्माण से प्राप्त वार्षिक प्रतिफल आय को प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 6.5

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा परिसम्पत्ति निर्माण से प्राप्त वार्षिक प्रतिफल आय

क्र0 सं0	आय–वर्ग (रूपये में)	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0–20,000	245	49.00
2.	20,000–40,000	76	15.20
3.	40,000–60,000	23	04.60
	समग्र का योग	**344**	**68.80**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : चयनित प्रतिदर्श का आधार : 500 लाभार्थी

तालिका संख्या 6.5 प्रदर्शित करती है कि आय सृजक परिसम्पत्तियों के निर्माण से सर्वाधिक 245 लाभार्थियों (49.00 प्रतिशत) को वार्षिक प्रतिफल आय 0–20000 रूपये होती है जबकि केवल 23 लाभार्थी (4.60 प्रतिशत) ही 40,000–60,000 रूपये वार्षिक आय उत्पन्न कर पाते हैं।

6.2. टिकाऊ सम्पत्तियाँ

टिकाऊ सम्पत्तियाँ वे होती हैं जिनकी दीर्घजीविता होती है और साथ ही उनका पुनर्विक्रय मूल्य भी होता है। यह उत्पादक व अनुत्पादक दोनों प्रकार की होती हैं। अगर यह उत्पादक टिकाऊ सम्पत्तियाँ है तो उनसे आय सृजन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। और यदि अनुत्पादक टिकाऊ सम्पत्तियाँ हैं तो इनसे आय सृजित नहीं होती बल्कि इससे लाभार्थियों के रहन–सहन के स्तर में वृद्धि व इनके प्रयोग से उनमें आत्म आनन्द की अनुभूति होती है। तालिका संख्या 6.6 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा प्राप्त ऋण राशि से अनुत्पादक टिकाऊ सम्पत्तियों के निर्माण की स्थिति प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 6.6

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा प्राप्त ऋण राशि से अनुत्पादक टिकाऊ सम्पत्तियों के निर्माण की प्रस्थिति

क्र० सं०	अनुत्पादक टिकाऊ सम्पत्तियाँ	चयनित लाभार्थियों के पास उपलब्धता	ऋण राशि से टिकाऊ सम्पत्तियों के निर्माण की प्रतिदर्श संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आवासीय गृह	500	86	17.20
2.	रेडियो, ट्रांजिस्टर, टीबी	314	145	25.00
3.	घड़ियाँ	132	56	11.20
4.	विद्युत पंखे	46	12	02.40
5.	सिलाई मशीन	76	04	0.80
6.	चारपाई तथा बिस्तर	386	156	31.20
7.	मेज, कुर्सी तथा सोफा	126	00	00.00
8.	बरतन	500	83	16.60
9.	नकद बैंक में जमा	103	00	00.00
10.	गहने व आभूषण	140	16	03.20
11.	साइकिल	286	188	37.60
12.	हैण्डपम्प	35	10	02.00
13.	करघे व चारा काटने की मशीन	36	00	0.00
14.	अन्य	25	18	03.60

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 6.6 प्रदर्शित करती है कि चयनित प्रतिदर्श के कुछ लाभार्थियों ने ऋण प्रदाता संस्थाओं से प्राप्त ऋण राशि का उपभोग अनुत्पादक टिकाऊ सम्पत्तियों के निर्माण पर कर लिया है। जिसका विस्तृत विवेचन निम्न है–

6.2.क. आवासीय गृह

तालिका संख्या 6.6 प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में सभी के पास आवासीय गृह उपलब्ध हैं। इनमें 86 लाभार्थियों (17.20 प्रतिशत) ने ऋण प्रदाता बैंकों से प्राप्त ऋण राशि से आवासीय गृह का निर्माण व विस्तार कराया है।

6.2.ख. रेडियो, ट्रांजिस्टर व टी०वी०

तालिका संख्या 6.6 प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में 314 लाभार्थियों के पास रेडियो, ट्रांजिस्टर व टी०वी० है। जिनमें 145 लाभार्थियों (25.00 प्रतिशत) ने इन सम्पत्तियों के निर्माण पर ऋणराशि का उपभोग किया है।

6.2.ग. घड़ियाँ

तालिका संख्या 6.6 प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में 132 लाभार्थियों के पास घड़ियाँ हैं। जिनमें 56 लाभार्थियों (11.20 प्रतिशत) ने इन सम्पत्तियों के निर्माण पर प्राप्त ऋण राशि का उपभोग किया है।

6.2.घ. विद्युत पंखे

तालिका संख्या 6.6 प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में 46 लाभार्थियों के पास ही विद्युत पंखे हैं जिनमें 12 लाभार्थियों (02.40 प्रतिशत) ने इन सम्पत्तियों के निर्माण पर ऋण राशि का प्रयोग किया है।

6.2.ड़0 सिलाई मशीन

तालिका संख्या 6.6 प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में 76 लाभार्थियों के पास सिलाई मशीन है। जिनमें से 04 लाभार्थियों (0.8 प्रतिशत) ने इस सम्पत्ति के निर्माण पर प्राप्त ऋणराशि का उपभोग किया है।

6.2.च. चारपाई व बिस्तर

तालिका संख्या 6.6 प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में 386 लाभार्थियों के पास ही पर्याप्त चारपाईयां व बिस्तर उपलब्ध हैं। जिनमें 156 लाभार्थियों (31.20 प्रतिशत) ने इन सम्पत्तियों के निर्माण पर प्राप्त ऋणराशि का उपभोग किया है।

6.2.छ. मेज, कुर्सी व सोफा

तालिका संख्या 6.6 प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में 126 लाभार्थियों के पास ही मेज, कुर्सी व सोफा उपलब्ध है इनमें से किसी भी लाभार्थी ने

इन सम्पत्तियों के निर्माण पर ऋण राशि का प्रयोग नहीं किया है।

6.2.ज. बरतन

तालिका संख्या 6.6 प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में सभी के पास बरतन उपलब्ध हैं। जिनमें से 83 लाभार्थियों (16.6 प्रतिशत) ने बरतन के क्रय पर प्राप्त ऋण राशि का उपभोग किया है।

6.2.झ. नगद बैंक में जमा

तालिका संख्या 6.6 प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में 103 लाभार्थियों ने ही बैंक में खाते खोलकर नकद रूप से धनराशि जमा कर रखी है। इन नकद जमाओं में ऋण राशि का प्रयोग किसी भी लाभार्थी ने नहीं किया।

6.2.ञ. गहने व आभूषण

तालिका संख्या 6.6 प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में 140 लाभार्थियों के पास ही कीमती गहने वा आभूषण हैं। जिनमें 16 लाभार्थियों (3.20 प्रतिशत) ने इन सम्पत्तियों के निर्माण पर प्राप्त ऋण राशि का उपभोग किया है।

6.2.ट. साईकिल

तालिका संख्या 6.6 प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में 286 लाभार्थियों के पास साइकिल उपलब्ध है। जिसमें 188 लाभार्थियों (37.60 प्रतिशत) ने इनके निर्माण पर प्राप्त ऋणराशि का उपभोग किया है।

6.2.ठ. हैण्डपम्प

तालिका संख्या 6.6 प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में 35 लाभार्थियों के पास निजी हैण्डपम्प है। जिनमें 10 लाभार्थियों (02.00 प्रतिशत) ने हैण्डपम्प के निर्माण पर प्राप्त ऋण राशि का प्रयोग किया है।

6.2.ड़. करघे व चारा काटने की मशीन

तालिका संख्या 6.6 प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में 36

लाभार्थियों के पास करघे व चारा काटने वाली मशीन उपलब्ध है जिसमें 12 लाभार्थियों (02.40 प्रतिशत) ने इन सम्पत्तियों के निर्माण पर प्राप्त ऋणराशि का उपभोग किया है।

6.2.ढ. अन्य

तालिका संख्या 6.6 प्रदर्शित करती है कि चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा उपर्युक्त अनुत्पादक टिकाऊ सम्पत्तियों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियाँ जिनमें लोहे की अलमारियाँ व धार्मिक ग्रन्थ आदि शामिल हैं भी उपलब्ध हैं। और इन सम्पत्तियों के निर्माण पर 18 लाभार्थियों (3.60 प्रतिशत) ने प्राप्त ऋण राशि का उपभोग किया है।

6.3. दायित्व

दायित्व वस्तुतः देयता है जो कि ऋणी के ऊपर भुगतान के रूप में अवलम्बित होती है। यह दायित्व ऋणी द्वारा संस्थागत स्रोतों या गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा प्राप्त होता है। अगर यह संस्थागत स्रोतों द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो इसको प्राप्त करने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया होती है जिसका विस्तृत अध्ययन हम अध्याय तृतीय के अन्तर्गत कर चुके हैं। यहाँ हम उन योजनाओं का अध्ययन करेंगे जो अध्ययन क्षेत्र के लाभार्थियों को संस्थागत वित्तीय स्रोतों से दायित्व के रूप में प्राप्त होती हैं, और एक निश्चित समय सीमा में लाभार्थी पर भुगतान के रूप में अवलम्बित होती हैं–

6.3.क. ऋण का आधार, उद्देश्य व स्रोत

संस्थागत वित्त के लाभार्थी को ऋण विभिन्न योजनाओं के आधार पर प्रदान किया जाता है और इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि लाभार्थी की आय में वृद्धि हो जिससे उसके जीवन स्तर में वृद्धि हो सके। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र विकास खण्ड कमासिन में वर्तमान समय में निम्न लिखित ऋण योजनायें संचालित हैं–

1– कृषि निवेश

विकास खण्ड कमासिन में कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय स्तर की प्रमुखतम योजना किसान क्रडिट कार्ड के अन्तर्गत बैंकों द्वारा ऋण अथवा नकद साख (कैश

क्रेडिट) के रूप में अग्रिम प्रदान सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। योजना के माध्यम से खेत की तैयारी, खाद, बीज आदि हेतु ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। शासन द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों के लिए वित्तमान (स्केल ऑफ फाइनेन्स) जिला तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। कमासिन में कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सन् 2007–08 ई0 में 4549 कृषकों को रू० 918.27 लाख की धनराशि फसली ऋण के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। इस योजना में अनुदान आदि देय नहीं है। बैंक शाखायें ऋण प्रार्थना पत्र सीधे लाभार्थी से अथवा खण्ड विकास कार्यालय के माध्यम से प्राप्त करती हैं। विकासखण्ड के कृषि एवं ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के सहयोग एवं बैंकों की सक्रियता से ही इस योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों की पूर्ति सम्भव है।

तालिका संख्या : 6.7

विकासखण्ड कमासिन में किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में दी गई ऋण राशि

(रूपये हजार में)

2005–06		2006–07		2007–08	
कार्डों की सं०	धनराशि	कार्डों की सं०	धनराशि	कार्डों की सं०	धनराशि
1633	48980	1970	74630	4549	91827

स्रोत : वार्षिक ऋण योजना, (2005–06 से 2007–08) लीड बैंक, बांदा

इलाहाबाद बैंक की दिनांक 24–04–2004 से प्रभावी "किसान शक्ति योजना" के माध्यम से किसानों को कृषि भूमि की कीमत की आधी राशि तक ऋण उपलब्ध कराये जाने की नवीन योजना के क्रियान्वन से किसानों की आर्थिक समृद्धि में नये आयाम विकसित किये जाने हेतु सामयिक एवं सकारात्मक परिणाम आये हैं।

जनपद में कृषि यन्त्रीकरण हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर आधुनिक तरीकों से खेती के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। ट्रैक्टर हेतु मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनियों से टाई अप कर उदार शर्तों/सुविधाओं पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

तालिका संख्या : 6.8

विकासखण्ड कमासिन में कृषि यन्त्रीकरण के लिए दी गई ऋण राशि

(रूपये हजार में)

क्र0 सं0	कृषि–यन्त्र	2005–06		2006–07		2007–08	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1.	ट्रैक्टर	56	17852	78	22710	50	16395
2.	अन्य कृषि यन्त्र	103	4090	103	5200	38	3664
	योग	159	21942	181	27910	88	20059

स्रोत : वार्षिक ऋण योजना (2005–06 से 2007–08) लीड बैंक, बांदा

2– लघु सिंचाई

लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत बैंक ऋण सीमान्त एवं लघु कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार बोरिंग तथा सामान का व्यय स्वयं वहन करती है। कृषकों को ऋण केवल पम्पसेट हेतु उपलब्ध होता है। लघु सिंचाई हेतु बैंक द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों के अलावा अन्य कृषकों को भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है, विशेषकर डीप ट्यूबवेल हेतु जिसमें रू० 1,00,000/– तक का अनुदान भी देय होता है।सन् 2006–07 में 301 लाभार्थियों को 17130 हजार रूपये व सन् 2007–08 में 283 लाभार्थियों को 6010 हजार रूपये लघु सिंचाई योजना हेतु उपलब्ध कराये गये।

तालिका संख्या : 6.9

विकासखण्ड कमासिन में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं0	सिंचाई के साधन	2005–06		2006–07		2007–08	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1.	नलकूप पम्पिंग सेट सहित	109	6597	137	8560	14	934
2.	पम्पिंग सेट	120	3570	150	4550	160	2864
3.	अन्य	14	3140	14	4020	109	2212
	योग	243	13307	301	17130	283	6010

स्रोत : वार्षिक ऋण योजना (2005–06 से 2007–08) लीड बैंक, बांदा

3– स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

1 अप्रैल, 1999 से एग्राविका के स्थान पर यह नवीन योजना भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी है। इसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऋण प्रदान कर उनकी आय में वृद्धि करना एवं उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास कर आर्थिक रूप से इतना सक्षम बनाना है ताकि उनकी आय रू० 2000/– प्रतिमाह हो जाये। यह योजना गरीबी उन्मूलन हेतु पूर्व में चल रही छः योजनाओं एग्राविका, ट्राइसेम, ड्वाकरा, ग्राम पंचायत योजना, सिट्रा एवं मिलियन कूप योजना को इस एकल छतरी योजना में समाहित करके बनायी गयी है। योजना के क्रियान्वन में प्रत्येक स्तर पर बैंकों की भूमिका को महत्वपूर्ण रखा गया है। इस योजना के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं–

(1) योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में स्वरोजगारों की स्थापना की जाये जिससे भारत में ग्रामीण निर्धनों में विद्यमान योग्यता/दक्षता को आर्थिक सहायता प्रदान कर लघु उद्यमों/सेवाओं को बहुमूल्य उत्पादन के रूप में बनाया जा सके। इसीजिए योजना में लाभ प्राप्त व्यक्ति को लाभार्थी के स्थान पर स्वरोजगारी कहा गया है।

(2) योजना में स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को प्रमुखता दी गयी है। रोजगार की स्थापना में क्लस्टर एप्रोच पर विशेष बल दिया गया है तथा योजनाओं का चयन स्थानीय आवश्यकताओं/उत्पादों को ध्यान में रखकर किया गया है। योजना के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 10 से 20 व्यक्तियें के समूह का गठन किया जाता है। गठित समूहों में कम से कम 50 प्रतिशत समूह महिलाओं का होना आवश्यक है। समूह को बनवाने एवं प्रशिक्षण देने का कार्य डी०आर०डी०ए० द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं, सुविधादाता एवं स्वयं के स्टाफ के माध्यम से किया जाता है। समूहों के गठन के पश्चात् उसके सदस्यों द्वारा

बचत करके आपस में ऋण वितरण तथा नियमित बैठकों की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी तथा विकास खण्ड में बैंक द्वारा समय–समय पर समीक्षा की जायेगी तथा सफल समूहों को ही ऋण वितरण हेतु चुना जायेगा।

(3) इस योजना के माध्यम से आगामी पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक विकास खण्ड में 30 प्रतिशत निर्धनों को गरीबी रेखा के ऊपर लाना है।

(4) गठन के छः माह के उपरान्त समूहों को प्रथम ग्रेडिंग में सफल होने के बाद समूह कॉरपस का 2 से 4 गुना किन्तु न्यूनतम रू० 5000/– एवं अधिकतम रू० 10,000/– रिवाल्विंग फण्ड दिया जाता है और साथ ही बैंक द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट के रूप में रू० 25,000/– की ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। अगले छः माह बाद द्वितीय ग्रेडिंग में सफल होने पर वांछित क्रियाकलाप हेतु ऋण सुविधा बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है।

(5) समूह स्वरोजगारियों हेतु अनुदान अधिकतम रू० 10,000/– प्रति स्वरोजगारी या परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या रू० 1.25 लाख अधिकतम है।

तालिका संख्या : 6.10

विकास खण्ड कमासिन में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गठित समूहों का विवरण

क्र0 सं0	सन्	लाभार्थियों की संख्या	गठित समूह
1	2	3	4
1.	1999–2000	20	नहीं गठित
2.	2000–01	298	25
3.	2001–02	669	52
4.	2002–03	1640	123
5.	2003–04	838	70
6.	2004–05	311	18
7.	2005–06	257	नहीं गठित
8.	2006–07	272	नहीं गठित
	योग	**4305**	**288**

स्रोत : कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी, कमासिन

4– मत्स्य पालन योजना

इस योजना में उन व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया जाता है, जिनके पास या तो स्वयं का तालाब है अथवा उनके पास कम से कम 10 वर्षों के लिए पट्टे पर तालाब उपलब्ध है। योजना के अन्तर्गत तीन प्रकार के ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं।

अ– पुराने तालाब के विकास हेतु (तालाब सुधार एवं इनपुट) पर रू० 61,500/– प्रति हे० की दर से।

ब– नये तालाब में बोरिंग पम्पसेट सहित रू० 89,000/–प्रति हे० की दर से।

स– समतल निजी भूमि पर नये तालाब बोरिंग पम्पसेट सहित रू० 1,65,000/– प्रति हे० की दर से।

द– मत्स्य हेचरी (चायनीज मॉडल 0.50 हे०) रू० 5,30,000/–

य– सीजनल मत्स्य कल्चर हेतु (ग्रामीण तालाब में) रू० 22,300/– प्रति हे० की दर से। तालाब के विकास हेतु दिये गए ऋण पर 25 प्रतिशत (नए तालाब के लिए रू० 20,000 प्रति हे० तथा पट्टे पर तालाब हेतु रू० 11.000 प्रति हे० अधिकतम) अनुदान उपलब्ध है। ऋण की अदायगी 7 वर्ष में की जाती है।

5– डेरीफार्मिंग योजना

दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व के दूध उत्पादन में भारत का हिस्सा 14 प्रतिशत है। दूध उत्पादन में भैंसों का 55 प्रतिशत, देशी गायों का 24 प्रतिशत और वर्णशंकर गायों का योगदान 16 प्रतिशत है। शेष 5 प्रतिशत दूध के उत्पादन में बकरियों का योगदान है। निम्नलिखित कारणों से भारत में डेरी फार्मिंग का राष्ट्रीय महत्व है–

1– डेरी फार्मिंग वर्ष भर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है।

2– चावल और गेहूँ के भूसे आदि जैसे कृषि उत्पाद जो मानव उपभोग हेतु उपयुक्त नहीं है। इन्हें पशुओं को खिलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

3– इससे कृषि मजदूरों और छोटे सीमान्त कृषकों को अतिरिक्त आय उपलब्ध होती है। 50 प्रतिशत से अधिक दूध उत्पादन भूमि हीन मजदूरों और छोटे कृषकों से प्राप्त होता है। वे कम रोजगार प्राप्त और बेरोजगार पारिवारिक सदस्यों की सहायता से मुख्यतः फसल अवशेषों पर एक या दो दुधारू पशु पालते हैं।

4– फसल से आय मौसम की समाप्ति पर ही होती है जबकि डेरी फार्मिंग से वर्ष भर नियमित रूप से नकदी प्रवाह उपलब्ध होता है।

5– गोबर और पशुमूत्र जैसे बेकार पदार्थों का खाद के लिए उपयोग होता है।

6– यद्यपि एक या दो दुधारू पशुओं से उत्पन्न आय न्यून होती है फिर भी पारिवारिक श्रम और कृषि अवशिष्ट के उपयोग के कारण भूमिहीन मजदूरों और छोटे किसानों के लिए यह अत्यन्त फायदेमन्द है।

6– मुर्गीपालन

भारत विश्व का सबसे बड़ा दूसरे नम्बर का अण्डा उत्पादक देश है। मुर्गीपालन कृषि के सर्वाधिक तेज विकसित सेगमेंट के रूप में उभर कर आया है। पिछले तीन दशकों में मुर्गीपालन गौण गतिविधि से रूपांतरित होकर एक आधुनिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी चालित उद्योग बन गया है। निम्नलिखित कारणों से देश में मुर्गीपालन बहुत लोकप्रिय हो गया है–

1– भारत में सफल मुर्गीपालन के लिए आवश्यक सभी निविष्टियों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी क्षमता विकसित की है।

2– हमारी कृषि जलवायवी परिस्थिति के पूर्णतः अनुकूल बढ़िया उपज देने वाले प्रजनन स्टाक की आपूर्ति के लिए जनपद में विकास हुआ है। आज का अनुवांशिक रूप से बढ़िया चिकन एक वर्ष में 270–290 अंडे देता है जो उसके अपने वजन से 9 से 10 गुना होता है।

3– पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनपद में विभिन्न प्रकार के टीकों

और औषधियों को उपलब्ध किया गया है।

4– उद्यमियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए विकास खण्ड स्तर पर समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते हैं।

5– उच्च पोषक मूल्य के कारण पोल्ट्री उत्पादों की मांग में वृद्धि हो रही है।

6– मुर्गीपालन या तो पूर्णकालिक या अंशकालिक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सकता है। इसलिए इससे ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी में कमी आयेगी।

7– बकरी पालन

ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के अलावा कई धन्धें हैं। इनमें प्रमुख हैं– मुर्गी, मछली, सुअर, भेड़ व बकरी पालन। आम किसान मुर्गी, मछली और सुअर नहीं पाल पाता। कुछ लोग शाकाहारी होने के कारण इन्हें पालना पसंद नहीं करते। हाँ मांसाहारी लोग इन्हें मांस और अंडों के लिए पालते हैं। परन्तु अधिकतर किसान गाय भैंस की जगह बकरी पालना पसंद करते हैं। बकरी सस्ती पड़ती है और इससे लाभ भी ज्यादा होता है। बकरी की देखभाल करना भी आसान है। यह 18 महीने की उमर से ही बच्चे जनने लगती है। विकास खण्ड कमासिन में सन् 2005–06 के दौरान 74 लाभार्थियों को बकरी पालन हेतु 2970 हजार रूपये विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किया गया है।

8– सुअर पालन

विकास खण्ड कमासिन में कुछ लाभार्थियों ने सुअर पालन को भी मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाया हुआ है। इस धन्धे में अच्छी आमदनी होती है। लेकिन इनमें गंदगी अधिक होती है। आसपास बदबू भी फैलती है इसीलिए कई लोग इन्हें नहीं पालते हैं। विकास खण्ड कमासिन में सन् 2005–06 से किसी भी लाभार्थी को सुअर पालन के लिए ऋण नहीं दिया गया।

तालिका संख्या : 6.11

विकास खण्ड कमासिन में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई ऋण–राशि

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	2005–06		2006–07		2007–08	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1.	पशु पालन	228	9059	254	11360	319	12766
2.	मुर्गीपालन	–	–	–	–	–	–
3.	बकरीपालन	74	2970	93	3710	59	4066
4.	सुअर पालन	–	–	–	–	–	–
5.	मछली पालन	53	4220	66	5440	23	2366
6.	अन्य	–	–	–	–	–	500
	योग	**355**	**16249**	**413**	**20510**	**401**	**19198**

स्रोत : वार्षिक ऋण योजना (2005–06 से 2007–08) लीड बैंक, बांदा

9– विशेष समन्वित (स्वतः रोजगार) योजना

इस योजना के अन्तर्गत केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं–

1– इस योजना के अन्तर्गत चयनित परिवारों की वार्षिक आमदनी ग्रामीण क्षेत्रों में रू० 11,000/– एवं शहरी क्षेत्र में रू० 11,850/– से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू० 6,000/– अनुदान देय होता है।

2– इस योजना के अन्तर्गत ऋण आवेदन पत्र शाखाओं को अपर जिला विकास अधिकारी (स०क०) द्वारा प्रेषित किए जाते हैं। आवेदनकर्ता का चयन जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स अधिकारियों द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 51 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाले नगरों/विकास खण्डों/ग्रामों मे प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक सहायता क्लस्टर कम सैचुरेशन के आधार पर प्रदान की जाती है।

3– कृषि एवं अकृषि क्षेत्र में योजना की लागत रू० 20,000 से रू० 7.0 लाख तक होती है।

4– नान फार्म सेक्टर में रू० 25,000 तक की ऋण राशि पर केवल रू० 6,000 की अनुदान राशि देय है परन्तु ऋण राशि रू० 25,000 से अधिक होने पर अनुदान राशि रू० 6,000 एवं कुल स्वीकृत ऋण राशि का 25 प्रतिशत अंशदान अनुमन्य होगा परन्तु दोनों अनुदान एवं अंशदान योजना लागत का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

5– लाभार्थियों का चयन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उनमें 40 प्रतिशत महिलाऐं एवं 10 प्रतिशत अस्वच्छ पेशे में लगे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की जाये।

10– लघु व कुटीर उद्योग

कमासिन में उद्योगों के विकास हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं एवं इकाईयों को प्राथमिकता स्तर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा रहा है। जनपद में लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंकों की महत्वाकांक्षी योजना के अनुरूप स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड वितरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। जिला उद्योग केन्द्र/खादी ग्रामोद्योग आयोग एतद् सम्बन्धित प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाकर इस सम्बन्ध में अहम् भूमिका का निर्वहन कर सकता है।

तालिका संख्या : 6.12

विकास खण्ड कमासिन में लघु व कुटीर उद्योग हेतु प्रदान की गई ऋण राशि

(धनराशि हजार रूपये में)

2005–06		2006–07		2007–08	
संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
67	1798	110	2160	10	1364

स्रोत : वार्षिक ऋण योजना (2005–06 से 2007–08) लीड बैंक, बांदा

तालिका संख्या : 6.13

ग्रामीण विकास से सम्बन्धित राजकीय ऋण योजनायें

कार्यक्रम का नाम	आय सीमा वार्षिक (रू०)	चयन-प्रक्रिया	अपेक्षित औसत (योजना लागत)	अनुदान/मार्जिन	अपेक्षित औसत बैंक ऋण	अग्रसारी संस्था	विशेष विवरण
स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	19884/– (देहात) 25546/– (शहरी)	देहात–ग्राम सभा की खुली बैठक शहरी–क्षेत्र–अपर जिला अ. (समाज कल्याण) के माध्यम से टास्क फोर्स द्वारा जिला स्तर पर गठित	योजनानुसार परन्तु गैर कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित ऋण आवेदन पत्र 25000/– से कम होने पर अनुदान देय नहीं है कृषि क्षेत्र 10000/– इसके अतिरिक्त ऋण पर मार्जिन मनी देय है जिस पर 4% ब्याज देय होगा।	योजना लागत का 50% या रू0 10000/– तक कुछ शर्तों के अधीन	योजनानुसार	ब्लाक पत्र समाज कल्याण विभाग	चयनित लाभार्थियों में 30% महिलायें एवं 10% पेशे में लगे अनु0 व्यक्तियों को अवश्य मिलनी चाहिए।
लघु सिंचाई (अ) एस.एम.एफ. योजनान्तर्गत	लाभार्थी लघु या सीमान्त कृषक होगा	ग्राम सभा की खुली बैठक में चयन	5–8 एच. पी के पम्पसेट	लघु कृषक 2800 रू0 तक सीमान्त कृषक 3750 रू0 तक	5–8 एच.पी. के पम्पसेट की इकाई लागत	ब्लाक	अनु. जाति एवं ज0जा0 हेतु अनुदान रू0 5650/– होगा (बोरिंग निःशुल्क) सभी के लिए लागू
(ब) डीप बोरिंग योजना	लागू नहीं	सहा. अभियन्ता (लघु सि.) द्वारा अनुमोदित	रू0 3.00 लाख	रू0 100000/– तक	रू0 200000/–	लघु सिंचाई विभाग	
(स) मध्यम नलकूप योजना	लागू नहीं	तदैव	रू0 1.70 लाख	नलकूप पर 75000/– नाली पर 10000/–	रू0 85000/–	तदैव	तदैव
(द) ऑन फार्म वाटर मैनेजमेन्ट	लागू नहीं	कोई नहीं	न्यूनतम 15000/– अधिकतम 43000/–	20 % मार्जिन 30 % अनुदान अधिकतम 40500 रू0	रू0 25000/–	भूमि सुधार निगम खण्ड विकास कार्यालय	नाबार्ड द्वारा अनुदान दिया जाता है।

कार्यक्रम का नाम	आय सीमा वार्षिक (रू०)	चयन प्रक्रिया	अपेक्षित औसत (योजना लागत)	अनुदान/मार्जिन	अपेक्षित औसत बैंक ऋण	अग्रसारी संस्था	विशेष विवरण
मत्स्य विकास कार्यक्रम	व्यक्तिगत उद्यमियों हेतु	मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा निजी अथवा पट्टे पर दिये तालाब के धारकों का बयान	तालाब की गहराई एवं क्षेत्रफल पर आधारित	सामान्य के लिये 20% अधिकतम रू0 18,000/– अनु/जन0 के लिये 25% अधिकतम रू0 22,500/–	अनुदान छोड़कर	जिला मत्स्य पालक विकास अभिकरण	बुलई एवं रेही जमीन को कार्यक्रम में शामिल नही करना चाहिये।
पिछड़ी जाति मार्जिन मनी ऋण योजना	देहात रू0 19884/– शहरी क्षेत्र रू0 25546/–	जि.प्र., उ.प्र. पिछड़ी जाति वि. निगम द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का जिला स्तरीय टास्क फोर्स में अनुमोदन	अधिकतम रू0 2.00 लाख तक	–	मार्जिन मनी छोड़कर	जि.प्र., उ.प्र. पिछड़ी जाति वि. निगम	स्वीकृति योजना का 25% अथवा रू0 10,000/– तक 2% वार्षिक ब्याज की दर पर था पिछड़ा वर्ग वित्त निगम तथा 15% अथवा रू0 4,000/ तक उ.प्र. पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर

० ०	कार्यक्रम का नाम	आय सीमा वार्षिक (रू०)	चयन प्रक्रिया	अपेक्षित औसत (योजना लागत)	अनुदान/मार्जिन	अपेक्षित औसत बैंक ऋण	अग्रसारी संस्था	विशेष विवरण
	मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (ब्याज उपादान योजना)	-	टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदन	रू0 5.00 लाख तक की कोई औद्योगिक क्षेत्र में गठित	4% से अधिक बैंक को देय ब्याज इकाई	योजना की लागत के अनुसार	जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	बैंकों द्वारा वितरण के उपरान्त ब्याज का दावा जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (व्यक्तिगत)	रू0 25,546/- प्रतिवर्ष	खण्ड विकास कार्यालय से जारी बी.पी.एल. सूची के अन्तर्गत	इकाई लागत के अनुसार	लघु सिंचाई हेतु कोई सीमा नहीं अनु. जाति/जनजाति व्यक्तिगत स्वरोजगारी 50% अधिकतम 10,000/- अन्य 30% अधिकतम 7500/-	योजना लागत के अनुसार	डी.आर.डी.ए. /ब्लाक	समूहों की ग्रेडिंग के आधार पर कॉरपस फण्ड के 4 गुना तक
	(समूह)	तदैव कम से कम दस सदस्य	तदैव	तदैव	प्रति लाभार्थी 10000/- अधिकतम 12500/-	तदैव	तदैव	तदैव

अध्ययन क्षेत्र विकास खण्ड कमासिन में विभिन्न ऋण प्रदाता बैंकों द्वारा संचालित ऋण योजनाओं का विस्तृत अध्ययन करने के उपरान्त अब हम चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा संकलित किये गये प्राथमिक संमकों व सारणीयन द्वारा प्रस्तुत अध्याय की रूपरेखा निम्नवत् संयोजित करेगे–

तालिका संख्या 6.14 विभिन्न ऋण प्रदाता बैंकों द्वारा चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों की संख्या को स्पष्ट कर रही है।

तालिका संख्या : 6.14

विभिन्न ऋण प्रदाता बैंकों द्वारा चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों की संख्या

क्र0 सं0	ऋण प्रदाता बैंक का नाम	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद बैंक, कमासिन (बांदा)	280	56.00
2.	जिला सहकारी बैंक, कमासिन (बांदा)	78	15.60
3.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कमासिन (बांदा)	56	11.20
4.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बेर्राव (बांदा)	45	09.00
5.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पछौंहा (बांदा)	33	06.60
6.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मर्का (बांदा)	08	01.60
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मर्का (बांदा) विकास खण्ड कमासिन में स्थित नहीं है बल्कि इसके सेवा क्षेत्र में कुछ ग्राम पंचायतें विकास खण्ड कमासिन की भी आती हैं।

तालिका संख्या 6.14 प्रदर्शित करती है कि सर्वाधिक 280 लाभार्थियों (56.00 प्रतिशत) को इलाहाबाद बैंक कमासिन से संस्थागत ऋण प्राप्त हुआ है। जबकि सबसे

कम 08 लाभार्थियों (01.60 प्रतिशत) को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मर्का (बांदा) से संस्थागत वित्त प्राप्त हुआ है।

तालिका संख्या 6.15 ऋण प्रदाता बैंकों द्वारा चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों के चयन के आधार को प्रस्तुत कर रही है–

तालिका संख्या : 6.15

ऋण प्रदाता बैंकों द्वारा चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों के चयन का आधार

क्र0 सं0	चयन का आधार	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	बी0पी0एल0 सूची के आधार पर	118	23.60
2.	कृषि योग्य भूमि को बन्धक रखकर	268	53.60
3.	जमानतदारों के आधार पर	42	08.40
4.	समूह गठन के आधार पर	72	14.40
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 6.15 प्रदर्शित करती है कि सर्वाधिक 268 लाभार्थियों (53.60 प्रतिशत) द्वारा कृषि योग्य भूमि को बन्धक रखकर संस्थागत वित्त प्राप्त किया गया है।। 118 (23.60 प्रतिशत) लाभार्थी बी0पी0एल0 सूची में नाम होने के कारण व 72 लाभार्थी (14.40 प्रतिशत) समूह गठन के आधार पर ऋण प्राप्त करने में सफल रहे हैं। जबकि 42 लाभार्थियों (8.40 प्रतिशत) द्वारा दूसरे व्यक्तियों के जमानत के आधार पर वित्त प्राप्त कर सके हैं।

तालिका संख्या 6.16 ऋण प्रदाता बैंकों द्वारा चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों के चयन के वर्ष को प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 6.16

ऋण प्रदाता बैंकों द्वारा चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों के चयन का वर्ष

क्र0 सं0	चयन का वर्ष	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	1990–91	09	1.80
2.	1991–92	12	2.40
3.	1992–93	15	3.00
4.	1993–94	16	3.20
5.	1994–95	18	3.60
6.	1995–96	32	6.40
7.	1996–97	51	10.20
8.	1997–98	63	12.60
9.	1998–99	79	15.80
10.	1999–2000	93	18.60
11.	2000–01	112	22.40
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 6.16 प्रदर्शित करती है कि चयनित प्रतिदर्श के सर्वाधिक 112 लाभार्थियों (22.40 प्रतिशत) का चयन विभिन्न ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा सन् 2000–01 में हुआ। जबकि सबसे कम 09 लाभार्थी (1.80 प्रतिशत) सन् 1990–91 में चयनित हुये।

तालिका संख्या 6.17 विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं में चयनित लाभार्थियों की संख्या को स्पष्ट कर रही है–

तालिका संख्या : 6.17

विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं में चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों की संख्या

क्र0 सं0	सरकारी योजना का नाम	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	डेरी फार्मिंग योजना	110	22.00
2.	मुर्गी पालन योजना	40	08.00
3.	लघु सिंचाई और भूमि विकास योजनायें	70	14.00
4.	कृषि यन्त्रीकरण	65	13.00
5.	बकरी व भेड़पालन	20	04.00
6.	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	90	18.00
7.	किसान क्रेडिट कार्ड योजना	105	21.00
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 6.17 प्रदर्शित करती है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं में सर्वाधिक 110 लाभार्थियों (22.00 प्रतिशत) को डेरी फार्मिंग योजना के अन्तर्गत व सबसे कम 20 लाभार्थियों (4.00 प्रतिशत) को बकरी व भेड़पालन योजना के अन्तर्गत वित्त प्राप्त हुआ है।

तालिका संख्या 6.18 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा लिये गये ऋण का उद्देश्य स्पष्ट कर रही है–

तालिका संख्या : 6.18

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा लिए गये ऋण का उद्देश्य

क्र0 सं0	ऋण का उद्देश्य	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आय में वृद्धि करना	233	46.60
2.	उत्पादन में वृद्धि करना	146	29.20
3.	बेरोजगारी दूर करना	86	17.20
4.	जीवन स्तर में सुधार करना	35	07.00
	समग्र का योग	**500**	**100.00**

तालिका संख्या 6.18 स्पष्ट कर रही है कि चयनित 500 लाभार्थियों में से सर्वाधिक 233 लाभार्थियों (46.60 प्रतिशत) ने आय में वृद्धि के लिए तथा 146 लाभार्थियों (29.20 प्रतिशत) ने उत्पादन में वृद्धि के लिए ऋण लिया है। जबकि बेरोजगारी दूर करने व जीवन स्तर में सुधार के लिए क्रमशः 17.20 व 07.00 प्रतिशत लाभार्थियों ने ऋण लिया है।

तालिका संख्या 6.19 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा संस्थागत वित्त के अन्तर्गत प्राप्त ऋण के पुनर्भुगतान की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है–

तालिका संख्या : 6.19

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा संस्थागत वित्त के पुनर्भुगतान की प्रतिक्रिया

क्र0 सं0	लाभार्थियों की प्रतिक्रिया	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	हाँ	344	68.80
2.	नहीं	156	31.20
	योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 6.19 स्पष्ट करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में 344 लाभार्थी (68.80 प्रतिशत) ही संस्थागत वित्त के अन्तर्गत प्राप्त ऋण का भुगतान कर रहे हैं। शेष 156 लाभार्थी (31.20 प्रतिशत) संस्थागत वित्त का भुगतान ससमय नहीं कर रहे। और इनसे भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंकों को वसूली की रणनीति बनानी पड़ती है। जिसके अन्तर्गत बैंक लाभार्थियों को आर0सी0 जारी कर, तहसील के माध्यम से वसूली करता है।

तालिका संख्या 6.20 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों को ऋण प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं को प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 6.20

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों को ऋण प्राप्त करने में आने वाली समस्यायें

क्र0 सं0	आने वाली समस्यायें	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	कमीशन लिया जाना	346	69.20
2.	कागजी खानापूरी में विलम्ब लगना	55	11.00
3.	बैंक द्वारा भागदौड़ करवाना	22	04.40
4.	बैंक द्वारा दलालों के माध्यम से ऋण देना	30	06.00
5.	कागजी खानापूरी में अनावश्यक धनराशि बर्बाद करवाना	47	09.40
	योग	**500**	**100.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 6.20 स्पष्ट करती है कि संस्थागत वित्त के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने में लाभार्थियों को अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसमें 346 लाभार्थियों (69.20 प्रतिशत) ने ऋण प्राप्त करने में बैंक पर कमीशन लेने का आरोप लगाया। जबकि 22 लाभार्थियों (4.40 प्रतिशत) ने बैंक द्वारा भागदौड़ करवाने को

मुख्य समस्या बताया।

तालिका संख्या 6.21 चयनित प्रतिदर्श के उन लाभार्थियों को प्रदर्शित कर रही है जिन्होंने संस्थागत वित्तीय स्रोतों के अतिरिक्त गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों से भी ऋण प्राप्त किया है–

तालिका संख्या : 6.21

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा गैर–संस्थागत वित्तीय स्रोतों से प्राप्त ऋण राशि की प्रतिक्रिया

क्र0 सं0	लाभार्थियों की प्रतिक्रिया	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का समग्र से प्रतिशत
1	2	3	4
1.	हाँ	154	30.80
2.	नहीं	346	69.20
	योग	500	100.00

स्रोतः प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 6.21 प्रदर्शित करती है कि चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों ने संस्थागत वित्तीय स्रोतों के अतिरिक्त गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों से भी ऋण ले रखा है और यह प्रतिशत 30.80 है।

सप्तम अध्याय

सप्तम अध्याय

लाभार्थी परिवारों का रहन–सहन स्तर

तथा संस्थागत वित्त का प्रभाव

- ☞ रहन–सहन का स्तर
- ☞ संस्थागत वित्त के प्रभाव

सप्तम अध्याय

प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का उपभोग करता है। प्रारम्भ में वह इन वस्तुओं का चुनाव अपने देश, काल, रूचि, शिक्षा, अनुभव, सामाजिक प्रथाओं एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार करता है। जब वह इनका उपभोग पर्याप्त समय तक करता रहता है तो वह इनके उपभोग का आदी हो जाता है। तब तो ये वस्तुयें उसके दैनिक जीवन का अंग बन जाती हैं और यदि कभी इनमें से किसी वस्तु के उपभोग से उसे वंचित रहने का अवसर आता है तो उसे कष्ट होता है। अतः किसी व्यक्ति के उपभोग की वस्तुओं में कमी करना कठिन होता है। वह यथाशक्ति उनका प्रयोग करते रहना चाहता है। किसी मनुष्य के उपभोग की समस्त सामग्री ही उसके रहन–सहन के स्तर को प्रकट करती है। इसी तथ्य के आधार पर रहन सहन के स्तर की परिभाषा निम्न प्रकार दी जा सकती है–

7.1. रहन–सहन के स्तर की परिभाषायें

रहन–सहन के स्तर का विस्तृत विश्लेषण करने के लिये कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन आवश्यक है। जो निम्नलिखित हैं–

प्रो0 पैन्सन के अनुसार– "आवश्यकतायें जिनकी दीर्घकालीन संतुष्टि आदत बन जाती है, जीवन–स्तर कहलाती हैं। जब प्रयोग के फलस्वरूप कुछ वस्तुएं दैनिक स्वाभाविक आवश्यकता प्रतीत होने लगती हैं तो वे जीवन–स्तर कहलाती हैं।"[1]

एम0 पालीवाल के अनुसार– "ब्यक्ति विशेष की वे समस्त आवश्यकतायें जीवन–स्तर कहलाती हैं जिनका अपने दैनिक–जीवन में उपभोग करने का वह अभ्यस्त हो जाता है।"[1]

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि–

स्रोत : 1. सरल अर्थशास्त्र–प्रो0 पी0पी0 कुलश्रेष्ठ, सन् 1977 पृ0सं0 218

"वे आवश्यकताएं, जिन्हें कोई व्यक्ति सामान्यतः संतुष्ट करता है और वे आवश्यक, सुखकर एवं विलासिता की वस्तुएं जिनके द्वारा वह अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का आदी हो चुका है, उसके रहन–सहन के स्तर के द्योतक हैं।"

उपरोक्त परिभाषाओं से यह भ्रांति हो सकती है कि उपभोग्य पदार्थों की मात्रा और विविधता ही ऊँचे रहन–सहन के स्तर के द्योतक हैं, किन्तु वास्तव में यह बिल्कुल सत्य नहीं है। इन पदार्थों के उपभोग का आवश्यम्भावी परिणाम यह होना चाहिए कि उससे व्यक्ति की बुद्धि, शक्ति एवं आत्म–सम्मान में वृद्धि हो और वह अधिक विवेकवान बने।

7.2. रहन–सहन के स्तर के भेद

व्यक्तियेां का जीवन–स्तर निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है–

7.2.1. नीचा रहन–सहन का स्तर

जब कोई व्यक्ति अपनी आय से कठिनाई से अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर पाता है और सुखकर तथा विलासिता सम्बन्धी आवश्यकताओं पर नाममात्र को ही व्यय कर पाता है तो हम उसके रहन–सहन के स्तर को नीचा जीवन–स्तर कहते हैं। जैसे साधारण भोजन, मोटे वस्त्र, रहने को झोपड़ी या टूटा–फूटा मकान।

7.2.2. ऊँचा रहन–सहन का स्तर

जब कोई व्यक्ति अपनी आय का अधिक भाग अपनी सुखकर एवं विलासिता से सम्बन्धित वस्तुओं की पूर्ति पर व्यय करता है तो उसके रहन–सहन के स्तर को ऊँचा जीवन स्तर कहते हैं। जैसे– रहने को अच्छा आलीशान मकान, खाने को अच्छा पौष्टिक भोजन, पहिनने को अच्छे और कीमती वस्त्र तथा नौकर, कार आदि। ऊँचे स्तर का जीवन बिताने में मनुष्य कठिनाइयों का अनुभव न करके आनन्द का अनुभव करता है।

7.2.3. मिश्रित रहन–सहन का स्तर

जब कोई व्यक्ति अपनी आय से आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर लेता

है और आरामदायक वस्तुओं का भी उपभोग कर लेता है, परन्तु विलासितापूर्ण वस्तुओं का उपभोग नहीं कर पाता तो हम उसके रहन–सहन के स्तर को मिश्रित रहन–सहन का स्तर कहते हैं।

7.3. रहन–सहन का स्तर सापेक्ष और तुलनात्मक होता है

जब हम किसी क्षेत्र के निवासियों के रहन–सहन के स्तर पर विचार करते हैं, तो हमारा उद्देश्य तुलनात्मक अध्ययन होता है अर्थात् हम यह ज्ञात करते हैं कि अन्य क्षेत्र के निवासियों के रहन–सहन से इस क्षेत्र के निवासियों के रहन–सहन का स्तर ऊँचा है अथवा नीचा। वस्तुतः रहन सहन का स्तर सापेक्ष होता है। जिसे हम ऊँचा रहन–सहन कहते हैं, वही अन्य क्षेत्र के रहन–सहन से नीचा हो सकता है। अतः स्पष्ट है कि रहन सहन का स्तर सापेक्षिक है और यह तुलनात्मक अध्ययन का विषय है। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों का रहन सहन का स्तर भिन्न–भिन्न होता है। किसी व्यक्ति का रहन–सहन का स्तर यदि कुछ व्यक्तियों से ऊँचा है तो अन्य कुछ से नीचा होता है।

7.4. रहन–सहन के स्तर को निर्धारित करने वाले तत्व

किसी व्यक्ति का रहन–सहन का स्तर ऊँचा, नीचा अथवा मिश्रित होगा यह कई बातों पर निर्भर है। वस्तुतः रहन–सहन का स्तर सापेक्ष और तुलनात्मक है, अतः इसको निर्धारित करने वाले तत्वों को हम दो वर्गों में बाँट सकते हैं–

(अ) व्यक्तिगत तत्व

(ब) प्रचलित परिस्थितियाँ

7.4.अ. व्यक्तिगत तत्व

रहन–सहन के स्तर को निर्धारित करने वाले व्यक्तिगत तत्व निम्नलिखित हैं–

(1) आय

मनुष्य अपनी आय से ही उपभोग की सामग्री प्राप्त करता है, अतः उसकी आय

जितनी अधिक होगी वह उतनी ही अधिक सामग्री का उपभोग कर सकता है और उतनी ही अधिक आवश्यकताओं को सन्तुष्ट कर सकता है। इसी से एक धनी व्यक्ति का रहन–सहन निर्धन व्यक्ति के रहन–सहन की तुलना में निश्चय ही ऊँचा होना चाहिए, यदि अन्य बातें समान हों।

(2) व्यय चातुरी

उपरोक्त विवरण से यह भ्रान्ति उत्पन्न हो सकती है कि खर्चीला रहन–सहन ही ऊँचा रहन–सहन है। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है कि जो व्यक्ति जितना अधिक खर्च कर सकता है उसका रहन–सहन का स्तर उतना ही ऊँचा हो। रहन–सहन का स्तर व्यक्ति के विवेकपूर्ण व्यय पर भी निर्भर है। माना कि श्याम कुमार की आय 1000 है और हरिमोहन की आय केवल 500 है, किन्तु श्यामकुमार को शराब, अफीम, सिनेमा इत्यादि खर्चीले शौक लग गये हैं, अतः उसकी आधे से अधिक आय इन्हीं पर व्यय हो जाती है। शेष आय को भी वह सोच–विचार कर खर्च नहीं करता जबकि हरिमोहन अपनी सीमित आय को विवेकपूर्ण ढंग से व्यय करता है। वह पहले अत्यन्त आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तदुपरान्त सुखकर पदार्थों का प्रयोग करता है। अतः निश्चय ही हरिमोहन का रहन सहन श्यामकुमार के रहन–सहन के स्तर से ऊँचा होगा।

(3) स्वास्थ्य

यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ नही है, तो उसकी अपार धनराशि भी उसके लिए व्यर्थ है। वह अनेक वस्तुओं का उपभोग ही नहीं कर पावेगा। जिस व्यक्ति को मूँग की दाल नहीं पचती, वह दूध, दही, मिष्ठान का रसास्वादन क्या करेगा। जिसे गर्म वायु का सामान्य सम्पर्क ही रोगी बना देता है, वह बारीक मलमल और चायना सिल्क पहनकर बाहर निकलने का क्या साहस करेगा। विपरीत इसके एक स्वस्थ व्यक्ति विविध व्यंजनों का रसास्वादन कर सकता है और विभिन्न प्रकार के परिधान धारण करके यत्र–तत्र विचरण कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य की दशा पर भी रहन–

सहन का स्तर निर्भर होता है।

(4) शिक्षा

शिक्षा मनुष्य के सम्मुख ज्ञान विस्तार के अनेक मार्ग खोल देती है जिससे एक शिक्षित व्यक्ति का ज्ञान क्षेत्र अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है, अतः वह अनेक ऐसी उपयोगी वस्तुओं को अपने उपभोग की सारणी में शामिल कर सकता है जिनके विषय में अशिक्षित व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं होती। इस प्रकार शिक्षित व्यक्ति का रहन–सहन अशिक्षित व्यक्तियों के रहन–सहन के स्तर से ऊँचा हो सकता है।

(5) महत्वाकांक्षा

महत्वाकांक्षा की भावना व्यक्ति को सदा ऊँचा उठने की प्रेरणा प्रदान करती है, अतः जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा, वह सदैव श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करेगा। आज के युग में रहन सहन का स्तर ऊँचा होना सर्वोपरि होने का प्रमाण माना जाता है। अतः महत्वाकांक्षी व्यक्ति महत्वाकांक्षा विहीन व्यक्ति की अपेक्षा ऊँचा रहन–सहन का स्तर प्राप्त करने को अधिक उत्सुक होगा और निश्यच ही अपना रहन–सहन का स्तर अपेक्षाकृत ऊँचा रखेगा।

7.4.ब. प्रचलित परिस्थितियाँ

रहन–सहन के स्तर को प्रभावित करने वाली प्रचलित परिस्थितियाँ निम्नांकित हैं–

(1) जलवायु

जिस देश की जलवायु अस्वास्थ्यप्रद है, वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की सामान्य दशा गिरी हुई होगी, अतः वहाँ के निवासियों का जीवन–स्तर नीचा रहेगा, विपरीत इसके स्वास्थ्योपयोगी जलवायु वाले देशों में लोगों का रहन–सहन का स्तर अपेक्षाकृत ऊँचा होगा। जिन देशों की जलवायु अत्यन्त गर्म है वहाँ के निवासियों का रहन सहन शीतोष्ण देशों के निवासियों के जीवन–स्तर की अपेक्षा नीचा रहेगा। क्योंकि गर्म जलवायु में बहुत ही कम वस्त्रों और सामान्य निवास स्थान से ही काम चल जाता है

तथा गर्म जलवायु कार्यक्षमता को गिरा देती है, जबकि शीतोष्ण जलवायु में पर्याप्त वस्त्रों और अच्छे निवासगृह की आवश्यकता पड़ती है तथा शीतोष्ण जलवायु स्फूर्तिदायक होने के कारण क्षमता में वृद्धि करती है। अतः स्पष्ट है कि जलवायु की दशायें भी रहन–सहन के स्तर को प्रभावित करती हैं।

(2) मुद्रा की क्रयशक्ति

जब हम विभिन्न देशों के निवासियों के रहन–सहन की तुलना करते हैं अथवा भिन्न समयों पर उसी एक व्यक्ति के रहन–सहन की तुलना करते हैं, तो मुद्रा की क्रय शक्ति की भिन्नता का महत्व स्पष्ट समझ में आता है। उदाहरण स्वरूप भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय युद्ध पूर्व 56 रूपये थी और युद्धोत्तर काल में 285 रूपये वार्षिक हो गई। इस आय वृद्धि से यह भ्रान्ति हो जाती है कि भारतवासियों का रहन–सहन का स्तर पहले से बहुत ऊँचा हो गया है, जबकि वस्तुतः इसमें कोई अन्तर नहीं आया, क्योंकि मुद्रा प्रसार के कारण मुद्रा की क्रयशक्ति पहले से बहुत घट गई है फलतः अब अधिक रूपये में भी बहुत थोड़ा सामान खरीदा जा सकता है। स्पष्ट है कि मुद्रा की क्रय शक्ति भी रहन सहन के स्तर को प्रभावित करती है।

(3) धार्मिक एवं सामाजिक प्रथायें

किसी देश के निवासियों का रहन सहन धार्मिक व सामाजिक प्रथाओं से भी प्रभावित होता है। उदाहरणार्थ भारत में विवाह, मुण्डन व मृत्यु इत्यादि संस्कारों पर दावत में पर्याप्त धन व्यय किया जाता है। ऐसे अवसरों पर सामाजिक सम्मान में वृद्धि हेतु भारतीय अपने दैनिक व्यय को सीमित रखते हैं और वर्षों से जोड़े हुये धन को एक ही दिन में खर्च कर डालते हैं। पाश्चात्य देशों में इस प्रकार की खर्चीली प्रथायें नहीं हैं। रहन–सहन के मानदण्ड के तुलनात्मक अध्ययन से इस तत्व का प्रभाव स्पष्ट व्यक्त होता है।

(4) शान्ति और सुरक्षा

किसी व्यक्ति की आय पर्याप्त हो और वह व्यय चातुरी के गुण से भी सम्पन्न

हो, तथापि वह अपना रहन–सहन का स्तर ऊँचा रखने में असमर्थ रहेगा, यदि देश में शान्ति व सुव्यवस्था न हो। सुव्यवस्था न होने से उसे सदैव धन के अपहरण की आशंका बनी रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में काफी लोग पर्याप्त धन होते हुये भी सामान्य रहन सहन रखते हैं, क्योंकि उन्हें यह आशंका रहती है कि यदि लोगों को धन बाहुल्य का आभास मिल जायेगा, तो वे सब धन चुरा ले जायेंगे या डकैती पड़ जायेगी। इसी प्रकार जब देश में गृह युद्ध छिड़ा होता है, तो लोगों को हर समय जान–माल की आशंका बनी रहेगी। ऐसी दशा में उनका रहन–सहन का स्तर नीचा रहेगा। स्पष्ट है कि शान्ति एवं सुरक्षा रहन–सहन के स्तर को प्रभावित करती है।

(5) पदार्थों की सुलभता

जिस देश में उपभोग की आवश्यक सामग्री सुलभ न होगी वहाँ के निवासियों का रहन–सहन का स्तर नीचा रहेगा। जो क्षेत्र यातायात मार्गों से दूर पड़ते हैं अथवा विस्तृत मरू प्रदेशों अथवा सघन वन क्षेत्रों के द्वारा अलग हैं वहाँ के लोगों को सभी आवश्यक सामग्री सुलभ नहीं हो पाती, अतः वे बहुधा अनेक वस्तुओं के उपभोग से वंचित रह जाते हैं। जिन क्षेत्रों में यातायात की अच्छी व्यवस्था नहीं होती वहाँ तक या तो अनेक चीजें पहुँच ही नहीं पातीं और पहुँचती भी हैं, तो वहाँ वे काफी महँगी पड़ती हैं, अतः वहाँ के निवासियों का रहन–सहन का स्तर नीचा रहता है।

7.5. अध्ययन क्षेत्र के लाभार्थी परिवारों का रहन सहन का स्तर

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अध्ययन क्षेत्र विकास खण्ड कमासिन के लाभार्थी परिवारों के रहन–सहन का स्तर ज्ञात करने के लिए हमें उनकी आय संरचना, उपभोग–व्यय, स्वास्थ्य दशायें व शिक्षा का स्तर आदि तत्वों का अध्ययन करना होगा। हमें यह देखना होगा कि वे किस–किस प्रकार की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करते हैं और किस सीमा तक उनकी पूर्ति कर पाते हैं। अतः हम इन सब का विश्लेषण जितना ठीक कर सकेंगे, उतनी ही सफलता रहन–सहन के स्तर को ज्ञात करने में प्राप्त हो सकती है। यह पूर्व

में स्पष्ट किया जा चुका है कि रहन–सहन का स्तर सापेक्ष और तुलनात्मक होता है। अतः यदि हम एक वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन की तुलना अन्य वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन से करें, तो अध्ययन क्षेत्र के लाभार्थियों के रहन–सहन के स्तर का स्पष्ट परिचय प्राप्त हो सकता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये लाभार्थी परिवारों के रहन–सहन के स्तर का निर्धारण निम्न प्रकार किया जा सकता है–

(1) आय संरचना

किसी क्षेत्र के रहन–सहन के स्तर को ज्ञात करने के लिए उस क्षेत्र के लोगों की आय संरचना को जानना अति आवश्यक है। क्योंकि किसी व्यक्ति का रहन–सहन बहुत कुछ उसकी आय पर निर्भर होता है। यदि उसकी आय अधिक होगी, तो उसका रहन–सहन का स्तर भी उच्च होगा और यदि उसकी आय इतनी भी नहीं होगी कि वह अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तो निश्चय ही उसके रहन–सहन का स्तर निम्न होगा।

अध्ययन क्षेत्र विकास खण्ड कमासिन के लाभार्थियों की आय संरचना में एक रूपता नहीं है। उनकी आय संरचना का सामान्य अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उनका मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य है। जैसा कि तालिका संख्या 4.1 प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में 315 लाभार्थियों (63.00 प्रतिशत) के पास कृषि योग्य भूमि है और वे कृषि कार्य करते हैं एवं शेष 185 लाभार्थियों (37.00 प्रतिशत) के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है। और वे कृषि मजदूर या कृषि सम्बन्धी अन्य व्यवसाय अपना कर अपनी आय अर्जित कर रहे हैं। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लाभार्थियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। तालिका संख्या 4.3 प्रदर्शित करती है कि चयनित लाभार्थियों में केवल 30 लाभार्थियों के पास ही सिंचाई के साधन हैं। और शेष 285 लाभार्थियों के पास सिंचाई के साधन नहीं है। तालिका संख्या 4.4 प्रदर्शित करती है कि सिंचाई के साधनों की अनुपलब्धता के कारण 252 लाभार्थी (50.40 प्रतिशत) एक

फसल ही प्राप्त कर पाते हैं। एवं दो फसल व तीन फसल प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 60 (12.00 प्रतिशत) व 3 (0.60 प्रतिशत) है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विकास खण्ड कमासिन के लाभार्थियों द्वारा कृषि को तो मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाया गया है परन्तु सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण लाभार्थियों को पर्याप्त कृषि उत्पादन नहीं हो रहा जिस कारण उनकी वार्षिक कृषिगत आय कम है। तालिका संख्या 4.5 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों की कृषिगत वार्षिक आय प्रदर्शित कर रही है। विकास खण्ड कमासिन के लाभार्थियों को आय के आधार पर निम्नलिखित **तीन वर्गों** में विभाजित किया जा सकता है–

(1) निम्न वर्ग (कमजोर वर्ग)

निम्न वर्ग में उन लाभार्थियों को रखा गया है जिनकी वार्षिक आय 0–40,000 रूपये तक है। इस आय वर्ग में कृषि मजदूर, ग्रामीण दास्तकार, लघु व सीमान्त कृषक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उन लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया है जिनकी वार्षिक आय अधिकतम 40,000 रूपये तक है। विकास खण्ड कमासिन में इस आय वर्ग के लाभार्थियों की कुल संख्या 392 है जो कुल चयनित 500 लाभार्थियों का 78.40 प्रतिशत है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लाभार्थी कमजोर वर्ग (निम्न वर्ग) के अन्तर्गत आते हैं।

(2) मध्यम वर्ग

मध्यम वर्ग में उन लाभार्थियों को रखा गया है जिनकी वार्षिक आय 40,000–80,000 रूपये तक है। विकास खण्ड कमासिन में इस आय वर्ग के लाभार्थियों की संख्या 83 है जो कुल चयनित 500 लाभार्थियों का 16.60 प्रतिशत है।

(3) उच्च वर्ग

उच्च वर्ग में उन लाभार्थियों को रखा गया है जिनकी वार्षिक आय 80,000 रूपये से अधिक है। विकास खण्ड कमासिन में उच्च आय वर्ग के लाभार्थियों की संख्या

25 है जो कुल चयनित 500 लाभार्थियों का 05.00 प्रतिशत है।

उपर्युक्त आय संरचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विकास खण्ड कमासिन के अधिकांश लाभार्थियों की आय काफी कम है। 392 लाभार्थियों की आय 40,000 रूपये वार्षिक से भी कम है। ये अपनी न्यून आय के कारण केवल आवश्यक आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर पाते हैं। एवं मध्यम वर्ग के लाभार्थी जिनकी संख्या अध्ययन क्षेत्र में 83 है वार्षिक रूप से 40,000–80,000 रूपये तक आय अर्जित कर लेते हैं। ये लाभार्थी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आय के स्रोतों से कर लेते हैं और आरामदायक वस्तुओं का भी प्रयोग कर लेते हैं परन्तु विलासितापूर्ण वस्तुओं का उपभोग नहीं कर पाते। जबकि उच्च वर्ग के लाभार्थी अपनी पर्याप्त वार्षिक आय के कारण सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं तथा विलासितापूर्ण वस्तुओं का भी पर्याप्त प्रयोग करते हैं।

(2) उपभोग व्यय

मनुष्य की आवश्यकतायें अनन्त होती हैं वह उनकी पूर्ति के लिए प्रातः काल से शायंकाल तक कठिन परिश्रम करता रहता है। मनुष्य की आवश्यकताओं में भी उसके विकास के साथ परिवर्तन आ जाता है। जैस–जैसे वह अधिक सभ्य होता जाता है वैसे ही वैसे वह अधिक सुखकर एवं विलासिता सम्बन्धी वस्तुओं का उपभोग करके अपने जीवन को आनन्दमय बनाने का प्रयास करता है। वस्तुओं के उपभोग के आधार पर ही हम उसके रहन–सहन के स्तर का निर्धारण करते हैं। इसलिए विकास खण्ड कमासिन के लाभार्थियों के उपभोग–व्यय का विस्तृत विश्लेषण करना आवश्यक है।

तालिका संख्या 5.1 प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में से सबसे अधिक 260 लाभार्थी (52.00 प्रतिशत) अपना पारिवारिक उपभोग व्यय दैनिक आधार पर निश्चित करते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन लाभार्थियों की आय बहुत कम है और यह निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। ये लाभार्थी कृषि श्रमिक के रूप में

अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं तथा दैनिक मजदूरी के रूप में जो धनराशि प्राप्त होती है उससे अपने उपभोग का सामान क्रय करते हैं। जबकि साप्ताहिक व मासिक आधार पर अपने उपभोग व्यय का निर्धारण करने वाले लाभार्थी मध्यम वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। जिनके पास पर्याप्त आय होती है और यह साप्ताहिक रूप से कस्बों में लगने वाली बाजारों से आवश्यक वस्तुओं को क्रय करते हैं या मासिक आधार पर उपभोग व्यय का निर्धारण करते हैं। उच्च वर्ग के लाभार्थियों के पास पर्याप्त आय है वह अपने जरूरत का सामान वार्षिक आधार पर क्रय करके रख लेते हैं और उसका उपभोग करते हैं।

तालिका संख्या 5.2 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा उपभोग किये जाने वाले प्रमुख खाद्यान्नों को प्रदर्शित करती है यह तालिका प्रदर्शित करती है कि निम्न वर्ग के लाभार्थी केवल गेहूँ एवं दाल का उपभोग करते हैं या केवल दाल एवं चावल का प्रयोग करते हैं जबक मध्यम वर्ग के लाभार्थी मोटा अनाज व दाल एवं चावल का उपभोग करते हैं तथा उच्च वर्ग के लाभार्थी गेहूँ, दाल एवं चावल का पर्याप्त उपभोग करते हैं।

तालिका संख्या 5.5 प्रदर्शित करती है कि चयनित 500 लाभार्थियों में 147 लाभार्थियों द्वारा ही चीनी, खाँडसारी व गुड़ का उपभोग किया जाता है यह उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग के लाभार्थियों द्वारा ही उपभोग किया जाता है। जबकि निम्नवर्ग के लाभार्थियों द्वारा इसका उपभोग नहीं किया जाता।

तालिका संख्या 5.6 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा चाय पत्ती के उपभोग को प्रदर्शित कर रही है। यह तालिका प्रदर्शित करती है कि केवल 78 लाभार्थियों द्वारा ही चाय–पत्ती का उपभोग किया जाता है। इनमें उच्च वर्ग के सभी लाभार्थी सम्मिलित हैं व शेष मध्यम वर्ग के ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी आय उच्च वर्ग से कुछ ही कम है जबकि निम्न वर्ग के लाभार्थियों द्वारा चाय–पत्ती का उपभोग नहीं किया जाता।

तालिका संख्या 5.7 चयनित लाभार्थियों द्वारा आचार/चटनी के उपभोग को

स्पष्ट कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि चयनित लाभार्थियों में 415 लाभार्थियों (83.00 प्रतिशत) द्वारा आचार/चटनी का उपभोग हो रहा है। इन लाभार्थियों में तीनों वर्ग के लाभार्थी सम्मिलित हैं। अनुभव गम्य आधार पर ज्ञात हुआ है कि उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग द्वारा आचार व चटनी का उपभोग खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है जबकि निम्न वर्ग द्वारा आचार/चटनी का उपभोग स्वाद के लिए न किया जाकर रोटी या चावल को निगलने के लिए किया जाता है।

तालिका संख्या 5.8 व 5.9 चयनित लाभार्थियों द्वारा नशे के पदार्थों व धूम्रपान पदार्थों के उपभोग को प्रदर्शित कर रही है। इन तालिकाओं से स्पष्ट है कि चयनित लाभार्थियों में अधिकांश लाभार्थी नशे के पदार्थों या धूमपान पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं। इन तालिकाओं के आधार पर नशे के पदार्थों में सर्वाधिक गाँजा 135 लाभार्थियों (27.00 प्रतिशत) व शराब 65 लाभार्थियों (13 प्रतिशत) द्वारा उपभोग किया जाता है। जबकि धूम्रपान पदार्थों में तम्बाकू का प्रयोग 445 लाभार्थियों (89.00 प्रतिशत), बीड़ी का प्रयोग 368 लाभार्थियों (73.60 प्रतिशत) व पान–सुपाड़ी का प्रयोग 346 लाभार्थियों (69. 20 प्रतिशत) द्वारा किया जाता है। इन तालिकाओं से स्पष्ट है कि तम्बाकू, बीड़ी, पान–सुपाड़ी व गाँजा का उपभोग सभी आय वर्ग के लाभार्थियों द्वारा किया जाता है। इसका कारण इन पदार्थों का सस्ता होना है जिससे इनका प्रयोग निम्न वर्ग के लाभार्थियों द्वारा अधिकांश रूप से किया जाता है। जबकि अफीम व चरस का प्रयोग उच्च वर्ग द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि इन पदार्थों का मूल्य अधिक होता है सिगरेट का प्रयोग उच्च वर्ग व कुछ मध्यम वर्ग के लाभार्थियों द्वारा किया जाता है।

तालिका संख्या 5.11 चयनित लाभार्थियों द्वारा ईंधन तथा प्रकाश पर किया गया औसत मासिक व्यय प्रदर्शित कर रही है। इस तालिका से स्पष्ट है कि 278 लाभार्थियों द्वारा ईंधन तथा प्रकाश पर मात्र 0–100 रूपये मासिक औसत व्यय किया जा रहा है।

तथा 102 लाभार्थियों द्वारा 100—200 रूपये औसत मासिक व्यय किया जा रहा है। यह लाभार्थी निम्न वर्ग के हैं जो ईंधन के लिए लकड़ी जंगलों से काट—बीन कर ले आते हैं तथा प्रकाश के रूप में मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं और एक माह में 2 से 5 लीटर मिट्टी के तेल में निर्वाह कर लेते हैं। इस प्रकार इस मद पर इन लाभार्थियों का व्यय बहुत कम होता है। मध्यम वर्ग के लाभार्थी 200—400 रूपये तक ईंधन तथा प्रकाश पर व्यय कर रहे हैं, ये लोग ईंधन के रूप में लकड़ी या कण्डे खरीद कर प्रयोग करते हैं और स्टोव आदि का भी प्रयोग कभी कभार कर लेते हैं। जबकि उच्च वर्ग व उच्च मध्यम वर्ग के कुछ लाभार्थियों द्वारा ईंधन तथा प्रकाश पर 400—500 रूपये औसत मासिक व्यय किया जाता है। इन लाभार्थियों द्वारा ईंधन के रूप में लकड़ी के साथ—साथ गैस सेलेन्डर का भी प्रयोग किया जाता है। तथा प्रकाश के रूप में उन गाँवों में जहाँ विद्युत नहीं है लालटेन, दीपक व गैस का प्रयोग किया जाता है जिसमें औसतन 10 से 15 लीटर तक मासिक मिट्टी का तेल खर्च हो जाता है।

तालिका संख्या 5.12 चयनित लाभार्थियों के कपड़ों एवं अन्य वस्त्रों पर किये गये व्यय को प्रदर्शित कर रही है। इस तालिका से स्पष्ट है कि निम्न वर्ग के 389 लाभार्थियों द्वारा कपड़ों पर मात्र 0—200 रू० तक औसत मासिक व्यय होता है। ये लाभार्थी फटे—पुराने कपड़ों का प्रयोग करते हैं। या उच्च वर्ग के व्यक्तियों के पुराने कपड़ों को मांगकर उससे अपना निर्वाह करते हैं। मध्यम वर्ग के 57 लाभार्थियों द्वारा 200—400 रू० तक कपड़ों पर औसत मासिक व्यय किया जाता है। जबकि उच्च वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के 54 लाभार्थियों द्वारा 400—500 रू० तक कपड़ों पर औसत मासिक व्यय किया जाता है।

तालिका संख्या 5.13 चयनित लाभार्थियों के जूते एवं चप्पलों पर किये जाने वाले औसत मासिक व्यय को प्रदर्शित करती है यह तालिका प्रदर्शित करती है कि

निम्न वर्ग के 278 लाभार्थियों द्वारा जूते एवं चप्पलों पर 0—50 रू० औसत मासिक व्यय किया जाता है तथा 146 लाभार्थियों द्वारा जूते एवं चप्पलों पर 50—100 रूपये मासिक व्यय किया जाता है। जबकि मध्यम वर्ग के 56 लाभार्थियों द्वारा 100—150 रू० मासिक जूते एवं चप्पलों पर औसत व्यय किया जाता है। एवं उच्च वर्ग के 20 लाभार्थियों द्वारा 150—200 रू० तक मासिक व्यय किया जाता है।

तालिका संख्या 5.14 चयनित लाभार्थियों द्वारा स्वच्छता की वस्तुओं पर किये जाने वाले औसत मासिक व्यय को प्रदर्शित करती है। तालिका द्वारा स्पष्ट है कि चयनित 414 लाभार्थियों द्वारा धुलाई व शौच के सामान पर 0—50 रू० मासिक व्यय किया जाता है। यह लाभार्थी निम्न वर्ग के व कुछ मध्यम वर्ग के हैं। निम्न वर्ग के अधिकांश लाभार्थियों के पास शौचालय नहीं है। जिस कारण इन पर व्यय की रकम भी बिल्कुल कम है। मध्यम वर्ग के 61 लाभार्थी स्वच्छता की वस्तुओं पर 50—125 रू० औसत मासिक व्यय करते हैं। जबकि उच्च वर्ग के 25 लाभार्थी 125—150 रू0 तक मासिक व्यय करते हैं।

तालिका संख्या 5.15 चयनित लाभार्थियों द्वारा गृह निर्माण एवं विस्तार पर किये जाने वाले वार्षिक व्यय को प्रदर्शित करती है। इस तालिका से स्पष्ट है कि चयनित लाभार्थियों में निम्न वर्ग के 233 लाभार्थियों द्वारा 0—5 हजार तक व 146 लाभार्थियों द्वारा 5—10 हजार रू० तक वार्षिक व्यय किया जाता है। इन लाभार्थियों के पास पर्याप्त हवादार व रोशनीदार मकान नहीं है। ये कच्चे खपरैल वाले मकानों में पूरे परिवार सहित रहते हैं। जो बरसात में ज्यादातर गिर जाते हैं और उनको प्रतिवर्ष मरम्मत व निर्माण कराना पड़ता है जिसमें उपर्युक्त धनराशि व्यय करनी पड़ती है। मध्यम श्रेणी के 45 लाभार्थी 10—15 हजार वार्षिक व 51 लाभार्थी 15—20 हजार रू० तक गृह

निर्माण विस्तार व मरम्मत पर व्यय करते हैं। जबकि उच्च वर्ग के सभी 25 लाभार्थियों के पास पर्याप्त पक्के हवा व रोशनीदार मकान हैं जिनके विस्तार व मरम्मत पर ये 20 हजार रू० से अधिक व्यय करते हैं।

उपर्युक्त उपभोग व्यय के आधार पर व अनुभवगम्य आधार पर यह कहा जा सकता है कि विकास खण्ड कमासिन के निम्न वर्ग के लाभार्थी उपभोग व्यय के नाम पर केवल आवश्यक आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर पाते हैं। खाद्यान्न के नाम पर ये केवल गेहूँ व दाल अथवा दाल–चावल का उपभोग करते हैं। इनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले मकान कच्चे व बेतरतीब ढंग से बने होते हैं, जिनमें उचित प्रकाश व हवा की व्यवस्था नहीं होती। वस्त्रों के रूप में फटे पुराने व गन्दे कपड़ों का प्रयोग करते हैं। जबकि मध्यम वर्ग के लाभार्थियों के उपभोग व्यय का सामान्य अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि ये खाद्यान्न के नाम पर मोटा अनाज, दाल व चावल का उपभोग करते हैं। कुछ मध्यम वर्ग के लाभार्थियों द्वारा गुड़, चीनी व खाँडसारी का भी उपभोग किया जाता है। इनके मकान कच्चे व पक्के मिश्रित रूप से बने हैं जो निम्न वर्ग के लाभार्थियों के मकानों से अच्छी हालत में हैं। इनके कपड़ों पर किया गया व्यय भी निम्न वर्ग के लाभार्थियों से अधिक है तथा ये स्वच्छ व साफ उचित वस्त्रों का प्रयोग करते हैं तथा उच्च वर्ग के लाभार्थियों के उपभोग व्यय का सामान्य अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि इन लाभार्थियों की आय अधिक होने के कारण उपभोग व्यय की सामर्थ्य भी अधिक है। ये अपने उपभोग व्यय का निर्धारण वार्षिक आधार पर करते हैं तथा खाद्यान्न के रूप में गेहूँ, दाल व चावल का उपभोग करते हैं। ये उचित फल व सब्जियों का भी प्रयोग करते हैं। ये गुड़, चीनी व खाँड़सारी तथा चायपत्ती का भी उपभोग करते हैं तथा साफ–स्वच्छ मौसम के अनुकूल वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इनके मकान पक्के, हवादार

व रोशनीदार हैं।

(3) स्वास्थ्य

एक स्वस्थ व्यक्ति का रहन–सहन का स्तर अस्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा अधिक ऊँचा होता है, क्योंकि वह अपनी इच्छानुसार वस्तुओं को खा सकता है तथा वस्त्रों को भी मनचाहे रूप से प्रयोग कर सकता है। जबकि एक अस्वस्थ व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो उसका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो जाता है। इस प्रकार विकास खण्ड कमासिन के लाभार्थियों के रहन–सहन का निर्धारण स्वास्थ्य के आधार पर निम्न प्रकार किया जा सकता है–

विकास खण्ड कमासिन के निम्न वर्ग के लाभार्थियों की स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि इनके द्वारा जो भोजन प्रयुक्त किया जाता है वह पौष्टिक नहीं होता। ये भोजन का प्रयोग केवल जीवन रक्षा के लिए करते हैं और भोजन के रूप में केवल रोटी–दाल या चावल–चटनी का ही प्रयोग करते हैं। इनके द्वारा पौष्टिक फल या पौष्टिक सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता। ये घी दूध का भी प्रयोग नहीं कर पाते। जिस कारण इनका स्वास्थ्य खराब रहता है तथा बीमारी की हालत में अच्छा इलाज भी नहीं करा पाते हैं। ये गांव के ही वैद्य–हकीमों से देशी इलाज कराते हैं जिससे जल्दी स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पाता। तालिका संख्या 5.25 प्रदर्शित करती है कि निम्न वर्ग के 319 लाभार्थियों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा पर 0–250 रूपये वार्षिक व 81 लाभार्थियों द्वारा 250–500 रूपये वार्षिक ही व्यय किया जाता है। जबकि विकास खण्ड कमासिन के मध्यम वर्ग के लाभार्थियों की स्वास्थ्य दशायें निम्न वर्ग के लाभार्थियों की स्वास्थ्य दशायों से ठीक हालत में हैं। ये पर्याप्त पौष्टिक भोजन करते हैं तथा खाने में फल व सब्जियों का भी प्रयोग कर लेते हैं। घी–दूध जैसे पौष्टिक भोज्य पदार्थों का उपभोग

घर में उपलब्ध होने पर कर लेते हैं व बीमारी की हालत में अपना व परिवार के सदस्यों का इलाज शहरों व कस्बों में स्थित अस्पतालों में करा लेते हैं। परन्तु बड़ी बीमारी की दशा में उसका इलाज महानगरों में स्थित बड़े अस्पतालों में नहीं करा पाते। जैसा कि तालिका संख्या 5.25 से स्पष्ट है कि मध्यम वर्ग के 48 लाभार्थी 500–750 व 30 लाभार्थी 750–1000 रू० तक वार्षिक स्वास्थ्य रक्षा पर व्यय करते हैं। विकास खण्ड कमासिन के उच्च वर्ग के लाभार्थियों की स्वास्थ्य दशायें ठीक हैं। ये पर्याप्त पौष्टिक भोजन करते हैं। फल एवं सब्जियों का भी प्रयोग उचित मात्रा में करते हैं। घी, दूध जैसे पौष्टिक पदार्थों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में करते हैं तथा बीमारी की हालत में इलाज भी पूर्ण रूप से करा लेते हैं। बड़ी बीमारी की दशा में ये अपना या परिवार के सदस्यों का इलाज महानगरों में स्थित मंहगे अस्पतालों में कराते हैं। तालिका संख्या 5.25 प्रदर्शित करती है कि इस वर्ग के लाभार्थियों का स्वास्थ्य रक्षा पर वार्षिक खर्च 1000 रूपये से अधिक है।

(4) शिक्षा

जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं वे अपनी आय को उचित प्रकार से व्यय करते हैं तथा अपने रहन–सहन के स्तर को ऊँचा रखने का अधिक प्रयास करते हैं जैसे– देर से विवाह करना, विवाह के पश्चात् कम बच्चे पैदा करना, बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध करना, स्वास्थ्य का उचित ध्यान आदि। जबकि एक अशिक्षित व्यक्ति अन्धविश्वासी होने के कारण इन बातों की ओर ध्यान नहीं देता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसकी आय कम हाने के कारण तथा व्यय अधिक होने से उसका रहन–सहन का स्तर निम्न हो जाता है। विकास खण्ड कमासिन के लाभार्थियों के रहन–सहन के स्तर का निर्धारण शिक्षा के आधार पर निम्न प्रकार किया जा सकता है–

विकास खण्ड कमासिन के निम्न वर्ग के अधिकांश लाभार्थी निरक्षर हैं। उन्हें पढ़ने व लिखने का ज्ञान नहीं है जिस कारण वह कृषि कार्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से नहीं कर पाते हैं। अशिक्षित होने के कारण वह भाग्यवादी व रूढ़िवादी हैं। जो उनके विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। निम्न वर्ग के लाभर्थियों द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा पर भी अत्यन्त कम धनराशि व्यय की जाती है। तालिका संख्या 5.24 प्रदर्शित करती है कि निम्न वर्ग के 256 लाभार्थी (51.00 प्रतिशत) अपने बच्चों की शिक्षा पर 0–100 रू० वार्षिक व्यय करते हैं तथा 132 लाभार्थी (26.40 प्रतिशत) बच्चों की शिक्षा पर 100–200 रूपये वार्षिक व्यय करते हैं। तालिका संख्या 7.1 व 7.2 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों के शिक्षा के स्तर को प्रदर्शित करती है जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि निम्न वर्ग के 354 लाभार्थी निरक्षर हैं और जो 38 लाभार्थी साक्षर हैं उनमें 32 लाभार्थी मात्र प्राथमिक स्तर व 06 लाभार्थी जूनियर स्तर तक शिक्षा पाये हैं।

तालिका संख्या : 7.1

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों के शिक्षा का स्तर

क्र0 सं०	शिक्षा का स्तर	निम्न वर्ग के लाभार्थियों की संख्या	मध्यम वर्ग के लाभार्थियों की संख्या	उच्च वर्ग के लाभार्थियों की संख्या	कुल लाभार्थियों की संख्या
	2	3	4	5	6
1.	साक्षर	38	57	25	120
2.	निरक्षर	354	26	–	380
	योग	**392**	**83**	**25**	**500**

स्रोत :– प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या : 7.2
चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों की औपचारिक शिक्षा का स्तर

क्र0 सं०	औपचारिक शिक्षा का स्तर	निम्न वर्ग के लाभार्थियों की संख्या	मध्यम वर्ग के लाभार्थियों की संख्या	उच्च वर्ग के लाभार्थियों की संख्या	कुल लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	प्राथमिक स्तर	32	08	–	40
2.	जूनियर स्तर	06	22	–	28
3.	हाई–स्कूल स्तर	–	14	04	18
4.	इण्टरमीडिएट स्तर	–	08	08	16
5.	स्नातक स्तर	–	05	07	12
6.	परास्नातक स्तर	–	–	06	06
	योग	**38**	**57**	**25**	**120**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

विकास खण्ड कमासिन के मध्यम वर्ग के लाभार्थियों की शैक्षिक दशायें निम्न वर्ग के लाभार्थियों की शैक्षिक दशाओं से ठीक हालत में हैं। तालिका संख्या 7.1 व 7.2 स्पष्ट करती हैं कि मध्यम वर्ग के कुल 83 लाभार्थियों में 57 लाभार्थी साक्षर हैं। जिनमें सर्वाधिक 22 लाभार्थी जूनियर स्तर तक तथा 05 लाभार्थी स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त किये हुये हैं। तालिका संख्या 5.24 प्रदर्शित करती है कि इन लाभार्थियों द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा पर भी पर्याप्त धनराशि व्यय की जा रही है। 46 लाभार्थी 200–300 रू० वार्षिक व 13 लाभार्थी 300–400 रू० वार्षिक बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर रहे हैं।

विकास खण्ड कमासिन के उच्च वर्ग के लाभार्थियों का शैक्षिक स्तर सबसे ठीक हालत में है। इस वर्ग के सभी लाभार्थी साक्षर हैं। जिसमें 06 लाभार्थी परास्नातक व 07 लाभार्थी स्नातक की डिग्री प्राप्त किये हुये हैं। इन लाभार्थियों द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा पर पर्याप्त धनराशि व्यय की जा रही है। तालिका संख्या 5.24 प्रदर्शित करती है कि उच्च वर्ग के 12 लाभार्थियों द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा पर वार्षिक 500 रू० से

अधिक धनराशि व्यय की जाती है।

इस प्रकार विकास खण्ड कमासिन के लाभार्थियों के रहन–सहन के स्तर को निर्धारित करने वाले विभिन्न तत्वों आय संरचना, उपभोग व्यय, स्वास्थ्य, शिक्षा का स्तर आदि का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात् उनके रहन–सहन के स्तर को निम्न प्रकार निर्धारित कर सकते हैं–

7.5.1. निम्न वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन का स्तर

विकास खण्ड कमासिन के कमजोर वर्ग के लोगों के रहन–सहन के स्तर को निर्धारित करने के लिए उनकी आय संरचना, उपभोग व्यय, स्वास्थ्य व शिक्षा के स्तर का सामान्य अवलोकन करना होगा। विकास खण्ड कमासिन के निम्न वर्ग के लाभार्थियों की आय अत्यन्त कम है। ये 40,000 रू० वार्षिक या इससे कम आय अर्जित कर पाते हैं। इस न्यून आय के कारण इनका उपभोग व्यय भी कम होता है तथा उपभोग व्यय के नाम पर केवल आवश्यक आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर पाते हैं। खाद्यान्न के नाम पर ये केवल गेहूँ, दाल या दाल–चावल का ही उपभोग कर पाते हैं। इनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले मकान कच्चे व बेतरतीब ढंग से बने होते हैं जिनमें उचित प्रकाश व हवा की व्यवस्था नहीं होती। वस्त्रों के रूप में फटे–पुराने व गन्दे कपड़ों का प्रयोग करते हैं। इनकी स्वास्थ्य दशायें भी ठीक नहीं हैं क्योंकि इनके द्वारा जो भोजन प्रयुक्त किया जाता है वह पौष्टिक नहीं होता। इनके द्वारा पौष्टिक फल व पौष्टिक सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता। ये घी–दूध का भी प्रयोग नहीं कर पाते तथा बीमारी की हालत में अच्छा इलाज भी नहीं करा पाते। निम्न वर्ग के लाभार्थियों के शिक्षा का स्तर भी अत्यन्त निम्न है तथा अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लाभार्थी निरक्षर हैं। जिस कारण ये भाग्यवादी व रूढ़िवादी हैं। इनमें महत्वाकांक्षा का अभाव पाया गया

है तथा संतोषं परम् सुखम् में विश्वास करते हैं जिस कारण ये अपना पर्याप्त विकास नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि निम्न वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन का स्तर अत्यन्त ही निम्न है।

7.5.2. मध्यम वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन का स्तर

विकास खण्ड कमासिन के मध्यम वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन के स्तर को निर्धारित करने के लिए उनकी आय संरचना, उपभोग व्यय, स्वास्थ्य व शिक्षा के स्तर का सामान्य अवलोकन करना होगा। विकास खण्ड कमासिन के मध्यम वर्ग के लाभार्थियों की आय निम्न वर्ग के लाभार्थियों की तुलना में अधिक है। ये 40,000–80,000 रू० वार्षिक आय अर्जित कर लेते हैं। जिस कारण इनके उपभोग व्यय का स्तर निम्न वर्ग के लाभार्थियों से अच्छा है। इनके द्वारा मोटा अनाज, दाल व चावल का उपभोग किया जाता है। कुछ मध्यम वर्ग के लाभार्थियों द्वारा गुड़, चीनी व खाँडसारी का भी उपभोग किया जाता है। इनके मकान कच्चे व पक्के मिश्रित रूप से बने हैं। जो निम्न वर्ग के लाभार्थियों के मकानों से अच्छी हालत में हैं। इनके कपड़ों पर किया गया व्यय भी निम्न वर्ग के लाभार्थियों से अधिक है तथा ये साफ व स्वच्छ उचित वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इनकी स्वास्थ्य दशायें भी निम्न वर्ग के लाभार्थियों की स्वास्थ्य दशाओं से ठीक हालत में हैं। ये बीमारी की हालत में अपना व परिवार के सदस्यों का इलाज शहरों व कस्बों में तो करा लेते हैं परन्तु उच्च वर्ग के लाभार्थियों की तरह बड़ी बीमारी की दशा में उसका इलाज महानगरों में स्थित बड़े अस्पतालों में नहीं करा पाते हैं। इनकी शैक्षिक दशायें भी निम्न वर्ग के लाभार्थियों की शैक्षिक दशाओं से ठीक हैं तथा मध्यम वर्ग के अधिकांश लाभार्थी शिक्षित हैं परन्तु औपचारिक शिक्षा का स्तर उच्च वर्ग के लाभार्थियों की तुलना में कम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मध्यम वर्ग के लाभार्थियों

के रहन–सहन का स्तर निम्न वर्ग के लाभार्थियों से तो उच्च है परन्तु उच्च वर्ग के लाभार्थियों की तुलना में निम्न है। इस प्रकार मध्यम वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन का स्तर मिश्रित है।

7.5.3. उच्च वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन का स्तर

विकास खण्ड कमासिन के उच्च वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन का स्तर निर्धारित करने के लिए भी उनकी आय संरचना, उपभोग व्यय, स्वास्थ्य व शिक्षा के स्तर का सामान्य अवलोकन करना होगा। उच्च वर्ग के लाभार्थियों की आय संरचना भी उच्च है तथा उच्च वर्ग के सभी 25 लाभार्थियों की आय 80,000 रू० वार्षिक से अधिक है। उच्च आय के कारण इनका उपभोग व्यय भी उच्च है। खाद्यान्न के रूप में ये गेहूँ, दाल व चावल का उपभोग करते हैं तथा पौष्टिक फल व सब्जियों का भी पर्याप्त उपभोग करते हैं। ये गुड़, चीनी, खाँडसारी तथा चायपत्ती का भी उपभोग करते हैं। ये साफ–स्वच्छ मौसम के अनुकूल वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इनके मकान पक्के, हवादार व रोशनीदार हैं। इनकी स्वास्थ्य दशायें भी ठीक हैं तथा बड़ी बीमारी की हालत में ये महानगरों में स्थित मंहगे अस्पतालों में इलाज करा लेते हैं। इनकी शैक्षिक दशायें भी ठीक हैं तथा उच्च वर्ग के सभी लाभार्थी साक्षर हैं तथा औपचारिक शिक्षा का स्तर भी उच्च है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकास खण्ड के उच्च वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन का स्तर अन्य वर्ग के लाभार्थियों की अपेक्षा उच्च है।

7.6. संस्थागत वित्त के प्रभाव

अध्ययन क्षेत्र विकास खण्ड कमासिन में संस्थागत वित्त ने चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों के कल्याण के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है एवं उसके जीवन पर इसके कौन–कौन से प्रभाव पड़े हैं इसका विस्तृत विश्लेषण निम्न प्रकार किया जा सकता है–

7.6.1. उत्पादन पर प्रभाव

संस्थागत वित्त का उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। संस्थागत वित्त के माध्यम से अधिकांश लाभार्थियों ने उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर लिया है। तालिका संख्या 6.4 चयनित लाभार्थियों द्वारा उत्पादक परिसम्पत्ति के निर्माण की स्थिति स्पष्ट कर रही है। यह तालिका स्पष्ट कर रही है कि 68.80 प्रतिशत लाभार्थियों ने उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया है। जिसमें लाभार्थियों ने कृषि भूमि क्रय व विस्तार, कृषि यन्त्रीकरण, सिंचाई कार्य व भूमि विकास, पशु सम्पत्ति सृजन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, दरी उद्योग, दोना पत्तल उद्योग व मिट्‌टी के बर्तन उद्योग आदि कार्य किये हैं।

कृषि भूमि पर यन्त्रीकरण, खाद का प्रयोग, सिंचाई के साधनों का विकास व भूमि विकास कार्यक्रम आदि संस्थागत वित्त के माध्यम से संभव हुये हैं। तालिका संख्या 6.4 प्रदर्शित करती है कि कृषि क्षेत्र में कुल 127 लाभार्थियों ने संस्थागत वित्त का निवेश किया है जिसमें कृषि भूमिक्रय व विस्तार पर 32 लाभार्थी, कृषि यन्त्रीकरण पर 57 लाभार्थी व सिंचाई कार्य तथा भूमि विकास पर 38 लाभार्थियों ने निवेश किया है। जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है। तालिका संख्या 7.3 उस अतिरिक्त कृषि उत्पादन को व्यक्त कर रही है जो कृषि क्षेत्र में संस्थागत वित्त के प्रयोग से सम्भव हुआ है–

तालिका संख्या : 7.3

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा संस्थागत वित्त के प्रयोग से अतिरिक्त उत्पन्न किया गया वार्षिक कृषि उत्पादन

क्र0सं0	फसल का नाम	उत्पादन (कु0 में)
1.	रबी	750.00
2.	खरीफ	330.00
3.	जायद	60.00
	कुल उत्पादन	**1140.00**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 7.3 स्पष्ट करती है कि संस्थागत वित्त के प्रयोग से कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है और रबी में 750 कुन्तल, खरीफ में 330 कुन्तल व जायद में 60 कुन्तल वार्षिक कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में कुल अतिरिक्त वार्षिक उत्पादन 1140 कुन्तल हुआ जो उन 127 लाभार्थियों द्वारा उत्पादित किया गया जिन्होंने संस्थागत वित्त को कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निवेश किया है।

तालिका संख्या 6.4 प्रदर्शित करती है कि 136 लाभार्थियों (27.20 प्रतिशत) ने संस्थागत वित्त के माध्यम से पशु सम्पत्ति का सृजन किया है और इस सम्पत्ति से वो दूध, दही, घी, मट्ठा आदि का उत्पादन करके अपनी आय सृजित कर रहे हैं। इस प्रकार इन लाभार्थियों द्वारा वार्षिक रूप से किया गया उत्पादन तालिका संख्या 7.4 में प्रदर्शित किया गया है–

तालिका संख्या : 7.4

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा पशु सम्पत्ति सृजन से उत्पन्न किया गया वार्षिक उत्पादन

क्र0सं0	उत्पाद का नाम	उत्पादन (कु0 में)
1.	दूध	548
2.	घी	27
3.	दही	236
4.	मट्ठा	130
	कुल उत्पादन	**941**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 7.4 प्रदर्शित करती है कि लाभार्थियों द्वारा पशु सम्पत्ति के सृजन से वार्षिक उत्पादन में वृद्धि हुई है और दूध में 548 कुन्तल, घी में 27 कुन्तल, दही में 236 कुन्तल व मट्ठा में 130 कुन्तल की वृद्धि हुई है। जो संस्थागत वित्त के माध्यम से सम्भव हुआ है।

तालिका संख्या 6.4 प्रदर्शित करती है कि चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा मुर्गीपालन व मत्स्य पालन को भी एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में अपनाया गया है और संस्थागत वित्त के माध्यम से 25 लाभार्थी मुर्गीपालन व 22 लाभार्थी मत्स्य पालन को अपनाये हुये हैं। इस प्रकार ये लाभार्थी भी उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं और मुर्गीपालन के रूप में 25 लाभार्थी 3750 कि0ग्रा0 तथा मत्स्य पालन के रूप में 22 लाभार्थी 4300 कि0ग्रा0 मत्स्य का उत्पादन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी तालिका संख्या 6.4 के आधार पर संस्थागत वित्त के माध्यम से 15 लाभार्थी दरी उद्योग, 08 लाभार्थी दोना–पत्तल उद्योग एवं 11 लाभार्थी मिट्‌टी के बर्तन उद्योग को अपनाये हुये हैं और उत्पादन में वृद्धि करके आय सृजित कर रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संस्थागत वित्त के माध्यम से जिन लाभार्थियों ने उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर लिया है वो उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं और यह वृद्धि कृषि क्षेत्र में 1140 कुन्तल वार्षिक, पशु सम्पत्ति सृजन पर 941 कुन्तल वार्षिक, मुर्गीपालन पर 3750 कि0ग्रा0 व मत्स्य पालन पर 4300 कि0ग्रा0 वार्षिक वृद्धि कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त दरी उद्योग, दोना पत्तल उद्योग व मिट्‌टी के बर्तन उद्योग से भी उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। परिणामतः संस्थागत वित्त का उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

7.6.2. आय पर प्रभाव

संस्थागत वित्त का आय पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। संस्थागत वित्त के माध्यम से लाभार्थियों ने आधुनिक तकनीक से उत्पादन किया है। कृषि क्षेत्र में उन्नतशील बीज, खाद, सिंचाई सुविधायें एवं कृषि यन्त्रीकरण के माध्यम से उत्पादन किया है जिसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई है और उसकी आय प्रत्यक्ष रूप से बढ़ी है और जो लाभार्थी कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्योग अपनाये हुये हैं उन्होंने भी सम्बन्धित उद्योग में आधुनिक पद्धति को अपनाया है जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है और परिणाम स्वरूप

आय बढ़ी है। तालिका संख्या 6.5 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा परिसम्पत्ति निर्माण के परिणामस्वरूप उत्पन्न वार्षिक प्रतिफल आय को प्रदर्शित कर रही है। यह तालिका प्रदर्शित करती है कि 04.60 प्रतिशत लाभार्थी 40,000–60,000 रूपये वार्षिक आय अर्जित कर रहे हैं। एवं 15.20 प्रतिशत लाभार्थी 20,000–40,000 रूपये वार्षिक आय अर्जित कर रहे हैं। जबकि 49 प्रतिशत लाभार्थी केवल 0–20000 रूपये वार्षिक आय अर्जित कर रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिन लाभार्थियों ने संस्थागत वित्त का प्रयोग उत्पादक कार्यों में किया है, उनकी आय प्रत्यक्ष रूप से बढ़ी है। परन्तु जिन लाभार्थियों ने संस्थागत वित्त का प्रयोग अनुत्पादक कार्यों पर किया है उनकी आय पर संस्थागत वित्त का प्रभाव नहीं पड़ा है जैसा कि तालिका संख्या 6.3 प्रदर्शित करती है कि जिन 156 लाभार्थियों (31.20 प्रतिशत) ने संस्थागत वित्त का प्रयोग गृह उपयोगी वस्तुओं या कार्यों पर कर लिया है, उनकी प्रतिफल आय नकारात्मक रही है एवं उनकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि चयनित लाभार्थियों के अधिकांश भाग ने संस्थागत वित्त के माध्यम से उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर लिया है जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आय प्रत्यक्ष रूप से बढ़ी है और उनका आर्थिक आधार स्थायी एवं मजबूत हो सका है। परिणामतः संस्थागत वित्त का आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

7.6.3. रोजगार पर प्रभाव

भारत में बेरोजगारी की समस्या एक अत्यन्त जटिल तथा गम्भीर समस्या है। देश में बेरोजगारी व्यापक रूप से प्रचलित है और समय के साथ–साथ बेरोजगारी बद से बदतर होती गई। बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर

पर काम करने का तैयार है परन्तु उसे काम नहीं मिलता। बेरोजगारी एक अभिशाप है, यह व्यक्ति के लिए निर्धनता, समाज के पतन तथा राष्ट्र के मानवीय साधनों की हानि का प्रतीक है।

संस्थागत वित्त का प्रभाव रोजगार के अवसरों पर भी सकारात्मक पड़ा है। इससे लाभार्थियों को व उसके परिवार के सदस्यों को तो स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुये हैं, प्राथमिकता क्षेत्र के अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हुये हैं और उन्हें बेरोजगारी से मुक्ति मिली है। तालिका संख्या 7.5 संस्थागत वित्त के माध्यम से रोजगार के अवसरों के सृजन की स्थिति स्पष्ट कर रही है–

तालिका संख्या : 7.5

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा संस्थागत वित्त के माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन

क्र0सं0	रोजगार के अवसर	लाभार्थी व उसके परिवार के रोजगाररत सदस्यों की संख्या	अन्य रोजगाररत व्यक्तियों की संख्या	कुल रोजगार के अवसर
1.	कृषि भूमि क्रय व विस्तार	128	156	284
2.	कृषि यन्त्रीकरण	87	45	132
3.	सिंचाई कार्य व भूमि विकास	165	235	400
4.	पशु सम्पत्ति सृजन	325	76	401
5.	मुर्गी पालन	75	–	75
6.	मत्स्य पालन	35	54	89
7.	दरी उद्योग	52	–	52
8.	दोना–पत्तल उद्योग	32	–	32
9.	मिट्टी के बर्तन उद्योग	28	–	28
	कुल योग	**927**	**566**	**1493**

स्रोत : प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 7.5 प्रदर्शित करती है कि जिन 344 लाभार्थियों ने उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया है उनके द्वारा पर्याप्त रोजगार के अवसरों का सृजन किया गया है। संस्थागत वित्त के माध्यम से लाभार्थी द्वारा स्वयं व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है और इस प्रकार कुल 927 व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुये हैं और इनकी अल्प बेरोजगारी की स्थिति में कमी आई है। उपरोक्त लाभार्थियों द्वारा आय सृजक परिसम्पत्तियों के निर्माण के फलस्वरूप प्राथमिकता क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार के अवसर प्रदान किये गये हैं। और कुल 566 अन्य व्यक्तियों को रोजगार पर लगाया गया है। इस प्रकार संस्थागत वित्त के माध्यम से कुल 1493 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुये हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संस्थागत वित्त का रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

7.6.4. रहन–सहन के स्तर पर प्रभाव

संस्थागत वित्त का लाभार्थियों के रहन–सहन के स्तर पर भी प्रभाव पड़ा है। संस्थागत वित्त के माध्यम से अधिकांश लाभार्थियों ने आय सृजक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया है जिससे उनको पर्याप्त आय सृजित हो रही है और उपभोग व्यय भी पर्याप्त मात्रा में कर रहे हैं। इस प्रकार उनके रहन–सहन के स्तर पर संस्थागत वित्त के प्रभाव का मूल्यांकन निम्न आधार पर किया जा सकता है–

(a) उच्च वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन के स्तर पर प्रभाव

जैसा कि हम पूर्व में स्पष्ट कर चुके हैं कि अध्ययन क्षेत्र के उच्च वर्ग के लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति अच्छी है। उनके पास पर्याप्त कृषि योग्य भूमि है और उससे उनको पर्याप्त कृषि आय हो रही है। संस्थागत वित्त के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव इसी वर्ग पर पड़ा है क्योंकि संस्थागत वित्त के माध्यम से इन

लाभार्थियों ने अपनी कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई की सुविधाओं का विकास कर लिया है तथा आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग करते हुये उन्नतशील बीज व खाद का भी प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से ये मिश्रित फसल चक्र को अपनाते हुये पर्याप्त उत्पादन कर रहे हैं और पर्याप्त आय उत्पन्न कर रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप इनका उपभोग व्यय सर्वाधिक है और आवश्यक आवश्यकताओं के अतिरिक्त आरामदायक व विलासिता पूर्ण वस्तुओं का पर्याप्त उपभोग कर रहे हैं। इस प्रकार इनके रहन–सहन का स्तर उच्च है और इस पर संस्थागत वित्त का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

(b) मध्यम वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन के स्तर पर प्रभाव

जैसा कि हम पूर्व में स्पष्ट कर चुके हैं कि अध्ययन क्षेत्र के मध्यम वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन का स्तर मिश्रित है। अर्थात् यह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं और आरामदायक वस्तुओं का भी उपभोग कर लेते हैं परन्तु विलासिता पूर्ण वस्तुओं का उपभोग नहीं कर पाते। इनकी आय संरचना भी उच्च वर्ग के लाभार्थियों से कम है। इन लाभार्थियों पर भी संस्थागत वित्त का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। संस्थागत वित्त के माध्यम से इन लाभार्थियों ने आय सृजक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर लिया है जैसे मुर्गीपालन व मत्स्य पालन, पशु सम्पत्ति का सृजन व कृषि में उन्नतशील बीज, खाद का प्रयोग आदि के माध्यम से ये पर्याप्त उत्पादन कर लेते हैं और उसके परिणामस्वरूप ये आय उत्पन्न कर रहे हैं और आरामदायक व आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं तथा अपने रहन–सहन के स्तर का मिश्रित बनाये हुये हैं। इस प्रकार संस्थागत वित्त का प्रभाव मध्यम वर्ग के लाभार्थियों पर सकारात्मक पड़ा है।

(c) निम्न वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन के स्तर पर प्रभाव

अध्ययन क्षेत्र विकास खण्ड कमासिन के निम्न वर्ग के लाभार्थियों की आर्थिक

स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है। इनकी आय संरचना अत्यन्त निम्न है और वार्षिक रूप से 0–40,000 रू0 तक ही आय अर्जित कर पाते हैं। जिस कारण ये अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की ही पूर्ति बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। इस प्रकार इनका रहन–सहन का स्तर अत्यन्त निम्न है। तथा इनके रहन–सहन के स्तर पर संस्थागत वित्त का प्रभाव भी आंशिक पड़ा है। क्योंकि इन्हें जो वित्त प्राप्त हुआ है, उसे कुछ लाभार्थियों ने उपभोग कार्यों पर व्यय कर दिया है। निम्न वर्ग के कुल 392 लाभार्थियों में 156 लाभार्थियों ने प्राप्त ऋण राशि को उपभोग कार्यों पर व्यय कर दिया है और शेष 236 लाभार्थियों ने उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर लिया है जिससे इनको 0–20,000 रूपये तक वार्षिक आय उत्पन्न हो रही है और परिणाम स्वरूप अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की ही सन्तुष्टि कर पा रहे हैं। इस प्रकार निम्न वर्ग (कमजोर वर्ग) के लाभार्थियों के रहन–सहन के स्तर पर संस्थागत वित्त का प्रभाव आंशिक रूप से पड़ा है।

7.6.5. उपभोग स्तर पर प्रभाव

संस्थागत वित्त का लाभार्थियों के उपभोग स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। क्योंकि संस्थागत वित्त के माध्यम से अधिकांश लाभार्थियों ने उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर लिया है जिससे उनको प्रतिफल आय उत्पन्न हो रही है और उस आय से वो उपभोग व्यय कर रहे हैं। तालिका संख्या 6.5 प्रदर्शित करती है कि उच्च वर्ग के 23 लाभार्थी 40,000–60,000 रूपये वार्षिक प्रतिफल आय के रूप में अर्जित कर रहे हैं और इस आय से वह पर्याप्त उपभोग व्यय कर रहे हैं। पर्याप्त प्रतिफल आय के कारण उच्च वर्ग के लाभार्थी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ आरामदायक व बिलासिता सम्बन्धी वस्तुओं का भी पर्याप्त उपभोग करते हैं। इस प्रकार उच्च वर्ग के उपभोग स्तर पर संस्थागत वित्त का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मध्यम वर्ग के भी सभी लाभार्थियों ने उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर लिया है जिससे उनको

20,000–40,000 रूपये तक वार्षिक आय अर्जित हो रही है और ये अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ आरामदायक वस्तुओं का भी प्रयोग कर लेते हैं। इस प्रकार इनके उपभोग स्तर पर संस्थागत वित्त का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। परन्तु निम्न वर्ग के 156 लाभार्थियों ने प्राप्त ऋण को अनुत्पादक कार्यों पर ब्यय कर दिया है जिससे उनको कोई आय अर्जित नहीं हो रही और निम्न वर्ग के जिन 236 लाभार्थियों ने उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर लिया है उनसे उनको 0–20,000 रूपये तक वार्षिक प्रतिफल आय हो जाती है जिससे वह अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर पाते हैं। अतः निम्न वर्ग के लाभार्थियों के उपभोग स्तर पर संस्थागत वित्त का आंशिक असर पड़ा है।

7.6.6. बचत–स्तर पर प्रभाव

संस्थागत वित्त का लाभार्थियों के बचत–स्तर पर भी प्रभाव पड़ा है। क्योंकि प्राथमिकता क्षेत्र के अधिकांश लाभार्थी संस्थागत वित्त के माध्यम से आय अर्जित कर रहे हैं और इस आय का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचत कर रहे हैं। तालिका संख्या– 7.6 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा प्रतिफल आय से बचत–स्तर को प्रदर्शित कर रही है–

तालिका संख्या : 7.6

चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा प्रतिफल आय से वार्षिक बचत–स्तर

उच्च–वर्ग		मध्यम–वर्ग		निम्न–वर्ग	
बचत–वर्ग	संख्या	बचत–वर्ग	संख्या	बचत–वर्ग	संख्या
0–500	05	0–100	22	Nil	327
500–1000	03	100–200	26	0–50	45
1000–1500	06	200–300	18	50–100	12
1500–2000	07	300–400	11	100 से अधिक	08
2000 से अधिक	04	400 से अधिक	6		
समग्र का योग	**25**		**83**		**392**

स्रोत :– प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

तालिका संख्या 7.6 प्रदर्शित करती है कि प्रतिफल आय से उच्च वर्ग के सभी लाभार्थी पर्याप्त बचत कर रहे हैं उच्च वर्ग के 04 लाभार्थी 2000 रूपये वार्षिक से अधिक बचत कर रहे हैं, इसी प्रकार मध्यम वर्ग के सभी लाभार्थी भी बचत कर रहे हैं। परन्तु इनके बचत की धनराशि उच्च वर्ग के लाभार्थियों की तुलना में कम है। अतः कहा जा सकता है कि संस्थागत वित्त का प्रभाव उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग के बचत स्तर पर सकारात्मक पड़ा है जबकि निम्न वर्ग के अधिकांश लाभार्थी बचत नहीं करते तथा निम्न वर्ग के कुल 392 लाभार्थियों में 327 लाभार्थी बिल्कुल भी बचत नहीं करते तथा जो शेष 65 लाभार्थी बचत करते हैं अत्यन्त ही कम धनराशि बचत करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि संस्थागत वित्त का कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के बचत स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

7.6.7. गरीबी पर प्रभाव

गरीबी से अभिप्राय है जीवन, स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति की अयोग्यता। इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी न्यूनतम मानवीय आवश्यकतायें शामिल होती हैं। इन न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं के पूरा न होने से मनुष्य को कष्ट उत्पन्न होता है। स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता की हानि होती है। इसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि करना तथा भविष्य में गरीबी से छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। अध्ययन क्षेत्र विकास खण्ड कमासिन के निम्न वर्ग के लाभार्थी अत्यन्त ही गरीब हैं तथा अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति भी बहुत कठिनाई से कर पाते हैं। निम्न वर्ग के कुल 392 लाभार्थियों में 156 लाभार्थियों ने संस्थागत वित्त का प्रयोग अनुत्पादक कार्यों पर किया है जिससे इनको कोई भी आय अर्जित नहीं हो रही शेष जिन 236 लाभार्थियों ने उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया है, उनसे उनको अत्यन्त ही कम आय हो

रही है जैसा कि तालिका संख्या 6.5 प्रदर्शित करती है कि कमजोर वर्ग के अधिकांश लाभार्थी 0–20000 रूपये वार्षिक आय ही सृजित कर पाते हैं। इस न्यून आय से ये लाभार्थी अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की भी पूर्ति बहुत कठिनाई से कर पाते हैं। अतः स्पष्ट है कि संस्थागत वित्त के प्रयोग से कोई भी लाभार्थी निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग में सम्मिलित नहीं हो सका है और अपनी आवश्यक आवश्यकताओं के अतिरिक्त आरामदायक व बिलासिता से सम्बन्धित वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर पाया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि संस्थागत वित्त के प्रयोग से गरीबी में कमी नहीं आयी है और संस्थागत वित्त का प्रभाव गरीबी पर नकारात्मक पड़ा है।

7.6.8. कार्य करने की इच्छा पर प्रभाव

संस्थागत वित्त का लाभार्थी की कार्य करने की इच्छा पर भी परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। क्योंकि लाभार्थी जानता है कि उसे एक निश्चित समय के पश्चात् एक निश्चित रकम जो ब्याज या किस्त के रूप में हो सकती है, बैंक को चुकानी है। जिससे उसकी आय कम हो जायेगी। इस आय की कमी की भरपाई के लिये वह और अधिक कार्य करने के लिए लालायित रहेगा क्योंकि आय की कमी के परिणाम स्वरूप उसके रहन–सहन का स्तर प्रभावित होगा और वह नहीं चाहेगा कि जिस रहन–सहन का स्तर में वह रह रहा है आय की कमी से वह रहन–सहन का स्तर भी कम हो जाय। अतः संस्थागत वित्त के अन्तर्गत एक लाभार्थी की आय संरचना का उसकी कार्य करने की इच्छा पर परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है अर्थात् यदि उसकी आय बेलोचदार है तो इससे उसकी कार्य करने की इच्छा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जितनी धनराशि उसे ब्याज या किस्त के रूप में बैंक को चुकाना होगी उतनी आय को अर्जित करने के लिए वह अतिरिक्त कार्य करने को तत्पर रहेगा। इसके विपरीत जिन लाभार्थियों की आय लोचदार होती है वो अतिरिक्त कार्य करने के लिए लालायित नहीं रहते। क्योंकि

उनकी आय प्रतिवर्ष घटती–बढ़ती रहती है। इस प्रकार उन लाभार्थियों पर संस्थागत वित्त का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तथ्य को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है–एक लाभार्थी की आय 2000 रूपये मासिक है और संस्थागत वित्त के अन्तर्गत उसे 500 रू0 प्रतिमाह किस्त चुकानी है। जिससे उसकी आय 500 रूपये कम हो जायेगी। परन्तु वह अपना रहन–सहन का स्तर उतना ही बनाये रखने के लिए अधिक मेहनत करेगा ताकि उसकी आय का स्तर 2000 रूपये मासिक बना रहे। इससे उसकी कार्य करने की इच्छा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परन्तु यदि उसकी आय लोचदार है तो लाभार्थी निश्चित आय को प्राप्त करने का इच्छुक नहीं होता और ऐसी दशा में संस्थागत वित्त से उसकी कार्य करने की इच्छा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

7.6.9. ऋण पुनर्भुगतान पर प्रभाव

संस्थागत वित्त का लाभार्थियों के पुनर्भुगतान क्षमता पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। क्योंकि संस्थागत वित्त के माध्यम से लाभार्थियों ने उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर लिया है जिनसे वह प्रतिफल आय अर्जित कर रहे हैं। इस प्रतिफल आय से वह ऋण व उस पर ब्याज उचित चुकौती अवधि में भुगतान कर रहे हैं। तालिका संख्या–6.19 चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा संस्थागत वित्त के पुनर्भुगतान की स्थिति स्पष्ट कर रही है। यह तालिका स्पष्ट कर रही है कि चयनित कुल लाभार्थियों का 68.80 प्रतिशत ससमय ऋण का पुनर्भुगतान कर रहे हैं। और जो 31.20 प्रतिशत लाभार्थी संस्थागत वित्त का पुनर्भुगतान समय पर नहीं कर रहे वो वह लाभार्थी हैं जिन्होंने प्राप्त ऋण को उपभोग कार्यों पर व्यय कर दिया है और उनको प्रतिफल आय प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसे लाभार्थियों से ऋण की वसूली करने के लिए बैंक को वसूली

रणनीति बनाकर वसूली करनी पड़ती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संस्थागत वित्त के अन्तर्गत प्राप्त ऋण राशि को अधिकांश लाभार्थी ससमय पुनर्भुगतान कर रहे हैं और संस्थागत वित्त का ऋण पुनर्भुगतान क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

7.6.10. ऋण पर्याप्तता पर प्रभाव

संस्थागत वित्त का प्रभाव ऋण पर्याप्तता पर कितना पड़ा है तथा वित्त प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा लाभार्थियों के विभिन्न वर्गों की ऋण आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया गया है? इसका विस्तृत विवरण तालिका संख्या–7.7 में प्रदर्शित किया गया है–

तालिका संख्या : 7.7

विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों की संख्या

क्र० सं०	ऋण प्रदाता संस्था	उच्च वर्ग		मध्यम वर्ग		निम्न वर्ग		कुल लाभार्थी	
		चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का सम्बन्धित बैंक के कुल लाभार्थियों से प्रतिशत	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का सम्बन्धित बैंक के कुल लाभार्थियों से प्रतिशत	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का सम्बन्धित बैंक के कुल लाभार्थियों से प्रतिशत	चयनित लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों का सम्बन्धित बैंक के कुल लाभार्थियों से प्रतिशत
1.	व्यापारिक बैंक	12	04.29	14	05.00	254	90.71	280	56.00
2.	सहकारी संस्थायें	08	10.26	57	73.08	13	16.67	78	15.60
3.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	05	03.52	12	08.45	125	88.03	142	28.40
	समग्र का योग	25	–	83	–	392	–	500	100.00

स्रोत :– प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

उपर्युक्त तालिका से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट हैं–

(1) व्यापारिक बैंकों द्वारा ऋण पर्याप्तता

तालिका संख्या 7.7 प्रदर्शित करती है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र

के लोगों को पर्याप्त ऋण व सहायता प्रदान की गई है। इस संस्था द्वारा कुल चयनित 500 लाभार्थियों में प्राथमिकता क्षेत्र के 280 लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया गया है जो कुल समग्र का 56.00 प्रतिशत है। व्यापारिक बैंकों ने प्राथमिकता क्षेत्र के अपने द्वारा चयनित कुल लाभार्थियों का 90.71 प्रतिशत केवल कमजोर वर्ग को ऋण प्रदान किया है जबकि मध्यम व उच्च वर्ग का प्रतिशत क्रमशः 05.00 व 04.29 है। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यापारिक बैंकों ने प्राथमिकता क्षेत्र के अधिकांश लाभार्थियों को पर्याप्त ऋण व सहायता प्रदान की है। परन्तु इस संस्था द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के लाभार्थियों को ऋण वितरित करने में अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं–

समस्यायें–

1. सन् 1970 के पश्चात् व्यापारिक बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्र में तीव्र गति से शाखायें खोली हैं। परन्तु इस प्रकार की शाखा विस्तार नीति के फलस्वरूप प्रबन्धकीय कुशलता में कमी आई है।

2. प्राथमिकता क्षेत्रों को उदार शर्तों पर व्यापारिक बैंकों द्वारा ऋण सुविधाएं प्रदान की गई हैं। परन्तु बकाया ऋणों की समस्या ने गम्भीर रूप ग्रहण कर लिया। प्राकृतिक विपत्तियों के कारण कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र के अन्य व्यक्ति समय पर ऋणों का भुगतान नहीं कर पाते। परन्तु इस कारण के अतिरिक्त राज्य सरकारों के असहयोग, कानूनी जटिलताओं, राजनैतिक हस्तक्षेप, सरकारी प्रतिनिधियों के असहयोग आदि के कारण बकाया ऋणों की समस्या अधिक गम्भीर हुई है।

3. ग्रामीण क्षेत्र में अनेक शाखाएं खोलने के फलस्वरूप व्यापारिक बैंकों के प्रशासनिक व्यय बढ़े हैं। इससे व्यापारिक बैंकों की लाभदायकता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न वर्गों की जरूरतों की प्रकृति अलग–अलग होती है। कृषकों, ग्रामीण कारीगरों, कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों, स्वरोजगार में लगे हुए व्यक्तियों आदि की साख जरूरतों की प्रकृति भिन्न–भिन्न होती है। इन विभिन्न वर्गों के ऋण–आवेदन पत्रों के परीक्षण हेतु प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण भी व्यापारिक बैंकों के प्रशासनिक व्यय बढ़े हैं।

4. व्यापारिक बैंकिंग शाखाओं का सन्तुलित विकास नहीं हुआ है। आज भी अनेक गांव ऐसे हैं जहां बैंकों के एक भी कार्यालय नहीं हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कुल ग्रामीण जनसंख्या का केवल 25 प्रतिशत ही व्यापारिक बैंकों की सेवाओं को प्राप्त कर रहा है। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार के क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने का प्रयत्न किया जाय।

(2) सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण पर्याप्तता

तालिका संख्या 7.7 प्रदर्शित करती है कि सहकारी संस्थाओं द्वारा भी प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण व सुविधायें प्रदान की गई हैं। परन्तु इस संस्था द्वारा जो भी ऋण प्रदान किया गया है, वह उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग को ही अधिकांशतः प्रदान किया गया है। सहकारी संस्थाओं द्वारा उच्च वर्ग को 10.26 प्रतिशत व मध्यम वर्ग को 73.08 प्रतिशत ऋण वितरित किया गया है। जबकि कमजोर वर्ग को सिर्फ 16.67 प्रतिशत ही ऋण दिया गया है और कमजोर वर्ग की कुल संख्या 392 में सिर्फ 13 लाभार्थियों को ही ऋण प्रदान किया है। कमजोर वर्ग को सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण सुविधा प्रदान न करने का प्रमुख कारण यह है कि इन संस्थाओं द्वारा जमानत के आधार पर ही ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जबकि इस वर्ग के पास जमानत के रूप में सम्पत्ति नहीं होती क्योंकि इस वर्ग के अधिकांश लाभार्थी भूमिहीन हैं और अगर कुछ लाभार्थियों के पास कृषि योग्य भूमि है

भी तो अत्यन्त कम मात्रा में है जिसे ये संस्थायें जमानत के रूप में पर्याप्त नहीं मानती। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन संस्थाओं ने प्राथमिकता क्षेत्र के लाभार्थियों को ऋण तो उपलब्ध कराया है परन्तु यह ऋण राशि अधिकांशतः उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग को ही प्राप्त हुई है। निम्न वर्ग को पर्याप्त ऋण व सहायता प्राप्त नही हुई है।

सहकारी संस्थाओं द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने में अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं–

समस्यायें

(1) सहकारी समितियों की प्रमुख समस्या यह है कि दिये गये ऋणों की वापसी अनेक कारणों से कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र के अन्य वर्ग, समय पर नहीं कर पाते। परन्तु यह भी देखा गया है कि सहकारी साख समितियों से जो व्यक्ति ऋण लेते हैं वे जानबूझकर ऋण नहीं चुकाते। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्र का प्रभावशाली वर्ग सहकारी बैंकों से लिये गये ऋणों को समय पर नहीं चुकाता।

(2) सहकारी साख समितियों से कमजोर वर्ग को जमानत के अभाव में पर्याप्त साख सुविधायें उपलब्ध नहीं हो रही हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्र का सबसे कमजोर वर्ग खेतिहर मजदूर एवं छोटे किसानों का है।

(3) सहकारिता पर आधारित जो बैंकिंग ढांचा है उसकी प्रमुख समस्या अकुशल प्रबन्ध की है। प्राथमिक सहकारी साख समितियों का कृषकों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है एवं इन समितियों को राज्य सहकारी बैंक से, केन्द्रीय सहकारी बैकों के माध्यम से, ऋण उपलब्ध होते हैं अतः तीनों स्तर पर अर्थात् राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं गांव के स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियों में

कुशल कर्मचारियों एवं प्रबन्धकों का होना आवश्यक है।

4. सहकारी संस्थाओं के पास वित्तीय साधनों की कमी है। विभिन्न स्तर पर जो संस्थायें कार्य कर रही हैं वह वाह्य स्रोतों पर अधिक निर्भर हैं। प्राथमिक सहकारी समितियां केन्द्रीय सहकारी बैंकों पर, केन्द्रीय सहकारी बैंक राज्य सहकारी बैंकों पर तथा राज्य सहकारी बैंक राज्य सरकार एवं नाबार्ड जैसी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर, साधनों के लिये निर्भर हैं।

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण पर्याप्तता

तालिका संख्या 7.7 प्रदर्शित करती है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को पर्याप्त वित्त व सहायता प्रदान की गई है और सबसे प्रमुख तथ्य जो उभर कर सामने आया है वह यह है कि इन्होंने सर्वाधिक कमजोर वर्ग को ऋण व सुविधायें प्रदान की हैं। इनके द्वारा कमजोर वर्ग के 88.03 प्रतिशत लाभार्थियों को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कुल लाभार्थियों 142 में से कमजोर वर्ग के 125 लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया गया है। जबकि उच्च्च वर्ग व मध्यम वर्ग के क्रमशः 03.52 प्रतिशत व 08.45 प्रतिशत लाभार्थियों को ही संस्थागत वित्त प्रदान किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने प्राथमिकता क्षेत्र के कमजोर वर्ग को सर्वाधिक ऋण उपलब्ध कराया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा भी प्राथमिकता क्षेत्र के लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने में अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो निम्नलिखित हैं–

समस्यायें

(1) इन बैंकों की सबसे प्रमुख समस्या आधारभूत ढांचे की समस्या है क्योंकि यह बैंक ऐसी जगह अपनी शाखाओं का विस्तार करते हैं जहाँ यातायात, डाक–तार घर, स्वच्छ

वातावरण युक्त भवन व बिजली आदि जैसी बुनियादी सुविधायें नहीं होतीं।

(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया जटिल है। साथ ही ग्रामीण जनता अशिक्षित होने के कारण ऋण लेने के लिए उत्साहित नहीं होती।

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यभार उनके कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में बहुत अधिक बढ़ गया है। कई ग्रामीण बैंकों की स्थिति की दयनीयता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उनमें एक या दो ही कर्मचारी हैं। और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।

(4) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के हाथ में होता है जिस कारण वित्त के लिए इन्हें सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है।

(5) ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए गरीबों को ऋण दिये जाते हैं लेकिन ऋण की वसूली ठीक ढंग से नहीं हो पाती परिणामतः ग्रामीण बैंक आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाते हैं।

(6) अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों के नाम से शहरों एवं कस्बों में चला रहे हैं जिससे यह अपने उद्देश्य से कार्य नहीं कर पा रहे हैं।

(7) ग्रामीण बैंकों में प्रायः ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है जो पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं हैं, तथा उन्हें ग्रामीण समस्याओं का ज्ञान नहीं है।

(8) ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने योग्य प्रस्ताओं के मूल्यांकन की समस्या गंभीर है।

(9) ऋण वितरण के सम्बन्ध में इन बैंकों में यह दबाव होता है कि वह निश्चित समय अवधि में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करें। ऐसी स्थिति में अपात्र लोगों के चयन की संभावना अधिक रहती है।

अष्टम अध्याय

अष्टम अध्याय

सारांश, निष्कर्ष तथा सुझाव

- सारांश
- निष्कर्ष
- परिकल्पनाओं का सत्यापन
- सुझाव

अष्टम अध्याय

8.1 सारांश

उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित जनपद बाँदा चित्रकूट धाम मण्डल का एक जिला है। यह 24^0 53′ से 25^0 55′ उत्तरी आक्षांस एवं 80^0 07′ से 80^0 34′ पूर्वी देशान्तर के मध्य में स्थित है। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4114.2 वर्ग कि०मी० है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल 4079.4 वर्ग कि० मी० है तथा नगरीय क्षेत्रफल 34.8 वर्ग कि०मी० है। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.708 प्रतिशत तथा देश के कुल क्षेत्रफल का 0.125 प्रतिशत है। प्रशासनिक दृष्टि से यह जनपद चार तहसीलों– बाँदा, बबेरू, अतर्रा व नरैनी तथा आठ विकास खण्डों– बबेरू, कमासिन, विसण्डा, बड़ोखर खुर्द, तिन्दवारी, महुआ व जसपुरा में विभक्त है।

प्राकृतिक बनावट के आधार पर जनपद के धरातल की बनावट को दो भागों (1) मैदानी भाग व (2) पठारी भाग में विभाजित किया जा सकता है। बाँदा जनपद के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। क्योंकि नदियां आदि काल से ही मानव जीवन एवं गतिविधि का साधन रही हैं। जिलें में प्रमुख रूप से यमुना नदी, केन नदी, बागै नदी, गडरा नदी व चन्द्रावल नदी प्रवाहित हैं। सम्पूर्ण जनपद में बुन्देलखण्ड की प्रसिद्ध चारों प्रकार की मिट्टी की किस्म मार, कावर, पडुआ व राकड़ पायी जाती है। जंगल विभाग के अनुसार जिले का वनाच्छादित भाग 5210.44 हेक्टेयर है जो सम्पूर्ण जनपद का 1.162 प्रतिशत तथा प्रदेश के कुल वनावरण क्षेत्रफल का 0.011 प्रतिशत है।

जनपद में तीन प्रकार की ऋतुयें शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु व वर्षा ऋतु पायी जाती है। जनपद का तापमान सामान्यतया अधिकतम 45 सेन्टीग्रेट तथा न्यूनतम 5 सेन्टीग्रेट रहता है। किन्तु कभी–कभी उच्चतम तापमान 49 सेन्टीग्रेट तथा न्यूनतम 3 सेन्टीग्रेट

तक हो जाता है। यहाँ दिन का तापमान रात्रि की अपेक्षा अधिक रहता है। जनपद की औसत वार्षिक वर्षा 100 से०मी० है, जो जुलाई से अक्टूबर के बीच होती है। सम्पूर्ण वर्षा का 85 प्रतिशत जुलाई से सितम्बर के मध्य होती है। शेष अक्टूबर व अन्य महीनों में होती है। फरवरी के मध्य से बसंत के आगमन के साथ हवाओं का चलना आरम्भ हो जाता है और मार्च के मध्य से यह हवायें गर्म हवाओं में बदलने लगती हैं। जनपद में जल तालाबों, कुओं, नदियों, नहरों, नालों व पोखरों आदि प्राकृतिक तथा कृत्रिम जल संसाधनों के रूप में उपलब्ध है।

जनपद बाँदा विन्ध्याचल पर्वत की श्रेणियों के बीच स्थित है। मण्डल के मुख्यालय बाँदा में बाम्बेश्वर पर्वत है। व नरैनी तहसील में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं। जनपद के प्रमुख पहाड़ बाम्बेश्वर पर्वत, कालिंजर पर्वत, खत्री पहाड़, रसिन पर्वत व सिंधल्ला पर्वत हैं। खनिज सम्पदा की दृष्टि से जनपद बाँदा एक धनी जनपद है। यहाँ पर अनेकों महत्वपूर्ण खनिज पाये जाते हैं। जनपद में उपलब्ध ग्रेनाइट पत्थरों से मिट्टी बनाने की औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। केन, यमुना, बागै नदी की रेत बाहर भेजी जाती है। पश्चिम में शजर पत्थर एवं दक्षिण पश्चिम में हीरा प्राप्ति की सम्भावना है। यहाँ चूना पत्थर भी पाया जाता है।

किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में वहाँ की जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सन् 2001 ई० में की गई जनगणना के आधार पर बाँदा जनपद की जनसंख्या 1500253 थी। जिसमें पुरूष संख्या 806543 एवं स्त्री संख्या 693710 थी। इस जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या 1256230 एवं नगरीय जनसंख्या 244023 थी। इसी जनगणना में जनपद बाँदा का जनसंख्या घनत्व 340 व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी० था और जनपद का लिंगानुपात 860 था। साक्षरता दर किसी क्षेत्र की जनसंख्या के गुणात्मक पहलू को निर्धारित करती है। वर्तमान में जनपद की साक्षरता दर 54.84

प्रतिशत है। जिसमें पुरूष साक्षरता 69.89 प्रतिशत व महिला साक्षरता 37.10 प्रतिशत है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद में कुल कर्मकारों की संख्या 602493 है, जो कुल जनसंख्या का 40.16 प्रतिशत है। जिसमें सर्वाधिक 217575 व्यक्ति कृषि कार्य में लगे हैं जो कुल जनसंख्या का 14.50 प्रतिशत है। जनपद में कृषि श्रमिक 83361 हैं एवं 12750 व्यक्ति पारिवारिक कार्यों में ही लगे हैं। जबकि अन्य कार्यों में लगे व्यक्तियों की संख्या 87357 है। जनपद में सीमान्त कर्मकारों की संख्या 201450 है। जो कुल जनसंख्या का 13.42 प्रतिशत है। इस प्रकार जनपदीय जनसंख्या स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कृषि, शजर उद्योग, बालू उद्योग, गिट्टी उद्योग, सरौता उद्योग, पर्यटन उद्योग, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, दोना–पत्तल उद्योग, दरी उद्योग व हथकरघा उद्योग आदि को आजीविका के स्रोत के रूप में अपनाए हुये हैं।

प्रस्तुत अनुसंधान सुनिश्चित प्रविधि पर आधारित है क्योंकि शोध कार्य को वैज्ञानिक स्वरूप तभी मिल पाता है जब किसी सुनिश्चित वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाया जाय। प्रस्तुत शोध अध्ययन में कमजोर वर्ग के लोगों से सम्बन्धित परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए बाँदा जनपद के अति पिछड़े विकास खण्ड कमासिन का चुनाव किया गया है एवं कमासिन विकास खण्ड में स्थित विभिन्न ऋण प्रदायक बैंकों से लाभार्थियों की सूची प्राप्त की गई है और उसे एक क्रम में सजाकर दैव निदर्शन विधि की टिप्पेट उप विधि से लाभार्थियों का चयन किया गया है। तदुपरान्त प्राथमिक समंकों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है एवं एक सुनिश्चित सांख्यिकीय प्रक्रिया अपनाई गई है। इस हेतु साक्षात्कार अनुसूची पर आधारित मास्टर सीट का निर्माण करके समंकों की फ्री हैण्ड कोडिंग की गई है तथा पुनः उनका सारणीयन करके सांख्यिकीय विश्लेषण और निर्वचन किया गया है।

प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि, लघु ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों से जीवन

यापन करने वाले लोगों को रखा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि प्रधान होने के कारण प्राथमिकता क्षेत्र का सम्बन्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों से लगाया जाता है। इसके अन्तर्गत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बीस सूत्रीय विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को शामिल किया जा सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के इन वर्गों के लोगों के प्रति बैंकिंग संस्थाओं का दृष्टिकोण उदासीन तथा संकीर्ण रहा है और इन्हें वित्त प्रदान करने में इन संस्थाओं की कोई रूचि नहीं रही है एवं ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश लोग अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए निजी महाजनों एवं व्यापारियों पर निर्भर रहे हैं। साख सर्वेक्षण कमेटी ने यह अनुभव किया कि देश में सहकारिता असफल रही है पर इसे सफल होना चाहिए। सहकारी आन्दोलन के विकास के लिए कमेटी ने विपणन, विधायन तथा खाद्यान्नों के भण्डारण की व्यवस्था सहकारी क्षेत्र में विकसित करने की सिफारिश की जिससे उत्पादन की क्रियाओं का विस्तार हो सके। बैंकट पैया समिति एवं राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप ही यह निर्णय लिया गया कि ग्रामीण साख की पूर्ति का उत्तरदायित्व केवल सहकारी संस्थाओं पर ही नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यापारिक बैंकों को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ग्रामीण साख की पूर्ति में एक से अधिक संस्थाओं की भूमिका की यह शुरूआत थी। इसके पश्चात् 1975 में आपातकाल की घोषणा के पश्चात्, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गों एवं कृषि साख की सभी प्रकार की जरूरतों को पूरा करना था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पश्चात् ग्रामीण साख की पूर्ति में तीन संस्थायें महत्वपूर्ण हो गईं। एक सहकारी बैंक दूसरा व्यापारिक बैंक एवं तीसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। वर्तमान में ये तीन साख एजेन्सियां ग्रामीण साख की पूर्ति करती हैं। कृषि एवं ग्रामीण साख की विभिन्न जरूरतों को पूरा

करने के लिए ये जो तीन एजेन्सियां हैं इनके माध्यम से अल्प, मध्य एवं दीर्घ कालीन साख की पूर्ति की जाती है। यह ग्रामीण साख की बहु एजेन्सी पद्धति कही जाती है।

एक बैंकर द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों के लिए सुरक्षा अत्यन्त आवश्यक है। सुरक्षा से तात्पर्य ऋण की शर्तों के अनुसार उधार लेने वाले की मूलधन तथा ब्याज लौटाने की क्षमता एवं इच्छा पर काफी हद तक निर्भर करती है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए तथा किसी भी प्रकार की जोखिम से बचने के लिए बैंक वास्तविक सम्पत्तियों के बदले में ऋण देना अधिक उपयुक्त समझते हैं। उधारकर्ता ऋण के बदले में विभिन्न प्रकार की वस्तुयें, माल तथा सम्पत्तियाँ प्रतिभूति के रूप में प्रदान करते हैं। इस प्रकार बैंक माल, माल सम्बन्धी प्रलेख, जीवन बीमा पालिसी, अचल सम्पत्तियाँ, सावधि जमा रसीद, स्वर्ण, रजत तथा आभूषण आदि प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण प्रदान करते हैं।

बैंकों द्वारा संस्थागत वित्त विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रदान किया जाता है जिन्हें अध्ययन की सुविधा हेतु दो भागों– (1) प्रत्यक्ष ऋण व (2) अप्रत्यक्ष ऋण में बाँटा जा सकता है। प्रत्यक्ष ऋण में उन ऋणों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि से सम्बन्धित होते हैं। जैसे– फसल ऋण, कृषि औजारों व मशीनों की खरीद, सिंचाई के साधनों का विकास, भूमि सुधार व भूमि विकास सम्बन्धी कार्य आदि। जबकि अप्रत्यक्ष ऋण कृषि सम्बन्धित अन्य क्रिया कलापों के लिए प्रदान किया जाता है। इनमें उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों, बीजों आदि के वितरण को वित्त पोषित करने के लिए ऋण, चारा–दाना, मुर्गी आहार जैसे सम्बद्ध कार्यकलापों आदि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।

रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर कृषि एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने व लाभार्थियों के चयन के लिए दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं।

इन दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत ऋण प्रदाता बैंक लाभार्थियों से आवेदनों को भरवाते हैं तत्पश्चात् आवेदनों की पावती जारी करके आवेदनों को शीघ्र निपटाने की प्रक्रिया, सेवा प्रभार व निरीक्षण प्रभार, ऋण संवितरण की प्रक्रिया, मार्जिन राशि, प्रतिभूति मानदंड, ऋण चुकाने की अनुसूची आदि के द्वारा लाभार्थी का चयन करके ऋण उपलब्ध करा देते हैं।

विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की साख जरूरतों की पूर्ति की जाती है उनकी प्रमुख समस्या अवधि पार ऋणों एवं ऋण वसूली की है। ऋण सम्बन्धी यह एक प्रमुख समस्या है। प्रभावी अनुवर्तन और ऋण वसूली के लिए एक बैंकर को उपयुक्त एवं पर्याप्त फील्ड स्टाफ तैयार करना चाहिए जो देय तारीख से पहले उधारकर्ताओं से सम्पर्क करे व अतिदेयों का शाखावार विश्लेषण करके उधारकर्ताओं से ऋण की वसूली का प्रयास करे। परन्तु यदि ऋण वसूल नहीं हो रहा तो राज्य सरकार के विशेष अधिनियमों के तहत वसूली अभियान चलाकर वसूली करने का प्रयास करना चाहिए।

किसी भी समयावधि में उत्पादन क्रिया के परिणामस्वरूप उत्पादन के साधनों से जो पारितोषिक प्राप्त होता है, उसे उस समयावधि की आय कहते हैं। वस्तुतः आय दो प्रकार की होती है– (1) सार्वजनिक आय व (2) निजी आय। केन्स ने वास्तविक उपभोग को वास्तविक आय का फलन बताया है। उन्होंने बताया कि जैसे–जैसे आय में वृद्धि होती जाती है। लोग आय का घटता हुआ प्रतिशत उपभोग पर व्यय करते हैं या आय का बढ़ता हुआ प्रतिशत बचत करते हैं। निरपेक्ष आय परिकल्पना की आधारभूत मान्यता यह है कि प्रत्येक व्यक्तिगत उपभोक्ता अपनी निरपेक्ष आय के स्तर के आधार पर यह तय करता है कि वह अपनी घरेलू आय का कितना भाग उपभोग पर व्यय करेगा और यदि अन्य बातें समान रहें तो निरपेक्ष आय में वृद्धि आय के उस अनुपात में कमी लायेगी

जो उपभोग पर व्यय होगा। जबकि जेम्स डूसेनबेरी ने आय व उपभोग के बीच अनानुपातिक सम्बन्ध को अस्वीकार करके यह प्रतिपादित किया कि आय तथा उपभोग के बीच आधारभूत सम्बन्ध आनुपातिक ही है। मिल्टन फ्रीडमैन ने चालू आय परिकल्पना को अस्वीकार करके उसके स्थान पर उपभोग व्यय के निर्धारक के रूप में स्थायी आय की बात की । उनके अनुसार किसी परिवार की स्थायी आय उसकी उस वर्ष की चालू आय से प्रदर्शित नहीं होती है बल्कि दीर्घकाल में प्राप्त प्रत्याशित आय से प्रदर्शित होती है।

अध्ययन क्षेत्र विकास खण्ड कमासिन के लाभार्थियों के आय का मुख्य स्रोत कृषि है क्योंकि कुल चयनित 500 लाभार्थियों में 315 लाभार्थियों (63.00 प्रतिशत) के पास कृषि योग्य भूमि है। जिस पर कृषि कार्य करके वह आय सृजित करते हैं। परन्तु सिंचाई के साधनों का अभाव व छोटी कृषि जोतों के कारण उनको पर्याप्त कृषिगत आय नहीं हो रही। तथा 155 लाभार्थियों (31.00 प्रतिशत) को मात्र 0–20,000 रू० वार्षिक कृषिगत आय हो रही है। इस न्यून कृषिगत आय के कारण अधिकांश लाभार्थियों को आय के सहायक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। और आय के सहायक स्रोत के रूप में कृषि आधारित उद्योग धन्धे, कृषि से सम्बद्ध सेवायें, पशुपालन व अन्य स्रोत अपनाये हुये हैं। विकास खण्ड कमासिन में सबसे बड़ी समस्या कृषि मजदूरों की है क्योंकि इनको कृषि क्षेत्र में मजदूरी से जो आय प्राप्त होती है वह पर्याप्त नहीं होती इसलिए इनको मजदूरी के आकस्मिक स्रोतों पर भी निर्भर रहना पड़ता है और मजदूरी के आकस्मिक स्रोतों के रूप में मेले में दुकान लगाना, छप्पर छाना, ईंट पाथना व अन्य को अपनाये हुये हैं। पशुपालन को अध्ययन क्षेत्र के लाभार्थियों द्वारा आय के सहायक स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और आय अर्जन हेतु पशुपालन को 230 लाभार्थियों (46.00 प्रतिशत) ने अपनाया हुआ है। गैर कृषि आयों से प्राप्त आय में उन लाभार्थियों की आय को सम्मिलित किया जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवायें देकर आय अर्जित करते हैं।

इनमें नाई, सुनार, बढ़ई, लुहार, जुलाहे व राजमिस्त्री आदि आते हैं। विकास खण्ड कमासिन में ऐसे चयनित लाभार्थियों की संख्या 70 (14.00 प्रतिशत) है। अन्य स्रोतों से प्राप्त आय में मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, दोना–पत्तल उद्योग, दरी उद्योग व मिट्टी के बर्तन उद्योग आदि स्रोतों से प्राप्त आय को सम्मिलित किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र कमासिन में ऐसे लाभार्थियों की संख्या 170 (34.00 प्रतिशत) है, जो अन्य स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं।

किसी व्यक्ति की आय उस व्यक्ति की एक निश्चित समय की उस अधिकतम व्यय सामर्थ्य को दिखलाती है जो वह इस समय में अपनी पूर्व आर्थिक स्थिति के ऊपर प्राप्त करता है। इस तरह आय जहाँ एक ओर उत्पादन क्रिया का परिणाम है, वहीं दूसरी ओर व्यय के सापेक्ष एक निश्चित मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं पर अधिकार है। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से व्यय कई प्रकार के हो सकते हैं। परन्तु विश्लेषण की सहजता तथा अनुभवगम्य जाँच हेतु व्यय को सामान्य उपभोग व्यय, परिपोषक व्यय, शिक्षा परक व्यय, मनोरंजन व्यय, चिकित्सा परक व्यय व यात्रा व्यय आदि में बाँटा जा सकता है। तथा व्यय के समीकरण को भी समष्टि भावी व्यय समीकरण व व्यष्टिभावी व्यय समीकरण में बाँटा गया है। एक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग व्यय की मात्रा के सम्बन्ध में केंज ने बताया कि आय उपभोग व्यय की मुख्य निर्धारक होती है। अतः उपभोग फलन उपभोग तथा आय के बीच सम्बन्ध को बताता है। उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों को मुख्यतः दो वर्गों (1) वस्तु सापेक्ष व (2) व्यक्ति सापेक्ष में विभाजित किया जा सकता है। वस्तु सापेक्ष तत्वों में प्रायः तेजी से परिवर्तन होते हैं और परिणामस्वरूप वे उपभोग प्रवृत्ति में तीब्र परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात उपभोग रेखा ऊपर या नीचे को खिसक जाती है। केंज तथा आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले वस्तु सापेक्ष तत्वों मे

द्राव्यिक आय, अप्रत्याशित लाभ तथा हानियाँ, प्रशुल्क नीति में परिवर्तन, आशाओं मे परिवर्तन, ब्याज की दर में परिवर्तन, व्यापारिक निगमों की वित्तीय नीतियाँ, धन तथा आय का वितरण व तरल सम्पत्तियों का संग्रह आदि प्रमुख हैं। जबकि व्यक्ति सापेक्ष तत्वों में मनोवैज्ञानिक तत्व आते हैं जो कि मनुष्यों के व्यवहार और आदतों, सामाजिक रीतियों तथा संस्थाओं से सम्बन्धित होते हैं। ये तत्व बचत को प्रभावित करते हुये उपभोग को प्रभावित करते हैं।

वर्तमान उपभोग के अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों की उन उपभोग वस्तुओं पर किये जाने वाले व्यय का अध्ययन करेंगे जिनका आम जीवन में सभी आय वर्ग के लोग उपभोग करते हैं। चयनित प्रतिदर्श के 52 प्रतिशत लाभार्थी अपने पारिवारिक उपभोग व्यय का निर्धारण दैनिक आधार पर करते हैं। जबकि वार्षिक आधार पर उपभोग व्यय का निर्धारण करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत मात्र 05.00 है। चयनित 54.20 प्रतिशत लाभार्थी प्रमुख खाद्यान्नों के रूप में केवल गेहूँ एवं दाल का उपभोग करते हैं। चयनित प्रतिदर्श के 70.60 प्रतिशत लाभार्थी चीनी, खाँडसारी व गुड़ का उपभोग नहीं करते। चाय–पत्ती का उपभोग करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत मात्र 15.60 है। अध्ययन क्षेत्र के लाभार्थियों द्वारा सर्वाधिक आचार/चटनी का उपभोग किया जाता है तथा आचार/चटनी का उपभोग करने वालों की संख्या 415 (83.00 प्रतिशत) है। अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लाभार्थियों द्वारा नशे के पदार्थों या धूम्रपान पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। जिसमें तम्बाकू का सर्वाधिक 445 लाभार्थियों (89.00 प्रतिशत) द्वारा उपभोग किया जाता है एवं सबसे कम चरस का उपभोग केवल 05 लाभार्थियों (01.00 प्रतिशत) द्वारा किया जाता है। ईंधन तथा प्रकाश पर चयनित लाभार्थियों का औसत मासिक व्यय 0–100 रूपये 278 लाभार्थियों द्वारा व 400–500 रू० 48 लाभार्थियों (09.60 प्रतिशत) द्वारा किया जाता है। चयनित प्रतिदर्श के अधिकांश लाभार्थियों द्वारा कपड़े एवं अन्य

वस्त्रों पर औसत मासिक रूप से अत्यन्त कम धनराशि व्यय की जाती है तथा 228 लाभार्थियों (45.60 प्रतिशत) द्वारा केवल 0–100 रू० मासिक व्यय किये जाते हैं। इसी प्रकार जूते व चप्पलों पर किया गया औसत मासिक व्यय भी अधिकांश लाभार्थियों द्वारा अत्यन्त कम है और 278 लाभार्थी (55.60 प्रतिशत) जूते व चप्पलों पर 0–50 रू० औसत मासिक व्यय करते हैं। जबकि केवल 20 लाभार्थियों (04.00 प्रतिशत) द्वारा जूते–चप्पलों पर 150–200 रू० औसत मासिक व्यय किया जाता है। इसी प्रकार स्वच्छता की वस्तुओं पर 308 लाभार्थी (61.60 प्रतिशत) केवल 0–25 रूपये औसत मासिक व्यय करते हैं।

टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं से तात्पर्य उपभोग में प्रयुक्त उन वस्तुओं से है जो एक निर्धारित अवधि के बाद ही नाशवान होती हैं। इनमें आरामदायक व विलासिता की वस्तुयें प्रमुखतः आती हैं। इनमें गृह निर्माण, रेडियो/ट्रांजिस्टर, घड़ियाँ, विद्युत के सामान, सिलाई मशीन, चारपाई, बरतन व साईकिल आदि को सम्मिलित किया गया है। चयनित 233 लाभार्थियों (46.60 प्रतिशत) द्वारा गृह निर्माण व विस्तार पर 0–5 हजार रूपये वार्षिक व्यय किया गया है। जबकि केवल 25 लाभार्थियों (05.00 प्रतिशत) द्वारा गृह निर्माण व विस्तार पर 20–25 हजार रूपये वार्षिक व्यय किये गये हैं। चयनित प्रतिदर्श के 291 लाभार्थियों द्वारा रेडियो/ट्रांजिस्टर पर 0–50 रूपये वार्षिक व्यय किये जाते हैं व केवल 07 लाभार्थियों (01.40 प्रतिशत) द्वारा रेडियो/ट्रांजिस्टर पर 150–200 रूपये वार्षिक व्यय किये जाते हैं। विकास खण्ड कमासिन में चयनित प्रतिदर्श के 132 लाभार्थियों (26.40 प्रतिशत) के पास ही घड़ियाँ उपलब्ध हैं व चयनित प्रतिदर्श के 136 लाभार्थियों (27.20 प्रतिशत) द्वारा विद्युत के सामानों का उपभोग किया जाता है। चयनित प्रतिदर्श के केवल 76 लाभार्थियों के पास ही सिलाई मशीन उपलब्ध है। चयनित प्रतिदर्श के सर्वाधिक 245 लाभार्थियों (49.00 प्रतिशत) द्वारा चारपाई निर्माण व क्रय पर वार्षिक रूप से 100–200 रूपये व्यय किये जाते हैं व सबसे कम 15 लाभार्थियों

द्वारा 300–400 रू० वार्षिक व्यय किये जाते हैं। चयनित प्रतिदर्श के 265 लाभार्थियों (53.00 प्रतिशत) द्वारा बरतनों के क्रय पर 0–100 रूपये वार्षिक व्यय किये जाते हैं व 87 लाभार्थियों द्वारा 200–300 रूपये वार्षिक व्यय किये जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र के 286 लाभार्थियों (57.20 प्रतिशत) के पास साईकिल उपलब्ध है।

सेवाओं पर व्यय से आशय लाभार्थियों द्वारा किये गये उन व्ययों से है जो उसने सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को भुगतान किया है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सवारी व मनोरंजन से सम्बन्धित व्ययों को सम्मिलित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लाभार्थियों द्वारा बच्चों की शिक्षा पर नाम–मात्र की ही धनराशि व्यय की जाती है। तथा चयनित लाभार्थियों के 256 लाभार्थियों (51.20 प्रतिशत) द्वारा बच्चों की शिक्षा पर मात्र 0–100 रूपये ही वार्षिक व्यय किये जाते हैं तथा 500 रू० वार्षिक से अधिक व्यय करने वाले लाभार्थियों की संख्या केवल 12 (02.40 प्रतिशत) है। चयनित प्रतिदर्श के अधिकांश लाभार्थियों द्वारा अपने व परिवार के स्वास्थ्य पर भी उचित ध्यान नहीं दिया जाता तथा 319 लाभार्थियों (63.80 प्रतिशत) द्वारा स्वास्थ्य रक्षा पर 0–250 रूपये वार्षिक व्यय किये जाते हैं। चयनित प्रतिदर्श के 238 लाभार्थियों (47. 60 प्रतिशत) द्वारा सवारी के साधनों पर 0–100 रूपये वार्षिक व्यय किये जाते हैं जबकि 27 लाभार्थियों (05.40 प्रतिशत) द्वारा 400–500 रू० वार्षिक व्यय किये जाते हैं। चयनित लाभार्थियों की आय उनकी आवश्यकता से कम है जिसके फलस्वरूप वे मनोरंजन के साधनों का उपयोग नहीं कर पाते। अध्ययन क्षेत्र के 346 लाभार्थी (69.20 प्रतिशत) मनोरंजन के साधनों पर मात्र 0–100 रूपये वार्षिक व्यय करते हैं एवं 400–500 रूपये वार्षिक व्यय करने वाले लाभार्थियों की संख्या 15 (03.00 प्रतिशत) है। अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लाभार्थी अशिक्षित हैं जिससे उनका दूसरे व्यक्तियों से विवाद उत्पन्न हो जाता है जो कानूनी विवाद का रूप धारण कर लेता है और इस

विवाद पर 332 लाभार्थियों (66.40 प्रतिशत) द्वारा 0–250 रूपये वार्षिक व्यय होता है। इस मद पर 1,000 रूपये वार्षिक से अधिक व्यय करने वाले लाभार्थियों की संख्या 09 (01.80 प्रतिशत) है। चयनित प्रतिदर्श के लाभार्थियों द्वारा सामाजिक अवसरों पर भी वार्षिक रूप से कुछ न कुछ धनराशि व्यय की जाती है और इसमें सर्वाधिक 343 लाभार्थियों (68.60 प्रतिशत) ने 0–500 रूपये वार्षिक व्यय किये हैं जबकि 14 लाभार्थी (02.80 प्रतिशत) 1500–2000 रूपये वार्षिक व्यय करते हैं।

सामान्यतः सम्पत्ति का अर्थ भौतिक वस्तु पर स्वामित्व से लिया जाता है, किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से सम्पत्ति का तात्पर्य भी भौतिक और अभौतिक वस्तु पर स्वामित्व एवं अधिकार से है जो कि मात्रा में सीमित होती है तथा जिसे समाज मान्य और मूल्यवान समझता है। इस प्रकार सम्पत्ति व्यक्तिगत व सार्वजनिक, चल एवं अचल, भौतिक एवं अभौतिक प्रकार की हो सकती है। आय सृजन घटक है। परिसम्पत्तियों से तात्पर्य भौतिक और अभौतिक आय सृजन चरों से है। परिसम्पत्तियां न केवल मानवीय और गैरमानवीय होती हैं बल्कि ये उत्पादक और अनुत्पादक भी होती हैं। विनियोजन हेतु न केवल व्यक्तिगत राशि बल्कि ऋण के माध्यम से भी परिसम्पत्तियों का निर्माण होता है। संस्थागत वित्त एक ऐसा ही मार्ग है जिससे परिवार और व्यक्ति स्थायी और अस्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण करते हैं। यहाँ विनियोजन ऋण के माध्यम से होता है। कृषि से सम्बद्ध कृषि योग्य भूमि का क्रय, मशीन, औजार, उपकरण, ट्रैक्टर, थ्रेसर, बोरिंग मशीन का क्रय या निजी व्यवसाय करना वस्तुतः परिसम्पत्तियों के निर्माण का भौतिक स्वरूप है एवं परिसम्पत्तियेां के निर्माण के द्वारा ही वे पूर्व दशायें निर्मित होती हैं जिनसे आय जनन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। संस्थागत वित्त से ऋण लाभ प्राप्त करने वाले परिवार को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। यह इस बात पर निर्भर है कि परिसम्पत्तियां उत्पादक हैं या नहीं। यदि परिसम्पत्तियों से आय जनन प्रक्रिया

उत्पन्न हो रही है जिससे दायित्वों का सम्यक और समयबद्ध भुगतान किया जा रहा है तो संस्थागत वित्त एक लाभकारी प्रक्रिया मानी जायेगी।

अध्ययन क्षेत्र विकास खण्ड कमासिन के कुल चयनित 500 लाभार्थियों को संस्थागत वित्त स्वीकृत हुआ है जिसमें से सर्वाधिक 190 लाभार्थियों (38.00 प्रतिशत) को 0—50,000 रूपये प्राप्त हुये हैं जबकि केवल 52 लाभार्थियों (10.40 प्रतिशत) को 2,50,000—3,00,000 रूपये ऋण प्राप्त हुआ है। इन चयनित लाभार्थियों में 344 लाभार्थियों (68.80 प्रतिशत) ने ही प्राप्त ऋण राशि से आय सृजक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया है व शेष 156 लाभार्थियों (31.20 प्रतिशत) ने प्राप्त ऋण राशि से गृह उपयोगी वस्तुऐं खरीद ली हैं। अध्ययन क्षेत्र के जिन 344 लाभार्थियों ने प्राप्त ऋण से उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर लिया है उनको वार्षिक प्रतिफल आय प्राप्त हो रही है परन्तु जिन 156 लाभार्थियों ने प्राप्त ऋण से गृह उपयोगी वस्तुऐं क्रय कर ली हैं उनको प्रतिफल आय प्राप्त नहीं हो रही। अध्ययन क्षेत्र के जिन 344 लाभार्थियों (68.80 प्रतिशत) ने उत्पादक परिसम्पत्ति का निर्माण किया है उनमें 32 लाभार्थियों ने कृषि भूमि क्रय व विस्तार, 57 लाभार्थियों ने कृषि यन्त्रीकरण, 38 लाभार्थियों ने सिंचाई कार्य व भूमि विकास, 136 लाभार्थियों ने पशु सम्पत्ति, 25 लाभार्थियों ने मुर्गीपालन, 22 लाभार्थियों ने मत्स्य उद्योग, 15 लाभार्थी दरी उद्योग, 08 लाभार्थियों ने दोना—पत्तल उद्योग व 11 लाभार्थियों ने मिट्टी के बर्तन उद्योग को अपनाया हुआ है। एवं इन लाभार्थियों में 245 लाभार्थियों (49.00 प्रतिशत) को 0—20,000 रूपये वार्षिक प्रतिफल आय हो रही है। जबकि 76 लाभार्थियों को 20,000—40,000 रूपये वार्षिक व 23 लाभार्थियों को 40,000—60,000 रूपये वार्षिक प्रतिफल आय प्राप्त हो रही है।

अध्ययन क्षेत्र विकास खण्ड कमासिन में ऋण प्रदाता बैंकों द्वारा लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से संस्थागत वित्त प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं

में कृषि निवेश, लघु सिंचाई योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, मत्स्य पालन योजना, डेरीफार्मिंग योजना, मुर्गीपालन, बकरी पालन, सुअर पालन, विशेष समन्वित (स्वतः रोजगार) योजना तथा लघु व कुटीर उद्योग आदि प्रमुख हैं। इन विभिन्न योजनाओं में व्यावसायिक बैंक द्वारा 280 लाभार्थियों (56.00 प्रतिशत) सहकारी बैंकों द्वारा 78 लाभार्थियों (15.60 प्रतिशत) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 142 लाभार्थियों (11.20 प्रतिशत) को संस्थागत वित्त प्रदान किया गया है। सर्वेक्षण के दौरान एक तथ्य यह सामने आया कि संस्थागत वित्त प्राप्त करने के बाद भी 30.80 प्रतिशत लाभार्थियों ने अभी भी गैर–संस्थागत वित्तीय स्रोतों से ऋण ले रखा है।

प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का उपभोग करता है। प्रारम्भ में वह इन वस्तुओं का चुनाव अपने देश, काल, रूचि, शिक्षा, अनुभव, सामाजिक प्रथाओं एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार करता है। जब वह इनका उपभोग पर्याप्त समय तक करता रहता है तो वह इनके उपभोग का आदी हो जाता है। तब तो ये वस्तुयें उसके दैनिक जीवन का अंग बन जाती हैं और यदि कभी इनमें से किसी वस्तु के उपभोग से उसे वंचित रहने का अवसर प्राप्त होता है तो उसे कष्ट होता है। किसी मनुष्य के उपभोग की समस्त सामग्री ही उसके रहन–सहन के स्तर को प्रकट करती है। अध्ययन क्षेत्र विकास खण्ड कमासिन के कमजोर वर्ग के लोगों के रहन–सहन के स्तर को निर्धारित करने के लिए उनकी आय संरचना, उपभोग व्यय, स्वास्थ्य व शिक्षा के स्तर का सामान्य अवलोकन करना होगा। विकास खण्ड कमासिन के निम्न वर्ग के लाभार्थियों की आय अत्यन्त कम है। ये 40000 रूपये वार्षिक या इससे कम आय अर्जित कर पाते हैं। इस न्यून आय के कारण इनका उपभोग व्यय भी कम होता है तथा उपभोग व्यय के नाम पर केवल आवश्यक आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर पाते हैं। निम्न वर्ग के अधिकांश लाभार्थी निरक्षर हैं जिससे इनमें महत्वाकांक्षा का अभाव पाया

गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि निम्न वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन का स्तर अत्यन्त ही निम्न है।

विकास खण्ड कमासिन के मध्यम वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन के स्तर को निर्धारित करने के लिए उनकी आय संरचना, उपभोग व्यय, स्वास्थ्य व शिक्षा के स्तर का सामान्य अवलोकन करना होगा। विकास खण्ड कमासिन के मध्यम वर्ग के लाभार्थियों की आय निम्न वर्ग के लाभार्थियों की तुलना में अधिक है। ये 40,000–80,000 रूपये वार्षिक आय अर्जित कर लेते हैं। जिस कारण इनके उपभोग व्यय का स्तर निम्न वर्ग के लाभार्थियों से अच्छा है। इनकी स्वास्थ्य दशायें व शैक्षिक स्तर भी निम्न वर्ग के लाभार्थियों की दशा में ठीक है। इस प्रकार इनके रहन सहन का स्तर निम्न वर्ग के लाभार्थियों की तुलना में उच्च है, परन्तु उच्च वर्ग के लाभार्थियों की तुलना में निम्न है। इस प्रकार इनके रहन–सहन का स्तर मिश्रित है।

विकास खण्ड कमासिन के उच्च वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन का स्तर निर्धारित करने के लिए भी उनकी आय संरचना, उपभोग व्यय, स्वास्थ्य व शिक्षा के स्तर का सामान्य अवलोकन करना होगा। उच्च वर्ग के लाभार्थियों की आय संरचना भी उच्च है तथा उच्च वर्ग के सभी 25 लाभार्थियों की आय 80,000 रू० वार्षिक से अधिक है। उच्च आय के कारण इनका उपभोग व्यय भी उच्च है। इनकी स्वास्थ्य दशायें व शिक्षा का स्तर भी उच्च है। ये आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ आरामदायक व विलासिता सम्बन्धी वस्तुओं का भी पर्याप्त मात्रा में उपभोग करते हैं। इस प्रकार उच्च वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन का स्तर उच्च है।

अध्ययन क्षेत्र विकास खण्ड कमासिन के चयनित लाभार्थियों पर संस्थागत वित्त के प्रभाव का अध्ययन इस प्रकार कर सकते हैं। अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लाभार्थियों ने संस्थागत वित्त के माध्यम से उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर लिया है,

जिनसे उनको पर्याप्त उत्पादन हो रहा है। इस प्रकार संस्थागत वित्त का उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। संस्थागत वित्त का आय पर भी व्यापक असर पड़ा है। संस्थागत वित्त के माध्यम से लाभार्थियों ने आधुनिक तकनीक से उत्पादन किया है। कृषि क्षेत्र में उन्नतिशील बीज, खाद, सिंचाई सुविधायें एवं कृषि यन्त्रीकरण के माध्यम से उत्पादन किया है। जिसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई है और उसकी आय प्रत्यक्ष रूप से बढ़ी है और जो लाभार्थी कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्योग अपनाये हुये हैं उन्होंने भी संस्थागत वित्त के माध्यम से आधुनिक पद्धति को अपनाया है जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है और परिणामस्वरूप आय बढ़ी है इस प्रकार संस्थागत वित्त का लाभार्थियों की आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। संस्थागत वित्त का रोजगार के अवसरों पर भी प्रभाव पड़ा है। इन रोजगार के अवसरों पर लाभार्थी व उसके परिवार के सदस्यों को तो रोजगार प्राप्त हुआ है इन्होंने अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार पर लगा रखा है। अध्ययन क्षेत्र विकास खण्ड कमासिन में लाभार्थी व उसके परिवार के कुल 927 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है और 566 अन्य व्यक्तियेां को इन लाभार्थियों द्वारा काम पर लगाया गया है। इस प्रकार कुल 1493 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुये हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि संस्थागत वित्त का रोजगार के अवसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। संस्थागत वित्त का लाभार्थियों के रहन–सहन के स्तर पर भी प्रभाव पड़ा है। तथा इसका उच्च वर्ग के लाभार्थियों पर सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है एवं मध्यम वर्ग के लाभार्थियों पर भी संस्थागत वित्त का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जबकि अध्ययन क्षेत्र विकास खण्ड कमासिन के कमजोर वर्ग के लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है एवं अधिकांश निम्न वर्ग के लाभार्थियों ने संस्थागत वित्त का प्रयोग अनुत्पादक कार्यों व गृह उपयोगी वस्तुओं पर कर लिया है जिनसे उनको कोई आय उत्पन्न नहीं हो रही व जिन लाभार्थियों ने

संस्थागत वित्त के माध्यम से उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर लिया है उनसे उनको 0–20,000 रू० तक ही वार्षिक आय उत्पन्न हो रही है जिनसे वह केवल आवश्यक आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर पाते हैं इस प्रकार निम्न वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन के स्तर पर संस्थागत वित्त का आंशिक प्रभाव पड़ा है।

संस्थागत वित्त का लाभार्थियों के उपभोग स्तर पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है क्योंकि संस्थागत वित्त के माध्यम से उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग के सभी लाभार्थियों ने उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर लिया है जिससे उनको पर्याप्त आय उत्पन्न हो रही है और उनके उपभोग का स्तर बढ़ा है। इस प्रकार उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग के लाभार्थियों पर संस्थागत वित्त का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। परन्तु निम्न वर्ग के 156 लाभार्थियों ने प्राप्त वित्त को अनुत्पादक कार्यों पर व्यय कर दिया है जिससे उनको आय उत्पन्न नहीं हो रही। जिन 236 लाभार्थियों ने संस्थागत वित्त के माध्यम से उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया है उनसे उनको 0–20,000 रू० वार्षिक प्रतिफल आय हो रही है जिससे वह अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर पाते हैं। अतः निम्न वर्ग के लाभार्थियों के उपभोग स्तर पर संस्थागत वित्त का आंशिक असर पड़ा है। संस्थागत वित्त का लाभार्थियों के बचत स्तर पर भी प्रभाव पड़ा है और उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग के सभी लाभार्थी कुछ न कुछ बचत कर रहे हैं। अतः संस्थागत वित्त का उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग के लाभार्थियों के बचत स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जबकि निम्न वर्ग के कुल 392 लाभार्थियों में 327 लाभार्थी बिल्कुल भी बचत नहीं करते। अतः संस्थागत वित्त का कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के बचत–स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। संस्थागत वित्त का गरीबी पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि संस्थागत वित्त के प्रयोग से कोई भी निम्न वर्ग का लाभार्थी, उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग में सम्मिलित नहीं हो सका और न ही आरामदायक व विलासिता से

सम्बन्धित वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। संस्थागत वित्त का लाभार्थी की कार्य करने की क्षमता पर परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है, क्योंकि लाभार्थी जानता है कि एक निश्चित समय के पश्चात् उसे बैंक को ब्याज या किस्त के रूप में एक निर्धारित धनराशि चुकानी है जिससे उसकी आय कम हो जायेगी। इस आय की कमी की भरपाई के लिए वह अधिक कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। अतः उसकी कार्य करने की इच्छा पर संस्थागत वित्त का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। संस्थागत वित्त का लाभार्थियों के ऋण पुनर्भुगतान क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि संस्थागत वित्त के माध्यम से अधिकांश लाभार्थियों ने उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर लिया है, जिससे वह प्रतिफल आय अर्जित कर रहे हैं। इस प्रतिफल आय से 68.80 प्रतिशत लाभार्थी ससमय ऋण का पुनर्भुगतान कर रहे हैं। इस प्रकार संस्थागत वित्त का लाभार्थियों की ऋण पुनर्भुगतान क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। संस्थागत वित्त का ऋण पर्याप्तता पर भी प्रभाव पड़ा है तथा व्यापारिक बैंकों द्वारा सर्वाधिक प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराया गया है। सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के कमजोर वर्ग को बहुत ही कम ऋण उपलब्ध कराया गया है। जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कमजोर वर्ग को सर्वाधिक संस्थागत वित्त उपलब्ध कराया गया है।

8.2. निष्कर्ष

शोध–अध्ययन का अंतिम चरण निष्कर्ष, परिकल्पनाओं का सत्यापन एवं सुझावों से अभिव्यक्त होता है। किसी भी अनुसंधान का निष्कर्षात्मक होना उसकी सफलता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कसौटी है। इसके बिना शोध कार्य अधूरा रह जाता है। इसी अर्थ में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध भी निष्कर्षात्मक है।

8.2.1.निष्कर्ष बिन्दु

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध निष्कर्षात्मक है और पूर्व वर्णित अनुक्रमों के आधार पर

''ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता क्षेत्र पर संस्थागत वित्त का प्रभाव (बाँदा जनपद के विशेष परिप्रक्ष्य में)'' से सम्बन्धित अनुसंधान समस्या से उद्भूत निष्कर्ष निम्नवत् संजोये जा सकते हैं–

(1) उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित जनपद बाँदा 24^0 53′ से 25^0 55′ उत्तरी आक्षांस एवं 80^0 07′ से 80^0 34′ पूर्वी देशान्तर के मध्य में स्थित है।

(2) जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4114.2 वर्ग कि0मी0 है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल 4079.4 वर्ग कि0मी0 तथा नगरीय क्षेत्रफल 34.8 वर्ग कि0मी0 है।

(3) प्रशासनिक दृष्टि से यह जनपद चार तहसीलों–बाँदा, बबेरू, अतर्रा व नरैनी तथा आठ विकासखण्डों–बबेरू, कमासिन, विसन्डा, बडोखर खुर्द, तिन्दवारी, महुआ व जसपुरा में विभक्त है।

(4) प्राकृतिक बनावट के आधार पर जनपद के धरातल की बनावट को दो भागों (1) मैदानी भाग व (2) पठारी भाग में विभाजित किया गया है।

(5) सम्पूर्ण जनपद में बुन्देलखण्ड की प्रसिद्ध चारों प्रकार की मिट्टी की किस्म मार, कावर, पडुआ व राकड़ पायी जाती है।

(6) सन् 2001 ई0 में की गई जनगणना के आधार पर बाँदा जनपद की जनसंख्या 1500253 थी, जिसमें पुरूष संख्या 806543 एवं स्त्री संख्या 693710 थी। इस जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या 1256230 एवं नगरीय जनसंख्या 244023 थी।

(7) सन् 2001 ई0 में की गई जनगणना के आधार पर जनपद बाँदा का जनसंख्या घनत्व 340 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि0मी0, लिंगानुपात 860 एवं साक्षरता दर 54.84 प्रतिशत है।

(8) जनपद में कुल कर्मकारों की संख्या 602493 है। जिसमें सर्वाधिक 217575 व्यक्ति कृषि कार्य में, 83361 कृषि श्रमिक, 12750 व्यक्ति पारिवारिक कार्यों में, 87357 व्यक्ति अन्य कार्यों में तथा 201450 व्यक्ति सीमान्त कर्मकार हैं।

(9) बाँदा जनपद की अर्थव्यवस्था मूलतः ग्रामीण, कृषि प्रधान तथा उद्योग शून्य अर्थव्यवस्था है।

(10) जनपद की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होने के कारण उद्यमिता का नितान्त अभाव है, जो औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है।

(11) जनपदीय अर्थव्यवस्था सामन्तवादी है। एक ओर साधन सम्पन्न बडा उच्चवर्गीय कृषक वर्ग है, तो दूसरी ओर लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिक (साधन–विपन्न) मध्यम तथा निम्न वर्ग है।

(12) प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि, लघु ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों से जीवन यापन करने वाले लोगों को रखा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि प्रधान होने के कारण प्राथमिकता क्षेत्र का सम्बन्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आर्थिक दृष्ट से कमजोर लोगों से लगाया जाता है। इसके अन्तर्गत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बीस सूत्रीय विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को शामिल किया जा सकता है।

(13) ग्रामीण साख की पूर्ति में तीन संस्थायें सहकारी बैंक, ब्यापारिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। इनके माध्यम से अल्प, मध्य एवं दीर्घकालीन साख की पूर्ति की जाती है। यह ग्रामीण साख की बहु एजेन्सी पद्धति कही जाती है।

(14) अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लोगों के आय का मुख्य स्रोत कृषि है।

(15) सिंचाई के साधनों का अभाव, छोटी कृषि जोतें व मिश्रित फसल–चक्र न अपनाने के कारण कृषि से पर्याप्त कृषिगत आय नहीं हो रही। और अध्ययन क्षेत्र के 31.00 प्रतिशत लाभार्थी केवल 0–20000 रूपये वार्षिक कृषिगत आय अर्जित कर पाते हैं। जबकि एक लाख रूपये से अधिक वार्षिक कृषिगत आय अर्जित करने वालों का प्रतिशत मात्र 03.00 है।

(16) जनपदीय अर्थव्यवस्था में कृषि से पर्याप्त कृषिगत आय न होने के कारण अधिकांश लोगों को आय के सहायक स्रोतों पर भी निर्भर रहना पड़ता है।

(17) जनपदीय अर्थव्यवस्था में आय के सहायक स्रोत के रूप में पशुपालन को सर्वाधिक लोगों द्वारा अपनाया जाता है।

(18) जनपदीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या कृषि मजदूरों की है क्योंकि इनको कृषि क्षेत्र में मजदूरी से अत्यन्त कम आय प्राप्त होती है। और अधिकांश कृषि मजदूर 0–20000 रूपये तक ही वार्षिक अर्जित कर पाते हैं।

(19) जनपदीय अर्थव्यवस्था में अधिकांश कृषि श्रमिक अपनी मजदूरीगत आय को बढ़ाने के लिये आकस्मिक स्रोत भी अपना रखे हैं। जिसमें सर्वाधिक मजदूरों द्वारा छप्पर छाना स्रोत अपनाया गया है।

(20) गैर कृषि आयों से प्राप्त आय में उन लाभार्थियों की आय को सम्मिलित किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवायें देकर आय अर्जित करते हैं। इनमें नाई, सुनार, बढ़ई, लुहार, जुलाहे व राजमिस्त्री आदि आते हैं।

(21) ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर कृषि आयों से केवल 14.00 प्रतिशत व्यक्ति ही आय अर्जित करते हैं। जिसमें सर्वाधिक लोगों द्वारा 10000–20000 रूपये वार्षिक अर्जित किये जाते हैं।

(22) जनपदीय अर्थव्यवस्था में अधिकांश व्यक्ति अपनी कृषि उपज को कस्बों व नगरों में स्थित कृषि मंडियों में बेचते हैं।

(23) जनपदीय अर्थव्यवस्था में अन्य स्रोतों से प्राप्त आय में लाभार्थियों द्वारा मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, रेशम–कीट पालन, दोना–पत्तल उद्योग, दरी उद्योग व मिट्टी के बर्तन उद्योग आदि को अपनाया गया है।

(24) जनपद की अर्थव्यवस्था उपभोग प्रधान है।"ऋणम् कृतवा घृतम पिवेत" ग्रामीण

क्षेत्र में सिद्धान्त वाक्य है।

(25) ग्रामीण अर्थव्यवस्था के 52.00 प्रतिशत व्यक्ति अपने पारिवारिक उपभोग व्यय का निर्धारण दैनिक आधार पर करते हैं, जबकि वार्षिक आधार पर उपभोग व्यय का निर्धारण करने वालों का प्रतिशत मात्र 05.00 है।

(26) अध्ययन क्षेत्र के 54.20 प्रतिशत लाभार्थी प्रमुख खाद्यान्नों के रूप में केवल गेहूँ एवं दाल का उपभोग करते हैं। अर्थात् अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लोग दाल–रोटी खाते हैं।

(27) ग्रामीण अर्थव्वस्था के 70.60 प्रतिशत व्यक्ति चीनी, खाँडसारी व गुड का उपभोग नहीं करते हैं। तथा चाय–पत्ती का उपभोग करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत मात्र 15.60 है।

(28) अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लाभार्थियों (83.00 प्रतिशत) द्वारा आचार/चटनी का उपभोग किया जाता है।

(29) जनपदीय अर्थव्यवस्था के अधिकांश लाभार्थियों द्वारा नशे के पदार्थों या धूम्रपान पदार्थों का प्रयोग किया जाता है।

(30) अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लाभार्थियों द्वारा ईंधन तथा प्रकाश पर बहुत ही कम धनराशि व्यय की जाती हैं। तथा इस मद पर 55.60 प्रतिशत लाभार्थी 0–100 रूपये औसत मासिक व्यय करते हैं।

(31) अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लाभार्थियों द्वारा कपड़े एवं अन्य वस्त्रों पर औसत मासिक रूप से अत्यन्त कम धनराशि व्यय की जाती है। तथा इस मद पर 45.60 प्रतिशत लाभार्थी केवल 0–100 रूपये औसत मासिक व्यय करते हैं।

(32) अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लाभार्थियों द्वारा (46.60 प्रतिशत) द्वारा गृह निर्माण व विस्तार पर 0–5 हजार रूपये वार्षिक व्यय किये जाते हैं। जबकि केवल 05.00 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा गृह निर्माण व विस्तार पर 20–25 हजार रूपये वार्षिक व्यय किये जाते

हैं।

(33) अध्ययन क्षेत्र के 26.40 प्रतिशत लाभार्थियों के पास ही घड़ियाँ उपलब्ध हैं।

(34) अध्ययन क्षेत्र के 27.20 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा विद्युत के सामानों का उपभोग किया जाता है।

(35) अध्ययन क्षेत्र के केवल 15.20 प्रतिशत लाभार्थियों के पास ही सिलाई–मशीन उपलब्ध है।

(36) अध्ययन क्षेत्र के 57.20 प्रतिशत लाभार्थियों के पास साइकिल उपलब्ध है।

(37) अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लाभार्थियों द्वारा बच्चों की शिक्षा पर नाम–मात्र की ही धनराशि व्यय की जाती है। तथा 51.20 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा बच्चों की शिक्षा पर मात्र 0–100 रूपये ही वार्षिक व्यय किये जाते हैं। जबकि 500 रूपये वार्षिक से अधिक व्यय करने वाले लाभार्थी मात्र 02.40 प्रतिशत हैं।

(38) अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लाभार्थियों द्वारा अपने व परिवार के स्वास्थ्य पर भी उचित ध्यान नहीं दिया जाता तथा 63.80 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा पर 0–250 रूपये वार्षिक व्यय किये जाते हैं।

(39) अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लाभार्थियों की आय उनकी आवश्यकता से कम है जिसके फलस्वरूप वे मनोरंजन के साधनों का उपयोग नहीं कर पाते।

(40) परिसम्पत्तियों से तात्पर्य भौतिक और अभौतिक आय सृजन चरों से है।

(41) अध्ययन क्षेत्र के 38.00 प्रतिशत लाभार्थियों को संस्थागत वित्त के रूप में 0–50000 रूपये प्राप्त हुये हैं। एवं 10.40 प्रतिशत लाभार्थियों को 2,50,000–3,00,000 रूपये संस्थागत वित्त के रूप में प्राप्त हुये हैं।

(42) अध्ययन क्षेत्र के 68.80 प्रतिशत लाभार्थियों ने प्राप्त ऋण राशि से आय सृजक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया है व शेष 31.20 प्रतिशत लाभार्थियों ने प्राप्त ऋण राशि

से गृह उपयोगी वस्तुयें खरीद ली हैं।

(43) अध्ययन क्षेत्र के जिन लाभार्थियों ने प्राप्त ऋण से आय सृजक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर लिया है। उनको वार्षिक प्रतिफल आय प्राप्त हो रही है। परन्तु जिन लाभार्थियों ने प्राप्त ऋण से गृह उपयोगी वस्तुयें क्रय कर ली हैं, उनको प्रतिफल आय प्राप्त नहीं हो रही।

(44) अध्ययन क्षेत्र के जिन लाभार्थियों ने आय सृजक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर लिया है, उनमें 49.00 प्रतिशत लाभार्थियों को 0–20000 रूपये वार्षिक प्रतिफल आय हो रही है व 15.20 प्रतिशत लाभार्थियों को 20,000–40,000 रूपये वार्षिक तथा 04.60 प्रतिशत लाभार्थियों को 40,000–60,000 रूपये वार्षिक प्रतिफल आय प्राप्त हो रही है।

(45) अध्ययन क्षेत्र के जिन 68.80 प्रतिशत लाभार्थियों ने उत्पादक परिसम्पत्ति का निर्माण किया है उनमें 06.40 प्रतिशत लाभार्थियों ने कृषि भूमि क्रय व विस्तार, 11.40 प्रतिशत लाभार्थियों ने कृषि यन्त्रीकरण, 07.60 प्रतिशत लाभार्थियों ने सिंचाई कार्य व भूमि विकास, 27.20 प्रतिशत लाभार्थियों ने पशु सम्पत्ति का सृजन, 05.00 प्रतिशत लाभार्थियों ने मुर्गीपालन, 04.40 प्रतिशत लाभार्थियों ने मत्स्य उद्योग, 03.00 प्रतिशत लाभार्थियों ने दरी उद्योग, 01.60 प्रतिशत लाभार्थियों ने दोना–पत्तल उद्योग एवं 02.20 प्रतिशत लाभार्थियों ने मिट्टी के बर्तन उद्योग को अपनाया हुआ है।

(46) अध्ययन क्षेत्र के 30.80 प्रतिशत लाभार्थियों ने संस्थागत वित्तीय स्रोतों से ऋण प्राप्त करने के बाद भी गैर–संस्थागत वित्तीय स्रोतों से ऋण ले रखा है।

(47) किसी व्यक्ति के रहन–सहन के स्तर को निर्धारित करने के लिए उसकी आय संरचना, उपभोग–व्यय, स्वास्थ्य व शिक्षा के स्तर का सामान्य अवलोकन करना होता है।

(48) रहन–सहन का स्तर सापेक्ष और तुलनात्मक होता है।

(49) रहन–सहन का स्तर ऊँचा, नीचा या मिश्रित हो सकता है।

(50) अध्ययन क्षेत्र के लाभार्थियों को उनकी आय संरचना के आधार पर तीन वर्गों–उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग में बाँटा गया है।

(51) अध्ययन क्षेत्र के निम्न वर्ग के लाभार्थियों की आय अत्यन्त कम है। ये 0–40000 रूपये वार्षिक तक ही आय अर्जित कर पाते हैं। इस न्यून आय के कारण इनका उपभोग व्यय भी कम होता है। तथा उपभोग व्यय के नाम पर केवल आवश्यक आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर पाते हैं। इनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले मकान कच्चे व बेतरतीब ढंग से बने होते हैं। वस्त्रों के रूप में ये फटे–पुराने व गन्दे कपड़ों का प्रयोग करते हैं। इनकी स्वास्थ्य दशायें भी ठीक नहीं हैं क्योंकि इनके द्वारा जो भोजन प्रयुक्त किया जाता है वह पौष्टिक नहीं होता है। निम्न वर्ग के अधिकांश लाभार्थी निरक्षर हैं, जिस कारण ये भाग्यवादी व रूढ़िवादी हैं। इनमें महत्वाकांक्षा का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि निम्न वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन का स्तर अत्यन्त ही निम्न है।

(52) अध्ययन क्षेत्र के मध्यम वर्ग के लाभार्थियों की आय निम्न वर्ग के लाभार्थियों की तुलना में अधिक है। जिस कारण इनके उपभोग–व्यय का स्तर निम्न वर्ग के लाभार्थियों से अच्छा है। इनके मकान कच्चे व पक्के मिश्रित रूप से बने हैं। तथा ये साफ व स्वच्छ उचित वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। मध्यम वर्ग के अधिकांश लाभार्थी शिक्षित हैं, परन्तु औपचारिक शिक्षा का स्तर उच्च वर्ग के लाभार्थियों की तुलना में कम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मध्यम वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन का स्तर निम्न वर्ग के लाभार्थियों से तो उच्च है परन्तु उच्च वर्ग के लाभार्थियों की तुलना में निम्न है। अतः मध्यम वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन का स्तर मिश्रित है।

(53) अध्ययन क्षेत्र के उच्च वर्ग के लाभार्थियों की आय संरचना उच्च है। उच्च आय

के कारण इनका उपभोग व्यय भी उच्च है, ये साफ–स्वच्छ मौसम के अनुकूल वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इनके मकान पक्के, हवादार व रोशनीदार हैं। इनकी स्वास्थ्य दशायें व शैक्षिक स्तर भी उच्च है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उच्च वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन का स्तर उच्च है।

(54) ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत वित्त का उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। क्योंकि संस्थागत वित्त के माध्यम से अधिकांश लाभार्थियों ने उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर लिया है जिससे उनको पर्याप्त उत्पादन हो रहा है।

(55) ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत वित्त का आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। क्योंकि संस्थागत वित्त के माध्यम से अधिकांश लाभार्थियों ने आधुनिक तकनीक से उत्पादन किया है। जिसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई है और उसकी आय प्रत्यक्ष रूप से बढ़ी है।

(56) ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत वित्त का रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पडा है। इससे लाभार्थियों को व उसके परिवार के सदस्यों को तो स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुये हैं, प्राथमिकता क्षेत्र के अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हुये हैं। और उन्हें बेरोजगारी से मुक्ति मिली है।

(57) ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत वित्त का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव उच्च वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन के स्तर पर पड़ा है।

(58) ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत वित्त का मध्यम वर्ग के लाभार्थियों के रहन–सहन के स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव पडा है।

(59) ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत वित्त का कमजोर वर्ग के लोगों के रहन–सहन के स्तर पर आंशिक प्रभाव पड़ा है। क्योंकि कमजोर वर्ग के अधिकांश लाभार्थियों ने प्राप्त ऋण राशि को उपभोग कार्यों पर व्यय कर दिया है जिससे उनको कोई आय नहीं

हो रही और शेष जिन लाभार्थियों ने उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया है उनसे उनको सिर्फ 0—20000 रूपये तक वार्षिक आय उत्पन्न हो रही है, जिससे वह केवल आवश्यक आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर पाते हैं।

(60) उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग के लाभार्थियों के उपभोग स्तर पर संस्थागत वित्त का व्यापक प्रभाव पडा है।

(61) कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के उपभोग स्तर पर संस्थागत वित्त का आंशिक असर पडा है।

(62) ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग के लोगों के बचत स्तर पर संस्थागत वित्त का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और इन वर्गों के सभी लाभार्थी कुछ न कुछ धनराशि बचत कर रहे हैं।

(63) ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निम्न वर्ग के लाभार्थियों के बचत स्तर पर संस्थागत वित्त का नकारात्मक प्रभाव पडा है। क्योंकि कमजोर वर्ग के अधिकांश लाभार्थी बचत नहीं करते।

(64) जनपदीय अर्थव्यवस्था की गरीबी पर संस्थागत वित्त का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि निम्न वर्ग का कोई भी लाभार्थी संस्थागत वित्त के प्रयोग से उच्च आय वर्ग या मध्यम आय वर्ग में सम्मिलित नहीं हो सका।

(65) अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लाभार्थियों की कार्य करने की इच्छा पर संस्थागत वित्त का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

(66) अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लाभार्थियों के ऋण पुनर्भुगतान क्षमता पर संस्थागत वित्त का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि संस्थागत वित्त के माध्यम से अधिकांश लाभार्थियों ने उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर लिया है जिनसे वह प्रतिफल आय अर्जित कर रहे हैं। इस प्रतिफल आय से वह ऋण व उस पर व्याज उचित

चुकौती अवधि में भुगतान कर रहे हैं।

(67) ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता क्षेत्र पर व्यापारिक बैंकों ने सर्वाधिक संस्थागत वित्त प्रदान किया है।

(68) ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारी संस्थाओं द्वारा बांटे गये ऋणों में अधिकांशतः उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग के लोगों को ऋण व सहायता प्राप्त हुई है।

(69) ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारी संस्थाओं द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों को पर्याप्त संस्थागत वित्त प्रदान नहीं किया गया है।

(70) ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सर्वाधिक कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण व सहायता प्रदान की गयी है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता क्षेत्र पर संस्थागत वित्त का व्यापक प्रभाव पडा है। उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग पर इसका सर्वाधिक लाभदायक प्रभाव पड़ा है, जबकि कमजोर वर्ग पर इसका आंशिक लाभदायक प्रभाव पडा है। चूँकि प्रस्तुत शोध अध्ययन प्रमुख रूप से कमजोर वर्ग के लोगों से सम्बन्धित है। अतः कहा जा सकता है कि संस्थागत वित्त का कमजोर वर्ग के लोगों पर आंशिक लाभदायक प्रभाव पडा है।

8.2.2. परिकल्पनाओं का सत्यापन

परिकल्पनाओं का सत्यापन शोध प्रबन्ध का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अतः प्रस्तुत शोध प्रबन्ध की सत्यापित की गई परिकल्पनायें निम्न हैं–

(1) सहकारी संस्थाओं द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के उत्पादन क्रियाओं के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान किया गया है;

यह परिकल्पना असत्य साबित होती है। क्योंकि सहकारी संस्थाओं ने जो भी ऋण प्रदान किया है अधिकांशतः उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग को ही प्रदान किया है, निम्न

वर्ग के सिर्फ 16.67 प्रतिशत लाभार्थियों को ही ऋण प्रदान किया है। शोध प्रबन्ध के सप्तम् अध्याय के अध्ययन व तालिका संख्या 7.7 के आधार पर कहा जा सकता है कि सहकारी संस्थाओं ने कमजोर वर्ग के लोगों के उत्पादन क्रियाओं के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान नहीं किया है। क्योंकि ये संस्थायें जमानत के आधार पर ही ऋण उपलब्ध कराती हैं जबकि निम्न वर्ग के पास जमानत के रूप में पर्याप्त सम्पत्ति नहीं होती।

2. व्यापारिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त ऋण व सहायता प्रदान की गई है;

यह परिकल्पना सत्य साबित होती है। क्योंकि ब्यापारिक बैंकों ने ही सर्वाधिक प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरित किया है। शोध प्रबन्ध के सप्तम् अध्याय के अध्ययन व तालिका संख्या 7.7 के आधार पर कहा जा सकता है कि ब्यापारिक बैंकों ने सर्वाधिक 56.00 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र के लोगों को ऋण व सहायता प्रदान किया है।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ग्रामीण समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा किया है;

यह परिकल्पना सत्य साबित होती है। क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ही सर्वाधिक कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण उपलब्ध कराया है। शोध प्रबन्ध के सप्तम् अध्याय के अध्ययन व तालिका संख्या 7.7 के आधार पर कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सर्वाधिक निम्न वर्ग के 88.03 प्रतिशत लोगों को ऋण उपलब्ध कराया है, जबकि उच्च वर्ग के 03.52 प्रतिशत लोगों को व मध्यम वर्ग के 08.45 प्रतिशत लोगों को ऋण प्रदान किया है।

इन संस्थाओं के परिणाम स्वरूप क्या–

क.1. कमजोर वर्ग के लोगों की गरीबी में कमी आई है;

यह परिकल्पना असत्य साबित होती है। क्योंकि संस्थागत वित्त के प्रयोग से

प्राप्त प्रतिफल आय से कमजोर वर्ग का कोई भी लाभार्थी आवश्यक आवश्यकताओं को छोड़कर आरामदायक व विलासिता से सम्बन्धित वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर पाया है। शोध प्रबन्ध के सप्तम् अध्याय के अध्ययन व क्षेत्रीय अनुवेक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि संस्थागत वित्त के प्रयोग से कोई भी लाभार्थी कमजोर वर्ग से मध्यम आय वर्ग या उच्च आय वर्ग में सम्मिलित नहीं हो सका है।

क.2. कमजोर वर्ग के लोगों के आय में वृद्धि हुई है;

यह परिकल्पना सत्य साबित होती है। क्योंकि संस्थागत वित्त के माध्यम से निम्न वर्ग के कुल 392 लाभार्थियों में अधिकांश 236 लाभार्थियों ने उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर लिया है। जिनसे उनको आय अर्जित हो रही है। शोध प्रबन्ध के सप्तम् अध्याय के अध्ययन व तालिका संख्या 6.5 के आधार पर कहा जा सकता है कि निम्न वर्ग के अधिकांश लाभार्थियों द्वारा 0–20,000 रूपये वार्षिक आय अर्जित की जाती है।

ख.1. कमजोर वर्ग के लोगों के उपभोग–स्तर में सुधार हुआ है;

यह परिकल्पना सत्य साबित होती है क्योंकि संस्थागत वित्त के माध्यम से निम्न वर्ग के अधिकांश लाभार्थियों ने उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण करके 0–20,000 रूपये वार्षिक आय अर्जित कर रहे हैं। जिससे वह अपनी केवल आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। शोध प्रबन्ध के सप्तम् अध्याय के अध्ययन व क्षेत्रीय अनुवेक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि संस्थागत वित्त के प्रयोग से कमजोर वर्ग के लोगों के उपभोग स्तर में आंशिक सुधार हुआ है।

ख.2. कमजोर वर्ग के लोगों के बचत स्तर में वृद्धि हुई है;

यह परिकल्पना असत्य साबित होती है क्योंकि कमजोर वर्ग के अधिकांश लाभार्थियों का बचत–स्तर नकारात्मक है। शोध प्रबन्ध के सप्तम् अध्याय के अध्ययन व तालिका संख्या 7.6 के आधार पर कहा जा सकता है कि कमजोर वर्ग के कुल 392

लाभार्थियों में 327 लाभार्थी कुछ भी बचत नहीं करते।

ग. प्राथमिकता क्षेत्र के लोगों में रोजगार अवसर में वृद्धि, स्वरोजगार के अवसरों का विकास तथा अल्पबेरोजगारी में कमी हुई है;

यह परिकल्पना सत्य साबित होती है क्योंकि संस्थागत वित्त के माध्यम से प्राथमिकता क्षेत्र के लोगों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। शोध प्रबन्ध के सप्तम् अध्याय के अध्ययन व तालिका संख्या 7.5 के आधार पर कहा जा सकता है कि संस्थागत वित्त के प्रयोग से लाभार्थी व उसके परिवार के सदस्यों को तो स्वरोजगार के अवसर प्राप्त ही हुये हैं बल्कि प्राथमिकता क्षेत्र के अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हुये हैं। जिससे अल्प बेरोजगारी में कमी हुई है।

घ. कमजोर वर्ग के जीवन–स्तर में सुधार हुआ है;

यह परिकल्पना सत्य साबित होती है। क्योंकि संस्थागत वित्त के प्रयोग से कमजोर वर्ग के अधिकांश लाभार्थियों को प्रतिफल आय उत्पन्न हो रही है जिससे उनके उपभोग स्तर में आंशिक सुधार हुआ है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के सप्तम् अध्याय के अध्ययन व अनुभवगम्य आधार पर कहा जा सकता है कि कमजोर वर्ग के लोगों के उपभोग स्तर में सुधार होने से उनके जीवन–स्तर में भी आंशिक सुधार हुआ है।

8.3. सुझाव

शोध के दौरान अनुभवगम्य आधार पर ज्ञात हुआ है कि लाभार्थियों को वित्त प्रदान करने में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है एवं लाभार्थियों के सम्मुख भी वित्त प्राप्त करने में अनेकों समस्यायें आती हैं। इन्हीं समस्याओं से सम्बन्धित कुछ प्रमुख सुझाव निम्न हैं–

8.3.1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित सुझाव

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो प्रमुख समस्यायें हैं उनके सुझाव निम्न हैं–

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रतीत होती है। क्योंकि अधिकांशतः ऐसे व्यक्ति बैंकों में कार्यरत हैं, जो स्थानीय परिस्थितियों से पूर्णतया अनभिज्ञ हैं तथा ग्रामीण समस्याओं का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है।

(2) ग्रामीण जनसंख्या का शिक्षा का स्तर अत्यन्त निम्न है। अशिक्षा, रूढ़िवादिता की जड़ें काफी मजबूत हैं। ऐसी स्थिति में कठिन कागजी कार्यवाही को समझ पाना उनके लिए अत्यन्त कठिन है। इसलिए उन्हें क्षेत्रीय दलालों से सम्पर्क करना पड़ता है। बैंकिंग संस्थाओं को चाहिए कि ऋण प्रक्रिया की कागजी कार्यवाही कम करते हुये ऋण प्रक्रिया को सरल व लचीला बनायें।

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी शाखाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक करना चाहिए। क्योंकि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ एक भी बैंकिंग शाखा नहीं है, और लोग बैंकों के प्रति पूर्ण रूप से उदासीन हैं।

(4) जनपद में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ऋण ले रखा है और उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं। अतः सरकार को इन ऋणों की वसूली हेतु स्पष्ट रूप से कानून का निर्माण कर देना चाहिए।

(5) बैंकों का प्रबन्ध स्वतन्त्र निकाय के द्वारा होना चाहिए जिसमें राजनीतिक व्यक्तियों का प्रभाव न पड़े। क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति अपनी राजनीति के कारण बैंकिंग हितों की अनदेखी करते हैं।

(6) वर्तमान समय में अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शहर एवं नजदीक के कस्बे में ग्रामीण क्षेत्रों के नाम से अपनी शाखायें स्थापित कर अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं। अतः इन्हें अपने ग्राम में ही शाखायें संचालित करना चाहिए तभी ग्रामीण बैंक के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति होगी।

(7) ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प बचतों का अभाव पाया जाता है। जिस कारण पूंजी निर्माण

की दर अत्यन्त निम्न होती है। ग्रामीण बैंकों को चाहिए कि क्षेत्र में समय–समय पर स्थानीय लोगों के बीच में निजी स्तर पर सम्पर्क व विचार गोष्ठियों का आयोजन कर लोगों को अल्प बचतों के सन्दर्भ में जागरूक करें।

(8) बैंकिंग संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है, वर्तमान में ऋण से सम्बन्धित कार्य भ्रष्टाचार का सबसे अच्छा माध्यम बन चुके हैं। ऋण स्वीकृत करते समय बैंक के अधिकारियों द्वारा एक निश्चित दर से कमीशन ले लिया जाता है। कहीं–कहीं ऐसे मामले भी प्रकाश में आये हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन के बदले किसी अन्य को ऋण स्वीकृत कर दिया गया। बैंकिंग संस्थाओं को चाहिए कि एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करे जो ग्राहकों के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हो और ग्राहकों की जिज्ञासा को नियम व कानून की परिधि के अन्दर शान्त कर सके। इसके अतिरिक्त बैंकिंग संस्थाओं में कमीशन, दलाली आदि पर रोक की सख्त आवश्यकता है। ऋण धारक की पास बुक में दर्ज की गयी प्रविष्टियों को साफ व स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए।

(9) बैंकों को ग्राहकों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक ग्राहक समिति का गठन करना चाहिए जिसके सदस्य बैंक कर्मचारी के साथ–साथ कुछ ग्राहक एवं उस गांव के एक दो सम्मानित बुजुर्ग सदस्यों को शामिल करना चाहिए जिस गांव में बैंक शाखा कार्यरत है। जो बैंक व ग्राहकों की समस्याओं की सुनवाई कर सके तथा उसे सुलझााने का प्रयास करे। यदि समिति के स्तर पर यह निपटारा न हो सके तो उसे उच्च अधिकारियें के पास भेजा जाय।

(10) जनपद में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके पास कृषि योग्य भूमि 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य है, जबकि कई लोगों के पास आवश्यकता से अधिक भूमि है। किन्तु ऋण लेते समय उन्हें एक समान प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जिससे छोटे काश्तकारों की

आर्थिक कठिनाइयों में वृद्धि होती है। अतः छोटे काश्तकारों व बड़े काश्तकारों के लिए अलग—अलग नियमों का निर्धारण होना चाहिए।

8.3.2. व्यापारिक बैंकों से सम्बन्धित सुझाव

व्यापारिक बैंकों की जो प्रमुख समस्यायें हैं उनके सुझाव निम्न हैं—

(1) सन् 1970 के पश्चात् ब्यापारिक बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र गति से शाखायें खोली हैं जिससे उनकी प्रबन्धकीय कुशलता में कमी आई है। अतः इसके लिए आवश्यक है कि इन शाखाओं के प्रबन्धकों व कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, जिससे उनकी प्रबन्धकीय कुशलता में वृद्धि हो।

(2) ब्यापारिक बैंकों में बकाया ऋणों की समस्या ने गम्भीर रूप ग्रहण कर लिया है। इसमें राज्य सरकारों के असहयोग, कानूनी जटिलताओं, राजनैतिक हस्तक्षेप, सरकारी प्रतिनिधियों के असहयोग आदि के कारण बकाया ऋणों की समस्या अधिक गम्भीर हो गई है। इसके लिए आवश्यक है कि इस समस्या का समाधान शीघ्र किया जाय जिसके लिये सरकार द्वारा ऐसे कानून बनाये जायें जिससे वसूली की प्रक्रिया सरल हो व स्थानीय सरकारी प्रतिनिधियों का भी वसूली कार्य में पूरा सहयोग मिले।

(3) ब्यापारिक बैंकिंग शाखाओं का सन्तुलित विकास नहीं हुआ है। आज भी अनेकों ऐसे गांव है जहाँ इन बैंकों के एक भी कार्यालय नहीं हैं। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार के क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने का प्रयत्न किया जायं। तथा ब्यापारिक बैंकों की अधिकांश शाखायें उन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जांय जहाँ ब्यापारिक बैंकों की शाखायें नहीं हैं।

8.3.3. सहकारी संस्थाओं से सम्बन्धित सुझाव

सहकारी संस्थाओं की जो प्रमुख समस्यायें हैं उनके सुझाव निम्न हैं—

(1) सहकारी संस्थाओं की एक प्रमुख समस्या ऋण वापसी की है। सहकारी साख

समितियों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है कि दिये गये ऋणों का समय पर भुगतान हो। इस दिशा में राज्य सरकारों की मदद से विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिए।

(2) सहकारी साख समितियों से कमजोर वर्ग को जमानत के अभाव में पर्याप्त साख सुविधायें उपलब्ध नहीं हो रही हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्र का सबसे गरीब वर्ग खेतिहर मजदूर एवं छोटे किसानों का है। अतः ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि सहकारी समितियों के माध्यम से इन्हें अधिक वित्तीय सुविधायें उपलब्ध करायी जायें।

(3) सहकारी संस्थाओं के पास वित्तीय साधनों की कमी है। विभिन्न स्तर पर जो संस्थायें कार्य कर रही हैं वे वाह्य स्रोतों पर अधिक निर्भर हैं। यदि सहकारी आन्दोलन को सुदृढ़ करना है तो इसके लिए आवश्यक है कि सहकारी साख समितियों को वित्तीय दृष्टि से स्वावलम्बी बनाया जाय। इस दिशा में ग्रामीण जनता का सक्रिय सहयोग मदद कर सकता है।

8.3.4. अन्य सुझाव

वित्तीय संस्थाओं व अन्य व्यक्तियों से सम्बन्धित कुछ प्रमुख सुझाव निम्न हैं–

(1) उचित चुकौती अनुसूची

चुकौती अनुसूची लाभार्थियों की उपभोग आवश्यकता की व्यवस्था करने के बाद उनके पास उपलब्ध अपेक्षित आय के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। चुकौती क्षमता की गणना निम्नानुसार की जा सकती है–

$$R = Y - (C+L+K+M)$$

R = चुकौती क्षमता

Y = प्रस्तावित निवेश के बाद अपेक्षित आय

L = वर्तमान देयताओं पर देय चुकौती

K = आय बढ़ने से पारिवारिक व्यय में होने वाली अपेक्षित वृद्धि

M = अप्रत्याशित घटनाओं के लिए मार्जिन

यदि चुकौती क्षमता के अनुसार चुकौती अनुसूची निर्धारित नहीं की जाती है तो आरम्भ से ही बैंक ऋण अशोध्य होगा। उच्च आय वर्ग के लोगों की तुलना में कमजोर वर्ग को लंबी चुकौती अनुसूची की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अपने खर्चों की पूर्ति के बाद उसके पास उपलब्ध अधिशेष कम रह जाता है।

(2) किसान क्रेडिट कार्ड के अन्तर्गत पर्याप्त साख की मंजूरी

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत सीमा निर्धारित करते समय बैंकों को सहायक गतिविधियों सहित किसान की वर्ष भर की उत्पादन ऋण आवश्यकताओं को गणना में लेना चाहिए। बैंकों द्वारा लिया गया वित्तमान उन्नत टेक्नालोजी और उत्तम निविष्टियों का प्रयोग करने वाली पूंजी प्रधान कृषि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त होना चाहिए।

(3) ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी विनिर्माताओं के साथ गठजोड़

बैंक ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी विनिर्माताओं के साथ उनके उत्पादों के वित्तीयन हेतु करार कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए कि किसान न्यूनतम संभव कीमत पर ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनरी प्राप्त कर सकें। ऐसी व्यवस्था से किसानों को आसानी से ऋण प्राप्त हो सकता है। और ऋण राशि का सही उपयोग सुनिश्चित होगा।

(4) स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वित्तपोषण

ऐसे छोटे एवं सीमान्त कृषकों, बटाईदारों, अनुसूचित जाति व जन जाति के सदस्यों आदि के मामले में जो प्रतिभूति उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, उन्हें बैंक संयुक्त

देयता समूहों या स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कर सकते हैं। समूह संयुक्त रूप से बैंक को ऋण के पुनर्भुगतान हेतु प्रतिबद्ध होता है। उधार लेने वाले सदस्यों पर ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु नैतिक दबाव के कारण संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह की योजनाओं के अन्तर्गत दिये गये ऋणों की वसूली का प्रतिशत ऊँचा होता है।

(5) सावधि ऋणों का उत्पादन साख से एकीकरण

कुंए खोदने/गहरे करने, डीजल पम्पसेट/इलेक्ट्रिक मोटर लगाने, सिंचाई व्यवस्था करने, ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीद या प्रस्थापना, डेरी पशुओं की खरीद आदि के लिए बैंक सावधि ऋण देते हैं। सावधि ऋण देते समय उत्पादन कार्यों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी विचार करना चाहिए। इससे किसानों को अपने निवेश का पूरा लाभ उठाने में सहायता मिल सकती है।

(6) नये खातों के लिए शाखावार लक्ष्य

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बैंकों को नये खातों के वित्तीयन हेतु अपनी ग्रामीण व अर्द्धशहरी शाखाओं के लिए शाखावार लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। इससे उन किसानों को भी वित्त प्राप्त होगा जो बैंक में आने से हिचकते हैं। शाखाओं द्वारा कुल संवितरण के लिए ही नहीं, नये खातों के वित्तीयन के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिए। शाखा के आकार और क्षेत्र की क्षमता के आधार पर ये लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिए।

(7) गैर–संस्थागत स्रोतों के कर्जदार लोगों की सहायता

ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा ऊँची ब्याज दरों पर साहूकारों और अन्य गैर–संस्थागत स्रोतों से लिए गये ऋणों पर अदा किये गये भारी ब्याज के कारण किसानों की आय

कम हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि वित्तीय संस्थायें इनको ऐसे कर्ज से राहत दिलाने के लिए वित्त उपलब्ध करायें।

(8) सहायता अस्वीकृत किये गये मामलों की समीक्षा

बैंकों को कमजोर वर्ग के ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जिनका ऋण केवल इसी आधार पर अस्वीकृत किया गया था कि उनका कोई ऋण खाता समझौता या अपलिखित कर निपटाया गया था। ऐसे लोगों के प्रस्ताव यदि व्यवहार्य हों तो बैंकों को उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए विचार करना चाहिए।

(9) बैंकर–किसान सम्मेलन

ग्रामीण वित्त की विभिन्न योजनाओं के विषय में किसानों में व्यापक जागरूकता लाने के लिए बैंकर–किसान सम्मेलन प्रभावी सिद्ध हो सकता है। इस सम्मेलन का उपयोग बचत की आदत डालने और समय पर ऋण चुकाने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे सम्मेलन शाखा द्वारा अकेले या विभिन्न शाखाओं द्वारा मिलकर किए जा सकते हैं। ऐसे सम्मेलन उन किसानों को भी बैंकों में आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो सामान्यतः बैंकों के सम्पर्क से झिझकते हैं।

(10) पर्याप्त वित्तीय सहायता

बैकों द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के लिये बैंकों को मार्जिन राशि, यदि कोई हो, तो उसे घटाकर पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। किसी प्रस्ताव के कम वित्तीयन से वाह्य स्रोतों पर निर्भरता बढ़ती है और परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब होता है। पर्याप्त वित्तीय सहायता न दिये जाने पर किसान साहूकारों और अन्य गैर–संस्थागत स्रोतों से उच्च ब्याज दर पर ऋण लेने के लिये विवश होता है। इससे उसकी चुकौती क्षमता घट जाती है।

(11) ऋण आवेदनों का शीघ्र निपटारा

बैंकों को चाहिए कि वह प्राप्त आवेदनों का निपटारा एक निश्चित समय–सीमा के अन्दर कर दे। इसके अन्तर्गत 25000 रू0 तक की ऋण सीमाओं वाले ऋण आवेदनों का निपटान एक पखवारे में किया जाना चाहिये और वे आवेदन जो 25000 रू0 से अधिक के हैं उनका निपटान 8–9 सप्ताहों में किया जाना चाहिए। प्रायः व्यवहार में बैंक ऋण आवेदनों के निपटान में अधिक समय लगाते हैं। कभी–कभी लक्ष्य सिद्धि हेतु वर्ष की अन्तिम तिमाही में आवेदन एकत्रित कर निपटाये जाते हैं। आवेदनों का समूहन न तो बैंक के लिये और न ही उधारकर्ताओं के लिए उचित है। अतः इसके लिये आवश्यक है कि एक निश्चित समय सीमा के अन्दर ही प्राप्त ऋण आवेदनों का निपटान कर देना चाहिए।

(12) मानव संसाधन विकास

अल्पावधि प्रशिक्षण, स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर दी गयी शिक्षा का स्थान नहीं ले सकता है। अतः बैंकों को कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों में आवश्यक आर्हता प्राप्त कृषि अधिकारियों के प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और महत्वपूर्ण शाखाओं में तैनाती हेतु भर्ती करनी चाहिए। जो शाखा प्रबन्धक संस्थागत ऋणों को अत्यधिक जोखिम भरा समझते हैं उनकी विचार धारा में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

(13) ग्रामीण लघु इकाईयों के साथ गठजोड़

वास्तव में संस्थागत ऋण, खुदरा ऋण का एक बहुत ही अच्छा स्रोत साबित हो सकता है। यदि बहुत बड़ी संख्या में छोटे उधारकर्ताओं तक बैंकिंग संस्थाओं की पहुंच महंगी महसूस हो रही हो तो बैंक अपनी कतिपय गतिविधियां ग्राम स्तर पर कार्यरत स्वयं सहायता समूहों, पंचायती राज संस्थाओं, विनिष्टि आपूर्तिकारों, ट्रैक्टर निर्माताओं, डाक–घरों आदि जैसी लघु ग्रामीण इकाईयों के माध्यम से कर सकते हैं। जॉब–वर्क

आधार पर बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं से सहयोग ले सकते हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास एवं ग्रामीणों का आय स्तर बढ़ाने के लिए संस्थागत वित्त में वृद्धि हेतु ये सुझाव बैंकों एवं प्राथमिकता क्षेत्र के अन्य लोगों के लिए सहायक हो सकते हैं। सिंचाई सुविधाओं के सृजन, पंपसेटों के विद्युतीकरण, भूमि सुधार, कृषि यन्त्रीकरण आदि के माध्यम से कृषि विकास की प्रक्रिया में सुधार हेतु ऋण आवश्यक है। किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से दिया गया ऋण उन्नत निविष्टियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग में सहायक होता है। इसके परिणामस्वरूप प्रति एकड़ उत्पादनशीलता में वृद्धि होती है। पशुपालन, मुर्गी व मत्स्य पालन, लघु व कुटीर उद्योग एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों का वित्त पोषण ग्रामीणों की आय बढ़ाने, बेरोजगारी, गरीबी, ग्राम–शहर प्रवसन और आय असंतुलन कम करने में सहायक होता है।

****

परिशिष्ट

परिशिष्ट

☞ प्रयुक्त साक्षात्कार अनुसूची

☞ संदर्भ ग्रन्थ सूची

साक्षात्कार अनुसूची

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता क्षेत्र पर संस्थागत वित्त का प्रभाव

(बाँदा जनपद के विशेष परिप्रेक्ष्य में)

सामान्य सूचनाएँ

1. नाम : ....

2. ग्राम का नाम : ....

3. विकासखण्ड : ....

4. आयु : ....

5. ग्राम में निवास की अवधि : ....

6. शिक्षा का स्तर : क. शिक्षित ☐ ख. अशिक्षित ☐

7. औपचारिक शिक्षा स्तर : ....

   क. प्राथमिक स्तर ☐ ख. जूनियर स्तर ☐

   ग. हाईस्कूल ☐ घ. इण्टरमीडिएट ☐

   ड़0. स्नातक स्तर ☐ च. परास्नातक स्तर ☐

8. परिवार के सदस्यों की संख्या : ....

9. परिवार का परम्परागत रोजगार : ....

10. परिवार का अपरम्परागत रोजगार : ....

विशिष्ट सूचनाएँ

(अ) आय पक्ष

1. क्या आपके पास कृषि योग्य भूमि है?

   क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

2. यदि हाँ तो कितनी एकड़

   क. 0–5 एकड़ ☐ ख. 5–10 एकड़ ☐

   ग. 10–15 एकड़ ☐ घ. 15–20 एकड़ ☐

   ड0. 20–25 एकड़ ☐ च. 25 एकड़ से अधिक ☐

3. क्या आपके कृषि योग्य भूमि में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं?

   क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

4. आप सामान्य रूप से किन–किन फसलों को बोते हैं?

क. रबी ☐ ख. खरीफ ☐ ग. जायद ☐

5. फसल–चक्र बतलायें–

क. एक बार ☐ ख. दो बार ☐

ग. तीन बार ☐ घ. परती ☐

6. कृषि लागतों को निकालकर आपकी कृषिगत वार्षिक आनुमानित आय क्या है?

क. 0–20000 रू0 ☐ ख. 20000–40000 रू0 ☐

ग. 40000–60000 रू0 ☐ घ. 60000–80000 रू0 ☐

ड़0. 80000–100000 रू0 ☐ च. 100000 रू0 से अधिक ☐

7. आप अपनी कृषि उपज को कहाँ बेचतें हैं?

क. साहूकारों एवं महाजनों को ☐

ख. ग्रामों में लगने वाले साप्ताहिक हाटों व बाजारों में ☐

ग. कस्बों व नगरों में स्थित कृषि मण्डियों में ☐

घ. राजकीय खरीद केन्द्रों में ☐

8. क्या कृषि के अतिरिक्त आपके पास आय के सहायक स्रोत भी हैं?

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

9. यदि हाँ तो आपके आय के सहायक स्रोत क्या हैं?

क. कृषि आधारित उद्योग धन्धें ☐

ख कृषि से सम्बद्ध सेवायें ☐

ग. पशु–पालन ☐

घ. अन्य कोई ☐

10. यदि आपके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है या अत्यन्त कम मात्रा में है, तो क्या आप कृषि मजदूर हैं?

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

11. यदि हाँ तो कब से..

12. कृषि मजदूरी से प्राप्त होने वाली वार्षिक स्थायी आय की राशि कितनी है?

क. 0–20000 रू0 ☐

ख. 20000–40000 रू0 ☐

ग. 40000—60000 रू0 ☐

घ. 60000—80000 रू0 ☐

13. क्या कृषि मजदूर के रूप में आपके कोई आकस्मिक स्रोत भी हैं?

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

14. यदि हाँ तो वे स्रोत बतलायें—

क. मेले में दुकान लगाना ☐

ख. छप्पर छाना ☐

ग. ईंट पाथना ☐

घ. अन्य ☐

15. आपके द्वारा प्रमुख रूप से कौन—कौन से पशु पाले जाते हैं..................................

16. पशु—पालन से आपको अर्जित होने वाली वार्षिक प्रतिफल आय कितनी है?

क. 0—10000 रू0 ☐ ख. 10000—20000 रू0 ☐

ग. 20000—30000 रू0 ☐ घ. 30000—40000 रू0 ☐

ड़0. 40000—50000 रू0 ☐ च. 50000 रू0 से अधिक ☐

17. क्या आपके पास गैर—कृषि कार्यों से प्राप्त आय के स्रोत हैं?

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

18. यदि हाँ तो वे स्रोत बताइये—

क. बढ़ईगीरी व लुहारगीरी ☐ ख. नाईगीरी ☐

ग. दर्जीगीरी ☐ घ. सुनारगीरी ☐

ड़0. राजमिस्त्री ☐ च. जुलाहा ☐

19. गैर—कृषि कार्यों से आपकी वार्षिक आय कितनी है?

क. 0—10000 रू0 ☐ ख. 10000—20000 रू0 ☐

ग. 20000—30000 रू0 ☐ घ. 30000—40000 रू0 ☐

20. क्या आपके पास उपर्युक्त स्रोतों के अतिरिक्त भी आय के अन्य स्रोत हैं?

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

21. यदि हाँ तो वे स्रोत बताइये—

क. मुर्गी पालन उद्योग ☐ ख. मत्स्य पालन उद्योग ☐

ग. रेशम—कीट पालन ☐ घ. दोना—पत्तल उद्योग ☐

ड़0. दरी उद्योग ☐ च. मिट्टी के बर्तन उद्योग ☐

22. अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय बताइये–

क. 0–10000 रू0 ☐ ख. 10000–20000 रू0 ☐

ग. 20000–30000 रू0 ☐ घ. 30000–40000 रू0 ☐

ड़0. 40000–50000 रू0 ☐ च. 50000 रू0 से अधिक ☐

23. ग्रामीण विकास की सरकारी योजनाओं में भागीदारी करके आपने अपनी आय बढ़ाने का प्रयास किया है?

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

24. यदि हाँ तो किस योजना में? ....

25. क्या आप कृषि अवकाश के महीनों में अपने गांव से बाहर अर्थात् शहरों की ओर आय अर्जित करने जाते हैं ?

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

26. यदि हाँ तो क्यों ? ....

(ब) व्यय पक्ष

1. आप अपना पारिवारिक उपभोग–व्यय किस आधार पर निश्चय करते हैं?

क. दैनिक आधार पर ☐ ख. साप्ताहिक आधार पर ☐

ग. मासिक आधार पर ☐ घ. वार्षिक आधार पर ☐

2. आप किन खाद्यान्नों का उपभोग करते हैं?

क. गेहूं, दाल एवं चावल ☐

ख. मोटा अनाज, दाल एवं चावल ☐

ग. केवल दाल एवं चावल ☐

घ. केवल दाल एवं गेंहू ☐

3. आप किन–किन फल एवं सब्जियों का उपभोग करते हैं?..

4. आप किन–किन खाद्य तेलों का उपभोग करते हैं? ....

5. क्या आप चीनी, खांडसारी अथवा गुड़ का उपभोग करते हैं?

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

6. क्या आप चाय–पत्ती का उपभोग करते हैं?

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

7. क्या आप आचार/चटनी का उपभोग करते हैं?

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

8. क्या आप नशे के पदार्थों या धूम्रपान पदार्थों का उपभोग करते हैं?

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

9. यदि हाँ तो किन–किन पदार्थों का?..

10. इन पदार्थों पर किया जाने वाला औसत मासिक व्यय बताइये?..............................

11. ईंधन व प्रकाश पर आपका मासिक व्यय कितना है?...

12. कपड़े व अन्य वस्त्रों पर आपका मासिक व्यय कितना है?..

13. जूते एवं चप्पलों पर आपका मासिक व्यय कितना है?..

14. स्वच्छता की वस्तुओं पर आपका मासिक व्यय कितना है?..

15. आप गृह निर्माण व विस्तार पर वार्षिक रूप से कितनी धनराशि व्यय करते हैं?..

....

16. आपके द्वारा रेडियो/ट्रांजिस्टर पर किया जाने वाला वार्षिक व्यय कितना है?

....

17. क्या आपके पास घड़ियां उपलब्ध हैं?

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

18. क्या आप विद्युत के सामानों का उपभोग करते हैं?

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

19. यदि हाँ तो इन पर किया गया वार्षिक व्यय बताइये?...

20. क्या आपके पास सिलाई–मशीन उपलब्ध है?

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

21. आपके द्वारा चारपाई निर्माण व क्रय पर वार्षिक रूप से कितनी धनराशि व्यय की जाती है? ....

22. आप वार्षिक रूप से बर्तनों के क्रय पर कितनी धनराशि व्यय करते हैं?................

23. क्या आपके पास साइकिल उपलब्ध है?

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

24. आपका बच्चों की शिक्षा पर वार्षिक व्यय कितना है?..

25. पारिवारिक स्वास्थ्य की रक्षा पर आपका वार्षिक व्यय कितना है?..........................

26. आपका वार्षिक यात्रा–व्यय कितना है?...

27. आप मनोरंजन के साधनों पर वार्षिक रूप से कितनी धनराशि व्यय करते हैं?......

28. आपके द्वारा कानूनी विवाद के रूप में कितनी धनराशि वार्षिक रूप से व्यय की जाती है?..

29. आप सामाजिक अवसरों पर कितनी धनराशि वार्षिक व्यय करते हैं?.......................

(स) परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व पक्ष

1. आप किस बैंक से लाभार्थी चयनित हुये हैं?...

2. आपका किस आधार पर चयन हुआ है?...

3. आपका लाभार्थी के रूप में किस वित्तीय वर्ष में चयन हुआ है?..............................

4. आपको कितनी धनराशि स्वीकृति हुयी है?...

5. आपने प्राप्त ऋण को किस प्रकार विनियोग किया है?

क. गृह उपयोगी वस्तुएं ☐ ख. आय सृजक परिसम्पत्तियाँ ☐

6. आपने प्राप्त संस्थागत वित्त से कौन सी आय सृजक परिसम्पत्ति का निर्माण किया है?...

7. क्या आपको आय सृजक परिसम्पत्ति निर्माण से प्रतिफल आय प्राप्त हो रही है?

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

8. यदि हाँ तो वार्षिक आधार पर कितनी?...

9. क्या आय सृजक परिसम्पत्ति निर्माण से आपके उत्पादन में वृद्धि हुयी है?.

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

10. यदि हाँ तो वार्षिक आधार पर बताइये?...

11. क्या आय सृजक परिसम्पत्ति के निर्माण से आपके रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुयी है?

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

12. यदि हाँ तो परिवार के कितने सदस्यों को रोजगार प्राप्त हुआ है?.........................

13. क्या आपने अन्य लोगों को भी रोजगार पर लगाया हुआ है?

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

14. यदि हाँ तो कितने लोगों को?...

15. क्या आप उत्पन्न प्रतिफल आय से बचत कर रहे हैं?

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

16. यदि हाँ तो वार्षिक आधार पर कितनी धनराशि?..

17. यदि नहीं तो क्यों?..

18. आपने प्राप्त ऋण राशि से कौन सी गृह उपयोगी वस्तु क्रय की है?.....................

19. क्या आपको गृह उपयोगी वस्तुओं से प्रतिफल आय प्राप्त हो रही है?

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

20. यदि हाँ तो वार्षिक आधार पर कितनी धनराशि?...

21. यदि नहीं तो क्यों?..

22. क्या आप प्राप्त ऋणराशि का पुनर्भुगतान कर रहे हैं?...

23. क्या आपने गैर–संस्थागत वित्तीय स्रोतों से भी ऋण ले रखा है?..........................

24. आपने ऋण किस उद्देश्य के लिये लिया था?...

25. क्या ऋण प्रदाता बैंक अधिकारी अथवा कर्मी आपसे कमीशन की मांग करते हैं?

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

26. यदि हाँ तो आपने कब–कब और कितने प्रतिशत कमीशन दिया है?....................

27. आपको ऋण प्राप्त करने में प्रमुख रूप से किस समस्या का सामना करना पड़ा?

....

28. क्या आप प्राप्त संस्थागत वित्त की मात्रा और प्रक्रिया से संतुष्ट हैं?

क. हाँ ☐ ख. नहीं ☐

29. यदि नहीं तो आपके प्रमुख सुझाव क्या हैं?..

....

....

....

....

....

....

****

BIBLIOGRAPHY

(क) पुस्तकें

1. Ackley Gardner : Macroeconomic Theory.
2. Awaasthi, A.K. : Economics Development and planning. Retrospect, D.K. Publishers, New Delhi.
3. Basu S.K. : Contemporary Banking Trends.
4. Bechkart B.H. : Banking system
5. Carson Deane : Money and Finance.
6. Chaudhary C.M. : Research Methodology, RBSA Publishing, Jaipur, 1991.
7. Gardiner, B.B. : Human Relations in Industry.
8. Ghosh M.A. : An introduction to research Procedure Social Sciences.
9. Gupta U.P. : Export Guide, D.K. Publishers, New Delhi.
10. Hansen A.H. : Monetary Theory and Fiscal Policy
11. Hester Donald D. : Indian Banks - their Portfolio, profits and policy
12. Jevons W.S. : Money and the Mechanism of the exchange.
13. Kent R.P. : Money and Banking.
14. Keynes J.M. : A treatise on Money.
15. Kothari C.R. : Quantitative Techniques, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, 1984
16. Kothari C.R. : Research Methodology and Techniques. Wiley Eastern Ltd. New Delhi, 1986
17. Kish, Leslie : Survey Sampling, John Wiley and Sons, New York, 1965
18. Lee M.W. : Macroeconomics; Fluctuations, Growth an Stability.
19. Mahesh Chandra and Anand Vinod : Economic Theory, A Mathematical Approach, Kitab Mahal, Allahabad

20. Marget A.W. : The Theory of Prices.

21. Marshall A. : Money, Credit and Commerce.

22. Mills J.S. : Principles of political Economy.

23. Mithani D.M. : Money, Banking, International Trade and Public Finance. Himalaya Publishing House, Bombay, 1984.

24. Newlyn W.T. : Theory of Money.

25. Pigou A.C. : The Veil of Money.

26. Robertsm D.H. : Money

27. Sen S.N. : Central Banking in Underdeveloped Money Market.

28. Sinha S.L.N. : The Capital Market of India.

29. Stoni and Hague : A Text Book of Economic Theory.

30. Tandon B.C. : Research Methodology In Social Sciences.

31. Vaswami T.A. : Indian Banking System, A Critical Study : of the Central and Commercial Banking Sector.

32. Walters A.A. : Money and Banking.

33. Welfing Weldon : Money and Banking

34. Whitney F.L. : The Elements of Research, New York, 1950

35. Young P.B. : Scientific Social Surveys and Research, Prentice Hall, New York, 1957.

36. Yamane T. : An introductory analysis, Harper and Row, New York.

37. Znaniecki F. : The Methods of Sociology, New Delhi, 1934.

38. आई0 सी0 ढींगरा : रूरल इकोनामिक्स, सुल्तानचंद्र एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 1989

39. एस0 आर0 महेश्वरी : रूरल डेवलपमेन्ट इन इण्डिया

40. एस0 पी0 गुप्ता : भारत में ग्रामीण विकास के चार दशक, ग्रामीण विकास प्रकाशन, इलाहाबाद

41. जगदीश नारायण मिश्र : भारतीय अर्थव्यवस्था, किताब महल, इलाहाबाद, 1999

42. डॉ0 आर0 ए0 त्रिवेदी तथा डॉ0 डी0 पी0 शुक्ला : रिसर्च मैथडोलॉजी, कालेज बुक डिपो, जयपुर

43. डॉ0 आर0 पी0 सक्सेना : श्रम समस्यायें एवं सामाजिक कल्याण, जय प्रकाशन एण्ड कम्पनी, दिल्ली 1967

44. डॉ0 जी0 सी0 सिंघई : मुद्रा एवं बैंकिंग, साहित्य भवन, आगरा

45. डॉ0 बद्री विशाल त्रिपाठी : भारतीय अर्थव्यवस्था, किताब महल, इलाहाबाद

46. डॉ0 बी0एस0 माथुर : भारत में सहकारिता, साहित्य भवन, आगरा 2005

47. डॉ0 रवीन्द्र नाथ मुखर्जी : सामाजिक शोध व सांख्यिकी ,विवेक प्रकाशन, 7 यूए जवाहर नगर, नई दिल्ली

48. डॉ0 वी0 सी0 सिन्हा एवं डॉ0 पुष्पा सिन्हा : भारतीय बैंकिंग प्रणाली,साहित्य भवन, आगरा, 2007

49. डॉ0 शुक्ल एवं सहाय : सांख्यिकीय के सिद्धान्त, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा

50. डॉ0 हरिश्चन्द्र शर्मा व प्रो0 राम कुमार शर्मा : बैंकिंग विधि एवं व्यवहार

51. डी0 पी0 सारडा : कृषि ऋण मार्गदर्शिका, गोविन्द प्रकाशन, जयपुर, 2005

52. दूधनाथ चतुर्वेदी : श्रम सिद्धान्त एवं समीक्षा साहित्य केंन्द्र ज्ञानवापी वाराणसी, 1961.

53. पारसनाथ राय : अनुसंधान परिचय, 1973 एवं 1989

54. पी0 मिश्रा : ग्रामीण अर्थशास्त्र, प्रिंट वैल पब्लिसर्स, जयपुर

55. रूद्रदत्त एवं के0 पी0 एम0 सुन्दरम : भारतीय अर्थव्यवस्था, एस0 चन्द एण्ड कम्पनी नई दिल्ली, 1993

(ख) शोध लेख / पत्र

1. Aggarwal, P.C. : "Impact of Green Revalution on Landless Labour" : Economic and Political Weekly, Vol. VI Nov. 1971.
2. Bardhan, K. : "Factors Affecting Wages Rates for Agricultural Labour " Economic and Political Weekly, Vol. VI June, 1973.
3. D'Souza Errol : "Prudential Regulation In Indian Banking" E.P.W., Mumbai, Vol. XXXV No. 5 Jan. 29 Feb, 4, pp. 287.
4. Ghosh D.N. : "Weak Banks : A Strategy for self Renewal" E.P.W., Mumbai, vol. XXXV No. 5, Jan. 29 Feb, 4, 2000, pp. 243
5. Nair Tara S. : "Institutionalising Micro Finance In India, An overview of Strategic Issues", E.P.W., Mumbai, Vol. XXXVI No. 4, pp. 399.
6. Nachne D.M. et.al. : "Bank Response to Capital Requirements Theory and Evidence", E.P.W., Mumbai, Vol. XXXVI No. 4 , Jan. 27 Feb., 4 2001, pp. 329.
7. Nair Tara S. : "Rural Financial Intermediation and Commercial Banks", E.P.W., Mumbai, Vol. XXXV No. 5, Jan 29 Feb. 4, pp. 299
8. Sen, A : "Poverty : A Ordinal Approach to Measurement." Econometrica, Vol. 44, No. 2, March 1976.

(ग) समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं

समाचार पत्र

1. द इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली (पिछले कई वर्षों की)
2. द इकोनामिक टाइम्स (पिछले कई वर्षों की)
3. टाइम्स आफ इण्डिया (पिछले कई वर्षों की)
4. न्यू भारत टाइम्स, लखनऊ (पिछले कई वर्षों की)
5. दैनिक जागरण, कानपुर (पिछले कई वर्षों का)
6. अमर उजाला, कानपुर (पिछले कई वर्षों का)
7. जनसत्ता, नई दिल्ली (पिछले दो वर्षों का)
8. स्थानीय समाचार पत्र (पिछले दो वर्षों का)
9. नव भारत टाइम्स (पिछले दो वर्षों का)

पत्रिकायें

1. इंडिया टुडे (पिछले कई वर्षों का)
2. योजना (पिछले कई वर्षों का)
   542, योजनाभवन, नई दिल्ली
3. कुरूक्षेत्र (पिछले कई वर्षों का)
   सं0 कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, 467 कृषि भवन, नई दिल्ली (विभिन्न अंक)
4. सांख्यिकीय पत्रिका (पिछले कई वर्षों का)
   अर्थ एवं संख्या विभाग, बाँदा (विभिन्न अंक)
5. उत्तर प्रदेश वार्षिकी (पिछले कई वर्षों का)
   निदेशालय सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, लखनऊ (विभिन्न अंक)